छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **एकादश सत्र**

बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2021

(श्रावण 06, शक सम्वत् 1943)

[अंक 03]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2021

(श्रावण 6, शक संवत् 1943)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री सत्यनारायण शर्मा :- (श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की ओर इशारा करते हुए) आप पहली बार टाईम पर आए हो।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष जी, आज कल आप एकदम मेचिंग में चल रहे हैं। विवाद जो है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता जी, आज बाहर मौसम कितना बढ़िया है। (हंसी) मौसम बहुत अच्छा है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- लेकिन अंदर बहुत गर्म है। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, उसको मत करिए। (हंसी) बाहर का प्रभाव अंदर आने दीजिए। (हंसी)

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष जी, बाहर ठंडा है, अंदर गर्म है।

श्री शिवरतन शर्मा :- लेकिन कुछ स्थानों पर तूफान आया हुआ है और तूफान का असर यहां दिख रहा है।

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- एक बहुत छोटी सी मेरी व्यवस्था है, आप लोग सुन लें। आप सभी को ज्ञात है कि विधानसभा की कार्यवाही को सी.सी.टी.व्ही. के माध्यम से विधानसभा परिसर में स्थित सभा के पदाधिकारियों सहित माननीय मंत्रियों के कक्ष में लगे टी.व्ही. पर प्रसारित किया जाता है जिसका उद्देश्य केवल यह है कि माननीय पदाधिकारीगण एवं मंत्रिगण अपने कक्ष से अवलोकन कर सकें कि सभा में किस विषय पर चर्चा हो रही है। लेकिन कल मेरी जानकारी में यह तथ्य आया है कि विधानसभा की कार्यवाही में कुछ अंशों को इन कक्षों में लगे किसी टी.व्ही. से मोबाईल द्वारा वीडियो रिकार्डिंग कर उसे सोशल मीडिया में वायरल किया गया है जो बहुत ही आपत्तिजनक है और विधानसभा की गरिमा एवं प्रतिष्ठा के विपरीत है। विधानसभा की कार्यवाही अधिकृत रूप से जारी नहीं हो जाती तब तक उसे सोशल

मीडिया में जारी करना और सोशल मीडिया द्वारा वायरल किया जाना संसदीय परंपरा के विपरीत है और यह सभा के विशेषाधिकार के उल्लंघन की परिधि में आता है। अत: मेरा अनुरोध है..।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- अनुरोध सुन लीजिए ना। अत: मेरा अनुरोध है कि जिन कक्षों में विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण सी.सी.टी.व्ही. के माध्यम से होता है उसकी गोपनियता बनाये रखना ही हम सभी का दायित्व है। मैं समझता हूं भविष्य में इस बात की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बस इतना ही तो कहना है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, इसी विषय पर जिसमें आपने व्यवस्था दी। इसी सदन की कार्यवाही सोशल मीडिया में माननीय मुख्यमंत्री की पचासों बार चलती है। उस पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं। उसको कौन रिकार्ड किया। यदि डी.पी.आर. ने रिकार्ड करवाया, विधानसभा ने उसको जारी की कि कक्ष में रिकार्डिग की गयी। पर मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया में विधानसभा का बयान चलता है। यह कैसे होता है। यह बहुत बड़ी बात है। इसमें आपकी व्यवस्था आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, मैं उसको भी देखता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह गंभीर मामला है। (व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- पूरे आधे-आधे घंटे तक जितने समय तक बोलते हैं, वह सब चलता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इस गंभीर मामले में आपको स्वयं को संज्ञान लेकर और विशेषाधिकार का प्रकरण बनाना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर हम लोग करेंगे तो हमारे खिलाफ शिकायत हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- मुख्यमंत्री जी का बयान सोशल मीडिया पर चलता है।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, आपने यह विषय रखा है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान सोशल मीडिया पर चलता है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। उसकी जांच होनी चाहिए, कौन करवाता है, कौन करता है। उसको किसने वायरल किया। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- उसको कौन करता है ?

श्री नारायण चंदेल :- कौन करता है ?

श्री अजय चंद्राकर :- यदि आपने प्रश्नकाल में व्यवस्था दी है तो यह जाहिर होना चाहिए, उसमें जांच कमेटी बननी चाहिए। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- इसमें भी सदन से जांच कमेटी बना दें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम तो आपको धन्यवाद देंगे कि हम लोगों की विशेषाधिकार सूचना देने के पहले आपने संज्ञान दिया।

श्री नारायण चंदेल :- हां दिया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तो विशेषाधिकार के माध्यम से आप इसके ऊपर में अभी तुरंत चर्चा करवाए कि यह विशेषाधिकार है और विशेषाधिकार के माध्यम से इसकी जांच करवाई जाए। यह विशेषाधिकार भंग है, यह सदन का अपमान है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- चूंकि आपने व्यवस्था दी है। इसलिए कोई न कोई निर्णय आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह सदन का अपमान है। विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव के ऊपर में तुरंत चर्चा होनी चाहिए। आपने प्रस्ताव किया है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- जांच कमेटी की घोषणा कर दें। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आपने संज्ञान लिया है। (व्यवधान)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने सोशल मीडिया में प्रसारित होने वाले समाचारों के बारे में कहा। आपने कहा है कि जब तक अधिकृत रूप से जारी नहीं हो जाती, यह कहां पर कहा गया है कि इसको जारी नहीं कर रहा है।(व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- कौन जारी किया है? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कौन जारी किया है। (व्यवधान) यह विशेषाधिकार भंग है। इसके ऊपर में तुरंत चर्चा होनी चाहिए। तुरंत चर्चा करवाई जाये। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- कक्ष में प्रसारण होती है कि दूरदर्शन से डी.पी.आर लेता है क्या होता है, उनको (व्यवधान) विशेषाधिकार प्राप्त है। मुख्यमंत्री जी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री नारायण चंदेल :- यह गंभीर विषय है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तुरंत चर्चा होनी चाहिए। आपने स्वयं संज्ञान में लिया है। आपने व्यवस्था दी है। इसके ऊपर में तुरंत चर्चा होनी चाहए। यह विशेषाधिकार हनन का गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- नेता जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां जो अभी तक व्यवस्था है। यह प्रश्नकाल का है। दूसरा जो बजट प्रस्तुत होता है।

(संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) के सदन में प्रवेश करने पर)

श्री नारायण चंदेल :- इही थोड़ी वायरल करवाए हे। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ईही वायरल करवाय हे। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- यह सारी अव्यवस्था इन्हीं की है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- सब अव्यवस्था फैलाये हे।

श्री धरमलाल कौशिक :- और बजट प्रस्तुत करने के बाद में उसके अलावा मुझे लगता है कि न तो सदन के नेता को कोई अधिकार है, न नेता प्रतिपक्ष को अधिकार है कि जब बोलें उनका वीडियो वॉयरल हो और बाकी सदस्य को न हो और न हमारे संविधान में ऐसी यहां की हमारी प्रक्रिया और कार्यसंचालन नियमावली में कोई व्यवस्था है और यदि इसके विपरीत जाकर के यदि यहां पर कार्यवाही हो रही है तो निश्चित रूप से घोर आपत्तिजनक है ।

श्री नारायण चंदेल :- घोर आपत्तिजनक है, निंदनीय है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- जिस बात को श्री बृजमोहन जी ने उठाया है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद उसमें कार्यवाही भी होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में एक प्रतिबंध लगे । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्नकाल में व्यवस्था दी है । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- चर्चा प्रारंभ हो जाये । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी हमारे इतिहास में पहली बार हो रहा है और आपने प्रश्नकाल में व्यवस्था दी है और जब प्रश्नकाल में व्यवस्था दी है तो इसके ऊपर चर्चा तुरंत प्रारंभ होनी चाहिए, यह विशेषाधिकार का मामला है । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको क्यों न सदन की समिति को सौंप दिया जाये इसके ऊपर तुरंत चर्चा होनी चाहिए क्योंकि आपने व्यवस्था दी है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं उसके बारे में भी व्यवस्था दे रहा हूं, निर्णय लूंगा । मैंने इस संबंध में अपनी व्यवस्था दे दी है और भविष्य में पुनरावृत्ति न हो इस बात का आप लोगों से अनुरोध किया है इसलिए अब इस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह गलत है । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- यह बहुत बड़ा विषय है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपकी व्यवस्था के विपरीत है । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- यह बहुत गंभीर विषय है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपने प्रश्नकाल में व्यवस्था दी है तो इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, यह गंभीर विषय है । आपने स्वयं ने संज्ञान में लिया है अगर मुख्यमंत्री प्रीविलेज का दुरूपयोग करें, अगर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का वीडियो वॉयरल हो जाए । (व्यवधान)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष जी जो व्यवस्था दे रहे हैं क्या अब आप उसे भी नहीं मानेंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमें मालूम है कि क्या मानना है और क्या नहीं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी की व्यवस्था का सम्मान करिए । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार भंग के ऊपर में एक चर्चा होती है । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे भी यह सदन अभी संकट में है ।

श्री नारायण चंदेल :- बहुत गंभीर संकट में है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सत्तापक्ष के एक मंत्री सरकार का बहिष्कार करके यहां से चले गये हैं । अभी तो संवैधानिक परिस्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी है और दूसरी बात आप व्यवस्था बता रहे हैं कि टेप हो रहा है, ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का टेप चल रहा है, स्वास्थ्य मंत्री जी के में जवाब-तलब हो रहा है तो यह तो बहुत गंभीर बात है ।

श्री अजय चंद्राकर :- वह भी विधानसभा के अंदर में हो रहा है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारे कामों को रोक दीजिए और अभी केवल प्राथमिकता में इस सदन में मंत्री की स्थिति जब तक स्पष्ट न हो, इस मामले में जब तक आप कोई निर्णय में न पहुंच जायें या कोई व्यवस्था सुनिश्चित न हो जाये तब तक सदन की कोई भी कार्यवाही चलाना जोर-जर्बदस्ती होगा, कोई अर्थ ही नहीं है । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- यह सदन का संकटकाल है । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- चूंकि अभी सदन तो प्रश्नवाचक चिह्न में है । खासकर सत्तारूढ़ पार्टी प्रश्नवाचक चिह्न में है कि आपके एक कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं हैं, उनके ऊपर लगाये गये आरोप और उनके द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का अभी तक हल नहीं निकला है तो प्रश्न पूछना और उत्तर देना यह कैसे होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चंद्राकर जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी तो आपको यहां पर मंत्री का विधेयक भी पेश करना है, कैसे होगा ? दुनिया भर की बातें हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी, आपने स्वयं कहा है कि प्रश्नकाल चलने देंगे तो चलने दीजिए । डॉ. विनय जायसवाल । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सरकार ही नहीं है तो प्रश्नकाल कैसे चलेगा ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- सरकार पूरी बैठी है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम नहीं मानेंगे क्योंकि प्रश्नकाल में आपने व्यवस्था दी है । प्रश्नकाल में व्यवस्था हमने नहीं मांगी थी । आपने व्यवस्था दी है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था आपने दी है, आपने कहा है कि यह विशेषाधिकार भंग का मामला है । भविष्य में नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर में विशेषाधिकार भंग कौन-कौन कर रहे हैं इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए ।

श्री नारायण चंदेल :- विस्तार से चर्चा होनी चाहिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक चर्चा नहीं होती है तब तक इस सदन के चलने की कोई भावना नहीं है और वैसे भी मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि हमारे अनुच्छेद-164 में कि मंत्रिपरिषद के राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, यह हमारे संविधान के अनुच्छेद-164 में उल्लेख है ।

अध्यक्ष महोदय :- यह कौन सी किताब है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मंत्रिपरिषद के ऊपर ही अविश्वास एक मंत्री ने व्यक्त कर दिया तो उसके बाद में मंत्रिपरिषद है कहां ? वे मंत्री हैं कि नहीं हैं ? और जब सरकार ही नहीं है तो इस सदन में चर्चा कैसे होगी ? इसके साथ में आप अनुच्छेद-3 में जो विधायकों की शपथ है, जो मंत्रियों की शपथ है उसको आप पढ़ लें, आप नहीं तो मैं पढ़कर बता देता हूं । उसको पढ़ने के बाद में तो इस सदन का वर्तमान में कोई अस्तित्व ही नहीं है क्योंकि एक मंत्री ने मंत्रिमण्डल के ऊपर में अगर आप चाहेंगे तो सदन में मंत्री जी ने क्या कहा है कि सरकार जब तक मेरी स्थिति स्पष्ट नहीं करती है तब तक इस सदन में मेरे बोलने का औचित्य नहीं है, रहने का औचित्य नहीं है इसके बाद तो कोई मामला बचता ही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको ही बोल रहा हूं कि आप शब्दश: मंत्री जी के वक्तव्य को दोहरायें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बहुत हो गया। मैं भी एक इंसान हूं। मेरे बारे में, मेरे चरित्र के बारे में आप सब जानते हैं। शायद, कुछ छुपे हुए पहलू हैं, जो उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे माता-पिता, मेरे परिवार के संदर्भ में आप सब जानते ही होंगे। मैं केवल यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आपके कहने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को चेंबर में बुलाया। चर्चाएं हुईं। कुछ निर्णय बतौर बात हम लोगों के समक्ष, हम लोगों के रहते तक हुई। उसके बाद यह बयान सीमित रूप में आना, मैं नहीं समझता कि मेरी स्थिति अब ऐसी है कि तब तक मैं सदन में उपस्थित होउं, तब तक शासन की तरफ से इस पर जवाब न आ जाये। तो मैं आपसे इजाजत लेकर तब तक के लिए जब तक इसमें शासन की तरफ से मेरे संदर्भ

में स्पष्ट जवाब नहीं आता है, मैं इस सदन के इस पवित्र प्रजातंत्र के सदन की कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिए अपने आपको योग्य नहीं समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। कब तक के लिए?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप इसे समझिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझ गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, तब तक नहीं। यह बहुत गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- सुनिए न तो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सरकार के ऊपर में आरोप लगा है। एक मंत्री सरकार पर अविश्वास व्यक्त कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सब चीज तो सुन रहा हूं न। उसमें लिखा है तब तक के लिए..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी प्रीविलेज है कि कोई मंत्री सदन के चलते हुए सदन छोड़कर चला जाये। यह भी एक प्रीविलेज है।

अध्यक्ष महोदय :- सर, एक मिनट।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- और शासन पर आरोप लगाये। यह शासन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। पूरा शासन समाप्त हो चुका है, इसलिए इस सदन में अब कोई चर्चा नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय :- मैं नियम और कानूनों को ताक में रखकर आपको पढ़वा रहा हूं। मेरी बात भी तो आप सुन लें। मैं यह चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि तब तक के लिए, जब तक आप स्थिति स्पष्ट न कर दें। आप इस चीज को स्पष्ट कर दीजिए ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- हम लोगों को बोलने के लिए अनुमति दे रहे हैं। हल्ला मत करो न। चुपचाप बैठ जाओ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे अनुमति दी। ऐसा कैसे हो सकता है। (व्यवधान)

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- आप सब लोग बैठ जाएं। आसंदी के आदेश से संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं। आप लोग उनकी बात को ध्यान से सुनिए। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सरकार है ? (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आसंदी की अनुमति से बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पहले आप मंत्री जी को बुलाओ। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- मंत्री जी को भी बुलाएंगे। आएंगे। मंत्री जी भी आयेंगे। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- पहले आप मंत्री जी को बुलाओ, उसके बाद बात करिए। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- यह बिल्कुल गलत परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। (व्यवधान) आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। चर्चा के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी को सदन में बुलवाइए। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- ये सदन चलने देना नहीं चाहते । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- किसने कहा कि सरकार नहीं है। सरकार है। पूरा मंत्रिमंडल बैठा हुआ है। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सरकार है ? सामूहिक जिम्मेदारी है तो सरकार पर क्यों आरोप लगा देते हैं। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल गलत बात है। (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई बात ही नहीं है। (व्यवधान) कोई मुद्दा ही नहीं बचा है भारतीय जनता पार्टी के पास। बार-बार इसी मुद्दे को लाते हैं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या सरकार है ? आप पहले मंत्री जी को लाइए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप मेरी बात सुनिए। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- यह बिल्कुल गलत परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आपके पास चर्चा के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आप सदन को चलने नहीं देना चाहते । यह बिल्कुल गलत परंपरा है। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- मुद्दाविहीन हो। आप लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हो। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल जी आप मेरी बात को सुनिए। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- संवैधानिक संकट की स्थिति है। पहले इस संकट की स्थिति का समाधान हो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- नेता जी। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- कोई संकट की स्थिति नहीं है। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- इनके पास मुद्दा नहीं है। कोई संकट नहीं है। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- कोई संवैधानिक संकट की स्थिति नहीं है। पूरी सरकार बैठी हुई है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके मंत्री ने सरकार पर अविश्वास व्यक्त कर दिया है। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। पूरी सरकार बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल जी। अग्रवाल जी। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- ये मुद्दाविहीन हैं। सदन का कीमती समय बर्बाद कर रहे है। (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- अपनी सरकार पर विश्वास नहीं है तो जनता क्या विश्वास करेगी। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, चलिए । अब मैं खड़ा हो गया हूं । ऐसा माना जाता है कि जब अध्यक्ष महोदय अपने पांव पर खड़े हों तो दूसरे लोगों को बैठ जाना चाहिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय कभी सरकार के पांव पर भी खड़े होते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं होते । मेरा एक पांव इधर और एक पांव इधर है (सत्ता पक्ष एवं विपक्ष की ओर संकेत करते हुए) । और मैं खड़ा हूं यानी बराबर खड़ा हूं । मैंने प्रश्नोत्तरकाल में भी जाने-अनजाने आपको खड़ा किया और सुना । मैंने आते ही माननीय नेता जी से कहा कि बाहर बहुत अच्छा मौसम है पानी गिर रहा है। मैं चाहता हूं कि उसी तरह का मौसम यहां भी रहे । आप लोग, जैसा भी हो, कम संख्या में होते हुए भी आप लोगों ने जो भूमिका अदा की है, मैं विदेश की बात तो नहीं जानता लेकिन देश में उसकी चर्चा हो रही है कि आप लोग अपनी जवाबदारी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, बगैर मुद्दे के हल्ला करते हैं और मुद्दे से भागते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं चाहता हूं कि मेरे इस सदन में संसदीय सौहार्द बना रहे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बना रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं । आपने जो पढ़ा उसमें यह है कि तब तक, जब तक शासन मेरी स्थिति स्पष्ट नहीं कर देता । यही कहा था ना मंत्री जी ने । हम करवा देते हैं स्थिति स्पष्ट । मैं अभी स्थिति स्पष्ट करवा देता हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह तो प्रिविलेज का मामला है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा सदन को छोड़कर चला जाना । यह भी इस सदन के प्रिविलेज का मामला है । अब वे मंत्री नहीं है । उन्होंने मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त कर दिया । इसका मतलब यह है कि वे मंत्री नहीं हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उन्होंने जो ओथ (oath) ली है, उस ओथ के खिलाफ उनका कदम है । इसलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वे मंत्री हैं या नहीं हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह स्पष्ट हो ।

अध्यक्ष महोदय :- वे मंत्री हैं ।

श्रीबृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी व्यवस्था सुन ली । हमारे संविधान के अनुच्छेद 164 में इस बात को कहा गया है कि मंत्रिपरिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर कोई एक मंत्री सरकार के ऊपर अविश्वास व्यक्त करके सदन छोड़कर चला जाए। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना कोई दूसरी नहीं हो सकती । सदस्य तो नाराज़ होकर जाते हैं परंतु कोई मंत्री चला जाए और मंत्री भी आपसे नाराज़ होकर नहीं । मंत्री सरकार से नाराज़ होकर, जो सामूहिक जिम्मेदारी की बात है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, इनके पास और कोई बात नहीं है । कल से वही बात को दोहरा रहे हैं । सिर्फ एक ही बात है उसी को कल भी बोल रहे थे, उसी को आज भी बोल रहे हो । कब तक बोलते रहोगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप फिर से देख लीजिए, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मैं आपकी अनुमति से ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने देख लिया । यह विधान सभा हमारे संविधान के अनुसार चलेगी, नियम कायदे के अनुसार चलेगी । ये विधान सभा किसी के बयान के आधार चलेगी ? यह विधान सभा संविधान के अनुसार गठित हुई है और सामूहिक जिम्मेदारी है । अगर एक मंत्री सरकार के ऊपर आरोप लगाकर चला जाता है तो पहली बात तो यह सरकार अब बची ही नहीं है । क्योंकि सरकार के ऊपर अविश्वास है । दूसरी बात यह है कि उन मंत्री जी ने भी विशेषाधिकार भंग किया है कि वे यहां पर रहते हुए यह कहकर जाएं कि वे इस विधान सभा में, जब तक उनकी स्थिति स्पष्ट न हो जाए, तब तक वह नहीं आएंगे । तीसरी बात यह है कि जब वे चले गए, सरकार पर अविश्वास हो गया तो आज की तारीख़ में वे मंत्री हैं या नहीं हैं । पहली बात तो यह है कि वे मंत्रिमंडल के सदस्य बचे ही नहीं । ऐसी स्थिति में ..।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कोई उदाहरण नहीं देना चाहता लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं । आपको याद होगा, माननीय लालकृष्ण आडवानी जी भी सदन से उठकर चले गए थे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उन्होंने सदन से इस्तीफा दिया था । वे इस्तीफा देकर गए थे । मुझे याद है वे इस्तीफा देकर गए थे । (व्यवधान) और वे विपक्ष में थे । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आपने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया । प्रश्नकाल में प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता । फिर भी मैं माननीय मंत्री जी को सुनना चाहता हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वो क्या सुनाएंगे ? मंत्रिमंडल है ही नहीं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपके कहने से मंत्रिमंडल नहीं है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- बिना कोई प्रमाणित आरोप के, बिना किसी थाने में रिपोर्ट के उनके ऊपर आरोप लगा है, इसलिए उन्होंने कहा है । लालकृष्ण आडवानी और इनमें ज़मीन-आसमान का अंतर है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उन्होंने कहा है कि जब तक मैं इन आरोपों से बरी नहीं होऊंगा तब तक सदन में नहीं आऊंगा । क्या मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है । श्री शिवरतन शर्मा :- दोनों मंत्री समकक्ष हैं, समकक्ष मंत्री दूसरे मंत्री का जवाब कैसे देगा ?

श्री रविन्द्र चौबे :- वाह, क्या बात है !

श्री शिवरतन शर्मा :- मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- और वह तो उस मामले में जवाब देने की स्थिति में ही नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसी से नाराज होकर गये थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह बार-बार उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- इसी से नाराज है, संसदीय कार्यमंत्री से नाराज है

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सुन तो लीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है। हमारा आपसे आग्रह दूसरा है क्योंकि ये गंभीर मामला है, संवैधानिक संकट है। आने वाले समय में ये नजीर बनेगी और जो नजीर गलत नजीर न बने इसलिए हम चाहेंगे कि जब तक वो मंत्री सदन में नहीं आ जाए, तब तक सदन की कार्यवाही चलाना उपयुक्त नहीं होगा। जो मंत्री यहां से सदन को छोड़कर गया है उन्होंने भी विशेषाधिकार भंग किया है और बिना इस्तीफा दिये उसका भी उल्लंघन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, सामूहिक जिम्मेदारी का उल्लंघन किया है और वो मंत्रिमण्डल में ऐसी परिस्थिति में रह ही नहीं सकते। जो उन्होंने विधायक की ओथ ली है, मंत्री की ओथ ली है उसका भी उल्लंघन किया है। ऐसे समय पर तो वे मंत्री पद पर रह ही नहीं सकते और इसके बारे में सरकार के पास में कोई जवाब ही नहीं है और इसलिए जब तक आपकी जानकारी में ये सब बातें नहीं आ जाती हैं आप कक्ष में बुलाकर जानकारी ले लें, फिर आप हमको दे दें और जब सरकार में विश्वास है तो सरकार को क्यों सुनेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- ओथ का भी उल्लंघन किया है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं ले लूंगा, मगर जब आपने बात उठायी है मैंने कहा है उन्होंने लिखा है जब तक शासन द्वारा सिथिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक मैं इस सदन में नहीं आउंगा, इतना ही कहा है, इस्तीफा देने की तो बात कही नहीं है उन्होंने।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय हम नहीं चाहते कि आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में इस तरह के प्रश्न पूछे जाए।

बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं नहीं अगर जो सदन को छोड़कर चला जाए।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो उनका कदम है वो उस ओर है अनुच्छेद 164 पढ़ लीजिये एक मंत्री मंत्रिमण्डल के खिलाफ बोल के जाता है तो संवैधानिक संकट पैदा होगा ही।

अध्यक्ष महोदय :- खिलाफ नहीं बोला।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको मंत्री की शपथ पढ़कर सुनाता हूं।

डॉ शिवकुमार डहरिया :- शपथ पढ़कर सुनाने की जरूरत नहीं है क्या करोगे उसको सुना के।

श्री अजय चन्द्राकर :- बइठ जा ते पढ़बे आ के जल्दी। पढ़बे ए डहार आ जा ते हा और (व्यवधान)

डॉ शिवकुमार डहरिया :- कोई मुद्दा नहीं है क्या नेताजी आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है खाली का सुनबो हमन। हमन तो ए चीज ला जानथन, ऐला सुनाये के का जरूरत हे? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप भी शपथ ले चुके हैं वो भी शपथ ले चुके हैं अब इनको छोड़िये इन बातों को काहे के लिए आप बीच में है आप कहिये न।

डॉ शिवकुमार डहरिया :- इनके पास कोई मुद्दा नहीं हल्ला करने के अलावा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महादेय, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा अब उन्होंने कहा कि मैं भारत के विधि के द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची और श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा संविधान का 164 अनुच्छेद बोलता है कि विधानसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी है अगर उन्होंने हमारे भारत के संविधान का उल्लंघन किया है उन्होंने दूसरा शब्द कहा है कि मैं उन्होंने उसका उल्लंघन किया है अब ये मंत्रिमण्डल है ही नहीं आप कैसे बोल रहे हैं अब ये मंत्रिमण्डल है ही नहीं (व्यवधान)

डॉ शिवकुमार डहरिया :- ये मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा, चिंता मत करो

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(11:24 बजे से 11:38 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

11:38 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)**

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)</u>

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल डॉ. विनय जायसवाल ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर आपकी व्यवस्था आ जाये, आपकी व्यवस्था नहीं आई है ।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था अभी नहीं आई है । (व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि प्रश्नकाल में कुछ भी बातें करते हैं । ये प्रश्नकाल को बाधित कर रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैं प्रश्नकाल तो ले रहा हूं ।

श्री नारायण चंदेल :- इतने गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है, उस पर आपकी व्यवस्था नहीं आई है, आपकी व्यवस्था आ जाये । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- वरिष्ठ मंत्री ने कहा है । अध्यक्ष महोदय, आप आसंदी से व्यवस्था दीजिए, आपकी व्यवस्था सर्वोपरि है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वे मंत्रिमण्डल है या नहीं हैं ? सदन के वरिष्ठ मंत्री ने जो सदन में बात कही है, वह सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत कहा था । अभी तो मंत्रिमण्डल का अस्तित्व ही नहीं है । जब मंत्रिमण्डल का अस्तित्व ही नहीं है तो प्रश्नकाल कैसे चलेगा? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल ।

श्री नारायण चंदेल :- अभी भी व्यवस्था नहीं आई, अभी तो मंत्रिमण्डल है ही नहीं । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी तो अस्तित्व ही नहीं है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम है कि प्रश्नकाल संविधान के अनुसार चलेगा, वह मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी है और मंत्री जी ने संविधान की शपथ ली है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत पुराना रिकार्ड हो गया, इसको आगे बढ़ाईए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सामूहिक जिम्मेदारी का ही यहां पर उल्लंघन हो गया है और संविधान की शपथ लेने वाला मंत्री ही मंत्री पद पर नहीं रहेगा, आप बता दें कि क्या वे इस्तीफा देकर गए हैं, वे मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं या नहीं हैं ? आप ही व्यवस्था दे दें कि वे

मंत्रिमण्डल में सदस्य हैं या नहीं हैं ? और आपके पास सूचना आ गई है क्या कि सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करने के कारण उनको मंत्रिमण्डल से निकाल दिया गया है, यह सूचना आपके पास आ गई है क्या ? अगर आपके पास आ गई है तो आप हमें बता देंगे कि मेरे पास सूचना आ गई है कि सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करने के कारण टी. एस. सिंहदेव को मंत्रिमण्डल से निकाल दिया गया है ।

श्री अमितेश शुक्ल :- यह प्रश्नकाल में प्रश्न कर रहे हैं क्या ? ये प्रश्नकाल की प्रक्रिया है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप और हम जब तक और तब तक में ही अटके हुए हैं । मैंने कहा कि जब तक को मैं तब तक कर देता हूं तो आप मानने को तैयार नहीं हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब तक और तब तक में नहीं अटका हूं, मैं संविधान में अटका हूं, मैं संविधान की बात कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने सिवाय जब तक और तब तक की बात कही है इसलिए मैं चाहता हूं ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, अब तक क्या है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान की बात कर रहा हूं । यह संविधान की कॉपी जिसके अनुसार पूरा देश चलता है, पूरी लोकतंत्र चलती है, विधान सभा चलती है । विधान सभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी, यह संविधान में लिखा है । संविधान के अनुसार मंत्री जी ने अपने शपथ में कहा है कि मैं संविधान के अनुरूप अपना आचरण करूंगा। संविधान के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी ही नहीं है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है, तो कोई मंत्रिमण्डल है ही नहीं। जब मंत्रिमण्डल नहीं है, तो यहां जवाब कौन देगा ?

अध्यक्ष महोदय :- पूरी तरीके से मंत्रिमण्डल बैठा हुआ है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह सदन है, सदन के सदस्य हैं, परन्तु मंत्रिमण्डल नहीं है। ऐसी स्थिति यह संविधान के अनुसार नहीं है, सामूहिक जिम्मेदारी का पालन नहीं हो रहा है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- मंत्री कैसे नहीं हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- मंत्री कैसे नहीं हैं ?

श्री नारायण चंदेल :- विलुप्त हो गये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं हैं, विलुप्त हो गये। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई व्याख्या हुई ? अध्यक्ष जी, कोई व्याख्या हुई ? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरे पास और किताब है। मेरे पास भी और किताब है।

श्री रविन्द्र चौबे :- सवाल ही नहीं है। किसी किताब में नहीं लिखा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सब किताब में लिखा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- मंत्रिमण्डल का मतलब क्या ? अकेले मुख्यमंत्री रहेंगे तो भी मंत्रिमण्डल होता है।

श्री नारायण चंदेल :- यह बड़ा संवैधानिक संकट है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- संसदीय कार्यमंत्री बड़े विद्वान हैं। संविधान का अपमान कर रहे हैं। आप बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हो। आप संविधान का अपमान कर रहे हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, इसको विलोपित कराईये, बाबा साहब का अपमान वाले शब्द को विलोपित करवाईये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप लोग विलोपित हो गये हो क्योंकि सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हो।

श्री रविन्द्र चौबे :- कैसे विलोपित होंगे ? 70 सदस्यों के साथ बहुमत में बैठे हैं। कोई विलोपित नहीं, 70 सदस्यों की बहुमत के साथ बैठे हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- विधायक विलोपित नहीं हैं, मंत्रिमण्डल विलोपित है।

श्री अजय चन्द्राकर :- लखमा जी, कल कैसे खड़े नहीं हो रहे थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब बहुत हो गया, अब बंद करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन संविधान की रक्षा के लिए 10 दिन भी चल सकता है, 10 दिन भी व्यवधान हो सकता है। अगर संविधान ही सुरक्षित नहीं होगा तो हम कहां से सुरक्षित होंगे। इस संविधान के कारण हमें बोलने का अधिकार मिला है, यह बताने का, चर्चा करने का अधिकार मिला है। संविधान के कारण हमको अधिकार मिला है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप, बृजमोहन जी की सारी बात, संविधान की बात, सब विलोपित कराईये।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में 2 दिन से श्री टी.एस. सिंहदेव मंत्री और बृहस्पत सिंहके मामले में लगातार चर्चा हो रही है। एक तो यहां बयान देकर चले गये हैं, दूसरे के बारे में बाजार में यह चर्चा है कि उनको यहां बलपूर्वक आने से रोक दिया गया है। (शेम-शेम की आवाजें) आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सुरक्षा है या नहीं, उनको कोई फोर्सली रोका तो नहीं गया है ? अगर वे यहां पर हैं तो उनको आने से रोका जा रहा है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत):- ये मनगढंत आरोप लगा रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आखिर वे सुरक्षित हैं या नहीं हैं ? वे क्यों नहीं आ रहे हैं ? उसकी भी जांच कराईये। बृहस्पत सिंह सुरक्षित है या नहीं है ? वह क्यों नहीं आ रहे हैं ?

श्री अमरजीत भगत :-माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल चलना चाहिए। (व्यवधान) आप पूरे प्रदेश का नुकसान कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह बहुत गंभीर बात है। सदस्य का अपहरण हो गया है। यह सदन के सामने जानकारी आ गई है, दबावपूर्वक उनको आने से रोका गया है। आप पता करवाईये और उस सदस्य को उपस्थित करवाईये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे भी उन्होंने चिंता व्यक्त की थी मेरी जान को खतरा है। वे बिना सूचना के अनुपस्थित हैं। क्या पता वह अनुपस्थित हैं या बलपूर्वक रोका गया है ?

श्री अमितेश शुक्ल :- अगर वे आ गये तो ये माफी मांगेंगे ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं क्यों माफी मांगूंगा।

एक माननीय सदस्य :- सदन को गुमराह कर रहे हैं, सदन की कार्यवाही चलने नहीं दे रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी भी बृहस्पत सिंह जी कहां हैं ? उनको बुलवाईये। एक तो वह सुरक्षित हैं या नहीं हैं ? किसी ने रोका है क्या ? गुण्डे-मवाली तो नहीं रोक रहे हैं ? वह किस स्थिति में हैं, आप देखिये। सदन के वरिष्ठ सदस्य की सुरक्षा का मामला है। वे आ नहीं रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं ?

श्री अमितेश शुक्ल :- अगर वह आ गये तो आप माफी मांगेंगे क्या ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं क्यों माफी मांगूंगा। (व्यवधान)

समय :

11:45 बजे **(श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य का सदन में आगमन)**

एक माननीय सदस्य :- अगर वे आ गये हैं तो क्या करेंगे....(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय वृहस्पति सिंह जी ने आरोप लगाया है, सार्वजनिक रूप से कहा है कि मेरी हत्या करवाई जा सकती है । माननीय वृहस्पति सिंह जी आज सदन में उपस्थित नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :-आरोप गलत है तो कार्यवाही करो । हमने जो कहा है, गलत है तो कार्यवाही करिये । हमने शंका जाहिर की, आपके सदस्य सुरक्षित है कि नहीं है । जांच करा लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चौबे जी, आप बोलिये ।

एक माननीय सदस्य :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार गुमराह करने की कोशिश की जा रही है...(व्यवधान)

श्री सौरभ शर्मा :- वृहस्पति सिंह जी ...(व्यवधान)

डॉ.श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, सदन का कीमती समय इन लोग बरबाद कर रहे हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप लोग बैठ जाईये ...(व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्थल छोड़कर मनगढंत आरोप लगा रहे हैं ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. विनय जायसवाल ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम शुभकामनायें देते हैं, वह स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, पूरा प्रदेश देख रहा है, झूठ बोल रहे हैं, असत्य बात । वृहस्पत सिंह के बारे में जो बात कही, आज वृहस्पत सिंह मौजूद है....(व्यवधान) आप असत्य बातें कह रहे हैं । वृहस्पत सिंह जी बैठे हैं, इतनी असत्य बातें करेंगे । सदन का टाईम जाया करेंगे ...(व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- आपके ऊपर सदन की सुरक्षा का जिम्मा है, सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा है...(व्यवधान)

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- 11 बजे से 11.40 तक वह कहां थे, वही बता दें..(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- उन्होंने कहा है कि मेरी हत्या कराई जा सकती है, माननीय वृहस्पति सिंह जी आज सदन में उपस्थित नहीं है...(व्यवधान)

डॉ.श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव :-जबरदस्ती मुद्दा बना रहे हैं ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये छोड़िये । आप बकवास करते हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- इससे बड़ा झूठ कुछ हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित ।

(11.48 से 12.25 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
12:32 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा सा मास्क खोलकर मुस्कुरा तो दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने संवैधानिक संकट का गंभीर विषय उठाया है। उस विषय के बारे में आपकी तरफ से जो व्यवस्था आनी

चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं आई। मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है और उस सामूहिक जिम्मेदारी के तहत ये संविधान का उल्लंघन है। कोई एक मंत्री मंत्रिमंडल के ऊपर में अविश्वास व्यक्त कर के सदन छोड़कर और दु:खी होकर चला जाये और वह सदस्य सदन में नहीं आये। ऐसे समय पर पूरा मंत्रिमंडल वह है या नहीं है और स्वास्थ्य मंत्री जी अभी वर्तमान में मंत्री हैं या नहीं हैं, इसके बारे में आपकी तरफ से व्यवस्था आनी चाहिए। इस बात का आपसे आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये मैं व्यवस्था दे रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह कोई संवैधानिक संकट नहीं है। फिर भी मैंने अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासन से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि इस संदर्भ में अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। इसलिए मैं चाहूंगा कि गृहमंत्री जी अपनी बात रखें।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि शासन की तरफ से बिल्कुल वक्तव्य आयेगा, हम लोग सुनेंगे। पर जिन दोनों के बीच में मामला है, एक तो यहां से अनुपस्थित हैं, एक यहां बैठे हैं, उनका बयान करा लीजिए। फिर शासन का बयान आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आयेगा, एक-एक करके बयान आयेगा।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय धर्मजीत सिंह जी कह रहे हैं, पहले बृहस्पत सिंह जी अपनी बात कहेंगे, उसके बाद गृहमंत्री जी बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- जैसा आप बोलें। आप सदन के नेता हैं।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। विगत् 24 जुलाई को रात्रि अम्बिकापुर में मेरे काफिले के ऊपर हुए हमले की घटना के परिप्रेक्ष्य में मैंने भावावेश में मीडिया या किसी अन्य माध्यम से आरोप लगा दिया था। मेरे कथन से या जिस किसी की भावनायें आहत हुई हों या ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

<u>वक्तव्य</u>

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत् 24 जुलाई रात्रि को अम्बिकापुर में माननीय विधायक श्री बृहस्पत सिंह जी के काफिल पर हुए हमले की घटना के संबंध में एवं विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में मैंने पूर्व में वक्तव्य दिया है।

उक्त घटना से माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस.सिंहदेव जी का कोई संबंध नहीं है।

उनके ऊपर लगाये गए आरोप पूर्णत: असत्य एवं निराधार हैं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कुछ कहेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की यह विधानसभा बहुत ही उच्च परंपराओं का हमेशा निर्धारण करता रहा है। अनेक बार ऐसे अवसर आये हैं जिसमें गतिरोध पैदा हुए और गतिरोध को बातचीत करके हल किया गया और मैं समझता हूं कि एक गतिरोध भी जो आया है उसमें माननीय बृहस्पत सिंह जी ने जो बयान दिया है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। बहुत ही जो भी बातें भावावेश में कही गयी थी लेकिन आज का वक्तव्य उनका बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) साथ ही माननीय गृह मंत्री जी का भी बयान आ चुका है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बातें कही हैं। मैं समझता हूं कि सारी बातें अब सदन मे आ चुकी है और मैं उन्हें खबर भी करवाऊंगा और वे सदन में आएंगे और अपनी बात भी रखेंगे और सदन में गतिरोध उत्पन्न हुआ है, मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य जिसमें श्री बृजमोहन जी, श्री रमन सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष जी, श्री धर्मजीत सिंह जी सभी माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं। अजय जी, शिवरतन जी सब लोग हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी सब लोगों ने इस गतिरोध को दूर करने में जो प्रयास किया है मैं सभी को धन्यवाद देता हूं औार चूंकि ये सदन पौने तीन करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है और हमारे सभी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के प्रदेश के मुद्दों को लेकर आते हैं और आपके माध्यम से अपनी बात रखते हैं शासन तक पहुंचाते हैं तो वह सब कार्यवाही संचालित हो चुकी। 5 दिन का यह सत्र है आज 3 दिन हो चुके। आज सप्लीमेंण्ट्री बजट भी आना है कुछ विधेयक भी प्रस्तुत होंगे, महत्वपूर्ण विधेयक उसमें भी चर्चा बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद किया लेकिन इसका मतलब यह है कि मैं आपकी प्रशंसा कर रहा था। (मेजों की थपथपाहट) इसलिए आसंदी की विशेष्ज्ञ व्यवस्था रही है और आपने इस समस्या को सुलझाने में आपकी जो महत्वूपर्ण भूमिका रही है उसके लिए मैं भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, आज तीसरा दिन है सत्र का उलझे हुए थे हम लोग। लेकिन आसंदी ने ऐसी व्यवस्था दी मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रतिपक्ष के साथियों की जागरूकता पर भी उनकी प्रशंसा करता हूं और बधाई देता हूं, कि संसदीय और संवैधानिक मुद्दों पर आपने बड़ी जागरूकता का परिचय भी दिया। आदरणीय सदन के नेता के प्रति भी विशेष रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय इतनी कठिन परिस्थितियों में भी किस तरीके से हमको छत्तीसगढ़ की जनता का प्रतिबिंब ये सदन जिसमें सारी बातें आनी चाहिए और सदन चलना चाहिए। उसको ले करके आपने उदारता का परिचय दिया तो हम जिस छत्तीसगढ़ की उच्च परंपराओं की और मापदण्डों की बात करते हैं। सारे देश के अखबारों में अगर मिडिया में इस बात की चर्चा हो रही थी, तो कल इस बात की भी चर्चा होगी कि पक्ष और प्रतिपक्ष ने माननीय सदन के नेता और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में आपके मार्गदर्शन में फिर से एक नया मापदण्ड स्थापित किया है और तीन दिवसीय अवरोधों के बावजूद भी इस सदन को अच्छा किस तरीके से चलाया जा सकता है। उसका एक बहुत सुंदर स्वरूप

आज दिखाई दिया है। मैं हृदय से सम्माननीय साथी श्री बृहस्पत के प्रति भी प्रशंसा के शब्द कहूंगा कि परिस्थितियां आती है, भावावेश होता है लेकिन खेद व्यकत करने से व्यक्ति का और ऊंचाई बढ़ता है सम्मान बढ़ता है और आपने उसकी शुरूआत की और शासन से जिस बात की अपेक्षा आपको भी थी और आपको भी थी उसको लेकर के गृह मंत्री जी ने बयान दिया। आज पूरे मसले का पटाक्षेप हुआ ये हमारे विधानसभा की मान्य परंपराओं, उच्च परंपराओं का जिसका हम जिक्र करते हैं उसी में एक और माईल स्टोन स्थापित हुआ है। आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप सब को बहुत- बहुत धन्यवाद।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन से न केवल गतिरोध, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की मिडिया में छत्तीसगढ़ विधानसभा इस संदर्भ में प्रकाशन और जो चर्चा हो रही थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा बहुत दीर्घकालीक नहीं है लेकिन मान्य परंपराओं को स्थापित करने में सफलता अर्जित की है और मुझे इस बात की खुशी है कि एक बार महाराष्ट्र की विधानसभा में जब वहां प्लेटन जुबली ईयर में राष्ट्रपति जी आये थे, मैं उस कार्यक्रम में पीठासीन अधिकारी के तौर पर गया था। राष्ट्रपति जी का वहां पर मार्गदर्शन में उन्होंने छत्तीसगढ़ विधान सभा के संदर्भ में उल्लेख किया। ये छत्तीसगढ़ की विधानसभा में यह परम्परा डाली गई है राष्ट्रपति जी के द्वारा उन परम्पराओं का उल्लेख किया जाना, अपने आप में हम लोग गर्व महसूस किये हैं। हम लोग चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में इस छत्तीसगढ़ की विधानसभा की गरिमा और बढ़े, वह ऊंचाईयों को और प्राप्त करे। उसके लिए आपका और उसके साथ में सत्ता पक्ष, सदन के नेता, संसदीय कार्यमंत्री बैठे हुए सभी सदस्य, यहां पर हमारे सभी अनुभवी सदस्य बैठे हुए हैं कि कोई भी गतिरोध आए तो केवल एक की जवाबदारी नहीं है बल्कि इस गतिरोध को समाप्त करना, और परिस्थिति जो भी कारणों से रही है मैं उसके उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन आज बृहस्पत सिंह जी ने अपनी बातें रखी हैं, गृहमंत्री जी की बात आई, सदन के नेता ने भी अपनी बातें रखीं और उन्होंने भी सभी को धन्यवाद् दिया तो निश्चित रूप से हम सब लोग चाहते हैं कि सदन ठीक से चले, उच्च परम्पराओं को कामय करे, स्थापित करे। उसके लिए आपके नेतृत्व में हमेशा हम आगे बढ़े। मैं इसके लिए सदन के नेता और सभी को धन्यवाद् देते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। दो दिनों से एक बहुत ही विषम परिस्थितियां निर्मित हुईं, जिसका सुखद पटाक्षेप हुआ है। यहां पक्ष या विपक्ष किसी के चरित्र हनन के लिए हम लोग नहीं बैठते हैं। क्षेत्र की समस्या को उजागर करने और शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए रहते हैं। वैसे अगर ठीक से कोशिश होती तो यह मामला कल तक भी सुलझ सकता था या पहले दिन भी सुलझ सकता था। न जाने क्यों, दो दिन देरी हुई लेकिन चलिए देर आए दुरूस्त आये।

जो भी हुआ अंत सही हुआ। श्री टी.एस. बाबा के प्रति पूरे सदन का सम्मान है। वह भूपेश बघेल जी के बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके विश्वस्त सहयोगी हैं। उनके यहां से जिस परिस्थिति में गये, उससे हम सब दु:खी भी थे और संभवत: आप लोग भी दु:खी रहे होंगे तो अब यह मामला करीब-करीब सुलझ गया है। बृहस्पत सिंह जी ने भी अपना खेद प्रकट किया है। उन्होंने बड़प्पन दिखाया। बाबा साहब का सब सम्मान ही करते हैं आप और हम सब मिलकर ससम्मान उन्हें बुलाईये और आगे प्रदेश की समस्याओं के बारे में चर्चा करें और यहां प्रदेश के विकास के लिए चर्चा हो। यही आग्रह है और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर आपने पहल की, नेता प्रतिपक्ष और हमारे नेता प्रमुख विपक्षी दल के सभी वरिष्ठ सदस्यों, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके सभी वरिष्ठ मंत्रियों और हम सब ने भी, इसको हल, निराकरण की दिशा तक ले जाने में आपसे आग्रह किया, आपने उसको किया, उसके लिए आपको धन्यवाद्। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- घटना के संदर्भ में शासन का स्पष्ट उत्तर और वक्तव्य आ चुका है। इसलिए मैं संपूर्ण प्रकरण को समाप्त करते हुए, यह कहना चाहता हूँ कि आप सब ने, आप सब के सहयोग से छत्तीगढ़ की जो मान्य परम्परा है जो छत्तीसगढ़ की विधान सभा की गरिमा है छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने जो उच्चता अर्जित की है आज की इस घटना से उसमें और बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए आप सब का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद् देना चाहता हूँ। (मेजों की थपथपाहट) आप सब ने सहयोग किया, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, डॉ. रमन सिंह जी, माननीय चन्द्राकर जी, अग्रवाल जी के साथी, उनके सभी वरिष्ठ साथी, वर्मा जी और विशेषकर भाई बृहस्पत सिंह जी को धन्यवाद् देना चाहता हूँ। हमारे गृहमंत्री जी और हमारे संसदीय कार्यमंत्री भाई चौबे जी को मैं विशेष धन्यवाद् दूंगा कि उन्होंने पूरे इस संदर्भ में अपनी विशेष भूमिका निभायी और मुख्यमंत्री जी ने पूरा सहयोग किया। मैं चाहता हूँ कि अब कार्यवाही आगे बढ़ायी जाये। अब जैसा भी होगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने धर्मांतरण के मामले को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया है। पूरे छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में ...।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। यह पत्रों का पटल पर रख लें, फिर आप अपनी बात कह लें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बाद अपनी बात रख लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय भूपेश बघेल जी।

समय :

12:45 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा-19 के अंतर्गत बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा-19 के अंतर्गत बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020 पटल पर रखता हूं।

(2) संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचनाएं

(i) अधिसूचना क्रमांक 184/एफ 3 (5)/48/2018/स.का., दिनांक 4 मार्च, 2021

(ii) अधिसूचना क्रमांक 187/एफ 3 (5)/48/2018/सं.का., दिनांक 4 मार्च, 2021

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार :-

(i) अधिसूचना क्रमांक 184/एफ 3 (5)/48/2018/स.का., दिनांक 4 मार्च, 2021 तथा

(ii) अधिसूचना क्रमांक 187/एफ 3 (5)/48/2018/सं.का., दिनांक 4 मार्च, 2021

पटल पर रखता हूं।

(3) परिवहन विभाग की अधिसूचनाएं

(i) अधिसूचना क्रमांक आर-591/472/आठ-परि/2020, दिनांक 9 अप्रैल, 2021

(ii) अधिसूचना क्रमांक आर-592/472/आठ-परि/2020, दिनांक 9 अप्रैल, 2021

परिवहन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं

(i) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक आर-591/472/आठ-परि/2020, दिनांक 9 अप्रैल, 2021 तथा

(ii) मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 212 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक आर-592/472/आठ-परि/2020, दिनांक 9 अप्रैल, 2021 पटल पर रखता हूं।

<u>पृच्छा</u>

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने धर्मांतरण के मामले में और छत्तीसगढ़ में जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर यहां पर बस रहे हैं और उनके कारण पूरे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। इतना ही नहीं कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ रही है। बस्तर क्षेत्र में सुकमा के कलेक्टर ने अपने सभी सब आर्डिनेट को पत्र लिखकर कहा कि बस्तर में सुकमा जिले में धर्मांतरण की गतिविधियों के कारण अव्यवस्था फैल सकती है। कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है इसके बारे में सभी अधिकारियों को सजग रहना चाहिए और इसके ऊपर में इंटेलिजेंस के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहिए। हमारे वनवासी और आदिवासी उनका धर्मांतरण करवाकर उनकी संस्कृति को समाप्त करने का काम यह सरकार के संरक्षण में हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नया रायपुर में 19 बच्चों को पकड़ा गया और 19 बच्चों को अवैध रूप से मध्यप्रदेश से लाकर धर्मांतरण के लिए रखा गया। रायगढ़ जिले के ग्राम पंचायत जामबहार में 14 परिवारों के जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको लालच देकर उनका धर्मांतरण मतांतरण करवाने की कोशिश की गयी। नई राजधानी में एक राजपत्रित अधिकारी के घर में यह मतांतरण का अवैध काम चल रहा था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य पढ़ा कि अगर एक भी मामला आयेगा तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक हजार से ज्यादा प्रकरण शिकायतें थानों में दर्ज हैं। परंतु उनके ऊपर में कहीं पर भी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गयी है। सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है। सरकार के संरक्षण में मेरी कांस्टेंसी में पिछले ढाई साल में पांच हजार से ज्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर उनका प्रमाण पत्र बन रहा है। उनके शपथ पत्र बन रहे हैं। उनको मकान एलाट किया जा रहा है और यह बहुत अव्यवस्था की स्थिति है। क्योंकि जहां-जहां धर्मांतरण होता है, वहां-वहां राष्ट्रांतरण हो जाता है। इसके अलावा सुकमा के एस.पी. के पत्र लिखने के बाद सुकमा के एस.पी. को डराया धमकाया जा रहा है। अगर हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को इस प्रकार के काम करने से रोका जायेगा तो हमारी छत्तीसगढ़ की जानजाति, संस्कृति समाप्त हो जाएगी। अब तो इतना ही नहीं राजनांदगांव जिले में 7 अपराधियों को पकड़ा गया और वह सातों अपराधी बांग्लादेशी पाये गये। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के भिलाई चरौदा निगम देवबलौदा में जुलाई माह में पांच परिवारों के 20 सदस्यों का मतांतरण करवाने की कार्यवाही हुई और इन सब मुद्दों को लेकर ...।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, क्या आपने चर्चा की अनुमति दे दी है ? माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं। जीरो ऑवर्स में जो बात कहना चाहिए वह इनको कहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सुन रहा हूं। गंभीर विषय है इसलिए सुन रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सत्तू भैया, आपकी कांस्टेंसी में भी बहुत लोग आ रहे हैं जिनके प्रमाण पत्र बन रहे हैं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- एक भी नहीं आ रहे हैं मैं दावे से कह सकता हूं। आप सिद्ध करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं बता रहा हूं आप प्रमाण पत्र बना रहे हैं और आपके संरक्षण में आ रहे हैं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मैं आपको चुनौती देता हूं, आप एक भी प्रमाण दे दीजिए। मैं आपको बताऊंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- चलिये (व्यवधान) आपको कितने लोग हैं दिखा देते हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- सत्तू भैया, आप तो वनवासी क्षेत्र को छोड़ दीजिए । मैदानी एरिया और आपके क्षेत्र में भी हो रहा है । आपकी जानकारी में है । (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- एक भी प्रमाण दे दीजिए, आप दे नहीं सकेंगे। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- जो आपको उम्मीद करके दिये हैं आप उसकी जांच तो करा लीजिए । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आपकी कांस्टेंसी में बीरगांव में गाजीनगर में हो रहा है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- गाजीनगर में नहीं है, कोई धर्मांतरण नहीं हुआ है । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- ममता बैनर्जी जी से प्रेरणा लेकर आएं। (व्यवधान)

श्री अमितेष शुक्ल :- श्री सत्तू भैया जाने के लिये तैयार हैं । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- एक हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण करवा लीजिये और उसके बाद उनकी अध्यक्षता में पता लग जाएगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कांकेर जिले के चारामा में ओ.बी.सी. परिवारों को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है । दवाई के नाम से, ईलाज के नाम से और उनको लोक-लालच देकर, उन आर्थिक कमजोर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और यह छत्तीसगढ़ के लिये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है । यहां पर पूरा मंत्रिमण्डल बैठा हुआ है, मैं आपसे इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि हमने इसके मामले में स्थगन प्रस्ताव दिया है, आप इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करायेंगे । अंबिकापुर में भी यही हो रहा है, माननीय गृहमंत्री जी आप बैठे हैं, आप केवल यहां पर कितने नये लोग आये हैं, कितने लोगों को आधार कार्ड बनाकर दिया गया है । मेरी कांस्टेंसी में ढ़ाई हजार से ज्यादा बाहर से आने वाले लोगों का आधार कॉर्ड बन गया, जब वे इस देश के

रहवासी नहीं हैं तो कैसे बन गया ? मेरे पास बहुत से लोग आधार कॉर्ड बनवाने के लिये आते हैं कि आप दस्तखत कर दीजिये । मैं बोलता हूं कि पहले तुम पूरे पुराने रिकॉर्ड लेकर आओ। यह बहुत भयावह समस्या है और इसके कारण रायपुर में जो रोज चाकूबाजी हो रही है, रायपुर में अवैध ड्रग का धंधा हो रहा है, यह सब बाहर के लोग आकर यहां पर इस प्रकार का काम कर रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि इस स्थगन प्रस्ताव को आप स्वीकार करें और स्वीकार करके इस पर चर्चा करवायें । चूंकि यह मामला केवल एक जिले का नहीं है, यह पूरे प्रदेश का मामला है और इसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था दोनों बर्बाद हो रही है, जबकि बंग्लादेशी और रोहिंग्या के मामले में कोई देश उनको स्वीकार नहीं कर रहा है परंतु अब जब पूरे देश से उनको भगाया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ में आकर वे शरण ले रहे हैं, उनको सरकार का संरक्षण मिल रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि इस पर चर्चा करवायें ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम सब लोगों ने स्थगन दिया है । धर्मांतरण का अर्थ राष्ट्रांथन है और देश की सुरक्षा को भी इसमें खतरा है । बांग्लादेश से, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं और हमारे जितने भी सीमावर्ती जिले हैं, चाहे वह बीजापुर, सुकमा या कोंटा हो, जशपुर, कुनकुरी हो ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- जो अमित शाह जी कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं । भारत सरकार कर रहा है, उसके ऊपर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं । क्या वे कमजोर हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- कल तो बोलती बंद थी आज फिर से शुरू हो गये ।

श्री कवासी लखमा :- आप ही तो बंद किये हो, आप डर गये । मैं थोड़ी डरा हूं। आप सामना नहीं कर पाए ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरगुजा में रोहिंग्या लोग आ गये हैं । सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण चल रहा है, प्लानिंग से धर्मांतरण चल रहा है और अभी केवल आदिवासी-वनवासी जिलों में नहीं हैं, अब यह शहरों तक घुस गये हैं। रायपुर के बीरगांव में, श्री सत्यनारायण जी के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में बाहर से आकर के लोग बसे हैं और धर्मांतरण हो रहा है, गाजीनगर में इनको मालूम नहीं है । इससे हमारे कानून और व्यवस्था की स्थिति को प्रतिदिन खुलेआम अपराध भी घटित हो रहे हैं इसलिए शासन को संज्ञान में लेकर के इस पर सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण, सुनियोजित ढंग से बांग्लादेशियों को और रोहिंग्यों को बसाने का काम सरकार के संरक्षण में चल रहा है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्मांतरण की स्थिति तो यह है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी का गृहक्षेत्र जहां वे भिलाई-3 में निवास करते हैं । उनके भिलाई-3 में ही जो देवबलौदा का वॉर्ड है, वहां हाल में अभी 5 लोग धर्मांतरित हुए और वे धर्मांतरण के बाद और लोगों को धर्मांतरण करने का काम लगातार कर रहे हैं । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कलेक्टर सरगुजा को पत्र लिखा कि मुझे मीडिया के माध्यम से ऐसी जानकारी मिल रही है कि महामाया पहाड़ में रोहिंग्यों को बसाया जा रहा है । आप इस पर सख्त कार्यवाही करें । सुकमा एस.पी. का पत्र अपने मातहत अधिकारियों को कि लगातार धर्मांतरण हो रहा है और धर्मांतरित और आदिवासियों के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है ऐसे संवेदनशील मामलों में आप सख्त रहें । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह धर्मांतरण 2-3 प्रक्रिया से हो रहा है । कहीं प्रार्थना के नाम पर धर्मांतरण हो रहा है । कहीं लव-जिहाद के नाम पर धर्मांतरण हो रहा है और कहीं गरीब परिवार के लड़कियों को रखैल बनाकर बाद में उनका धर्मांतरण किया जा रहा है और इसे कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण है। आप बस्तर जिले में जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- संक्षिप्त करिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- बस्तर जिले में स्थिति यह है कि जनप्रतिनिधि सामुदायिक भवन के नाम से कार्य स्वीकृत करते हैं। सामुदायिक भवन बन जाता है और सामुदायिक भवन बनने के बाद उसको एक प्रार्थना स्थल के रूप में चिन्हांकित करके उसको प्रार्थना स्थल घोषित कर दिया जाता है। माने सरकारी पैसे का उपयोग भी इस धर्मांतरण के काम में हो रहा है। उनके प्रार्थना स्थल के रूप में, उपयोग के लिए हम दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा गंभीर मामला है कि धर्मांतरण के साथ-साथ राष्ट्रांतरण का काम होता है। ऐसे लोगों को राष्ट्र के खिलाफ काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस विषय पर हमारा स्थगन है। आपसे निवेदन है कि कि इसे गंभीरता से लेते हुए हमारे स्थगन को ग्राह्य करके इस पर चर्चा कराएं।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. रमन सिंह जी।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत ही गंभीर विषय पर दिया गया है और आज छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी ही बदल दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा संकट आ रहा है और अलार्मिंग इसलिए है क्योंकि किसी जिले का एस.पी. जब अपने मातहत अधिकारियों को पत्र लिखता है कि इस पर सख्त निगाह रखी जाये। जो धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण से पूरे जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बदल जायेगी। छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा संकट दिख रहा है, जहां तक महामाया पहाड़ी अंबिकापुर की बात हो, अंबिकापुर खैरवार, बधियाछुआ, पानीडबरी मोहल्ला का है, उसके साथ ही साथ जशपुर का है । रायपुर शहर के अंदर न केवल अनुसूचित जाति, जनजाति बल्कि सामान्य और पिछड़े वर्गों में जिस प्रकार धर्मांतरण की स्थिति निर्मित हो रही है। मैं आपको बोडला ब्लॉक के दूरस्थ अंचल में रहने वाले बैगा आदिवासी का उदाहरण देना चाहता हूं। क्या primitive tribes का भी

धर्मांतरण किया जा सकता है जो षड्यंत्रपूर्वक हो रहा है। जो मंगलू था वह माइकल हो गया। समारू से सेमुअल हो गया और मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि कोई धर्मांतरण का एक भी केस आ जाये। चौबे जी का बयान आता है कि एक भी केस नहीं है। पहाड़ों में पूरा का पूरा नामकरण बदल गया और तो और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि अबूझमाड़ में अबूझमाडियों का धर्मांतरण, आप नारायणपुर चले जाओ, एक मोहल्ला का मोहल्ला बस गया है। इसमें अबूझमाडिया भी 40 से 50 प्रतिशत धर्मांतरित किया गया है। इस सरकार में इनको खुली छूट दी जायेगी। मैं primitive tribes के बारे में बात बता रहा हूं। primitive tribes के बारे में आप अबूझमाड़ जैसी जगह में चलकर देखो, जहां इतनी गरीबी है। सवाल यह है, स्वेच्छा अलग बात है। गरीबी में शोषण चिकित्सा के नाम से, शिक्षा के नाम से हो रहा है। यदि इस प्रकार चलता रहा तो क्या हमारी जो मूल संस्कृति है, मूल वंश है, क्या पूरे के पूरे ट्राइबल कन्वर्ट हो गये तो पूरा नागालैण्ड और मिजोरम की तरह स्थिति छत्तीसगढ़ में न बने और रोहिंग्यों का संकट, बांग्लादेशियों का संकट, यह सरकार को यह बताने के लिए है कि अब वक्त है कि आप कठोरता के साथ कार्यवाही करें। यह स्थगन लाने का मतलब यह है। बहुत सारे बिंदु हैं, जो हम लोगों ने लिखे हैं कि क्या-क्या स्थिति है और छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति चल रही है? इसकी चिंता करनी चाहिए और आप इसकी चर्चा करा दें तो बहुत सारे विषय सामने आयेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, अजय चन्द्राकर जी। समाप्त करिए।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- समाप्त क्या, आपने तो अभी चालू करने की अनुमति दी है। आपसे आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- खड़े होकर बैठ जाइए। आपका बहुत ही अच्छा ध्यानाकर्षण है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर स्थिति है। मैंने आपको धन्यवाद नहीं बोला था। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ विधि विधायी क्षेत्रों में एक अच्छी परंपरा स्थापित कर रहा है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज धर्मांतरण के विषय में हमारा स्थगन है। मैं आपके पूर्वज से लेकर अमितेश शुक्ल जी बैठे हैं, उनके पूर्वज से लेकर छत्तीसगढ़ के उन पूर्वजों को याद करना चाहता हूं, जिन्होंने सर्वदलीय सभी चिंताओं से मुक्त होकर अपनी दलीय निष्ठाओं से ऊपर उठकर, कहां है सत्यनारायण जी बहुत बोल रहे थे, नियोगी कमीशन भारत में बना। नियोगी कमीशन बना कि जशपुर में धर्मांतरण बहुत हो रहा है और पं. रविशंकर शुक्ल ने वह कमीशन बनाया। वे कांग्रेस के थे। सी.पी. एण्ड बरार में भी मुख्यमंत्री थे और मध्यप्रदेश बना तो मध्यप्रदेश के भी पहले मुख्यमंत्री थे । आज यदि आप कांग्रेस की दृष्टि से उसका विरोध करते हैं तो आप समझ लें कि आप अपनी संस्कृति, अपनी परमपरा, अपनी मान्यता का विरोध कर रहे हैं ।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- अभी भी कानून तो कांग्रेस वाले ही बनाते हैं, आप लोग कहां बनाते हैं, आप लोग तो केवल नोटबंदी करते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको अबूझमाड़ जाने के लिए बोल रहे थे, आप तो सुकमा में नहीं घुस सकते, आप क्या अबूझमाड़ जाओगे । अध्यक्ष महोदय, उनके कुछ सुझाव थे । यह सरकार एक सुझाव का पालन नहीं करवा रही है इसीलिए मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हजार में एक उदाहरण दीजिए । जो मिशनरी धर्म बदलने के लिए धर्म बदलने के लिए प्रयोग करे उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, यह उसकी अनुशंसा है । धर्मान्तरण के विरूद्ध कानून बनाया जाय, यह उसकी अनुशंसा है, धार्मिक पुस्तकें बिना सरकार की अनुमति के न बांटी जाएं, यह उसकी अनुशंसा है । मिशनरी के लिए लायसेंस लिया जाए, यह उसकी अनुशंसा है । प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दो दिनों से बहुत मायूस हैं, हो सकता है उनकी उपेक्षा हो रही है, मैं नहीं जानता वे क्यों मायूस हैं ।

श्री मोहित राम (पाली-तानाखार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक शब्द कहना चाहूंगा । हमारे भाजपा के सभी नेता बहुत सीनियर और सम्मानित हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि धर्मान्तरण शब्द क्या है, कैसे धर्मान्तरण होता है । कोई फिल्मी वीडियो बनाया गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप स्वीकृत करवा लीजिए ।

श्री मोहित राम :- आपके भाजपा के अभी 11 तारीख को मेरे विधान सभा क्षेत्र के पोड़ीपोड़ा में एक छट्ठी कार्यक्रम में अनाधिकृत प्रवेश करके कहते हैं कि भगवान का इसका नाम लो, उसका नाम लो । क्या भाजपा वाले लायसेंस लेकर बैठे हैं ? अगर किसी के घर में कोई पूजा हो रही है, कोई प्रार्थना कर रहा है तो उसको रोकने का भाजपा को कोई लायसेंस मिला है क्या ? और आपको तकलीफ किस बात की है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा है मोहित जी ।

श्री मोहित राम :- आदरणीय, हम बोलते नहीं हैं । आप किसी जाति, समाज का अपमान मत कीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपके मत और विश्वास पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। अगर उस पर भी बहस करनी है तो आप स्थगन स्वीकृत करा लीजिए मैं उस पर बात करूंगा ।

श्री मोहित राम :- आप किसी जाति, समाज, स्वतंत्रता का अपमान मत कीजिए । आप अपने किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं । (व्यवधान) लेकिन आपको किसी दूसरे के धर्म का अपमान करने का अधिकार नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमने किसी धर्म की आलोचना नहीं की है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- हम तो इसी बात पर चर्चा चाहते हैं ।

समय :

1:02 बजे (स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस.सिंहदेव द्वारा सदन में प्रवेश करने पर)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय बाबा साहब, आपका स्वागत है । आपकी इज्ज़त, आपकी संवेदना, सदन सबका सम्मान करता है । चूंकि मैं पहले से ही खड़ा था इसलिए बोल रहा हूं, बाकी लोग भी अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे । आपका इस सदन में स्वागत् है और आप सक्रियता से भाग लीजिए । प्रदेश की सेवा कीजिए । (मेजो की थपथपाहट) और प्रमाणिकता से सेवा कीजिए, आपके अनुभवों का लाभ हम लोगों को भी मिले और कभी विचलित मत होइए । आपका क़द बहुत ऊंचा है ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- आप सबका बहुत-बहुत आभार । कहीं किसी भावना में मुझसे कमी होगी तो ज़रूर सब क्षमा करेंगे (मेजों की थपथपाहट)।

श्री शिवरतन शर्मा :- अब इनका वक्तव्य हो जाए ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बाकी ऐसा है राजा साहब, जो समग्र का पैसा है आप उसे केवल कांग्रेस को देते हैं (हंसी) और सद्भावना हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, बताइए । अब आप ऐसा कभी मत करना । माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि कांग्रेस का कोई सदस्य, क्या मतान्तरण होता है, क्या धर्मान्तरण होता है, उसमें बहस करना चाहता है तो हम उसमें तैयार हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया बहुत लम्बा हो रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं लम्बा नहीं हो रहा है । मैं कल की तरह दस्तावेज आपके पटल पर रखने के लिए तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं बिल्कुल स्वीकार करने के लिए तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- एक कलेक्टर को टी.एस.सिंहदेव साहब पत्र लिखते हैं । यह पत्र की कॉपी है । चूंकि टी.एस.सिंहदेव जी आ गए हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय ।

श्री धर्मजीत सिंह :- भइया बोलने तो दो, फिर आप बोल लेना ना । अरे आप अनुमति लेकर बोल लेना ।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष जी, क्या काम रोको प्रस्ताव स्वीकार हो गया है, इतनी लम्बी चौड़ी बात कैसे की जा रही है । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- यह घोर आपत्तिजनक है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, अगर एक-एक वाक्य में इस तरह से व्यवधान डालेंगे तो कोई कैसे बोलेगा ? भई जब आप बोलना तो उसका जवाब दे देना, आपको रोका कौन है ।

श्री मोहन मरकाम :- काम रोको प्रस्ताव स्वीकार हुआ है क्या ? वही बात बार-बार आ रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- यह एक गंभीर समस्या है, सुनने दीजिए थोड़ा ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष जी, रोहिंग्या की बात शुरू करने से पहले बाकी सदस्यों को यह सोचना चाहिए कि आज देश के सामने सबसे बड़ा ख़तरा पेगासिस से है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अरे, आप सूचना देकर उस पर चर्चा करा लो ना ।

(स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस.सिंहदेव एवं संसदीय कार्यमंत्री श्री रविन्द्र चौबे द्वारा अपने आसन पर खड़े होकर आपस में बातचीत करने पर)

श्री अजय चन्द्राकर :- ये क्या कर रहे हैं संसदीय कार्यमंत्री जी, आप क्या कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- परंपराओं को तोड़ रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- देश को सबसे ज्यादा खतरा आर.एस.एस. से है।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं आपके भाषण को सुन रहा हूं नंबर 1,

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, नहीं राम-भरत मिलाप हो रहा था क्या?

श्री रविन्द्र चौबे :- आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं।

शिवरतन शर्मा :- अरे राम-भरत मिलाप है तो फिर बीच में कांच क्यों रखे हो सामने आ जाओ सब पूरा सदन देख लेगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- सबसे पहली बात तो ये है कि अभी नारायण चंदेल का प्रस्ताव है ये कांच को आप हटवा दीजिये अध्यक्ष जी।

नारायण चंदेल :- कांच को हटवा दीजिये कांच में छेद करवा दीजिये

श्री रविन्द्र चौबे :- कांच है तो खड़े होकर तो बात करना पड़ेगा और दूसरा धर्मांतरण के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं न इसमें ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है न ग्राह्य किया गया है, उसकी कुछ सीमा होगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे हम तो शून्यकाल देखकर इस विषय को बता रहे हैं ग्राह्यता होगी।

श्री रविन्द्र चौबे :- कुछ सीमा होगी। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- आप खुद ही नहीं चाहते ये हाउस चले।

श्री अजय चन्द्राकर :- श्री लफड़ा मिश्री भईया के कारण है।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये जितना लफड़ा है कांच के कारण है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी 15 मिनट पहले तो आपने धन्यवाद दिया और अभी फिर बोल रहे हैं कि आप हाउस न चले चाहते हैं मैं चाहता हूं और हम सब चाहते हैं सदन की चर्चा हो।

श्री अजय चन्द्रकार :- मिश्री भईया के कारण है बोला मैंने। चलिये-चलिये जल्दी करते हैं भई आपकी बात मान लेते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी हैण्डल में बैठ जाते हैं इसको ठीक करो वो हैण्डल में बैठ गये हैं, अध्यक्ष जी देखिये।

श्री मोहन मरकाम :- अव्यवस्थित कराते हैं जो पीछे जाकर बैठ जाएं।

श्री धरमालाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय ये विपक्ष का अधिकार है स्थगन देना और स्थगन में हम यदि चर्चा करें उसके ग्राहिता पर चर्चा करें उस बात को आपसे निवेदन करें यदि कोई उठकर के ये बोले कि किसी धर्म के बारे में बोल रहे हो उसका परिभाषा आप बताइये मेरा कहना है कि आपको स्वीकार करवा लीजिये जैसे आप कृषि में स्वीकार करवाये थे और उसमें आप चर्चा कीजिये हम पूरी बात को बता देंगे कि धर्मांतरण क्या है धर्मांतरण कैसे होता है सारे लेकिन यदि बोलने हमें नहीं देंगे माननीय चौबे जी यदि हमको बोलने नहीं देंगे अपनी बात रखने नहीं देंगे चौबे जी उस समय बोल रहे थे कि आपके पास विषय नहीं है जैसे ही विषय आता है सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं एकसाथ में तो सुनना चाहिये न स्थगन में हमारा अधिकार है और उसको आप ग्राहिता करा लीजिये ग्राहित कराने कराने के बाद में अजय चन्द्रकार जी बोल रहे हैं टीका-टिप्पणी में इनकी चली जाती है समय हम लोगों का तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उसको स्वीकार कर लीजिये और स्वीकार कराने के बाद में चर्चा कराइये वो भी बोल लेंगे, अजय चन्द्राकर जी अभी बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके पूर आदेशों का अक्षरश: पालन करूंगा दो मिनट में समाप्त करता हूं मुख्यमंत्री जी यदि गवाही मांगते हैं कि 100 यदि दीजिये तो टी.एस. सिंहदेव जी ने एस.पी. को पत्र लिखा ये गवाही नहीं है क्या मुख्यमंत्री जी के लिए एस.पी. यदि चिट्ठी लिखता है तो यहां स्थिति खराब है तो वह शासन के लिए गवाही नहीं है क्या तीसरी बात जो रोहिंग्या की बात हो रही थी मैं स्टाम्प दूंगा दो ठोक 3 ठाक इस तरह के सौ-सौ रूपये के पत्ते में 2 लाख-5लाख ले कर उस पूरी पहली जिसका उपयोग बृजमोहन जी ने किया खरीद लिया गया सत्यनारायण जी बोल रहे थे हमसाया है वो गाजी पूरे इन्हीं के इलाके में बसा है जहां जितने लोग रहते हैं सवाल इस बात का है अब ज्यादा ग्राह्यता पर बात कर रहे हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप किस पर बात कर रहे हैं आप व्यवस्था देंगे लेकिन धर्मांतरण हो, मतांतरण हो सबको अपनी बात कहने का हक है पर छत्तीसगढ़ की जो डेमोग्रामी की बात डॉ. रमन सिंह जी बोल रहे थे छत्तीसगढ़ में साक्षरता का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में शिक्षा का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं उनकी विवशता उनकी अज्ञानता को लेकर जो धर्मांतरित करवा कर उनका लाभ लेकर काम कर रहे हैं अंदर में और उनको सरकार का संरक्षण मिल रहा है इसलिए सरकार के पास जानकारी होते हुए भी एक जिम्मेदारी मंत्री पत्र लिखते हैं जिम्मेदार एस.पी. पत्र लिखते हैं जिम्मेदार लोग अंबिकापुर में उठाते हैं कि इतने स्टाम्प पत्र देते हैं लोग दुबे जी राजनांदगांव में एक महिला मांग करती है इनके आधार कार्ड और इनके आवास प्रमाण पत्र बनाया जाए

और कितना प्रमाण इस सरकार को चाहिये उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी ये छत्तीसगढ़ का पूरा चरित्र बदल जाएगा हिंदुस्तान का चरित्र बदल जाएगा और आप दुनिया के सामने।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद । आपने मुझे बताया ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, निवेदन है ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष जी, यह जो स्थगन पेश हुआ है, वह कोई आरोप लगाने के लिए नहीं हुआ है और किसी जाति विशेष के बारे में भी नहीं बोला गया है । आपने शायद भाषण ठीक नहीं सुना । मतांतरण और धर्मांतरण की बात हो रही है । कौन, किसका धर्मांतरण करा रहा है, इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है । आपने यहां रोहिंग्या मुसलमानों को बसने की अनुमति दी क्या, आपकी जानकारी में है क्या ? हमको यहां के मुसलमानों से कोई परहेज नहीं हैं, वे हमारे भाई हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, सच्चे नागरिक हैं, हमारे सहयोगी हैं, लेकिन आप रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों को छत्तीसगढ़ को शरणार्थी स्थल बनाकर लाएंगे तो यह राज्य कल मिजोरम, नागालैण्ड और आसाम बनेगा या बंगाल बनेगा । अगर आज हम यह बात नहीं कहेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी । आप गृहमंत्री हैं, अगर आपके संरक्षण में वहां आकर कोई पहाड़ी में कब्जा करे, कोई किसी मैदान में कब्जा करे, कोई कुछ करे । रोहिंग्या के लिए ही तो सी.ए.ए. बना है, बंग्लादेशियों के लिए सी.ए.ए. बना है और वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए सी.ए.ए. बना है, जिसको आप अलग परिभाषा देकर पढ़ते हैं इसलिए इस सरकार को गंभीर होना चाहिए, चाहे वह अंबिकापुर हो । आपका एस.पी. आई.पी.एस. आफिसर है, जिम्मेदार आफिसर है । वह कोई चिट्ठी लिखा है तो आप उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको संज्ञान में नहीं लेंगे ? अभी किसी राजनीतिक दल के बारे में वह एस.पी. लिख दे तो आप दुनिया भर का दफा-धारा लेकर उसके पीछे दौड़ने लगोगे । (श्री कवासी लखमा की ओर देखते हुए) मंत्री जी, आप तो हर एस.पी. को डॉटते हैं, उसको भी आपने डॉट दिया । आपने क्यों डॉटा ? आपने सुकमा के एस.पी. को डॉट दिया । उसके पहले के एस.पी. को आपने डॉट दिया । तो ऐसा मत करिए । आपने डॉटा या नहीं डॉटा ?

(आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा द्वारा बैठे-बैठे बोलने पर)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खड़े होकर बोलो कि क्या कहना चाहते हो ?

श्री कवासी लखमा :- मैंने नहीं डॉटा है, आपको असत्य कहने की आदत है न। धर्मजीत जी बी.जे.पी. में शामिल होने के लिए आपकी बात को कहना सीख गए हैं और कंधा से कंधा मिलाकर बात कर रहे हैं । यह पूरी बात गलत है । आप असत्य कहना बंद करिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप बोलों कि आपने दोनों एस.पी. को फोन किया या नहीं, एस.पी. को दबाव डाला या नहीं ? आपने एस.पी. को दबाव डालने के लिए पत्र क्यों लिखा ? इस बात को आप जरा बताओ ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है । जगदलपुर, सुकमा, बस्तर से लेकर अंबिकापुर, मैनपाट और वाड्रफनगर तक हमारा छत्तीसगढ़ शांत हैं, यहां के लोग शांत हैं ।

श्री कवासी लखमा :- आपने तो 15 साल शासन किया, आपने क्या किया, यह बताओ ?

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को उन्हीं के लोगों के लिए खाने-पीने, सिंचाई की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था करना है । ये कहां से रोहिंग्या, बंग्लादेशी और लंद-फंद सब आ रहे हैं । उन पर कड़ाई से रोक लगाईए । आपका एस.पी. बोल रहा है, आपके कलेक्टर बोल रहे हैं, आपके मंत्री बोल रहे हैं ।

श्री कवासी लखमा :- ठाकुर साहब, बंग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं तो [XX][1] क्या कर रहे हैं ? वे रोकेंगे । हम छत्तीसगढ़ की बात करें । वे बाहर से बार्डर पार करके आएंगे तो उसको रोकने का काम भारत सरकार करेगी न ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री जी, आपके ही संदर्भ में बोल रहे हैं, लेकिन आप जिस तरीके से विचार व्यक्त कर रहे हैं, उसी से बढ़ावा मिल रहा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, इसको विलोपित करिए, वे लोग इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके नाम का उल्लेख किया गया है । उसको विलोपित किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- जो भी नाम आया होगा, उसे मैं विलोपित करता हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बंगाल में यही हुआ । बंग्लादेश रोहिंग्या और म्यामांर से लोग आ रहे हैं, आसाम में भी वही समस्या है । वह आजु-बाजु में लगा ही तो है । यहां हमारे यहां क्यों समस्या पैदा कर रहे हैं ? हमारे यहां गरीब और जरूरतमंद बेचारे आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं । इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी तरक्की के लिए कुछ काम करिए । दुनिया भर से यहां लाकर राजनीतिक नजरिए से वोट के हिसाब से देखेंगे तो प्रदेश अशांत होगा इसलिए इसमें चर्चा करो और आप तो कभी भी यह बता देना चाहे यह स्वीकार हो या न हो, जिस दिन आपकी चर्चा होगी तो बताना कि छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में जब सदन में चर्चा कर रहे हैं तो यहां कितने रोहिंग्या हैं, कितने बंग्लादेशी हैं और कौन-कौन से देश के कितने लोग यहां हैं, वे कब-कब आये, यह जानकारी जरूर दे दीजिएगा, ताकि प्रदेश की जनता को यह भय व्याप्त मत हो । केरकेट्टा साहब, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला जा रहा है । चाहे किसी किसी क्रिश्चन को हिन्दू बनाया जा रहा है, वह भी धर्मांतरण है और चाहे किसी हिन्दू को क्रिश्चन बनाया जा रहा है, वह भी धर्मांतरण है और यह दोनों की पद्धति गलत है । जो अपने धर्म को मानता है, उसका पूरा सम्मान है, हर धर्म का आदर है, किसी धर्म के प्रति कोई अपमान नहीं है, लेकिन व्यवस्था की खामियों की ओर ध्यान दिलाना हमारा धर्म है । अगर आज आप उसको नहीं देखेंगे तो कल यह राज्य बंगाल और आसाम बन जाएगा ।

[1] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते, आपकी अनुमति कभी प्राप्त नहीं होती ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको बोलने दीजिए, वे लंबा नहीं बोलते । दो मिनट उनको बोलने दीजिए ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के प्रति भी ध्यान दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जितना उदार तो आप कभी नहीं रहे ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं इतना उदार हूं । उनके क्षेत्र मस्तूरी में तो धर्मांतरण तो हो ही नहीं रहा है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं । आपका तो पुराना क्षेत्र है ।

श्री मोहित राम (पाली तानाखार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भा.ज.पा. के बड़े नेताओं से यही निवेदन है कि ये जगह-जगह धमान्तरण के नाम से बदनाम करते हैं। ऐसा नहीं हो रहा है, ये योजना बनाकर पेश करते हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिये। क्योंकि वह आपका भी पुराना क्षेत्र है। मेरे समाज के अनुसूचित जाति वालों का जीवनशैली पद्धति सरल है। लेकिन मैं अपने 15-20 गांव वालों का तथ्य रखूंगा। उन गांवों में इस तरह से वातावरण बनाया गया है, जहां जीवनशैली बदल गया है। महिलाएं अपनी चूढियां फोड़ती हैं, मांग से सिंदूर खत्म कर दिया गया है, मंगलसूत्र उतारकर फेंक दिए हैं। हम ये सब स्थति आपके समक्ष रखेंगे। तो स्थिति गंभीर है। मेरे भी समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लग बहुत प्रभावित हैं। हम बहुत सारे तथ्य, प्रमाण आपके समक्ष रखेंगे। इसको स्वीकार कर लीजिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहिंग्या या बंग्लादेशी लोग या अन्य लोग जो धर्मान्तरण करा रहे हैं। उसमें जवान लड़कियों को शादी के बहाने कुछ राशि देकर, आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने की दृष्टिकोण से बहुत से लोग धर्म परिवर्तित कर रहे हैं। चाहे सरगुजा हो, रायपुर हो यहां तक बिलासपुर में भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति बनी है, सरगुजा, सुकमा के मामले में हमारे सभी वक्ताओं ने कहा कि विषय गंभीर है। धर्मान्तरण न हो, मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि हम धर्मान्तरण के मामले में कार्रवाई करेंगे। तो कब कार्रवाई करेंगे ? इसी वजह से तो आज हम स्थगन लाये हैं। हम स्थगन के ऊपर हम वृहद रूप से चर्चा करेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पूरे प्रदेश में धर्मान्तरण का मामला है। पहले वनवासी क्षेत्रों के लिए कहा जाता था, लेकिन आज वहां तक सीमित नहीं है। मैदानी एरिया भी सुरक्षित नहीं है। अभी लगातार देखने को मिल रहा है, लोग वहां पर बोल रहे हैं कि आप डाक्टर के पास मत जाईये, प्रार्थना करिये, प्रार्थना के बाद

आपकी बीमारी समाप्त हो जायेगी। वे लोग उसके बाद उनको प्रलोभन देकर बैठा रहे हैं और टेबलेट वगैरह खिला रहे हैं। कुल मिलाकर उनको कैसे प्रार्थना में जोड़ा जाये, ऐसी बात है। जिस बात का बांधी जी ने उल्लेख किया कि महिलाओं द्वारा चूड़ी निकल देना, मांग से सिंदूर निकाल देना ये सब चल रहा है। हमारे यहां बैतलपुर एरिया है। जब आप यहां से बिलासपुर जाते हैं तो बीच में बैतलपुर आता है। अभी एक महीने पहले की घटना है। वहां 20-25 गांव वालों को नदी में ले गये थे और वहां पानी में खड़ा करा दिए थे फिर पादरी कुछ पढ़ने लगे। फिर जब गांव वालों को मालूम हुआ तब गांव वाले दौड़ाये तो पादरी वहां से भागा। प्रमाण की बात है तो हम लोग एक दिन में प्रमाण दे देंगे। यदि एस.पी. ने लिखकर दिया है, गांवों के नाम दिए हैं तो उसमें और प्रमाण की क्या आवश्यकता है ? मैं अभी अम्बिकापुर गया था। वहां का जो महामाया पहाड़ है, उस पूरे पहाड़ में भारत के बाहर के लोग आकर बसे हुए हैं। मंत्री जी के ध्यान में लाने के बाद कलेक्टर को पत्र लिखा गया है कि आप उसकी जांच करें। मैं तो आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि यह केवल हम लोगों का विषय नहीं है, भा.ज.पा. या हिन्दू का विषय नहीं है। यह ऐसा विषय है जो संस्कृति को नष्ट करने वाला है, धर्म को नष्ट करने वाला है और विकृति लाने वाला है। गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं। सरकार तय कर लें, हम आरोप नहीं लगाते हैं। चाहे हाईकोर्ट के जस्टिस हो या रिटायर्ड जस्टिस हो, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनानी चाहिए और वहां मामला दे दिया। वह कमेटी सरगुजा से लेकर बस्तर तक का एक बार परीक्षण करें कि वास्तव में कितने लोग धर्मान्तरण किए। यहां पर हुए हैं तो कैसे हुए हैं, तो मामला साफ हो जायेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे पास बहुत सारे तथ्य हैं। यदि आप समय दें तो हम सब लोग पूरे विषय को रखेंगे। आज इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम लोगों ने आपसे आग्रह किया है कि या तो इसको स्वीकार कर लें या किसी न किसी रूप में लें ताकि इस विषय पर और चर्चा हो सके। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मैं आपके विचारों का पूरा ध्यान रखूंगा। मैंने आपके विचार सुनें, आपके गंभीर विचार हैं। इस पर विचार करके किसी न किसी मामले में रखेंगे।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सदन सहमत है। भोजन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधा अनुसार भोजन ग्रहण करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आ गये हैं, हम चाहेंगे कि सदन में वह भी कुछ, जैसा बातचीत हुई थी, माननीय वृहस्पति सिंह जी का वक्तव्य आ गया, गृह मंत्री

जी का आ गया, मुख्यमंत्री जी का आ गया, अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, क्योंकि वह नाराज होकर सदन छोड़कर गये थे...।

अध्यक्ष महोदय:- वह बीच में आये थे ना । भाषण दे रहे थे तो बोला उन्होंने ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :-नहीं, नहीं उनका वक्तव्य नहीं आया है । हम चाहते हैं कि उनका वक्तव्य आये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- दो शब्द ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप दो शब्द बोल दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- बोल दिया ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- आप उपस्थित नहीं थे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं तो उपस्थित हूँ ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- आपने जो-जो किया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- धन्यवाद नहीं, उनका वक्तव्य पूरे इस घटना के बारे में आये ।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने बोल दिया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप यह बोल दीजिए, मुझे कुछ नहीं बोलना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है । कि जो समाधान हुआ है, उससे आप सहमत हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- समाधान के लिए उन्होंने सब को धन्यवाद दिया है, मुझे नहीं दिया था । मुझे भी दे दीजिए ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- धन्यवाद ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कुछ नहीं बोलते तो हम लोगों को पैसा दूंगा, यह बोल दीजिए ना । बिना मांगे, चिट्ठी दे दो, करके दो साल से आप पैसा ही नहीं दे रहे हो।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हाथी जी ।

समय :
1:21 बजे

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

<u>(1) प्रदेश में हाथियों के हमले से लोगों की मौत होना ।</u>

सर्वश्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) (श्री शिवरतन शर्मा) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

छत्तीसगढ़ राज्य के वनवासी/ग्रामीण/शहरीय क्षेत्र में हाथी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है । इसके साथ-साथ हाथियों की मौतें भी तेजी से हो रही है । हाथियों के हमले से हो रही मौतें/फसल क्षति/आवास

क्षति से लोगों के मन में खौफ सा बना हुआ है, वहीं वनवासी/ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौतें भी निरंतर हो ही रही है ।

समय :

1:22 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुये)**

दिनांक 22/6/2021 को सरगुजा जिले के मैनपाट में हाथियों के दल ने घर में घुसकर लोगों पर हमला किया, लोगों को घरों को छोड़कर गुफाओं पेड़ों पर झोपड़ी बनाकर रहने को विवश होना पड़ा । दिनांक 10/06/2021 को अंबिकापुर के मैनपाट वन परिक्षेत्र में 9 हाथियों के दल ने ग्राम बरिमा तथा ग्राम नर्मदापुर के स्थानीय लोगों के घरों व फसलों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया । दिनांक 21/06/2021 को भानुप्रतापपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम मरदेल में हाथियों ने घरों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया । दिनांक 21/06/2021 को महासमुंद जिले के पतोरापाली में दंतैल हाथी ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला । दिनांक 16/6/2021 को मैनपाट के ही बरवावाली में 9 हाथियों के दल ने आधी बस्ती को तहस-नहस कर दिया, लगभग 20 परिवारों को बारिश में रात भर भीगते हुये रात गुजारना पड़ा । दिनांक 15/06/2021 को कांकेर जिले के पिच्चकेट्टा गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया है । जिसके कारण य300 गाव वालों को भानुप्रतापपुर में नये बन रहे जेल में रात बितानी पड़ रही है । दिनांक 17/06/2021 को रायगढ़ जिले के 6 गांवों ग्राम पंचायत चहकीमार, बरतापाली, पोटिया एवं बरतापाली सिवार तथा गेवार में हाथियों के दल ने 27 किसानों के सब्जियों एवं धान की फसल को तबाह कर दिया और खेतों में मोटर पंपों को भी क्षति पहुंचाई । दिनांक 16/05/2021 को महासमुंद जिले के परसाडीह मनीराम यादव को हाथी ने पटक-पटक कर मार डाला । दिनांक 15/06/2021 को जशपुर जिले के फरसाबहार क्षेत्र के जमुना वनक्षेत्र अंतर्गत जंगल में पुटु खुखड़ी लेने गये एक महिला और पुरूष को कुचलकर मार दिया, वहीं एक बच्ची भी हाथी के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गयी । दिनांक 03/02/2021 को वन परिक्षेत्र फिंगेश्वर में एक दंतैल हाथी कुछ किसानों के खेत को रौंदते हुए वनपरिक्षेत्र पांडुका की ओर चला गया । दिनांक 28/04/2021 को धमतरी जिले के रिसगांव वन परिक्षेत्र में हाथियों ने युवक को कुचलकर मार डाला । 25/4/2021 कोक लखनपुरी अंचल में हाथियों के उत्पात से लोगों में दहशत बना हुआ है । दिनांक 13/4/2021 को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल के क्रोंध जंगल में महुआ चुनने गये एक ग्रामीण को हाथी ने कुचलकर मार डाला ।

वहीं हाथियां की रहस्यमय मौत भी हुई है दिनांक 22/06/2021 को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल के छाल वन परिक्षेत्र के बनहर गांव में नहर हाथी का शव मिला । दिनांक 13/06/2021 को अंबिकापुर के प्रतापुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत दरहोरा बीट में मृत हाथी का दांत गायब होने का मामला सामने आया । दिनांक 11/06/2021 को सूरजपुर वनमंडल के अंतर्गत दरहोरा बीट में मृत नर हाथी पाया गया । दिनांक 26/4/2021 को सूरजपुर जिले के तमोर पिंगला अभ्यारण्य क्षेत्र के जंगल में घायल

अवस्था में मिले लगभग तीन से चार साल के हाथी के बच्चे की मौत हो गयी । दिनांक 14/4/2021को धरमजयगढ़ के बोरो रेंज में हाथी का शव और दो दांत बरामद किया गया ।

प्रदेश सरकार के पास इनकी सुरक्षा एवं नियंत्रण के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है । योजना बनाने व कार्यवाही करने का आश्वासन सिर्फ बयानों तक ही सीमित रह गयी है । अनियंत्रित हाथियों का भय व रहस्यमय मौते तथा लोगों के जानमाल का नुकसान अब आम बात सी हो गयी है । सरकार की इस नाकामी पर प्रदेश की जनता में काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 300 हाथी प्रदेश के विभिन्न वन क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। हाथी लंबी दूरी तक भोजन के लिए विचरण करते हैं, अत: यदा-कदा वन क्षेत्रों के समीप ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आसपास भी हाथी आ जाते हैं।

हाथियों के वन क्षेत्र के आसपास के गावों तक विचरण करते आ जाने से फसल एवं मकानों को क्षति होती है तथा स्थानीय ग्रामीणों का अचानक सामना हो जाने अथवा उत्सुकतावश ग्रामीणों के हाथी के समीप पहुंच जाने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं।

दिनांक 22.06.2021 को सरगुजा जिले के मैनपाट में हाथियों के दल ने घर में घूसकर हमला नहीं किया, वास्तविकता यह है कि दिनांक 22.06.2021 को हाथियों के भ्रमण की जानकारी समीपस्थ वनक्षेत्रों में होने के कारण ग्राम कंडराजा एवं बरडांड के ग्रामीणों को कंडराजा आंगनबाड़ी केन्द्र में तथा चुरकीपानी के ग्रामीणों को चुरकीपानी आंगनबाड़ी केन्द्र में ठहराया गया और उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था की गई। यही सही नहीं है कि लोगों को घरों को छोड़कर गुफाओं व पेड़ों पर झोपड़ी बनाकर रहने को विवश होना पड़ा।

यह सही है कि दिनांक 10.06.2021 को वनमण्डल सरगुजा के वन परिक्षेत्र मैनपाट में 09 हाथियों का दल विचरण कर रहा था। सुरक्षा की दृष्टि से ग्रामीणों को बरिमा के आंगनबाड़ी केन्द्र में ठहराया गया था एवं उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था की गयी। दिनांक 10.06.2021 को हाथियों के दल द्वारा ग्राम -बरिमा तथा ग्राम-नर्मदापुर के स्थानीय लोगों के घरों एवं फसलों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है।

यह सही नहीं कि दिनांक 21.06.2021 को भानुप्रतापुर वनमण्डल के ग्राम मरदेल में हाथियों के द्वारा ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया।

यह सही नहीं है कि दिनांक 21.06.2021 को महासमुंद जिले के पतेरापाली ग्राम में हाथी ने एक ग्रामीण को मार दिया।

यह सही है कि दिनांक 16.06.2021 को मैनपाट वन परिक्षेत्रान्तर्गत 09 हाथियों का दल विचरण कर रहा था। सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम बरवाली के ग्रामीणों को कंडराजा एवं दांतीढाब के आंगनबाड़ी केन्द्रों

में ठहराया गया था। यह कहना सही नहीं है कि हाथियों द्वारा आधी बस्ती को तहस-नहस कर दिया गया और लगभग 20 परिवारों को बारिश में रात भर भीगते हुए रात गुजारना पड़ा।

यह सही है कि दिनांक 15.06.2021 को कांकेर जिले के पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल के पीच्चेकट्टा ग्राम में हाथी दल के प्रवेश किये जाने पर वन अमलों द्वारा स्थानीय प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर जनहानि से बचाने के लिए पूरे ग्रामवासियों को निर्माणाधीन जेल भवन में ठहराया गया।

यह सही नहीं है कि रायगढ़ जिले के 6 गावों ग्राम पंचायत चहकीमार, बरतापाली, पोटिया एवं बरतापाली सिवार तथा गेवार में हाथियों के दल ने 27 किसानों के सब्जियों एवं धान की फसल को तबाह कर कर दिया और खेतों में मोटर पंपों को क्षति पहुंचाई।

यह कहना सही नहीं है कि दिनांक 16.05.2021 को महासमुंद जिले के परसाडीह निवासी मनीराम यादव को हाथी ने पटक-पटक कर मार डाला। वस्तुस्थिति यह है कि महासमुंद जिले के परसाडीह निवासी निवासी मनीराम यादव की हाथी से मृत्यु की घटना दिनांक 16.05.2021 को नहीं अपितु 14.05.2021 को हुई है।

यह कहना सही है कि दिनांक 15.06.2021 को जशपुर जिले के फरसाबहार क्षेत्र के जमुना वनक्षेत्र अंतर्गत जंगल में पुटु खुखड़ी लेने गये एक महिला एवं पुरूष को कुचल कर मार दिया। वही एक बच्ची हाथी के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गई। परंतु वास्तविकता यह है कि यह घटना दिनांक 14.06.2021 को घटित हुई है जिसमें प्रकाश एक्का उम्र- 55 वर्ष, दयामनी तिर्की उम्र-59 वर्ष की मृत्यु हाथी के हमले से हुई थी साथ ही आल्या तिग्गा उम्र-05 वर्ष (बच्ची) भगदड़ में घायल हो गई थी, जिसका ईलाज विभाग द्वारा कराया गया एवं वर्तमान में बच्ची पूर्णत: स्वस्थ है।

यह कहना सही नहीं है कि दिनांक 03.02.2021 को वनपरिक्षेत्र फिंगेश्वर में एक दंतैल हाथी कुछ किसानों के खेत को रौंदते हुए वनपरिक्षेत्र पांडुका की ओर चला गया। वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 03.02.2021 को वन परिक्षेत्र फिंगेश्वर/पांडुका में एक दंतैल हाथी ने 02 किसानों के खेत को नुकसान पहुंचाते हुए महासमुंद वनमंडल की ओर वापस चला गया।

यह सही है कि दिनांक 28.04.2021 को धमतरी जिले के रिसगांव वन परिक्षेत्र मे अशोक मरकाम, ग्राम ढोलसराई हाथियों के झूंड के समीप पहुंच गये थे, जिनके हाथियों के समूह के हमले से मृत्यु हो गयी।

दिनांक 25.04.2021 को लखनपुरी अंचल में हाथियों का प्रवास हुआ ही नहीं है अत: यह सही नहीं है हाथियों के उत्पात से लोगो में दहशत बनी हो।

धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत दिनांक 12/04/2021 को धरमजयगढ़ परिक्षेत्र के क्रोंधा परिसर अंतर्गत वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 454 पी.एफ. घुमानारा नामक स्थल पर महुआ फूल संग्रहण करने दौरान श्री घासीराम यादव उम्र लगभग 68 वर्ष साकिन क्रोंधा का जंगली हाथी से आमना-सामना हो जाने

के फलस्वरूप जंगली हाथी द्वारा मार दिया गया।

यह सही नहीं है कि हाथियों की मौतें रहस्यमय तरीके से हो रही है, सही यह है कि हाथियों की मौतें दुर्घटनावश अथवा प्राकृतिक रूप से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य एवं फसलों की सुरक्षा हेतु लगाये गये बिजली के करंट से होना पाया गया है। मृत हाथी का पोस्टमार्टम विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों के समूह के द्वारा किया जाता है जिससे हाथियों की मृत्यु का वास्तविक कारण ज्ञात हो जाती है।

धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत 22/06/2021 को वन परिक्षेत्र छाल के बनहर परिसर अंतर्गत कक्ष क्रमांक 525 पी.एफ. से लगे कोदवारी नामक राजस्व निजी कृषि भूमि (स्वामी महेत्तर कमलवंशी वल्द जेठू कमलवंशी निवासी बनहर) में 01 मादा हाथी मृत पाई गई।

दिनांक 13/06/2021 को सूरजपुर वनमण्डल के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत दरहोरा बीट में मृत हाथी का दांत गायब होने का मामला सामने नहीं आया। परन्तु दिनांक 11/06/2021 को सूरजपुर वनमण्डल के अंतर्गत दरहोरा बीट के कक्ष क्रमांक-पी 101 में एक नर हाथी मृत पाया गया। उक्त तिथि को ही मृत हाथी का दांत गायब होने का मामला सामने आया। पोस्टमार्टम के अनुसार हाथी की मृत्यु आकाशीय बिजली की चपेट में आने से होना पाया गया। हाथी दांत गायब होने के मामले में विवेचना कर आरोपियों को माननीय न्यायालय प्रतापपुर में पेश किया गया एवं आरोपियों से हाथी के दांत जप्त कर सुरक्षित रखे गये है।

दिनांक 10/04/2021 को तमोर पिंगला अभ्यारण्य के गेमरेंज तमोर के कक्ष क्र. 843, कंजीयों नाला में घायल अवस्था में एक नर शावक हाथी वन कर्मचारियों को गश्ती के दौरान मिला। आस-पास जंगली हाथियों का दल विचरण करने के कारण निगरानी में रखा गया। दिनांक 11/04/2021 को पशु चिकित्सकों, वन अमला एवं महावतों द्वारा हाथी को नाला से निकाल कर हाथी राहत एवं पुनर्वास केंद्र, पिंगला लाकर नियमित रूप से उपचार किया गया। दिनांक 24/04/2021 को ईलाज के दौरान हृदयगति रूक जाने के कारण नर शावक की मृत्यु हो गई।

यह सही नहीं है कि दिनांक 14/04/2021 को धरमजयगढ़ के बोरो रेंज में हाथी का शव और दो दांत बरामद किया गया। सत्य यह है कि धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत दिनांक 29/03/2021 को बोरो परिक्षेत्र के कंचीरा परिसरन कक्ष क्रमांक 707 आर.एफ. में हाथी की मृत्यु हुई थी। प्रकरण में दो दांत बरामद कर सुरक्षित रखा गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा हाथियों के सुरक्षा एवं नियंत्रण के लिए कार्य योजना के तहत कार्यवाही की जा रही है। जिसमें रहवास विकास, भोजन हेतु चारागाह विकास एवं जल उपलब्धता हेतु विभिन्न संरचनाएं निर्मित किये जा रहे हैं। जिससे हाथी वनक्षेत्र में ही विचरण करते रहे। वन विभाग का अमला नियमित गश्त करते हुए ग्रामीणों को हाथियों के साथ सहचारिता बनाते हुए सुरक्षित रहने की समझाईश देते हैं। हाथियों के विचरण की तत्कालिक सूचना गांवों तक पहुंचाने हेतु आधुनिक संचार माध्यम

''सजग'' से लोगों को आगाह किया जाता है। ''हमर हाथी, हमर गोठ'' आकाशवाणी कार्यक्रम का नियमित प्रसारण किया जाता है। जिसमें हाथियों के विचरण की विस्तृत जानकारी प्रसारित की जाती है। हाथियों के आबादी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाने की स्थिति में सुरक्षा साधनों से युक्त गजराज वाहन के माध्यम से वन अमला हाथी प्रभावित गांव तक पहुंचकर हाथियों को आबादी क्षेत्र से दूर करने तथा ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं।

अत: यह सही नहीं है कि प्रदेश सरकार कार्यवाही करने का आश्वासन सिर्फ बयानों तक सीमित कर रही है अपितु सही यह है कि वन विभाग द्वारा स्थानीय लोगों की जानमाल की सुरक्षा एवं हाथियों की मौत पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही करने के कारण प्रदेश की जनता में कोई रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- वैसे तो हम छाया है साहब मैं ज्यादा पूछूंगा नहीं। माननीय अकबर जी, मैंने एक प्रश्न पूछा है। मैं दो तीन चीजें पूछ लेता हूं। 1 दिसंबर 2018 से 30 जून के बीच में हाथियों के मौत की स्थिति। परसो जब आपका क्वेश्चन डे पूछा था तो आपने जो संख्या उसमें बताई है 38 है। आप ही के तरीके का प्रश्न है ये 26 जुलाई 2021 को जब आपका प्रश्न डेट था। उसमें हाथियों की संख्या आपने 45 बताई है, दोनों पेपर मेरे पास है। कौन सा पेपर सही है पहले इसको बता दीजिए या दोनों प्रश्न के उत्तर और ये दोनों कॉपी परसो की और जुलाई भेज देता हूं। आपके अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं इससे साबित है। पहले तो इसी में बोल दीजिए। मैं आपको दोनों पेपर दे देता हूँ। एक बार 45 बतायें हैं और एक बार 37 बतायें हैं दोनों में कौन सा सही है? मैंने तारीख पूछी है।

श्री मोहम्मद अकबर :- देखिए, जो आपके ध्यानाकर्षण का विषय है वह तिथिवार कुछ हाथियों के संबंध में है। जिनके कारण यह सब घटनाएं हुई और यह जो आपने मृत्यु के कारण की जानकारी ले रहे हैं जिसमें दिनांक 29.03.2021, 24.04.2021, 11.06.2021 और 22.06.2021 है पहले धरमजयगढ़, दूसरा..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैंने आपको दो आंकड़े बताये। एक प्रश्न में आपने 45 कहा। यह आपको गंभीरता के लिए बताया कि विभाग क्या जानकारी दे रहा है मैं आपको दोनों पेपर सौंप दूंगा। यह आपके ऊपर है कि आप क्या कार्यवाही करेंगे, पर एक प्रश्न में उन्होंने 45 बताया है और जो परसों का प्रश्न है उसमें 37 बताया है। इसलिए वह आपके ऊपर है कि आप क्या कार्यवाही करेंगे ? अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि हाथी मानव संघर्ष को रोकने के लिए हाथी की मौत को रोकने के लिए, सरकार क्या कदम, कब तक उठाने जा रही है? और अब तक क्या कदम उठाये हैं?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मानव हाथी द्वंद को कम करने के लिए किए जा रहे प्रबंध और उपाय :- मानव हाथी इंटरफेस को कम करना, हाथियों के समूह के आगमन की पूर्व सूचना गांव में वायरलेस, मोबाईल एवं बाईक से मुनादी कर प्रसारित करना एवं ग्रामीणों को हाथियों के साथ सहचार्य बनाये रखने हेतु समझाईश देना, प्रभावित ग्रामीणों को समय पर मुआवजे का भुगतान, बहुउद्देशीय गजराज वाहन के उपयोग से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल पहुंचना, सहायता पहुंचाना एवं आवश्यकता अनुसार हाथियों की ट्रेकिंग करना, गांवों में हाथी मित्रदल का गठन करना, हाथियों के आगमन के संबंध में वन कर्मचारियों को जानकारी देना एवं वन कर्मचारियों के पहुंचने तक स्थिति नियंत्रण में रखना, हाथियों को जानबूझकर मारने के प्रयास, बिजली तार, जहर खुरानी आदि पर जीरो टॉलरेंस सख्त कार्यवाही किया जाना, पूरा बोले तो बहुत लम्बा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपन कल लेंगे हम तो हम साया हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको दे दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी आपको यह दोनों पेपर दे दूंगा।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब आपसे एक दूसरी चीज पूछता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया। अगर हम साया हैं तो।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या है एक ही का साया रहने दे भाई, हमसाया मत बनाओ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम हम साया हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- अगर हम साया हैं तो हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप हाथियों को प्राकृतिक आवास देने के लिए कोई हाथी रिजर्व बनाने का विचार कर रहे हैं क्या ? यदि कर रहे हैं तो कहां कर रहे हैं ? यह कितने एरिए में कर रहे हैं ?यह बताने का कष्ट करें, यदि आप कर रहे हैं तो ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि यह ध्यानाकर्षण का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए दे देता हूँ। तात्कालीन सरकार के समय सेमरसोद, बादलखोल, तमोरपिंगला, यह तीन हाथी रिजर्व बने थे। बाद में लेमरू का 452 वर्ग किलोमीटर की एक सहमति भारत सरकार से आई थी, वर्तमान में लेमरू हाथी रिजर्व बनाने का मामला प्रक्रियाधीन है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हिसाब से पानी, आग, हवा, जानवर को कोई भी सीमा में नहीं बांध सकता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो अइसे करना वोला लिखकर पटल में रख दे, सब कोई कर वितरित हो जही, पढ़ लेबो।

माननीय आपको दूसरी बात की जानकारी दे देता हूँ कि छत्तीसगढ़ के कोई भी किसान को हाथियों के लिए करंट लगाना नहीं आता है। हाथियों में करंट लगाने सबसे ज्यादा 13 मौतें हुई हैं अभी आपने परसों कहा है । जितने लोग, हाथी करंट लगाकर मरे, सबसे ज्यादा मौत हिन्दुस्तान में हाथियों की छत्तीसगढ़ में हुई है। आपके रहते वाईल्ड लाईफ में खतरा है असंतुलन है, यह मैं आपको बता रहा हूँ। कितने दोषी पकड़े गए जो करंट लगाये थे ? उसके ऊपर क्या कार्यवाही हुई ? यह आप बता दीजिए और लेमरू का क्षेत्रफल 452 किलोमीटर बताया, उतना है या ज्यादा है उसमें अलग-अलग बातें छप रही हैं चूंकि लेमरू का उल्लेख हो गया। 1900 कुछ छप रहा है, 3800 कुछ छप रहा है। टी.एस.सिंहदेव साहब का बयान आया था। यदि लेमरू बन रहा है तो कितने वर्गकिलोमीटर में बन रहा है कितने करंट लगाने वाले पकड़े गए ? उस पर सजा का क्या प्रावधान है और कितने के ऊपर कार्यवाही हुई ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करंट लगाने के मामले में या जिन परिस्थितियों में, जिन कारणों से भी हाथियों की मौत हुई। शतप्रतिशत मामलों में कार्यवाही हो गई है। सभी को जेल भेज दिया गया है। आप तिथिवार अलग से कोई जानकारी चाहेंगे तो वह भी मैं आपको दे दूंगा। अब बात आती है।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो उत्तर ही पूरा नहीं हुआ है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेमरू हाथी रिजर्व में वर्ष 2007 में भारत सरकार की तरफ से सहमति 452 वर्गकिलोमीटर की है। वन विभाग की तरफ से मंत्रिमण्डल में 1995 वर्ग किलोमीटर का प्रस्तुतिकरण दिया गया है और उस प्रस्तुतिकरण के बाद जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हो जाएगा, नोटिफिकेशन के बाद ही उसमें अंतिम रूप से वह कार्यवाही हो पाएगी।

श्री अजय चंद्राकर :- मुआवजा देने की अवधि कितने दिन है ? कोई भी घटना घायल की, मकान टूटने की, इसकी कितनी अवधि में मुआवजा देते हैं यह आपके प्रश्न में है। उस अवधि में बहुत सारे मामलों में मुआवजा नहीं दिया गया। आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि कितने प्रकार की क्षति में मुआवजा है और समय में मुआवजा दे दिया जाएगा यह सुनिश्चित करेंगे क्या ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितना भी ध्यानाकर्षण के विषय में आपने उल्लेख किया है, एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें मुआवजा नहीं दिया गया हो। सब में दे दिया गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रदेश में 300 हाथी विचरण कर रहे हैं और साथ में आपने यह भी कहा है कि हमर हाथी हमर गोठ आकाशवाणी कार्यक्रम का नियमित प्रसारण किया जाता है जिससे हाथियों के विचरण की विस्तृत जानकारी प्रसारित हो जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 300 हाथियों के कितने दल

हैं, कितने हाथियों में जी.पी.एस लगा है और ये विचरण की जो जानकारी देते हैं, जिन हाथियों में जी.पी.एस नहीं लगा है उसकी जानकारी प्राप्त करने का माध्यम क्या होता है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय छत्तीसगढ़ में हाथियों के 16 दल विचरण कर रहे हैं और हाथियों की संख्या 306 है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने पूछा कि कितने में जी.पी.एस लगा है। जी.पी.एस ट्रेकिंग का जो रहता है, वह कितने हाथियों में लगा है ? आपने उत्तर में लिखा है हमर हाथी हमर गोठ आकाशवाणी कार्यक्रम का नियमित प्रसारण किया जाता है जिसमें हाथियों के विचरण की विस्तृत जानकारी प्रसारित की जाती है। ट्रेकिंग कितने हाथियों में लगे हुए हैं और जिनको नहीं लगा है उसकी ट्रेकिंग की क्या व्यवस्था है, आप कैसे विचरण की जानकारी प्राप्त करते हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है। हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम का रोज का प्रसारण होता है, उसमें पूरे विचरण की जानकारी और दलों के नाम के साथ दिया जाता है कि वह दल कहां-कहां जा रहे हैं। यह पूरी जानकारी उसमें हमर हाथी हमर गोठ में दिया जाता है। विचरण की जानकारी ट्रेकिंग दल द्वारा भी किया जाता है। वर्तमान में 6 हाथियों पर जी.पी.एस सिस्टम लगा हुआ है। आप जो बोल रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- सिर्फ 6 हाथियों में लगा है। 300 में नहीं लगा है।

श्री मोहम्मद अकबर :- नहीं, 300 में नहीं लगा है।

श्री रामकुमार यादव :- आघू में रथे तेखर लगथे अऊ बाकी पीछे में रथय तेखर लगथे।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक तो यह 300 में जी.पी.एस. ट्रेकिंग यह कब तक लगवा देंगे, एक ? एक मिनट और सुन लीजिए, दूसरा आपने इसमें लिखा है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य का उल्लेख किया है। उसमें एक हाथी को रखा है और वह एक हाथी बाद में मर गया। यह तमोर पिंगला अभ्यारण जो है, इसका क्षेत्रफल कितना है, हम कितनों हाथियों को रख सकते हैं, कितने लोगों का स्टाफ स्वीकृत है और हाथी के उपचार के लिए चिकित्सक हैं कि नहीं, यह पदस्थ हैं कि नहीं यह बता दें ?

श्री मोहम्मद अकबर :- देखिए, तमोर पिंगला का एग्जेट कितने वर्ग किलोमीटर में है, मैं यह आपकी जानकारी में दे दूंगा और बाकी के जो मृत्यु का कारण भी मैंने आपको बता दिया है। हाथियों में सभी 300 में नहीं लगाना है क्योंकि एक हाथी के पीछे पूरा दल चलता है और उसके साथ-साथ को चिन्हित करके उसमें लगाया जाता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने 6 हाथियों को लगाने की बात स्वीकार की है। ये 6 हाथी अलग-अलग दल के हैं कि एक ही दल के हैं। दूसरा मैंने पूछा था कि तमोर पिंगला अभ्यारण्य आप उसका क्षेत्रफल अभी नहीं हैं तो बाद में बता देंगे। मेरी जानकारी में यहां चिकित्सक नहीं हैं। जो भटके हुए हाथी

हैं, अगर अपने पास क्षेत्रफल बड़ा है तो क्या हम वहां ले जाकर इनको रखने की व्यवस्था नहीं करते क्या ?

श्री मोहम्मद अकबर :- वहां पर ले जाकर रखने की पूरी व्यवस्था है। चिकित्सक भी हैं और जहां तक 300 हाथियों का मामला है तो हर दल में एक लीडर होता है और उसमें जी.पी.एस. सिस्टम हम लोग लगाते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह 6 में लीडर में लग गया है। यह 6 लीडरों पर लगा है ना। बाकी 10 में कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे कि कब तक लगा लेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- समय सीमा निर्धारित करना इसलिए संभव नहीं है कि भारत सरकार से अनुमति के बाद ही यह किया जा सकता है। राज्य सरकार अपने स्तर पर इसको पहली बार एक हाथी पर इसका प्रयोग हुआ है और बाकी के आने वाले समय में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको लगाया जा सके।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने कहा कि भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। आपने भारत सरकार की अनुमित की प्रक्रिया शुरू की क्या, एक बात ?

श्री मोहम्मद अकबर :- किये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- ठीक है। दूसरा विषय यह है कि आपने कहा कि जितने हाथियों से मृत्यु हुई किसी का प्रकरण पेंण्डिंग नहीं है, सब परिवारों को मुआवजा मिल गया है । आप यह बता दें कि अब तक कितने परिवारों को मुआवजा दिया गया है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाबूलाल वल्द जेठूलाल ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप संख्या बता दीजिए ।

श्री मोहम्मद अकबर :- आपने जितना दिया है पूरे में, आपने जितनी भी जानकारी दी है । अलग-अलग जो दुर्घटनाओं का उल्लेख किया है, शत्-प्रतिशत में मुआवजा दिया जा रहा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने इन घटनाओं में शत्-प्रतिशत दे दिया । कुल कितनी मृत्यु हुई है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- कुल मृत्यु हुई है, यह ध्यानाकर्षण का विषय ही नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक समय-सीमा के अंतर्गत ।

श्री मोहम्मद अकबर :- वह मैं आपको दे दूंगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- माननीय मंत्री जी, जो लेमरू हाथी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में सन् 1952 के अलावा क्या उसका क्षेत्र बढ़ाने की कोई योजना है और योजना है तो हमारे छत्तीसगढ़ में क्योंकि इसमें हमारा बांगो डेम और बहुत सारी नदियां हैं, जिनका केचमेंट एरिया आता है तो क्या हम वहां पर खुलने वाली जो कोल माईंसेस हैं उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं, क्या आप उसके बारे में कुछ विचार कर रहे हैं चूंकि पूरे छत्तीसगढ़ में 58 लाख मीट्रिक टन कोयला है और अभी जो

माईंस दी गईं हैं वह केवल 5 लाख मीट्रिक टन की दी गई हैं तो हम केंद्र सरकार से अनुरोध करके हाथी और मानव द्वंद को खत्म करने के लिये उसका एरिया बढ़ा दें और खदानों के हिस्से को शिफ्ट कर दें तो उससे जंगल की कटाई भी कम हो जाएगी और उसके माध्यम से हाथी मानव द्वंद को भी हम कम कर पायेंगे तो क्या आप इसके ऊपर में विचार करेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- देखिए, कोल ब्लॉक आवंटन पूरा भारत सरकार का विषय है । नीलामों की सूची में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है यह पूरा भारत सरकार का विषय है । जहां तक वन विभाग का सवाल है, वन विभाग ने सन् 1995 वर्ग किलोमीटर का प्रजेंटेशन जो मंत्रिमण्डल में दिया है उसी के अनुसार कार्यवाही होगी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा केवल एक ही प्रश्न है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से यह अनुरोध कर सकती है क्योंकि यह हाथी रिजर्व बनाने के लिए उपयुक्त एरिया है, इस द्वंद को हमको समाप्त करना है, इसके लिये जो माइंसेस हैं उसके एरिये को बदल दिया जाये जिससे हमारा सबसे बड़ा डेम जो बांगो डेम है, जिससे ढ़ाई लाख हैक्टेयर में सिंचाई होती है उसकी सुरक्षा समाप्त हो जाएगी, वहां पर अगर ब्लास्टिंग होगी तो और जब तक आप जो 3500 किलोमीटर का एरिया है उसको जब तक आप घोषित नहीं करेंगे तब तक हाथी और मानव द्वंद को हम समाप्त नहीं कर पायेंगे इसलिए राज्य सरकार को यह अनुरोध करके कि जो माईंस का एरिया है उसको परिवर्तित कर दें और जिन एरियों में हाथियों का विचरण या कोई इतिहास नहीं है उस एरिया को हम बदल दें तो हम छत्तीसगढ़ के लोगों की जान भी बचा सकते हैं, हाथियों की जान भी बचा सकते हैं । यह मेरा आपसे अनुरोध है कि यह प्रस्ताव आपको वन विभाग के माध्यम से पूरा सर्वे करके और राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजना चाहिए नहीं तो आने वाले समय में हमारे लिये और बड़ी परेशानी पैदा होगी ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कुसमी और सरगुजा से शुरू हुआ और शुरू होते-होते पूरा रायपुर तक आ गया तब तक भी कोई बात नहीं थी इसके बाद में धमतरी और धमतरी के बाद में अब कांकेर-चारामा, सरगुजा की भौगोलिक स्थिति अलग है, बस्तर की भौगोलिक स्थिति अलग है । एक-तरफ वहां लोग नक्सलवाद से पीड़ित हैं और अभी हम नक्सलवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे अभी नहीं उबरे हैं और यदि समय रहते नहीं रोका गया और यदि हाथी और अंदर प्रवेश करेंगे तो वहां की लड़ाई एक नक्सलवाद की और दूसरे हाथी से यह डबल द्वंद शुरू हो जाएगा इसलिए वहां से उसे बेक कैसे किया जाये और बस्तर में उसका प्रवेश न हो उसको रोका कैसे जाये । इस दिशा में आपने क्या कदम उठाया है या आगे क्या करेंगे कि जिससे हाथी को उससे आगे बढ़ने से रोका जाये ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभाग भी चाहता है कि इस मूवमेंट को रोका जाये । सभी से सुझाव भी हमने आमंत्रित किये हैं । मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि यदि आपके मन भी कोई बात हो, कोई सुझाव हो तो आप दें लेकिन लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ट्रेकिंग के माध्यम से गांव-गांव में सूचित किया जाता है लेकिन वह दल इस प्रकार से है कि आप उनको जबर्दस्ती रोक नहीं सकते लेकिन हमारा प्रयास जरूर है । कुछ एक्सपर्ट को बुलाकर उनसे राय ली जा रही है और आने वाले समय में जो भी कार्यवाही होगी, हम आपकी जानकारी में देंगे ।

(2) पथरापाली से कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण हेतु प्रभावित ग्रामों में भूखण्डों का मुआवजा नियमानुसार निर्धारण नहीं किया जाना ।

सर्वश्री पुरूषोत्तम कंवर (कटघोरा), श्री मोहित राम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास भारत माला परियोजना के अंतर्गत पथरापाली से कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130 (पुरमा 111) के कि.मी. 53.00 से 94.00 तक के चौड़ीकरण हेतु पाली, पोंड़ी उपरोड़ा एवं कटघोरा जिला कोरबा के प्रभावित ग्रामों में भू-अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, जिसमें ग्राम जुराली तह. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा के प्रकरण में मुआवजा की संगणना केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड (छ.ग.) रायपुर के बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत 2018-19 के निर्धारित मापकों के विपरीत दोषपूर्ण अवार्ड पारित किया गया है। केवल ग्राम जुराली (वार्ड 14 नगर पालिका कटघोरा) के समस्त भूखंडों का मनमाने तरीके से मुआवजा निर्धारण कर दोषपूर्ण अवार्ड पारित किया गया। इससे क्षेत्र के लोगों में शासन के प्रति घोर आक्रोश एवं रोष व्याप्त है।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पथरापाली से कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पुराना 111 (नया 130) के कि.मी. 53.00 से कि.मी. 94.000 तक के चौड़ीकरण हेतु पाली, पोड़ी उपरोड़ा एवं कटघोरा जिला कोरबा के प्रभावित ग्रामों में भू-अर्जन की प्रकिया प्रारंभ की गई।

ग्राम जुराली में कलेक्टर द्वारा निर्धारित गाईड लाईन वर्ष 2018-19 (मार्गदर्शक मूल्य सिद्धांत) जो जिला मूल्यांकन समिति एवं केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड एवं महानिरीक्षक पंजीयन छ.ग. रायपुर (प्रारूप 3) को आधार मानकर मुख्य मार्ग पर स्थित भूमि प्रति हेक्टेयर मूल्य रूपये 3435000, सिंचित 2230000, असिंचित 1279000 एवं वर्ग.मी. में 6990/-, 2880/- की दर पर मुआवजा की गणना की गई है।

बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रारूप "तीन" के संबंध में उपबंध (नियम-7) कृषि भूमियों के लिये उपबंध की कंडिका (5) के अनुसार नगर निगम-नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में क्रमश: 0.202 हेक्टेयर, 0.150 हेक्टेयर तथा 0.100 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि विक्रय

होती है तथा वर्तमान में कृषि प्रयोजनार्थ ही क्रय किया गया हो, क्रेता की कृषि भूमि से लगी हो, इस बाबत् पटवारी द्वारा नक्शे की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने एवं चर्तुसीमा में क्रेता की भूमि लगी होने का प्रमाण देने पर उस क्षेत्र के लिये निर्धारित प्रति हेक्टेयर की दर से बाजार मूल्य गणना किये जाने का प्रावधान है।

तहसीलदार पोड़ी उपरोड़ा के प्रतिवेदन अनुसार पथरापाली-कटघोरा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-111 (नया 130) के प्रस्तावित कि.मी. 53.300 से कि.मी. 92.600 कि.मी. अंतर्गत ग्राम जुराली की धारा 3 डी के प्रकाशन में दर्ज भूमि खसरा नंबर कुल 23 जो कि खरीदी हक से है, जिनका मुख्य मार्ग से दूरी 01 कि.मी. है। उक्त क्रय की गई भूमि कृषि प्रयोजन हेतु क्रय किया गया है, जिस पर वर्तमान में कृषि कार्य किया जा रहा है। ग्राम जुराली स्थित खसरा रकबा की भूमि पर पूर्व से ही कृषि कार्य किया जा रहा है, सभी कृषि प्रयोजन के लिए ही उपयोग किया जा रहा है।

अत: बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुसार ही आंकलन कर अवार्ड पारित किया गया है। कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर के आदेश क्रमांक 309/स्थापना/2020 बिलासपुर दिनांक 29/01/2020 के तहत् राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्वास और उन्नयन के लिए भूमि के अधिग्रहण से उत्पन्न मध्यस्थता के उद्देश्य से संभागीय आयुक्त को आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया है। ग्राम जुराली में पारित अवार्ड के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग के भू-अर्जन प्रकरण हेतु नियुक्त आर्बिट्रेटर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये जाने संबंधी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। भू-अर्जन को लेकर क्षेत्र के लोगों में शासन के प्रति आक्रोश एवं रोष व्याप्त होने की जानकारी नहीं मिली है।

उपाध्यक्ष महोदय :- कुंवर जी।

श्री पुरूषोत्तम कंवर :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑलरेडी 500 वर्गमीटर की दर से मुआवजा दिया जाता है। जबकि यह जो जुराली ग्राम है, यह नगर-पालिका कटघोरा का वार्ड है। नगर-पालिका कटघोरा के मात्र एक गांव में सिर्फ हेक्टेयर की दर के हिसाब से मुआवजा दिया गया है, बाकि 20 गांवों में कटघोरा के अन्य वार्डों में वर्गमीटर के आधार पर मुआवजा दिया गया है। जुराली गांव के 111 किसान इससे प्रभावित हैं। जो एस.डी.एम. सक्षम अधिकारी है, उसके द्वारा अन्यायपूर्ण ढंग से, दोषपूर्ण ढंग से जुराली ग्राम के 111 किसानों के साथ अन्याय किया गया है । माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि जुराली ग्राम के 111 किसानों के लिए दोबारा आदेश देने और नये सिरे से उनके मुआवजे का निर्धारण कराने का कष्ट करेंगे ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र में 0.202 हे., 0.150 हे. तथा 0.100 हे. से कम कृषि भूमि विक्रय होती है तथा वर्तमान में कृषि प्रयोजनार्थ ही क्रय किया गया हो, क्रेता की कृषि भूमि से लगी हो इस बाबत् पटवारी द्वारा नक्शे की

सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करने, चतुर्सीमा में क्रेता की भूमि लगी होने का प्रमाण देने पर उस क्षेत्र के लिए निर्धारित प्रति हेक्टेयर की दर से बाजार मूल्य गणना की जाएगी ।

श्री पुरूषोत्तम कंवर :- उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय राजस्व मंत्री जी सबसे पहली बात जो भूमि का अधिग्रहण किया गया है, वह कृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है । भूमि का अधिग्रहण एन.एच. के चौड़ीकरण, फोर लेन सड़क बनाने के लिए किया गया है, कॉमर्शियल उद्देश्य से इसका अधिग्रहण किया गया है । जबकि हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया गया है । मुआवजा निर्धारण में बहुत विसंगति हुई है । आपके मार्गदर्शी सिद्धान्त में नगरपालिका के लिए जो क्राइटेरिया है वह पहले से है कि अगर 12 डिसमिल से कम हो तो 100 प्रतिशत की दर पर, अगर 12 से 25 डिसमिल के बीच हो तो 80 प्रतिशत तक और 37 डिसमिल तक का 50 प्रतिशत की दर से नगर पालिका में इसका निर्धारण होता है । इसमें गाइड लाईन का पालन नहीं किया गया है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि किसी भूमि स्वामी को किसी प्रकार की आपत्ति है तो वह भू-अर्जन अधिकारी के फ़ैसले के खिलाफ आर्बिट्रेटर आयुक्त के समक्ष मामला प्रस्तुत कर सकता है । भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है । भू अर्जन अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध उपर्युक्तानुसार उपचार प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है ।

श्री पुरूषोत्तम कंवर :- उपाध्यक्ष महोदय, जब उसी प्रयोजन के लिए 20 गांवों में वर्गमीटर के हिसाब से मुआवजा दिया गया है तो क्यों नगर पालिका परिषद् कटघोरा में हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया गया है ? इसके नये सिरे से निर्धारण के आदेश दें और ऐसा कृत्य करने वाले अधिकारी के ऊपर कठोर कार्रवाई करते हुए मैं निलंबन की मांग करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, सिम्पैथी का मुद्दा है आप थोड़ा विचार कीजिएगा । जिस हिसाब से माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग हिसाब से मुआवजा निर्धारण किया गया है, थोड़ा दिखवा लीजिएगा ।

श्री जय सिंह अग्रवाल :- किसी उच्च अधिकारी से जांच करा लेंगे और अगर मान लीजिए कोई दोष पाया जाता है तो उसको दिखवा लेंगे ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- उपाध्यक्ष जी, गरीब अउ किसान मन के मुद्दा हे । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करिहौं कि जानबूझकर गरीब, असहाय मन के प्रति कोई कर्मचारी, अधिकारी अगर अइसने करही तो एका कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है । माननीय मरकाम जी आप बोलिए ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- देखिये, किसानों के प्रति हमारी पूरी सद्भावना है । अगर किसी के साथ दोषपूर्ण कार्रवाई हुई है और उसमें मुआवजे का गलत निर्धारण हुआ है तो उसमें किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करा लेंगे । अगर गलत हुआ है तो उसके हिसाब से आगे विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी ।

श्री मोहन मरकाम (कोंडागांव) :- उपाध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट हो रहा है कि किसानों के साथ गलत किया गया है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि दोषी अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे क्या ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैंने बताया कि उसमें वरिष्ठ अधिकारी से उसकी जांच करा लेंगे । मान लीजिए उसमें एस.डी.एम. अधिकारी है तो एस.डी.एम. के ऊपर के अधिकारी से जांच करा लेंगे और उसमें कोई दोष होगा तो उसको देख लिया जाएगा ।

श्री मोहित राम (पाली-तानाखार) :- उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है । इसमें 110 गांव प्रभावित हुए हैं जो राष्ट्रीय मार्ग पर है । इसमें श्याम बाई नाम की महिला है, जिसकी भूमि मात्र 400 वर्ग मीटर है, इस 400 वर्ग मीटर के बराबर 10 डिसमिल के अंदर है, जिसका मुआवजा भी हेक्टेयर में प्रशासनिक अधिकारी ने बना दिया । अब वह 400 वर्ग मीटर का आप समझ जाइए कि कितना नुकसान पहुंचाया । मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि गरीब किसान की जमीन राष्ट्रीय मार्ग में जाती है तो दोबारा वापस नहीं आ सकती है । सही मुआवजा उनको मिल जाए और इसके साथ जुराली गांव के 100 किसान और हैं जिनकी जमीन भी उसमें जा रही है तो एक बार उसकी जांच कराकर, उसको हेक्टेयर में न जोड़ा जाए, जो 400 वर्गमीटर का 10 डिसमिल हो रहा है । उसके हिसाब से मुआवजा प्रदान कराने का मैं निवेदन करता हूं । वे सदन में कह दें कि हेक्टेयर में किये गये निर्धारण की जांच कराकर, उसे वर्गफिट के हिसाब से निर्धारण कराएंगे ।

श्री आदर्श

ADARSH\28-07-2021\c14\

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आरबीटेसन का प्रावधान है कमिश्नर उसमें आरबीटेटर है उसके बाद भी हमने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी से जांच करा लेंगे और कोई भी किसान का मुआवजा छूटा हुआ होगा तो उसमें जोड़ दिया जाएगा कोई दिक्कत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय:- मंत्री जी का कहना है आदरणीय साथियों वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवाएंगे और जो जैसा होगा उसको दंड दी जाएगी यह व्यवस्था दी जाएगी।

श्री ननकी राम कंवर :- न इसमें निर्माण कार्य चालू होने से पहले किसानों का मांग है कि काम चालू होने से पहले ये जांच कराकर राजस्व मंत्री महोदय जी उनका मुआवजा सही दिलाएंगे ये ही हम चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय:- निर्माण कार्य पहले करवाइये।

समय :

02:01 **<u>नियम 2687 'क' के अधीन शून्यकाल सूचनाएं</u>**

उपाध्यक्ष महोदय :- अब नियम 267 के अधीन शून्यकाल की सूचना लूंगा निम्नलिखित सदस्यों की शून्य काल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जाएगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभाग को भेजा जाएगा :-

1. श्री संतराम नेताम
2. श्री सत्यनारायण शर्मा
3. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
4. श्री सौरभ सिंह
5. श्री धरमलाल कौशिक

समय :

02:01 **<u>अनुपस्थिति की अनुज्ञा</u>**

उपाध्यक्ष महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 04 प्रेमनगर के सदस्य श्री खेलसाय सिंह जी द्वारा जुलाई 2021 सत्र में दिनांक 26 जुलाई 2021 से दिनांक 30 जुलाई 2021 तक सभा की बैठक में अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई है।

उनका आवेदन इस प्रकार है :-

मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं जुलाई 2021 मानसून सत्र में उपस्थित नहीं हो सकूंगा।

उसके आवेदन के परिप्रेक्ष्य में क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 04 प्रेम नगर के सदस्य श्री खेलसाय सिंह को दिनांक 26 जुलाई 2021 से 30 जुलाई 2021 तक सभा की बैठक में अनुपस्थित होने की अनुज्ञा दी जाए।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है माननीय सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुज्ञा प्रदान की गई।

अनुपस्थिति की अनुज्ञा प्रदान की गई।

समय :

02:02 **<u>प्रतिवेदनों की प्रस्तुति</u>**

<u>लोक लेखा समिति का बावनवां, तिरपनवां, चौवनवां एवं पचपनवां प्रतिवेदन</u>

श्री अजय चन्द्राकर (सभापति, लोकलेखा समिति) :- उपाध्यक्ष महोदय मैं लोक लेखा समिति का बावनवां, तिरेपनवां, चौवनवांए एवं पचपनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अशांकित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

02:03 **याचिकाओं की प्रस्तुति**

उपाध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की सूचनाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जाएगी :-

1. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
2. श्री संतराम नेताम
3. श्री अजय चन्द्राकर
4. श्री लखेश्वर बघेल
5. श्री चंदन कश्यप

समय :

02:03 **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)**

अध्यक्ष महोदय:- माननीय मोहम्मद अकबर जी का वक्तव्य श्री मोहम्मद अकबर वन मंत्री दिनांक 29 दिसंबर 20 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 21 क्रमांक 892 के उत्तर के संबंध में वक्तव्य देंगे।

समय :

02:04 **मंत्री का वक्तव्य**

(वनमंत्री) श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय 29 दिसंबर 2020 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित माननीय सदस्य श्री धरमलाल कौशिक द्वारा पूछे गये परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 21 क्रमांक 892 के उत्तर के स्थान पर पृथ्कता, वितरित, पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावें।

समय :

2:05 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य**

(1) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 6 सन् 2021)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 6 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 6 सन् 2021) की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 6 सन् 2021) का पुर:स्थापन करता हूं ।

(2) छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021) की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021) का पुर:स्थापन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री टी. एस. सिंहदेव जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के पुर:स्थापन में मेरी आपत्ति है और नियमों के अनुसार पुर:स्थापन के संबंध में आपत्ति उठाने का हमको अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय :- किस पर आपत्ति है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पुर:स्थापन करने जा रहे हैं, इसके पुर:स्थापन के ऊपर मेरी आपत्ति है ।

अध्यक्ष महोदय :- मतलब किस विधेयक पर ? पटेल जी ने भी पुर:स्थापित कर दिया, रविन्द्र चौबे जी ने भी पुर:स्थापित कर दिया । आपको किस पर आपत्ति है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन नम्बर वाले विधेयक पर आपत्ति है ।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक है, इस विधेयक में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं, जिसमें आई.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. का उल्लंघन होता है । इस विधेयक के बहुत सारे बिन्दु ऐसे हैं, जिसमें जिन लोगों को उस महाविद्यालय से पैसा लेना है, उनकी आस्तियां समाप्त हो जाएंगी । थाने में रिपोर्ट लिखाई गई है । इसमें इस बात का उल्लेख है कि वहां के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको नहीं रखा जाएगा, वे किसी प्रकार की मांग नहीं रख पाएंगे । यह हमारे देश में इस बात का यह मौलिक अधिकार है कि अगर कोई कहीं पर लंबे समय से काम कर रहा है तो उसको बिना किसी कारण के निकाला नहीं जा सकता । मैंने इसकी एक-एक कंडिका को पढ़ा है । आप यह बताईए कि आपने मुझे एक लाख रूपये दिया और आपके मांगने के अधिकार को कोई खतम कर सकता है क्या ? उस अधिकार को इस विधेयक के माध्यम से समाप्त किया जा रहा है । इस प्रकार को कोई विधेयक जो हमारे आई.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत जो अपराध की श्रेणी में आते हैं और उन अपराधों को समाप्त करने का इसमें कथन किया गया है तो ऐसा कोई विधेयक सदन में नहीं आ सकता । अगर आप पूरे विधेयक को देख लेंगे..

अध्यक्ष महोदय :- जब आप चर्चा करेंगे तो उस समय विधेयक को देखेंगे न ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक प्रस्तुत हो चुका है और हमें दो दिन पहले यह मिल चुका है । इसलिए इस विधेयक का पुर:स्थापन हो ही नहीं सकता क्योंकि यह विधेयक बहुत सारे आई.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. और केन्द्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है और इसमें यह बड़ी अजीब बात है कि इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो उसके स्वामी हैं, उनकी कोई लेनदारी होगी तो उसका भुगतान सरकार करेगी, परन्तु बाहर के लोगों ने उनको ऋण दिया है, कोई लोन दिया है, कोई ब्याज पर पैसा दिया है तो उनको लेनदारी का कोई अधिकार नहीं होगा, उनकी आस्तियां समाप्त हो जाएंगी, उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा । इस प्रकार का कोई भी विधेयक, जो लोगों के अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को समाप्त करे । बाकी तो इसमें चर्चा होगी, इसको प्रस्तुत करने के बाद भी मैं इसमें आपत्ति लूंगा और उस समय मैं एक-एक विषय के ऊपर में बोलूंगा कि इसे क्यों प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ? जब आप यह बात करेंगे तो मैं इस बात को कहूंगा ।

(संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) के खड़े होने पर)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- स्वास्थ्य मंत्री जी आ गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी संसदीय कार्यमंत्री उत्तर दे रहे हैं, फिर स्वास्थ्य मंत्री विधेयक प्रस्तुत करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि भारसाधक मंत्री उपस्थित हैं तो संसदीय कार्यमंत्री कैसे उत्तर देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- चौबे जी इनकी आपत्ति का उत्तर दे रहे हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी आपत्ति की बात हो रही है, उत्तर तो पूरा स्वास्थ्य मंत्री ही देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे तो उपस्थित हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- वे उत्तर देंगे न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपत्ति लगाई गई है, मूल विधेयक है, वे उत्तर देंगे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- वे उत्तर देंगे न । जब खण्डवार चर्चा होगी, तब वे उत्तर देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक है । भारसाधक मंत्री के रहते संसदीय कार्यमंत्री खड़े हो गए ।

अध्यक्ष महोदय :- संसदीय कार्यमंत्री इनके आपत्ति का उत्तर दे रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की योग्यता, क्षमता या किसी पर विश्वास नहीं है, जो आपको खड़ा होना पड रहा है। क्या विश्वास नहीं है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या उनको लेजिसलेशन नहीं आता ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की योग्यता पर, क्षमता पर पूरा भरोसा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- तो फिर उनको बोलने दीजिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- तकनीकी बात उठाई गई है।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या वे तकनीकी बातों का जवाब नहीं दे पायेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- क्यों नहीं दे पायेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भारसाधक मंत्री उपस्थित हैं तो जो आपत्ति आई है, उस पर मंत्री जी बात करेंगे। मुझे लगता है कि फिलहाल अभी संसदीय कार्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है। जब लगेगा कि बुलवाना है तो बोलियेगा।

अध्यक्ष महोदय :- वह तो उत्तर देंगे, भाई।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह भारसाधक हैं, आप भारसाधक नहीं हो।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी तो जो आपत्ति आई है उस विषय पर मंत्री जी बोलेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- उत्तर देने की बात नहीं है। अभी पुर:स्थापन में जो आपत्ति आई है हम उसका उत्तर मांग रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परन्तु राज्य के विधानमण्डल में ऐसे अधिनियम के जो समवर्ती सूची में प्रगढ़ित किसी विषय के बारे में संसद के किसी अधिनियम या किसी विद्यमान विधि के विरूद्ध है, प्रभाव से संबंधित इस संविधान के उपबंधों के प्रयोजन के लिए या कोई

अध्यादेश जो राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुसरण में अनुच्छेद के अधीन प्रतिस्थापित किया जाता है, राज्य विधान मण्डल का ऐसा अधिनियम नहीं माना जायेगा। इसके बारे में छत्तीसगढ़ के हमारे नियमों में है कि यदि किसी विधेयक के पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव पर किसी सदस्य द्वारा विरोध किया जाये, तो अध्यक्ष स्वविवेक से प्रभारी सदस्य को तथा प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य देने की अनुमति देगा। प्रभारी सदस्य से ना कि संसदीय कार्यमंत्री से। तो मेरी इस बात पर आपत्ति है कि Cr.P.C. और I.P.C. में जो अपराध माना गया है, उन अपराधों को यहां पर लीगलाईज करने की बात की जा रही है। इसमें लिखा है कि तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि, किसी न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय या डिक्री अथवा किसी संविदा या अन्य दस्तावेज में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर दुर्ग छत्तीसगढ़ का प्रशासन, नियंत्रण एवं समस्त चल एवं अचल दोनों सम्पत्यिों का कब्जा, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति अस्पताल पंजीयन द्वारा तत्काल सरकार को सौंप दिया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर उसके ऊपर कोई आस्ति है, किसी न्यायालय के द्वारा डिक्री दी गई है तो उसके बाद भी सौंपा जायेगा, ऐसे कैसे विधेयक बन सकता है ? इसके बाद और है।

तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि, किसी न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय या डिक्री अथवा किसी संविदा या अन्य दस्तावेज में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर दुर्ग छत्तीसगढ़ इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर , संलग्य अस्पताल और समस्त आस्तियों, स्वत्वों एवं हितों के साथ सरकार में निहित हो जायेगा, यह कैसे संभव है ? यदि कोई डिक्री है, किसी न्यायालय का आदेश है, यह कैसे सरकार में अंतर्निहित हो जायेगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- कौन से न्यायालय का आदेश है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सिविल न्यायालय का आदेश है।

श्री रविन्द्र चौबे :- सवाल ही नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- है न,

श्री रविन्द्र चौबे :- जब चर्चा होगी तो प्रस्तुत करना।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चर्चा में नहीं, अभी हमें आपत्ति लेने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने आपत्ति कर दी, पहले संसदीय कार्यमंत्री जी जवाब तो सुन लीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप आगे और देखिये।

अध्यक्ष महोदय :- आप ही आप की सुन रहे हैं, उनकी भी तो सुन लीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- समस्त आस्तियों, स्वत्वों एवं हितों के साथ सरकार में निहित हो जायेगा और इसके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, जीवित अथवा न्यायिक, व्यक्ति कंपनी, अंशधारक अथवा किसी अन्य संस्था का स्वत्व, कब्जा एवं हित समाप्त हो जायेगा।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत परंपरा है। ये अध्यक्ष जी का भी नहीं सुन रहे हैं। उनको बोलने नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चौबे जी, आप बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोला टाइम मा पेंशन मिल जाथे न, हां, बस चुप।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा एक बिन्दु नहीं है। इसमें लगभग समस्त सभी बिन्दु हैं, जो आम नागरिकों के हितों को समाप्त किया जा रहा है। आम नागरिको के अधिकारों को समाप्त कर इस सदन में कोई मूल विधेयक कहीं प्रस्तुत किया जा सकता है ? मूल विधेयक लाया जा रहा है। अगर कोई संशोधन विधेयक होता तो हमें समझ में आता है। यह मूल विधेयक है, मूल विधेयक विधि के विरूद्ध बनया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- आप मुझे किताब पढ़कर समझाये हैं न, आपने मुझे संविधान के पुस्तक की जानकारी दी न ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- फिर नया किताब लेकर खड़ हो गये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसमें मैंने आपको यह भी बताया कि इस संबंध में भारसाधक सदस्य, इसमें लिखा है कि भारसाधक सदस्य अपना वक्तव्य दे सकता है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी,

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आपत्ति है। हर बार

श्री अजय चन्द्राकर :- जब भारसाधक मंत्री मौजूद हैं तो नई परम्परा क्यों ? भारसाधक मंत्री को रोका जा रहा है क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं रोका जा रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- नियमों में इस बात का उल्लेख है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपत्ति है । भारसाधक मंत्री जब मौजूद है तो नई परम्परा कैसे बन रही है । भारसाधक मंत्री को रोका जा रहा है क्या, नियमों में है । भारसाधक मंत्री को रोका जा रहा है । अब तो तैयार हो गये हैं, हम को कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय प्रणाली के संदर्भ में आपत्तियां उठाई जा रही थी, अपने तरफ से जवाब दे रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय :- वही तो दे रहे थे ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- यहां एक सदस्य नहीं, चार सदस्य बोल रहे हैं । यहां हमारे विधि मंत्री जी बोलते हैं तो आपत्ति नहीं होनी चाहिये । क्योंकि किताब की बात आई है, कानून की बात आई है, परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है, जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सके ।

अध्यक्ष महोदय :- अब बताओ ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दे सकता है ना ।

अध्यक्ष महोदय :- दे तो रहा हूँ ना । चलिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मेरी यह आपत्तियां है और मैं चाहूंगा कि आपत्तियों में ....।

अध्यक्ष महोदय :- आपत्तियों को आप चर्चा के दौरान रखिये ना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चर्चा के दौरान नहीं आती ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- चर्चा में बोलना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम पुर:थापन में आपत्ति कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपत्ति हो सकती है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- उसका उत्तर तो पढ़ दिये ना । अध्यक्ष जी ने अनुमति दे दी । एकाध संशोधन दे देते, एकाध संशोधन आया क्या आपका । आप पढ़े भी नहीं है, उसको ।

श्री अजय चन्द्राकर :- संशोधन का सवाल नहीं है । बिना संशोधन भी आपत्ति हो सकती है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आसन्दी ने अनुमति दे दी । पहले उसको प्रस्तुत होने दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि किसी विधेयक की पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव पर किसी सदस्य द्वारा विरोध किया जाये तो अध्यक्ष स्वविवेक से प्रभारी सदस्य को प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त व्याख्यात्मक टीप व्यक्त करने की अनुमति ...

अध्यक्ष महोदय :- मैंने तो विरोध करने वाले को दे दिया । आपने उसमें संक्षिप्त टीप पढ़ दी है । मैंने आपकी बातें सुन ली है, मैं उनको सिर्फ पुर:स्थापन की अनुमति दे रहा हूँ । वे पढ़ेंगे । बाद में लगाते रहिये ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- हमारा नुकसान है, इसके अलावा यहां कोई नहीं है । 90 लोगों में एकमात्र विद्वान है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उन आपत्तियों का जवाब भारसाधक सदस्यों द्वारा दिया जाना चाहिये । मैं आपसे जवाब नहीं चाह रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी पुर:स्थापन करने दीजिए ना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- या मैं आपसे चाहूंगा कि आपके द्वारार यह व्यवस्था कि आपकी आपत्तियों के साथ वह पुर:स्थापित करें और जब वह जवाब देंगे, मेरी जितनी आपत्तियां है, उनका जवाब देंगे । आप यह व्यवस्था दे सकते हैं । मुझे इसमें आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय:- आपकी आपत्ति के साथ पुर:स्थापन की अनुमति ...व्यवधान

श्री अजय चन्द्राकर :- मूल विधेयक है, संशोधन विधेयक नहीं है । मूल विधेयक की धाराओं में बात हुई है, हमेशा के लिए उदाहरण बन जायेगा, यदि उत्तर नहीं आयेगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- प्रस्तुत होगा तो धाराओं में संशोधन भी देना और अपनी बात भी कहना ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पुर्नस्थापन में हम अपनी बात कह सकते हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- पुर्नस्थापन की अनुमति मिल गयी तो ...

अध्यक्ष महोदय :- मैं तो सिर्फ पुर्नस्थापन की की अनुमति दे रहा हूँ । आप लोग कैसा बात कर रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हम लेजिसलेशन के मामले में, जब हम इस सदन में चर्चा कर रहे हैं, हमारा लेजिसलेशन कोई ऐसा नहीं हो, जो हमारे केन्द्रीय कानूनों के विरूद्ध में हो, लोगों के मौलिक अधिकारों के विरोध में हो, इस सदन में ही मुझे याद है, राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला जी, आपके स्थान पर बैठते थे और एक विधेयक आया था त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम का, उसके ऊपर हमने यहां तीन दिन चर्चा की थी ।

अध्यक्ष महोदय :- आप इस पर भी कर लीजिए ना तीन दिन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । आप जो विरोध कर रहे हैं, उन आपत्तियों पर विरोध जब विधेयक पर चर्चा होगी, तो कर लीजिएगा । जब खंड आयेगा, तब उस पर विरोध करें, किसने मना किया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, हमें पुर:स्थापन आपत्ति करने का अधिकार है कि हम आपका ध्यान आकर्षित करें ।

अध्यक्ष महोदय :- पूरी आपत्ति को आपका सुन लिया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह संशोधन विधेयक नहीं है, मूल विधेयक है । पूरे देश में नजीर बनेगी ।

अध्यक्ष महोदय:- मैं समझ गया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप कोई ऐसा कानून पास न करे, कोई ऐसा विधेयक पारित न करें, क्योंकि आनेवाले समय पर यह नजीर बनेगी । इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर में विचार कर सकते हैं । आप इसके ऊपर में अध्ययन करवा सकते हैं । मुझे लगता है कि यह औचित्यपूर्ण है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रवर समिति को भेज सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- जब विधेयक के खण्डों पर आपका मत लिया जायेगा, उस समय आप विचार दीजिएगा । उस समय विरोध कीजिएगा । उस समय आपको पूरा अधिकार है, अपनी बात रखने का । अभी विधेयक प्रस्तुत तो होने दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पुर:स्थापित में भी आपत्ति करने का अधिकार है कि नहीं ।

अध्यक्ष महोदय:- आपत्ति के साथ पुर:स्थापन की...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हो गया ना, आपकी आपत्ति का निराकरण हो गया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जो प्रभारी मंत्री है, उसका जवाब आना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय :- पुर:स्थापन करने दीजिए ।

श्री कवासी लखमा :- दिन भर बोलोगे, तुम्हारा ही सुनेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दादी, हम आपको हमेंशा सुनते हैं । यहां पर जो चर्चा हो रही है, कानून की, संविधान की चर्चा हो रही है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- दादी जी, कृपया आप दो चीजों का अच्छे से उत्तर दिया करें, एक तो 100 रुपये रेट कैसे हो गया और दूसरा शेष के बारे में उत्तर दिया करें। आप गणित में फेल हो जाते हैं। बस ये दो मामले में आप जवाब दिया करो।

श्री कवासी लखमा :- नजीर बनेगा, नजीर बनेगा, कितना नजीर बनाओगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दारू का, आबकारी विभाग का जवाब तो देते नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय :- आपको क्या कहना है?

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बृजमोहन जी की विधेयक को प्रस्तुत करने में जो आपत्ति है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि जब बात आती है तो कहते हैं कि आपने पहले इस बात को नहीं उठाया। उसके कारण में बाद में दिक्कत आती है। इसलिए जिन खंडों में जो-जो समस्या है, उसमें माननीय राजा साहब को जो आपत्ति है उस आपत्ति के ऊपर में बात रखनी चाहिए और उसके बाद में वह विधेयक प्रस्तुत होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि अभी उपयुक्त समय है। पहले उस विधेयक के प्रस्तुत करने पर पर चर्चा हो जाये और जो आपत्ति है, उसका निराकरण हो। उसके बाद में विधेयक को प्रस्तुत किया जाये, उसके बाद में फिर उस विधेयक पर चर्चा हो। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को निर्देशित करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक खंड पढ़कर सुनाता हूं। कोई व्यक्ति जो धारा-4 के अंतर्गत सरकार में निहित होने के पूर्व चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति महाविद्यालय, कचांदुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ नियोजन में था या चाहे वह नियमित सेवा, संविदा सेवा में रहा हो या आउटसोर्स द्वारा हो, चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर दुर्ग छत्तीसगढ़ या सरकार की सेवा में रहने का कोई दावा नहीं करेगा। माननीय मंत्री जी उन अधिकारियों, कर्मचारियों के अधिकारों को सुरक्षित करिये। जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, उनको रखा जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा भी आपसे आग्रह है। आप इसमें संशोधन ले आयें।

(3) छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021)

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) का पुर:स्थापन करता हूं।

यह भी विश्वास दिलाता हूं कि किसी के लेनदारी, देनदारी के अधिकार में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- पुर:स्थापन हो गया।

समय :

2:23 बजे

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान पर मतदान

मुख्यंमत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि- दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में

अनुदान संख्या- 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 54, 55, 64, 65, 67, 71, 76 एवं 79 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर **दो हजार चार सौ पचासी करोड़, उनसठ लाख, इकतीस हजार, सात सौ रुपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। अजय चन्द्राकर जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- राजा साहब आप इस विधेयक को पढ़ लेना। किसी के साथ अन्याय नहीं हो, इस विधेयक में बहुत सारे खंड ऐसे हैं।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- यह मत मानिये कि मैंने नहीं पढ़ा है। इसको प्रस्तुत करने के पहले मैंने अध्ययन किया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर आप पढ़ लेते तो ऐसा विधेयक नही आता।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- यह विधेयक बहुत सोच-समझकर, विचार करने के बाद लाया गया है।

श्री मोहन मरकाम :- आप लोगों ने कुछ नहीं किया।

श्री अजय चन्द्रकार :- दो दिन से तोर हैसियत देखत हन, का है तेला। कल तो बैठकर व्हाट्सऐप खेल रहे थे।

श्री मोहन मरकाम :- आपकी हैसियत पता है।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, आप बोलिये न।

श्री अजय चन्द्रकार (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुपूरक अनुदान मागों पर 1 से 79 तक जितनी भी संख्या बताई है, उसके विरोध के लिए मैं खड़ा हूं। इस सरकार के ढाई साल हो गये, उसके बाद यह दूसरे विनियोग में बात कर रहे हैं। पहले सत्र में जब आपने बातचीत की थी, शपथ ग्रहण किये थे, उसके बाद आज किसी विनियोग पर चर्चा हो रही है। बाकी तो आपकी मनमर्जी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने से पहले मैं यह बात स्पष्ट कर देता हूं कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी एक संस्था है। मैं बहुत सारी गड़बड़ियों के बाद भी आरोप लगाऊ मुख्यमंत्री जैसे संस्थान पर यह मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं उस बात को करूंगा भी नहीं लेकिन तथ्य इस बात को साबित करते हैं कि मुख्यमंत्री जैसे संस्थान हों या उसके द्वारा संरक्षित कोई दूसरे लोग हों वे प्रदेश में गड़बड़ियों को संरक्षण दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अवसादग्रस्त, इस विरोधाभासी, इस अंतर्विरोध से ग्रस्त सरकार के बजट, बजट में क्या है अध्यक्ष महोदय। अनुपूरक में क्या है 105 करोड़ रूपये। मतलब जो अनुमान है आपके कर्ज के ऋण पटाने का वह अनुमान में आपको 105.40 प्रतिशत और जोड़ना था। मतलब यह सरकार सिर्फ चल रही है ब्याज पटाने के लिए ऋण पटाने के लिए। बाकि यदि हेड है सड़कों के तो सड़क विकास निगम कर्जा लेगी उसमें भी। एक दो और आईटम है, पाटन में कुछ खुलेगा साझा में भी कुछ खुलेगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहिन कृषि मजदूर न्याय योजना देखे हस कि नहीं देखे हस।

श्री अजय चन्द्राकर :- आगे बात करता हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां, कल्पना से बाहर।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अंतर्विरोध से ग्रस्त, इस विरोधाभासी, इस अवसादग्रस्त सरकार को एक रूपया भी सरकारी खजाने को व्यय करने के लिए नहीं देना चाहिए। प्रदेश में क्या घट रहा है इस बजट में बोलने के लिए कुछ नहीं बस इतना ही है बजट में। उन्होंने कहा उसको मान लिया क्या न्याय योजना के लिए 200 करोड़ रूपया वे रखे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- जब बोलने लायक नहीं है तो क्यों बोल रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप ऐसा कमेंट मत करियें।

अध्यक्ष महोदय :- है नहीं कुछ बोलने तो क्यों बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार कैसे काम कर रही है। मैं पहली बार ऐसा देखा माननीय अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ा भी, सुना भी, पोस्टर भी देखा शहर में। दो साल से 16 हजार करोड़ रूपये से सड़क बनेंगे। इसमें तो कहीं नहीं दिखता 16 हजार करोड़। ऐसा विज्ञापन हमने देखा नहीं हैं। मैं कल बात कर रहा था कि मैं व्यवस्था का प्रश्न लूंगा, मैं छत्तीसगढ़ी में बोलूंगा। आपसे भी आग्रह किया था कि छत्तीसगढ़ी में बोलूंगा तो विलोपित मत हो। आपने उसको भाषा स्वीकार की है या आपने उसको संसदीय कार्य की भाषा स्वीकार की है और उसकी नियमावली नहीं बनाई है तो आप विलोपित मत करियेगा। क्योंकि मैं उन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। आपने कोई व्यवस्था उसमें दी नहीं है और व्यवस्था देंगे तो मैं अभी-भी मान लूंगा। अब ये बताईये 16 हजार करोड़ का ये कब बनेगा, कैसे बनेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- आप छत्तीसगढ़ी में बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो कहां है गृहमंत्री जी।

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ी में बोलिये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- गृहमंत्री जी, राम वन पथ गमन का थ्री डी। क्या थ्री डी है भईया दिखा दो ना। इतना सारा विज्ञापन लगाने की जरूरत क्या है। कितना पैसा बजट में है ? कितना पैसा डी.पी.आर. बना ? कितना क्या हुआ ? तो जब बजट प्रश्न पूछते हैं तो अभी कन्सल्टेंट नियुक्त हुए हैं दिल्ली के फलाना आदमी तो उसको इतना पैसा पेमेंट किया है। तो क्या हम लोग विधायक चुनकर आये हैं तो उनके थ्री डी पिक्चर को देखने आये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ी बोल ना ग।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये तो सरकार झुनझुना हिला रही है। नत्थक नाक कटाये, सवा हाथ बाढ़े कहिथे।

अध्यक्ष महोदय :- ये असंसदीय नहीं मान रहा हूं मैं। (हंसी)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- छत्तीसगढ़ी मा बोलहु न।

श्री अजय चन्द्राकर :- ईही हे। 16 हजार करोड़ के सड़क बनही, थ्री डी पिक्चर देखबो। जा ना देख ना थ्री डी पिक्चर ला कैसे बनही मोला मत बता।

श्री शिव कुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी इसको विलोपित करवाईये। उल्टा सीधा बोल रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसे विलोपित करवाने में मेरी घोर आपत्ति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरा कुछ कौतुहल है। आप मेरे नेता है, सदन के नेता है। आपने कहा सारे विधायक मेरे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, कौतुहल का छत्तीसगढ़ी में बोलो ना यार।

श्रीमती संगिता सिन्हा :- माननीय जी, छत्तीसगढ़ी में बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या ? बीच-बीच में बोलहु ना साहब।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, कौतुहल का मतलब लकलकाहा है।**(हंसी)**

(उच्च शिक्षा मंत्री) श्री उमेश पटेल :- भैया, कौतुहल के माने सुरसुरी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ कौतुहल है। जैसे आप सचिन तेंदुलकर से हाथ मिलाये तो आपको कैसा लगा ? आपको जो पठान बंधु आये थे, इरफान पठान, युसुफ पठान उनका खेल अच्छा लगा कि सहवाग का खेल अच्छा लगा। आप सेल्फी खींच रहे थे। आप बताये होते सेल्फी खीचूंगा तो मैं भी आ जाता। आपके साथ सेल्फी वाह। क्या बात है, मैं खुश हो जाता।

डॉ. शिवकुमार डहरिया:- अरे भईया, तें करिना कपूर से हाथ मिला सकथस।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तें मुख्यमंत्री बनबे। माननीय मुख्यमंत्री जी रोड शेफ्टी क्रिकेट का कहना चाहूंगा।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर साहब तो जोरदार सेल्फी खिंचे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया:- माननीय अजय जी, हमर जगह विडियो हे। तोर समय में तो ते हाथ मिला मिलकर, तें पीछू-पीछू घूमत रेहेस।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रोड शेफ्टी क्रिकेट का बता रहा हूँ कि जैसे क्रिकेट खत्म हुआ अभनपुर के आगे देवभोग में 6 झन झपा गे अउ मर गे। रेल में 6 झन कट के मर गे। रोज, अभी तीन झने और मर गये। रोड शेफ्टी क्रिकेट में जो आपने जलवा दिखाया। हम लोगों को भी बोल देते तो सचिन से हाथ मिलाते आपको देखते तो हमारा गर्व से सीना फूल जाता कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सचिन से हाथ मिलाया और सहवाग को देखा। क्या बात है ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अभी जलन होवत हे का ? ओ हा हाथ मिलाईस ता?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय चंद्राकर जी ला बाटी, भौंसा, गिल्ली, क्रिकेट सब से एलर्जी हे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे):- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी सचिन तेंदुलकर से हाथ मिला लिये तो उनको जलन हो रही है और 15 सालों में करीना कपूर के पीछे-पीछे घूमते थे तो ?(हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए-चलिए आते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तब आपको जलन होती थी।(हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपकी ओर धीरे से आ रहा हूँ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अजय भाई, डॉ. रमन सिंह जी अकेले करीना के साथ सेल्फी ले रहे थे तो बगल वाले को तकलीफ हो रही थी। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब तो आपने करीना का प्रावधान ही खत्म कर दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे कौतुहल को तो शांत करने दीजिए। (हंसी) माननीय मुख्यमंत्री जी आपने पहले विनियोग में कहा था उसके बाद तो अभी विनियोग का अवसर आ रहा है। आपने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री निवास में 40 दिन बाद प्रवेश कर रहा हूँ। माने आप दिनों को गिनते हैं। अब निकलने में आपके कितने दिन बाकी है, आप यह बता दीजिए? उस समय तो घुसने के टाईम को बताये कि 40 दिन में मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश किया हूँ तो वहां से अब निकलने में कितने टाईम है?

श्री अरूण वोरा :- 20 सालों में कितने दिन होते हैं, आप हिसाब लगा लीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया:- माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम बीस साल।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अजय जी, सुनिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या है निकलने की एक बात तो तय हो गई कि 17 लोगों को टी.एस. बाबा साहब नहीं निकाल पायें। यह बात तो तय हो गई।

श्री भूपेश बघेल :- आप आपस में बात कर लीजिए, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करके खड़ा हुआ हूँ। माननीय अजय जी, इन लोगों को अर्थ का अनर्थ करने की ट्रेनिंग है मतलब 15 सालों में सी.एम. हाऊस में ऐसा क्या इकट्ठा कर लिया था, जिसको समेटने में 40 दिन का समय लगा। सवाल इस बात का था। मुझे जाने आने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो परिवार अभी भी रहते हैं। मैं अकेले ही रहता हूं ।

श्री ननकीराम कंवर :- आप अकेले क्या करते हैं, यह किसको पता ? (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे चेक करने के लिए बीच-बीच में माननीय ननकीराम कंवर जी आ जाते हैं। (हंसी) ननकीराम कंवर जी गाहे बगाहे आते रहते हैं। अजय जी आौर शर्मा जी तो बहुत कम आते है, लेकिन कंवर जी जरूर आते हैं। शायद चेक करने के लिए आते होंगे।

वाण्ज्यिक कर मंत्री(आबकारी)श्री कवासी लखामा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, ननकीराम कंवर आकर बीजेपी का पूरा पोल बता कर जाते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया:- माननीय अध्यक्ष महोदय, ननकीराम कंवर जी के बात सुनकर एइसे लागिस कि पुराना खण्डहर भी बताथे कि अभी किला मजबूत हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोर किला मजबूत हे तेखर चर्चा बहुत हे। मैं आपको बधाई दे देता हूँ। आप मात्र 40 लाख रूपये में चुनाव लड़ लिये। आपका नाम सिर्फ 40 लाख रूपये में आया था, चुनाव के समय डहरिया जी को 40 लाख रूपये दिये हैं। आप 40 लाख में ही चुनाव लड़ लिये, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आापने कितने में चुनाव लडा, वह भी बताईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ।

अब अवसादग्रस्त मंत्रिमण्डल क्यों बोला, मैं उसको बता देता हूँ। आपके पीछे अनिला भेड़िया जी बैठी हैं उसके रिश्तेदार का मर्डर हो गया, गृहमंत्री जी के भतीजे मर गये। छछानपैरी की घटना अभी हल ही नहीं हुई है। यहां पाटन में सामूहिक आत्म हत्या हो गई। बोधराम कंवर के परिवार में तीन लोग मर गये ।समझ रहे हो, यह लोग मर गये । आप अपने परिवार, अपने विचारधारा के लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं गृहमंत्री को माननीय मुख्ययमंत्री कर देंगे आत्महत्या की घटनाओं के लिए, किसान की आत्म हत्या के लिए, सामूहिक आत्महत्या, एक्सीडेंट के लिए, दुर्घटना के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी बात के धनी है, उससे जो गोबर चोरी हुई है वे उनको गोबर चोरी के लिए बस माफ नहीं कर सकते। आज छपा है 12 लाख की ठगी, आज तीन लोगों का मर्डर छपा है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, मैं तो आपसे मांग करूंगा कि जब हम स्थगन ध्यानाकर्षण देते हैं तो हर रोज हमको पूरक लगाने की अनुमति दी जाए, एक पत्ता और जोड़ेंगे। हम दो दिन पहले का लगाते हैं पता चलता है कि दो दिन में और अपराध घट गया है तो फिर अकबर जी बोलते हैं कि जब तक आपने दिया है तक का हम उत्तर देंगे। यहां तो रोट घटनाएं हो रही है। आप स्थायी व्यवस्था दीजिए कि अध्यक्ष के स्थायी आदेश में की प्रतिदिन आप उसमें एक पूरक पत्र जोड़ सकते हो, एक्सीडेंट, आत्महत्या जितने प्रकार की दुर्घटना हो रही है सबको जोड़ सकते हैं। आप नहीं थे, मैं आपसे दूसरे विषय में बात ही नहीं कर सकता। आप गोबर चोरी नहीं रोक पा रहे हो बाकी क्या रोकोगे।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- दिमाग में पूरा गोबर भर गया है। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। मैं विधायक हूं, आपके अंदर सामान्य प्रशासन है, एक वाट्सअप आता है। एक फोन भी नहीं आता कि आप अतिथि हैं आपको यहां इतने बजे उपस्थित होना है। नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, दौरा में जाते हैं तो एक आदमी मिलने नहीं आता है, एकाध तहसीलदार आ जाए तो बहुत है जितने जनप्रतिनिधियों के सम्मान के लिए आपके सामान्य प्रशासन विभाग ने जितने निर्देश जारी किये हैं, आपने ही मुझको बताया था, पोंगरी बनाकर भर लो पटवा जी बोलते थे करके। वह सारे निर्देश को पोंगरी बनाकर उचित स्थान में रख दो। उसका जो स्थान उचित हो। आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। जब 15 साल की गिनती करते हो ना तो आपको यह पीड़ा है, हम सही करते थे या गलत करते थे नहीं मालूम, पर संस्थाओं का अवमूल्यन यदि आप करवाओगे तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष जी, संस्थाओं को अवमूल्यन तो कोई भारत सरकार से सीखे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेलवे, एयरपोर्ट, सबका किस प्रकार से नियम की धज्जी उड़ाकर उसका निजीकरण किया जा रहा है, वहां जाकर देखें कि अवमूल्यन कैसे होता है।

श्री अजय चंद्राकर :- अच्छा, अब आपकी तरफ आ जाता हूं। थोड़ी देर में पूरा आऊंगा। अभी आपका कान सुनाई देने पड़ रहा है ना। आपका कान सुनाई देता है ना। आप शराब के प्रश्न में तो बोल रहे थे कि मेरा कान सुनाई नहीं पड़ रहा है। अब सुनाई देने लगा है।

श्री अमरजीत भगत :- हां।

श्री अजय चंद्राकर :- अब सुनाई दे रहा है तो ठीक से सुनो। आपके पास दो निर्वाचित सांसद हैं, दो राज्यसभा में हैं, केन्द्र सरकार ऐसा कर रही है तो आप बोलिए जिन विषयों को बोलना है, बिल्कुल बोलिए लेकिन केन्द्र सरकार के विषय यहां नहीं आते। आपके पास सांसद हैं नहीं हैं तो नेता प्रतिपक्ष कार्यालय में लिखकर भेज दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- अभी आप जो बोल रहे थे और माननीय बृजमोहन जी आई.पी.सी. और सी.आर.पी. का हवाला दे करके भी बोल रहे थे कि इंट्रोड्यूज नहीं हो सकता। उसी के संदर्भ में मैं आपको बोल रहा हूं कि कृषि राज्य का विषय है लेकिन जब सेंट्रल एक्ट बना रहा था तो केन्द्र राज्य से बिना परामर्श लिए एकतरफा कैसे बना दिया यह बताईये। इसको संस्था का अवमूल्यन बोलते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- बोल लिए ना, ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब राजसत्ता की गर्मी क्या होती है, राजसत्ता शिवरतन शर्मा से शुरू होती है, 120 मानहानि राजद्रोह जो-जो होता है, फिर रमन सिंह आते हैं, फिर बाबा रामदेव आते हैं, फिर अर्नव गोस्वामी आते हैं, फिर सुब्रमणियम स्वामी आते हैं और तमाम लोग आते हैं।

श्री मोहन मरकाम :- 15 सालों तक कैसे हमारे सदस्यों के ऊपर आरोप लगाया, आज भी केस चल रहे हैं। आप किसकी बात करते हैं। आपने जिस ढंग से 15 साल सत्ता का दुरूपयोग किया इसीलिए

आज 14 सीटों में सिमट गये हैं। उस बात को भी बोलो। इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने आप लोगों की यह दुर्गति की है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मरकाम जी, वह दिन ज्यादा दूर नहीं है, जो गति राजा साहब की हुई उस गति को प्राप्त करोगे। ज्यादा दिन नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- आपकी ओर आ रहा था। आप कोण्डागांव के थाना में सबसे पहले रिपोर्ट करवाने का नेतृत्व करते हैं। ओबामा जी के खिलाफ भी करवाईए। राहुल गांधी जी के खिलाफ द प्रामिस लैंड उसकी किताब है, उसमें खिलाफ लिखा है। आप यहां से निकलकर सीधा कोण्डागांव जाओ और रिपोर्ट करवाकर आकर बताओ हम लोगों को सदन को सूचना दो तब मानूंगा आप कांग्रेस की सिपाही हैं, वे प्राईवेट लिमिटेड के ईमानदार वर्कर हैं करके । माननीय अध्यक्ष महोदय, अब गुस्सा आता है । मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष जी ये बोलते हैं कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ी । छत्तीसगढ़ की परिभाषा यदि मैं उसी को मान लूं जो मुख्यमंत्री जी ने खूबचंद बघेल जी की जयंती में छपवायी थी, सरकार ने तो तय नहीं की है, उसको तो नारे के तौर पर उपयोग कर रहे हैं । जय सिंह अग्रवाल जी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्या आता है ? अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा आता है, आपने सईद मिर्जा की पिक्चर देखी थी ? वह दिलीप रात्रे फांसी लगा लेगा, आप देख लेना । हम तो गाली खाने के लिये पैदा हुए हैं, गुस्सा मत हुआ करें । आम आदमी को गाली-गलौज मत किया करें, मंत्री होते हैं तो गाली-गलौज नहीं करते।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- कोई गाली नहीं दी, आप गलत आरोप लगा रहे हैं ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अजय भाई, आपने श्री जयसिंह जी के ऊपर तो बोल दिया लेकिन आप अपने ऊपर नहीं देखते हैं कि आप मंत्री थे तो उल्टा टांग दूंगा, सीधा टांग दूंगा, क्या-क्या करूंगा, आप क्या बोलते थे ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- ये ऐसे ही टांग दूंगा बोलते थे तो जनता ने इनको टांग दिया ।

श्री अमरजीत भगत :- आपके लिये सब छूट है ।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, विधेयक पर चर्चा हो रही है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक पर तो 105 करोड़ के छोड़ कुछ नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- बस छोड़िए फिर दूसरे को बोलने दीजिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग और विधेयक पर साथ-साथ चर्चा होती है । आपने कहा है, आज तक हुई है । मूल बजट भर में विनियोग और विधेयक पर अलग-अलग चर्चा होती है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को खर्च करने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाये इसके बारे में बोल रहे हैं कि इस सरकार में क्या-क्या हो रहा है और इसके कारण इनको पैसा नहीं दिया जाये और विनियोग विधेयक पर इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं और हमेशा होती रही हैं और ये सरकार की कमियों को बता रहे हैं इसलिए इनको बोलने का पूरा अधिकार है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत जोर-जोर से हमने एमओयू टाटा के लिये एकदम दोनों स्ट्रेस करके बोले थे, टाटा के लिये ही अधिग्रहित की गई थी, टाटा के नाम में नहीं चढ़ी थी । बस्तर के लैण्ड बैंक को समाप्त कर दिया, अब आपने एमओयू किया है तो बस्तर में भी एमओयू हुए हैं तो क्या वह हवा में लगेंगे ? बताईये वह उद्योग कहां लगेंगे ? बताइए बिना जमीन अधिग्रहण के, बिना आदिवासियों की जमीन खरीदे, बिना कुछ किए बस्तर में हवा में लगा है । यह आपका अंतर्विरोध है और वे बस्तर की बात करते हैं वे घुस नहीं पाते । वे तो [XX][2] हैं, दस्तखत करने का [XX] । जितना पैसा [XX] मिलता है बता देना ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, घोर आपत्तिजनक है । इस प्रकार का आरोप कि [XX][1] हैं यह घोर आपत्तिजनक है इसको विलोपित कराईए ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको थोड़ा डराना । ये हम लोगों को कमजोर वर्ग है बोलकर क्या कुछ भी बोल देगा ? फलाना-ढकाना । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- इसको विलोपित कर दें ।

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे आज लगातार सुबह से गुमराह करने का ही प्रयास कर रहे हैं ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, [XX] शब्द आपत्तिजनक है । (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- मैं जनता के बल पर आया हूं, अजय चंद्राकर जी आपके दम पर नहीं आया हूं ।

श्री देवेंद्र यादव :- यह क्या तरीका है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग यहां पर विषय पर बात करने के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं और ये सदन को गुमराह कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- दादी, आप कैसे कमजोर पड़ जाओगे ? (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- ये अजय चंद्राकर जी ऐसा क्यों बोलते हैं ? यह आपके कुरूद के जैसा गुण्डा-गर्दी यहां विधानसभा में नहीं चलेगा । लड़ना है तो फिर बाहर जाकर दोनों लड़ेंगे । (व्यवधान) यह सब धमकी मत देना । (व्यवधान)

---

[2] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपकी गाड़ी तो सिग्नल जल्दी लेती है, आप कैसे कमजोर हो जायेंगे ? (व्यवधान)

श्री देवेंद्र यादव :- यह आदिवासियों का अपमान है ।

श्री कवासी लखमा :- मतलब क्या इस प्रकार की बात करेंगे ? क्या इसको अधिकार दिया है ? यह विधेयक पर बात कर रहे हैं कि मेरे ऊपर बात कर रहे हैं, नहीं तो फिर लड़िए । चलो, बस्तर में जाकर लड़ते हैं । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरे मंत्रिमण्डल के ऊपर बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप बोल लीजिए फिर बोलूंगा ।

श्री कवासी लखमा :- मतलब ये व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं । (व्यवधान) पहले श्री जयसिंह अग्रवाल जी को बोले । क्या चुन-चुनकर एक-एक मंत्री लोगों को इनको गाली देने का अधिकार है ? जब ये मंत्री थे तो कैसे करते थे ? सबको डांट रहा था, मैं देख लूंगा । (व्यवधान)

श्री देवेंद्र यादव :- यह घोर आपत्ति का विषय है । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका तो वही हाल है । बहुत बुरा हाल है । ये अवसाद में हैं, इनका यही हश्र है । (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- यह लोकतंत्र है बोलकर दुरूपयोग नहीं करना है । (व्यवधान)

श्री देवेंद्र यादव :- ये माननीय मंत्री जी का अपमान कर रहे हैं, आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं इसे सहन नहीं किया जाएगा । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- न नेता प्रतिपक्ष बने, न प्रदेश अध्यक्ष बने इसीलिए अवसाद में हैं इसीलिए कुछ-कुछ बोलते रहते हैं । (व्यवधान)

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे आदिवासी मंत्री का अपमान है, हम बिल्कुल नहीं सहेंगे । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मैंने सभी बातों को विलोपित कर दिया है, शांति से रहिए । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- हम बिल्कुल नहीं सहेंगे।

श्री कवासी लखमा :- आदिवासी लोग भी हमें देखेंगे। हम लोग उस परिवार के हैं करके कुछ भी गाली दोगे, कुछ भी बोलते रहोगे। विधान सभा में बात करोगे या किसी को व्यक्तिगत बताओगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी ने विलोपित कर दिया है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शब्द वापिस लें। इस पर माफी मांगनी चाहिए। सम्मानित साथी के लिए इस तरीके से विधान सभा के अंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर इन्हें माफी मांगनी चाहिए।

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी 5 बार चुनकर आये हैं। वे जनप्रतिनिधि हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। आप उनके लिए ऐसा शब्द बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम दोनों साथ-साथ लड़े हैं। चलिए, तनख्वाह प्राप्त मंत्री हैं, [XX][3] नहीं हैं। मैंने सुधार दिया। मैंने तनख्वाह प्राप्त बोल दिया न। [XX] नहीं हैं। मैंने आपकी भावना का सम्मान कर लिया।

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन, आप यह भी बोले हैं कि बस्तर में हवा में उद्योग लगेंगे। उसमें भी आप माफी मांगिए। हवा में उद्योग कैसे लगेगा?

श्री कवासी लखमा :- क्या यहां तनख्वाह का भी भाषण होता है?

संसदीय सचिव, वन मंत्री से संबद्ध (श्री चंद्रदेव प्रसाद राय) :- यह तनख्वाह वाला शब्द भी गलत है आपका।

श्री कवासी लखमा :- क्या यहां तनख्वाह का भी भाषण होता है? तुम तनख्वाह लेते हो या नहीं लेते हो? आप लेते हैं या नहीं? मैं आपके तनख्वाह की बात करूं?

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, मैं तनख्वाह लेता हूं।

श्री कवासी लखमा :- क्या मुझे ज्यादा तनख्वाह मिलता है क्या? आपको कम मिलता है क्या? क्या तनख्वाह के बारे में भी विधान सभा और लोक सभा में बात होता है? तनख्वाह की बात और [XX] की बात होगी, तब इसमें बात होगी। मैं केवल तनख्वाह लेता हूं क्या? आप तनख्वाह नहीं लेते क्या? क्या आप फोकट में नौकरी कर रहे हो? आप नेतागिरी कर रहे हो क्या? जितने लोग बैठे हैं, सब तनख्वाह ले रहे हैं। मैं ही ले रहा हूं क्या? आप तनख्वाह लेते हो या नहीं लेते हो, यह बताओ। तनख्वाह नहीं लेना है क्या?

श्री अजय चन्द्राकर :- तनख्वाह लेते हैं न।

श्री कवासी लखमा :- तनख्वाह नहीं लेना है क्या?

श्री अजय चन्द्राकर :- लेना है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें माफी मांगनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा बहक रहे हैं। चलिए, अब खत्म कर दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- देखिए, साहब, मैं बहक नहीं रहा हूं।

---

[3] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अध्यक्ष महोदय :- सरक रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिए, अब आपकी बात का खण्डन नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय :- मैं यह कह रहा हूं कि अब समाप्त करिए।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- छत्तीसगढ़ में आये, बाये, साये हो जाथे। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं 2-4 मिनट में खत्म करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब बैठे थे तब मैंने कहा, मैं मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जैसे संस्थानों पर बात नहीं करता। आरोप नहीं लगाता। जो चीज है।

अध्यक्ष महोदय :- आप उच्च क्वालिटी की बात करिए न।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब जलजीवन मिशन। जलजीवन मिशन को केबिनेट स्वीकृत करती है और केबिनेट ने ऐसी क्या गलती कर दी कि फिर उसे निरस्त करके जिले में भेज दी और परियोजना दो साल लेट हो गयी। यह पहली घटना है और इसे भी हमें जानने का अधिकार नहीं है कि प्रदेश स्तर पर लागू होगा और उसमें सब एक साथ होंगे। केबिनेट पारित..।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) :- अजय जी, आप प्रश्न लगा लीजिए। ध्यानाकर्षण लगा लीजिए और रही केबिनेट की बात तो आप भी मंत्री रहे हैं । केबिनेट में कई गोपनीय फैसले ऐसे होते हैं कि उसे बताया नहीं जाता। शपथ लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग किताब पढ़ रहे थे न।

अध्यक्ष महोदय :- आपको हर बात में जवाब मिल रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए इन सब बातों को छोड़ देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आरीडोंगरी है, आरीडोंगरी में जितने चालान, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट गारंटी होती है, वह मैनुअली जमा होगी और बाकी सब प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उस समय आई.बी.एम. (indian bureau of mines) का रेट 4200 रूपया था। जिस कंपनी को दी गई, वह 2100 रूपये में दी गई। ड्राफ्ट एक ही जगह जमा होगा। मैनुअली जमा होगा। मैं क्या आरोप लगाउंगा। मैं तो बोल दिया हूं कि मैं आरोप नहीं लगाउंगा। अब एक आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए हम आपके हाने सुनेंगे, मुहावरे सुनेंगे। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढिया और छत्तीसगढ़ी। समझ रहे हैं और बाकी संसाधन दूसरे के लिए। उसके लिए उधर लड़ाई नहीं होगी। उसके लिए मेरे ऊपर टिप्पणी नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, यदि आई.बी.एम. रेट को कम करता है तो सप्लाई के भी रेट कम होंगे, पर उसका 2100 रूपये ही रहेगा। उसका कम नहीं होगा। परिवहन भी वही करेगा। गांव वाले नहीं करेंगे। अब मैं किसके ऊपर आरोप लगाउं ? मैं तो संस्था के ऊपर नहीं लगाउंगा। ये संस्था है, ये हमारे नेता हैं, लेकिन चूंकि खनिज विभाग है, यदि मैं असत्य हूं, जांच के लायक बनता है। कौन आदमी है तो बिल्कुल उसकी जांच होनी चाहिए। यह स्थापित तथ्य है। मैं आज के एक प्रश्न के उत्तर को पढ़ देता हूं। भाई अमरजीत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ

जोड़कर मैं विनती करता हूं। मैं अपनी सारी भाषा बदल देता हूं। आप देखिए, वर्ष 2019-20 का 91 हजार एक टन अभी मिलिंग के लिए बाकी है, कोई कार्यवाही नहीं । किसी के ऊपर एक कार्यवाही नहीं । 3 साल की मिलिंग बाकी रहेगी तो कौन सभ्य आदमी, कौन इधर के जागरूक आदमी, मेरे भाई आदरणीय कवासी लखमा जी भी सहमत नहीं होगे । बेचारे, जो पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, उनकी उत्तेजना अपनी जगह है । आज के 22 नम्बर प्रश्न के उत्तर में है पढ़ लीजिए, कोई कार्यवाही नहीं । अब उसके बाद देखिएगा । इस साल के 2 लाख 28 हजार टन धान उपार्जन केन्द्रों में रखे हैं और 15 लाख 66 हजार टन संग्रहण केन्द्रों में रखे हैं । अब आपने धान को बेचने के लिए केबिनेट की कमेटी बनाई । 2500 रूपए का धान अगर आप चार बार में देंगे तो 1400 रूपए, साढ़े तेरह सौ रूपए, जो भी रेट किया । इसके परिशिष्ट को देख लीजिए, तीन कंपनियों को चावल बेचे गए, धान बेचने के लिए आपने केबिनेट कमेटी बनाई । 34 रूपए भारत सरकार की दर है 22 रूपए में फिर एक नेता के रिश्तेदार को बेचा गया, यह आरोप है मेरा (शेम शेम की आवाज़)।

श्री अमरजीत भगत :- आपको गलतफहमी है कि आप बहुत किताब पढ़ते हैं, जानकारी बहुत ज्यादा रखते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह विधान सभा की प्रश्नोत्तर सूची है, ये लीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- ये जितना भी है, इसके लिए भी जिम्मेदार आप ही लोग हैं । अगर केन्द्र ने 60 लाख टन चावल लेने की सहमति दी थी तो छत्तीसगढ़ का चावल लिया क्या ? उस समय तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकली । जब यहां पर बारदाना नहीं मिल रहा था उस समय आपके मुंह से एक आवाज नही निकली । जब छत्तीसगढ़ का धान नहीं खरीदा जा रहा था उस समय आपके मुंह से आवाज नहीं निकली ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बोल लिए ना आप । माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आप 60 लाख टन की बात करते हैं, मैंने तो नहीं सुना, चलिए आप सही बोल रहे होंगे, आपके मंत्री सही बोल रहे होंगे । 2018-19 में 26 लाख टन आपको देने के लिए कहा गया तो ये क्षमतावान् मंत्री 24 लाख टन क्यों दिया, 26 लाख टन क्यों नहीं दे सका । 91 हजार टन अभी तक क्यों बाकी है ?

श्री अमरजीत भगत :- 26 लाख टन भी, अभी तक आपके द्वारा जमा किये गये चावल से सबसे ज्यादा है । आप लोगों ने 15 सालों में कभी उतना जमा नहीं किया है, कोविड पीरियड, केन्द्र की आपत्ति के बाद भी इतना जमा किया है तो आप लोग उसके सामने कहीं नहीं लगते हो ।

श्री ननकीराम कंवर :- आपकी क्षमता तो मालूम हो गई है कि कितना मिलिंग कराते हो, कितना धान खरीदते हो ।

समय :

2:53 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)**

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है । इस साल की धान खरीदी, चावल को बेचने की, अब आपको बता दूं सी.एम.आर. में एक साल ज्यादा पुराना धान, चावल के लिए नियम से नहीं दे सकते । पिछली बार मैंने आपको कहा था कि नियम रखवा दीजिए तो आपने आधे घंटे की चर्चा मांगी थी। आज यदि 2018-19 का धान 91 हजार टन प्रचलन में है कह रहे हैं तो उसको खाएगा कौन ? आपने बिना इसके जो नान का कोटा बढ़ा दिया, उतनी जरूरत नहीं है 3 महीने का बफर स्टॉक रखोगे तो भी उतनी जरूरत नहीं है । यदि उस सड़े हुए धान को छत्तीसगढ़ की जनता को आप खिलाते हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है और 50 हजार टन से तीन लोगों को जितना भी बेचा गया, मैं दोहराता नहीं । लेकिन ये लोक धन की क्षति है । यदि आपको एथेनॉल नहीं मिल रहा है, आपको अन्य चीजें नहीं मिल रही हैं तो मैं इस बात से सहमत हूं या असहमत हूं यह बाद का विषय है ।

श्री अमरजीत भगत :- अजय भाई, जब भारत सरकार ने एफ.सी.आई. ने 2200 रूपए का रेट खोला है । उसमें तो आपको आपत्ति नहीं हुई और अगर उसी रेट पर यहां पर ऑक्शन हुआ तो आपको क्यों आपत्ति हो रही है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, खत्म कर रहा हूं ईशारा मत कीजिए ।

सभापति महोदय :- अजय जी, वैसे भी समय हो गया, अध्यक्ष जी टिक करके गए हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी विद्वान् हैं । आपकी भी मैं प्रशंसा करता हूं, आलोचना नहीं करूंगा कभी । लेकिन एक बात बता देता हूं कि ये वानिकी फसल, ये फसल विकल्प नहीं है । फसल के विविधिकरण के लिए कौन से जिले में किस तरह की फसल हो सकती है, एक व्यापक कार्ययोजना की जरूरत है यदि छत्तीसगढ़ को बर्बादी से बचाना है तो । यदि आपको राजनीति करनी है धान खरीदना है, उतना देना है तो छत्तीसगढ़ के किसानों को...।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय मुख्यमंत्री जी, इनकी बिल्कुल नहीं मानना है। 15 साल तक रमन सिंह को सलाह देते रहे कि डीज़ल नहीं अब खाड़ी से, डीज़ल निकलेगा बाड़ी से । अरबों रूपए बर्बाद किये, यही सलाहकार हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मंत्री जी, धन्यवाद् दो ये लोग रतनजोत नहीं लगाते तो आप उधर बैठते नहीं । रतनजोत के कारण उधर बैठ गए, आप तो धन्यवाद् दीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति जी इनका बिल्कुल नहीं मानना है 15 साल तक रमन सिंह को सलाह देते रहे कि डीजल नहीं है अब खाड़ी से डीजल निकलेगा बाड़ी से अरबों रूपये बर्बाद किये, यही सलाहकार है।

श्री केशव प्रसाद चंद्र :- मंत्री जी धन्यवाद वो रतनजोत नहीं लगाते तो बैठते नहीं, वो रतन जोत के कारण ओती बैठ गेहे धन्यवाद देवा अब।

सभापति महोदय :- चलिये टोका-टोकी न करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट में खत्म कर रहा हूं मैं।

माननीय साहब किसान के बच्चे को बिजली भी चाहिये, पढ़ाई भी चाहिये, सड़क भी चाहिये, स्कूल भी चाहिये 2500 रूपये भर का दर्पण नहीं चाहिए आपने अपने राजनीतिक कारणों से किया है पर छत्तीसगढ़ के लांग टर्म के लिए इस पालिसी पर चिंतन करने की जरूरत है अब माननीय अकबर साहब मेरे हमसाया मेरे मूसर्रफ, मुसरिफ आपसे विनती है आप कानून के ज्ञाता है आप बोलते हैं कि कोई अधिकार नहीं है आपकी बहन शकुन्तला देवी मुझे विधायकों के खिलाफ बोलने में अच्छा नहीं लगता संसदीय सचिव है बैठक ले रही हैं माननीय चिंतामणि महाराज बैठक ले रहे हैं अरूण वोरा जी मेरे विधायक साथी है क्या बयान आता है उसका कोरोना के समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौ दाहगृह बनाया उससे दुर्ग की जनता को बहुत राहत मिला, अब आप बताइये।

सभापित महोदय:- चलिये अब समाप्त कीजिये।

श्री अमरजीत भगत :- ये बताओं एक मिनट, अगर आप वहां पर सौ गृह बनाया वहां के लोगों को राहत मिला इसमें आपको आपत्ति है और उत्तरप्रदेश में गंगा जी में जब अनगिनत लाश जब बह रही थी बिहार और यूपी में पूरे हिंदुस्थान का नाम खराब हो रहा था उस समय आपको खुशी हो रही थी अगर यहां के लोगों को ससम्मान अंतिम संस्कार किया जा रहा है तो उसमें आपको आपत्ति है और हिंदुस्तान के उत्तरप्रदेश और बिहार में जो स्थिति निर्मित हुआ उसमें आपको खुशी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- जाना ना या चल दो उत्तरप्रदेश।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं खत्म करना चाहता हूं एक लाइन बोल के।

सभापति महोदय :- चलिये अमरजीत जी, चलिये समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- कोरोना पर एक लाइन बोलता हूं साहब, उसके बाद समाप्त करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की है कि हम कोरोना का टीका लगवाएंगे ठीक है जो भी भाषा में थी बीच में माननीय रविन्द्र चौबे जी गये कमिश्नर साहब के पास, राज्यपाल के पास कोरोना में हमको फ्री वैक्सीन चाहिए वैक्सीन में भी जांत-पांत और आरक्षण करनी वाली सरकार एक और उसके बाद बता दूं माननीय सभापति महोदय फिर समाप्त करूंगा 575 करोड़ रूपया तो दो शेष में जमा हो गया जिसको मैंने पटल पर रखा है आज तक यह बताने को तैयार नहीं है कि शेष किन परिस्थितियों में लगता है उसका उपयोग क्या होता है उसका नियम बनाइये कोई बताने को तैयार नहीं है कर्मचारियों के एक दिन के पैसे कांटे गये साढ़े 3 सौ करोड़ रूपये उसी लिए कहां गये किसी को पता नहीं है 182 करोड़ रूपया हम लोग (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिये अब समाप्त करये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव:- ये जरूरी था जानकारी देना नगरीय में करना था इसलिए जरूरी था।

सभापति महोदय:- चलिये संतराम नेताम जी। माननीय मंत्री जी टोका-टोकी न करें, चलिये आप समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी 182 करोड़ रूपया हम लोगों के (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अजय भाई आपका उमर कितना है अचछा उमर कितना है पूछ रहा हूं, मैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे यार पहले बोलने दो अब आप मना करते हैं वो टोकते हैं।

सभापति महोदय :- चलिये अमरजीत जी।

श्री अमरजीत भगत :- आप देखे होंगे खसरा का टीका आप देखे होंगे वो पोलियो का टीका आप देखे होंगे तमाम प्रकार का टीका कभी भी हिंदुस्तान में पैसा नहीं लिया जाता था ये पहली बार हिंदुस्तान की सरकार टीका का पैसा वसूली है।

सभापति महोदय:- चलिये अमरजीत जी बैठ जाइये।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब मैं बता रहा हूं आपको मैं खत्म कर रहा हूं बालोद में, सूरजपुर में एक ही दिन में कलेक्टर मारा, एक ही दिन में एस.डी.एम. मारा, एक ही दिन में टी.आई. मारा दबंगई देखिये बालोद में खंभा में बांध के मारे कोई बोकरा-भात मांग रहा है कोई जशपुर में बकरी बेच के घुस दे रहा है सुकमा में प्रशासनिक दबंगई जनता को परेशान करना और ये सत्य हो रहा है एक लाइन ठेके का प्रशासन पी.एस. और मंत्री होकर सरकार होती है पहली बार आरोप लग रहा है जन सामान्य में चर्चा है कि कलेक्टर से लेकर उपर तक के अधिकारी ठेके में नियुक्त हो रहे हैं और भुगत रही है छत्तीसगढ़ की जनता कि बोकरा-भात चाहिये बकरी बेच के घुस दे के ये प्रशासन आप चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आपको अगर छत्तीसगढ़ का आदमी कहते हैं तो छत्तीसगढ़िया सबसे ज्यादा प्रताड़ित है और छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा लूट हो रही है और तीसरी बात ये ब्याज पटाने वाली सरकार है विकास इस सरकार से संभव नहीं है आपने अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय:- चलिये अब बैठ जाइये अजय जी। संतराम नेताम जी।

समय :

3:00 बजे

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा अनुदान मांग संख्या 1 से 79 के लिए 2485 करोड़, 59 लाख, 31

हजार, 700 रूपये की मांग की गई है, मैं उसका समर्थन करता हूं और सदन के सभी साथियों से निवेदन भी करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाये ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- संतराम जी, इस अनुपूरक को पास करने के लिए 70 सदस्य तो पर्याप्त हैं ।क्या उसमें भी बिखराव है ? इसलिए अनुरोध कर रहे हैं।

श्री संतराम नेताम :- मैं उसमें भी बोलूंगा । सभापति जी, हमारे प्रदेश में 80 प्रतिशत किसान जो खेती करते हैं, उनको हमारे मुख्यमंत्री जी पहले प्राथमिकता देते हैं । हमारे मुख्यमंत्री जी किसानों, मजदूरों के प्रति गंभीर हैं इसलिए उन्होंने अनुपूरक बजट की मांग की है । हमारे प्रदेश में विपक्ष के साथियों को इस सरकार की तारीफ करनी चाहिए, इस बजट को सर्वसम्मति से पास करनी चाहिए । इस बजट में एक सबसे बड़ी योजना राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषक न्याय योजना आ रही है । जो भूमिहीन हैं, जिनके पास खेती नहीं है, हमारे ऐसे किसान और मजदूर भाइयों के लिए इस योजना में 200 करोड़ रूपये का प्रावधान इस बजट में रखा गया है । इससे बस्तर में रहने वाले किसान, मजदूर जिनके पास भूमि नहीं हैं, ऐसे लोगों को हमारी सरकार आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, उनके परिवार को ऊपर उठाने के लिए योजना ला रही है और इस योजना से 15 लाख मजदूर किसान को लाभ मिलेगा । इसके पहले हमारी सरकार ने किसानों को 25सौ रूपये समर्थन मूल्य देने की बात अपने घोषणा-पत्र में लिखी थी । 25सौ रूपये समर्थन मूल्य देने का मतलब किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना था । हमारी सरकार की नीति, नियम, सिद्धान्त और विचार एक था । हम किसानों को मजबूत करना चाहते थे, पर केन्द्र में मोदी जी की सरकार ने बजट देने से मना कर दिया । मजबूरी में हमारे मुख्यमंत्री जी को एक निर्णय लेना पड़ा कि हमने वायदा किया है, हम किसानों को धोखा नहीं देंगे, किसानों को मजबूत करेंगे । उन्होंने एक योजना बनाई, जो भारत रत्न राजीव गांधी जी के पुण्य तिथि के दिन उस योजना को लागू किया गया और आज उस योजना के माध्यम से खरीफ सीजन 2019-20 में 18.38 लाख किसानों को 5628 करोड़ दिया गया, 2020-21 में 22 लाख किसानों को 5595 करोड़ रूपए दिए गए । इसका मतलब होता है कि इस प्रदेश में रहने वाले किसान और मजदूरों के लिए यह पैसा खर्च किया जाता है । इनकी सरकार के समय मैंने देखा, मैं उस समय राज्योत्सव में आया था । इनकी सरकार के समय में पैसे का कैसे दुरूपयोग होता था । करीना कपूर को बुलाया गया था, वह सिर्फ ठुमका लगा दी, उसको 50 लाख रूपये दिए गए थे, सलमान खान आया था, ऐसे ही टाटा, बाय-बाय कर दिया, उसको 50 लाख रूपये दिए गए। इस प्रकार से पैसे का दुरूपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जाता था । किसानों एवं मजदूरों के लिए यह पैसा खर्च करते तो यह लोग 14 सीट में नहीं सिमटते । इसी के कारण प्रदेश की जनता ने राज्योत्सव के नाटक को देखा, पैसे की बरबादी को देखा, करीना कपूर और सलमान खान को यहां पर बुलाकर नचवाया गया, ठुमका लगाते हुए देखे तो इसलिए जनता ने इनको नकारा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा विचार किया और सोचा कि यह पैसा दूसरे

प्रदेश में क्यों जाएगा ? उन्होंने सोचा कि यहां की संस्कृति, परम्परा, रीति-रिवाज, यहां के आदिवासियों की परम्परा, यहां की संस्कृति, यहां के लोक नृत्य, लोक कला मंच के लोगों को यहां के राज्योत्सव में पैसा दिया जाए तो इससे कहीं न कहीं हमारे प्रदेश के लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, उनकी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, उनको आगे आने का मंच मिलेगा, यह हमारी सरकार की सोच है । इसलिए इस अनुपूरक बजट में पैसे की मांग की गई है । इसको देना चाहिए । यह राशि गरीबों के लिए खर्च हो रही है ।

सभापति महोदय, कृषक भूमिहीन योजना बहुत बड़ी योजना है । जिस दिन यह योजना लागू हो जाएगी, उस दिन हमारे बस्तर, सरगुजा के लोग, हमारे प्रदेश के जिन कृषकों के पास जमीन नहीं है, सभापति महोदय, आप सोच सकते हैं कि यदि कोई आदमी भूखा है और उसको कोई भोजन करा देता है, यदि कोई प्यासा है और उसे कोई पानी पिला देता है तो उसके मन में कितनी खुशी होगी, वह सरकार के कितना अधिक खुश होगा, यह आप सोच सकते हैं। हमारी सरकार भूख मिटाने और पानी पिलाने का काम कर रही है। जब यह योजना लागू होगी तब आपको पता चलेगा। पहले की सरकार द्वारा 15 साल केवल प्रदेश के लोगों को लूटने का काम किया गया है, प्रदेश के मजदूरों को धोखा देने का काम, किसानों को धोखा देने का काम किया गया है। 2100 रूपया धान का समर्थन मूल्य देने की बात कहे थे। मैंने सन् 2013 में इनका घोषणा-पत्र देखा था, 300 रूपया बोनस देने की बात कही गई थी, आपने क्यों नहीं दिया ? जब हम कोण्डागांव में इस बारे में लड़ाई लड़ी, आर्थिक नाकाबंदी किए तो हमारे ऊपर अपराध कायम किया गया। हम लोग कोर्ट के पेशी में ऐसे जाते थे जैसे हमने किसी का मर्डर किया हो। हमको पुलिस ने गिरफ्तार करके पेश किया था। सभापति महोदय, हमें वह दर्द मालूम है। किसानों को क्यों समर्थन मूल्य और बोनस नहीं दिए ? क्यों असत्य बोले ? इसीलिए उस समय की सरकार को उनका वादा याद दिलाने के लिए आंदोलन किया था। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी नीति और किसानों के बारे में सोच थी। इसलिए अब इस सरकार को पैसा दिया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, किसानों का कर्ज माफ किया गया। घोषणा की गई थी कि अगर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले कर्ज माफ करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने फैसला लेने में देर नहीं किया। मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद राहुल गांधी जी दिल्ली नहीं पहुंच पाये थे, मुख्यमंत्री जी सीधे मंत्रालय जाकर 2 घंटे के अंदर 11 हजार करोड़ रूपये का कर्ज माफ करने वाली यह कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार की सोच है। ये क्यों सोच रखते हैं ? क्योंकि मैं जानता हूं कि उनका पाटन में खेत है। वे कृषक परिवार से बिलांग करते हैं। किसानों का दर्द, उनका भूख, कैसे रोपा लगाते हैं, कैसे खेती करते हैं, कौन से बीज में कितना पैसा लगता है, ये दर्द उनको मालूम है। इसीलिए किसानों का कर्ज माफ किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं कि इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे आकर बताये कि आपकी सरकार आने से मेरा 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रूपये तक कर्ज माफ हुआ है। वह किसान, जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेम्प्स की तरफ नहीं जाते थे, वे लोग बैंक की तरफ नहीं जाते थे। वहां से भागते थे। क्योंकि उनके रिकार्ड में वे लोग डिफाल्टर हो गये थे। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उन लोगों को एक मौका दिया है। उनको सम्हलने का एक मौका दिया है, उठने का एक मौका दिया है। अगर किसी व्यक्ति के घाव में मरहम लगाने का काम किया है तो हमारे भूपेश बघेल जी ने किया है। उनकी एक ही सोच है कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाये, हमारे मजदूरों को मजबूत किया जाये। जब उन लोग मजबूत होंगे, जब गांव का किसान मजबूत होगा, उसका परिवार मजबूत होगा तो निश्चित रूप से प्रदेश मजबूत होगा, यह हमारी सरकार की सोच है। सभापति महोदय, भावना अच्छी होनी चाहिए। पैसे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश की जनता देखती है कि कौन सी सरकार कैसा काम कर रही है। कौन सा विधायक कैसे काम कर रहा है। कौन सा विधायक अपने क्षेत्र की आवाज को सदन में जाकर रखता है और किस तरीके से समस्या को उठाते हैं, यह सरकार और विधायक की सोच होनी चाहिए। सभापति महोदय, अच्छा काम करना चाहिए और काम के लिए अच्छा पैसा देना चाहिए। चाहे जितना पैसा लग जाये, हमारे प्रदेश का विकास होना चाहिए, हमारे प्रदेश की गरीब जनता का विकास होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे बस्तर के लोग सबसे ज्यादा तेंदूपत्ता तोड़ते हैं। मेरे माता जी और पिता जी दोनों तेंदूपत्ता तोड़ने जाते थे तो मैं भी बचपन में उनके साथ जाता था। जंगल जाने के बाद कैसी तकलीफ होती है, यह मैं जानता हूं। पैर में कांटा चुभ जाता है और वहां से खून निकलता है। लोग सुबह से जाते हैं और शाम को तेंदूपत्ता लेकर आते हैं, तेंदूपत्ता के पान को इकट्ठा करके बांधते हैं और बेचते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। हमारी सरकार आई, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनें। यहां मंत्रिमण्डल के जितने भी साथी बैठे हैं, सब लोग हमारे बस्तर दौरा करते थे। मैं समझता हूं कि हमारे सारे मंत्री बस्तर का दौरा करते हैं। पूरे प्रदेश में लोग तेन्दूपत्ता तोड़ते हैं, परन्तु बस्तर संभाग में लोग सबसे ज्यादा तेंदूपत्ता तोड़ते हैं। उस समय प्रति मानक बोरा 2500 रूपया दे रहे थे। हमारी सरकार आने के बाद 2500 रूपये से बढ़ाकर सीधे-सीधे 4000 रूपया करने वाली हमारी यह सरकार है। इसलिए पैसा देना चाहते हैं। इसलिए पैसा देना चाहते हैं कि वहां के मजदूर, वहां के किसान, वहां के आदिवासी भाई-बहन जो तेंदू पत्ता तोड़ते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो जायें, बल्कि धान और मक्के की जो खेती होती है, आज वर्षा के कारण, संसाधन के कारण, गरीबी के कारण, उत्पादन नहीं कर पाते हैं । ऐसे वनोपज को इकट्ठा करके वह आगे बढ़ते हैं। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2018 में 11 लाख 48 हजार 528 संग्राहकों को 232 करोड़, उनके बैंक में डाला गया है । सभापति महोदय, वर्ष 2020-2021

में 12 लाख 372 संग्राहकों को 13 लाख 170 मानक बोरा के विरोध में 520 करोड़ 7 लाख का भुगतान किया गया है । सभापति महोदय, आप सोच लीजिए, जब इतना पैसा उनके खाते में जायेगा, निश्चित रूप से आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, यह सरकार की सोच है । तेंदूपत्ता से हमारी सरकार को, हमारे क्षेत्र के आदिवासी भाई बहनों को काफी फायदा हो रहा था । सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, तेंदूपत्ता तोड़कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं, घर का कपड़ा-लत्ता यह सब खरीदते हैं । हमारी सरकार की सोच, उनके पैसे बैंक के खाते में जाना चाहिये । वर्ष 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी बैठे थे, धनोरा हमारे विधान सभा में गये, बोनस बांटे, और क्या दिये, चप्पल और जूता ? मैं वहां पर जब दूसरे दिन गया, मैंने पूछा कि हमारे मुख्यमंत्री जी आये थे, क्या मिला? सभापति महोदय, उन्होंने छत्तीसगढ़ी में बोला, विधायक भईया चप्पल तो दिस, एक ठन पैर के 6 नंबर और एक ठन पैर के 9 नंबर । व्यापारी लोग, जिन्होंने खरीदकर दिया, एक ही पैर के दो नंबर के दिये जाते हैं । अगर नगद देते तो वह बाजार में खरीदता । धनोरा बाजार, विश्रामपुरी बाजार, केसकाल बाजार में जाते, नगद खरीदते, मोलभाव करते, 100 रूपया का चप्पल इनके रिकार्ड में 200 रूपया में आया है । इस प्रकार की अगर सोच है, आपकी भावना है, किसी गरीब, आदिवासी, मजदूर को देना चाहते हैं, कैश क्यों नहीं दे रहे हैं? सभापति महोदय, आपको देना चाहिये । सभापति महोदय, मैं कहता हूँ कि इसीलिए जनता ने आपको नकारा है । सभापति महोदय, गोधन न्याय योजना, लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, यह सरकार की बहुत बड़ी योजना है । हमारे लिहा गांव में साथियों के द्वारा जब गोठानों का भ्रमण किये, जब वहां पर निरीक्षण किये, एक छात्र ने बताया कि मैं पढ़ नहीं पा रहा था विधायक जी, वास्तव में यह योजना हमारे मुख्यमंत्री जी लाये हैं, आप लोगों ने जो सरकार लाया है, वह बोला गोबर बेचता हूँ । उसने 98 हजार रूपये गोबर से इकट्ठा किया और वह अपना फीस पटाता है । सभापति महोदय, क्या बुरा है ? सी.एम. साहब वर्चुअली बैठक लिये, उसमें एक व्स्यक्ति ने बताया कि मैं गोबर बेचकर तीन लाख रूपये कमाया हूँ । सभापति महोदय, लोग गोबर को, फेंक देते थे, कोई गोबर नहीं उठाता था । सभापति महोदय, आज गोबर के लिए लड़ाई-झगड़ा होता है, जैसे कहीं धान से, मक्का से, तेंदूपत्ता से, लाभ होता है । सभापति महोदय, यह एक ऐसी योजना है, इसके माध्यम से हम आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं । सभापति महोदय,बच्चे लोग गोबर को बेचते हैं, दुकान में जब शीला को बेचने जाते थे, जब हम छोटे-छोटे थे, शीला बेचकर चाकलेट खाते थे । सभापति महोदय, आज 15-17 सालों से बच्चे लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा था । कोई किसी को नहीं मिल पा रहा था, आज बच्चे और बूढ़े गांव-गांव में ले जाकर गोबर बेच रहे हैं । छोटा-छोटा चाकलेट है, पेन है, कॉपी खरीद रहे हैं । यह लाभ है । सभापति महोदय, गोवंश की रक्षा की जा रही है । आज तक भारतीय जनता पार्टी यह कहते आ रही है कि हम गाय की रक्षा करेंगे, गाय हमारी माता है, परन्तु उसका ध्यान कौन दे रहा है? गौशाला में गौ पालन किया जा रहा है । पिछले बार विधानसभा में जब हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने मामला उठाया, उन्होंने हमको

इस सदन में यह भी बताया कि कई ऐसे गौपालक लोग गाय को मारते हैं और गाय को सड़ाकर उसकी हड्डियां, चमड़ी तक बेच रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी गाय पर राजनीति करती है।

सभापति महोदय :- संतराम जी, आप और कितना समय लेंगे? कृपया संक्षिप्त में बोलेंगे।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, बस 10 मिनट का समय लूंगा। यह हमारी सरकार की सोच है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह मिलना चाहिए। स्वामी आत्मनांद इंग्लिश मीडियम स्कूल इस साल खोले गये हैं, यह गरीब बच्चों के लिए और कोरोना से भी जिनके माता-पिता खत्म हो गये हैं, ऐसे गरीब बच्चों के लिए यह योजना लागू गई है। ऐसे गरीब लोगों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे। हम बीजापुर गये थे, जगदलपुर, कोण्डागांव सब जगह भव्य इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गये हैं। ऐसे स्कूल में अब हमारे लोग पढ़ेंगे। इस योजना का बड़ा लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में 771 स्कूल खोले गये हैं। इस योजना से हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, महतारी योजना के अंतर्गत कोरोना महामारी में जिनके पालकों की मृत्यु हो गई है ऐसे बच्चों के लिए पहली से आठवीं तक के लिए 500 रुपये, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए 1000 रुपये दिया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत शासकीय स्कूल ही नहीं बल्कि निजी स्कूल के बच्चो को भी लाभ मिलेगा। इससे हमारे प्रदेश के बच्चों को एक अवसर मिलेगा। सब के पालक यही सोचते हैं। हम लोग उस समय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ नहीं पाये। आज जब हम तमिलनाडु, चेन्नई, हैदराबाद ऐसी जगहों पर जाते हैं तो हमको इंग्लिश बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है। आज गांव के और गरीब लोगों के बच्चे कोरोनाकाल में जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई है, ऐसे बच्चों को हमारी सरकार अगर शिक्षा देना चाहती है, उनको मजबूत बनाना चाहती है, अगर उस बच्चे में हुनर, कला, बुद्धि होगी तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि हर स्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। वह बच्चे आई.ए.एस. और आई.पी.एस. बनेंगे। उनको पी.एस.सी. की सेवा में लाभ मिलेगा। यह सरकार की सोच होती है। एक मुखिया की सोच होनी चाहिए कि हमारे प्रदेश के गरीब बच्चों को हम कैसे आगे ले जायें। बड़े-बड़े उद्योगपति, व्यापारी लोग, बड़े-बडे अधिकारी लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाकर जो प्रथम श्रेणी अधिकारी आई.एस.एस., आई.पी.एस. बनाकर देश की सेवा में भेजते हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे। यह मुखिया की सोच होनी चाहिए। सरकार में बैठना बहुत आसान है पर सरकार चलाना बहुत कठिन है। मैं सोचता हूं कि हर विधायक की यही सोच रहती है कि अपने क्षेत्र के चाहे वह मजदूर, किसान, बच्चे हों, वह आर्थिक रूप से मजबूत हों। वह कहीं न कहीं अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। यह हमारे सरकार की सोच है।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना प्रबंध के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। हम प्रदेश में देख रहे थे कि हमारे बहुत से लोग दूसरे प्रदेश में रोजगार के अभाव में पलायन कर गये थे। मैं तुलनात्मक कहना चाहता हूं कि 15 साल का शासन बहुत होता है। आप बेरोजगारों को पलायन करने से

क्यों नहीं रोके ? 15 सालों में हमारे बस्तर के बेरोजगार लोग आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक बोर गाड़ी में काम करने के लिए जाते थे। वह आज तक वापिस नहीं आये हैं। इसका कारण हमारे प्रदेश की सरकार की नाकामी है। यह हमारे प्रदेश सरकार की कमी है कि जो हमारे बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं दे पाये। अभी तक नहीं पता चला कि कितने बेरोजगार दूसरे प्रदेशों में गये। जब आकलन किया कि कितने लोग दूसरे प्रदेशों से आये तब पता चला कि यहां से इतने बेरोजगार गये हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी को उनके निवास में आकर मैंने कहा कि यह जो बेरोजगार युवक दूसरे प्रदेश में रोजगार के लिये गये थे, वह अभी कोरोनाकाल में वापिस आये हैं, इनके लिए आप रोजगार की व्यवस्था कीजिये नहीं तो यही बेरोजगार बेरोजगारी की वजह से जंगल की ओर जाकर बंदूक थामेंगे। मेरी बातों को उन्होंने ध्यान दिया। कलेक्टर लोगों को चिट्ठी लिख दिये, निर्देश जारी कर दिये कि किसी न किसी माध्यम से उनको रोजगार दिया जाये चाहे वह गोठान में हो, किसी न किसी योजना में उनको रखा जाये। इस प्रकार सरकार की सोच होनी चाहिए। इसलिए तो कहते हैं कि ये जो जितना मांगा है। सभापति महोदय उतना पैसा उनको देना चाहिए कोई विरोध नहीं करना चाहिए। अंत में जो हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य, योजना, दाई दीदी क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, पौनी पसारी योजना, पढ़ाई तुहर द्वार योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, सिंचाई और सड़क मार्ग, इसका कुछ मकसद होता है। ये जो योजना चला रहे हैं, इस योजना में पैसा देने का काम करते हैं। इनकी सरकार में स्कूल बंद हो गये। हमारे बस्तर के एक हमारे नेता जो शिक्षा मंत्री रहे केदार कश्यप जी, उन्होंने ट्रेवल विभाग को बंद कर दिया। आपको बंद करने के लिए कहा गया था। बस्तर के आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ। स्कूल बंद हो गया।

सभापति महोदय :- अब समाप्त करेंगे संतराम जी।

श्री संतराम नेताम :- बिल्कुल महोदय, आपने मुझे मौका दिया। हमारी सरकार जो है लगातार किसान के लिए, मजदूर के लिये और प्रदेश की आम जनता के लिए काम कर रही है। उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिये कर रहे हैं। प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने पैसा मांगा है और बड़ी योजना। मैं आज अंतिम बात कहते हुए खत्म करूंगा। जो किसान कृषि भूमिहीन है, जिनके पास खेती नहीं है ऐसे लोगों को हमारी सरकार अगर खेती पहुचाएंगे, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिये उनको पैसा देना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्रिमंडल के हमारे साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ढाई साल में, जिसमें भी सवा साल कोरोना में महामारी के चक्कर में हमें आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम किया है। उसके बाद भी उनकी नियत साफ है। उन्होंने प्रदेश को ऊपर उठाने के लिये काम करने के लिये बात सोच रहे हैं। इसीलिए सभी लोग मिलकर एक राय होकर प्रदेश को कैसे

उठाना है, कैसे आगे ले जाना है, इसलिए पैसा उनको देना चाहिए। मैं इनका समर्थन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत सिंह जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं अनुपूरक बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, मेरे हाथ में एक किताब है, इसमें दो महापुरूषों की फोटो लगी है। एक स्वर्गीय बिसाहु दास महंत जी है और एक डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव जी है। ये दोनों ही सिंचाई की व्यवस्था के लिए चिंतित रहने वाले नेता थे। इन्होंने ही हसदेव बांगो बांध की परियोजना का सपना देखा था, वह बांध बना। उस बांध की क्षमता तीन हजार मिलियन क्यूबिक मीटर है और इससे दो लाख 55 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होती है और इसमें अभी-अभी मस्तुरी, अकलतरा, पामगढ़, चांपा, जांजगीर, सक्ती, जैजैपुर, चन्द्रपुर, खरसिया, डबरा में इसी बांध के कारण समृद्धि आयी है लेकिन सरकार की तरफ से अभी पिछले कुछ दिनों की हरकत से ये लग रहा है कि यहां उद्योगपति अडानी जी प्रभावशाली हो चुके है। यहां उनकी बात अब सुनी जा रही है अब उनको सरकार का संरक्षण भी मिल रहा है और सरकार के द्वारा कुछ उनकी सुनवाई भी ठीक से हो रही है। ये कैसेट है अध्यक्ष महोदय आप जब भी कहेंगे मैं इस कैसेट को रखूंगा। 15 जून 2015 को श्री राहुल गांधी जी ने हसदेव अरण्य के क्षेत्र गांव मदनपुर में एक भाषण दिया था। जिसमें श्री भूपेश बघेल जी और टी.एस. सिंहदेव जी वहां उपस्थित थे। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि हम हर हाल में आपके गांव को उजड़ने नहीं देंगे, आपकी खेती को उजड़ने नहीं देंगे, आपको कहीं विस्थापित नहीं होने देंगे, यहां पर कोई कोयला का खनन नहीं होगा। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय कि जिस गिदमुड़ी पितौड़िया ब्लाक के खिलाफ उन्होंने कहा था। उस भूमि का अधिग्रहण का प्रारंभिक नोटिस छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी के द्वारा उस मदनपुर गांव के लोगों को दिया गया है जहां श्री राहुल गांधी दौरे में गये थे और आदिवासियों के बीच उन्होंने वायदा किया था और मेरी जानकारी में जहां तक है माननीय मुख्यमंत्री जी उस सभा के बाद शायद मदनपुर नहीं गये हैं और यह बहुत ही ज्यादा विषम परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। जिन आदिवासियों को श्री राहुल गांधी ने यह कहकर वचन दिया कि वहां पर कोल ब्लॉक नहीं खोले जाएंगे, उन गांवों में सरकार की तरफ से विस्थापन की प्रारंभिक नोटिस दे दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां जाना चाहिए और वहां माननीय वन मंत्री जी को वहां जाना चाहिए। अगर हसदेव अरण्य के कोल ब्लॉक्स को आवंटित किया जाएगा। मेरी आज 139 की भी चर्चा है जब आप मौका देंगे तो मैं उसमें पूरे तथ्य आंकड़ों के सहित रखूंगा, लेकिन मैं अभी प्रारंभिक तौर पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए यह बहुत ही चिंता का विषय है कि अगर हमारा हसदेव बांगो बांध जो स्वर्गीय मिनी माता के नाम से है। जो छत्तीसगढ़ की अस्मिता की प्रतीक हैं, उनके नाम से है अगर उस बांधकी जिंदगी हम नहीं बचा पायें, अगर उस बांध की जिंदगी को किसी उद्योगपतियों को तस्तरी में

रखकर सौंप देंगे तो यह हमारे लिए बहुत ही कलंकित अवसर होगा। जिसके लिए आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। इसी चिंता में सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत जी ने भी राहुल जी को एक चिट्ठी लिखी है जिसकी कॉपी मेरे पास है। सभी जनप्रतिनिधि चिंतित हैं। सभी यह चाहते हैं कि वहां मत हो, राहुल जी के भाषण का जो कैसेट है, वह भी मेरे पास में है मैं आगे उद्धृत करूंगा। मेरा मतलब है कि जिस अडानी का श्री राहुल गांधी हर मंच में विरोध करते हैं। जिस अडानी को कोयला खदान और बड़े-बड़े उद्योगों के लिए, प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगता है वह अडानी ने यहां ऐसा क्या जादू चलाया कि अब उसकी बात यहां सुनी जा रही है। अडानी को तोहफे में सब चीजें दी जा रही है। सभापति महोदय, वह राजस्थान के पॉवर जनरेशन कंपनी को यहां पर कोल ब्लॉक आवंटित हुआ और वह ठेका भी अडानी ने लिया। छत्तीसगढ़ का भी हो रहा है उसको भी अडानी को देने की तैयारी है। अडानी की नजर छत्तीसगढ़ के वन और खनिज संपदा पर है और मदनपुर में श्री राहुल गांधी जी ने जो कहा है, उनकी भावना के विपरित है सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। जिस दिन यह एरिया सुरक्षित हो जाएगा, उस दिन जंगल के हाथियों के लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि उनको जल स्त्रोत भी मिलेगा, उनको एरिया भी मिलेगा। आप अचानक 4-6 विधायकों के नाम से 400 वर्ग किलोमीटर करने का प्रस्ताव बनाते हैं। पहले 1900 वर्गकिलोमीटर कहते हैं, फिर 400 वर्ग किलोमीटर कहते हैं। सभापति महोदय, हाथी का कोई एरिया है क्या ? वह 400 वर्ग किलोमीटर नहीं, 40 सौ वर्ग किलोमीटर में जाएगा तो आप क्या कर लेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय टी.एस.सिंहदेव साहब बैठे हैं उन्होंने ही पहले 3800 वर्ग किलोमीटर कहा था फिर उन्होंने 1975 वर्ग किलोमीटर कहा। फिर 400 भी कहा।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, उन्होंने 400 वर्ग किलोमीटर भी कह दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब क्या सही है वही बता सकते हैं। वह चिट्ठी-विट्ठी लिखते रहते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोगों के नाम से सरकारी ऑर्डर निकला है।

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- मैंने 450 वर्गकिलोमीटर कभी नहीं कहा। वह जिस अधिकारी ने निकाला, उससे प्रश्न करना चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, आपके नाम से सरकारी आदेश में उल्लेख हुआ है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :-यह सही है, वह गलत है।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां। और उस उल्लेख में आपका नाम आ गया है। अब आप तो लगातार षडयंत्र का शिकार हो रहे हैं। कोई क्या कर सकता है। हमारे हाथ में तो नहीं है। वह आदेश निकला कि श्री टी.एस.सिंहदेव फला, ढेका जी सब विधायकों का नाम था। अगर हाथी सी.एम. हाऊस में भी आ जाएगा तो आप क्या कर लेंगे ? इसलिए आपको सलाह दे रहे हैं कि आप अच्छी जगह रखिए। खुली जगह रखिए, जहां पानी, चारा रहे, यह अडानी तो हमको बचाने नहीं आएगा। अडानी तो हमारे बांध में

पानी भरने नहीं आएगा। मालखरौदा में अकाल पड़ेगा तो अडानी आएगा क्या ? वह तो सिर्फ एयरपोर्ट तक रहेगा और वहां से 10-12 किलोमीटर में जहां भी जा सकता है जाएगा, उससे ज्यादा वह नहीं जाएगा। माननीय आप उस पर ध्यान दीजिए। राहुल गांधी जी की सभा में आप भी थे। यह कैसेट मेरे पास है । आप, बघेल जी सभा में थे उनहोंने कहा था मदनपुर और आस-पास के किसी भी गांव के लोगों को प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा, विस्थापित नहीं होना पड़ेगा, यहां खदान नहीं खुलेगा। आदिवासियों की रक्षा करेंगे। उसके बाद न आप गये और न ही माननीय मुख्यमंत्री गये और वहां छत्तीसगढ़ पॉवर जनरेशन कंपनी कका नोटिस जारी हो गई। यह बहुत आपत्तिजनक है। आप लोग राहुल जी के बारे में इतना ध्यान नहीं देंगे, हमें उनको यह सब प्रोसिड़िंग और उनका पेपर निकालकर भेजना पड़ेगा या पुनिया जी आएंगे तो उनसे टाईम ले लेंगे, वह बताते हैं या नहीं, पुनिया जी, उसको आप लोग ज्यादा जानेंगे, हमको ज्यादा जानकारी नहीं है। हम राहुल जी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

श्री मोहित राम :- माननीय सभापति महोदय, ठाकुर साहब एक मिनट। आपने हाथी अभ्यारण्य मुर्गा की बात बताई। सम्मानीय राहुल गांधी जी का वीडियो या कैसेट रखे हुए हैं, उसका सम्मानपूर्वक सम्मान किया गया है और अभी भी वह ग्राम सभा में है।

श्री धर्मजीत सिंह :- क्या बोले ?

श्री मोहित राम :- मुर्गा, गिरमुडी, पतुरियाडाड़, जहां पर आप खदान की बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- आप अपनी बात कहिए।

श्री सौरभ सिंह :- मदनपुर उन्हीं के क्षेत्र का है, इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा है ना?

श्री मोहित राम :- आप मेरे विधानसभा की बात बता रहे हैं, सम्माननीय राहुल गांधी जी मदनपुर में जब मुर्गा में गये थे, आज भी वहां की जनता ग्राम सभा में प्रस्ताव में लाया गया है कि वहां पर कोई हाथी का खदान नहीं खोदा जायेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- लेकिन उनको जो नोटिस मिला है यह आपको मालूम है कि नहीं है।

श्री मोहित राम :- नोटिस दिया गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपका मदनपुर गया था। एक मैडम एक्का हैं, मैं अभी आपको नाम बता देता हूं।

श्री मोहित राम :- जी-जी

श्री धर्मजीत सिंह :- चलिए आपको नाम भी बता देता हूं। मैं अभी आपको नाम बताता हूं, आप क्यों चिंता कर रहे हो। मेरे से नाम लो, उनसे मिलकर बात करना। वहां अरण्य संघर्ष समिति का बैनर लगा है। शकुंतला एक्का मदनपुर वहां बैठती है।

श्री मोहित राम :- जी, मैं जानता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपके क्षेत्र की है। संभवत: आप अभी तक के वहां गांव में दौरे में नहीं गये हैं।

श्री मोहित राम :- लेकिन अभी भी हमारे ग्राम सभा के जनता लोग जितने भी हैं। सभी लोगों ने आपत्ति दर्ज की है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप जाकर मिलिए तो बात तो करिए। श्रीमान उनको नोटिस मिला है। आप यहां पर अडानी की पैरवी मत करिए।

श्री मोहित राम :- मैं अडाणी की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं अडाणी की बात कर रहा हूं। आप उनकी पैरवी मत करिये। जंगल विभाग का हाल भी ठीक नहीं है। लकड़ी की कटाई बहुत चल रही है। कई जगह लकड़ी की कटाई में बाकायदा मंत्री जी पूछते भी हैं, चिंतित रहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए रायपुर में, बिलासपुर में कहीं लकड़ी मिली, यह लकड़ी मिली तो आप अधिकारियों से यह तो पूछो कि यह कोई टी.एम.टी. सरिया में तो बनता नहीं है, न भिलाई स्टील प्लांट में लकड़ी बनती है। वह लकड़ी कहां से आया है ? जंगल से आया है, जंगल में किस जंगल से आया है ? वहां के किस अधिकारी को निलंबित किये। वहां का कौन बिडलार्ड था, फारेस्ट गार्ड था। अखबारों में छपता है कि लकड़ी चोरी पकड़ी गयी। तीन मुल्जिम गिरफ्तार हुए। लकड़ी कहां से आया, जंगल से बिना कटे उड़कर आ गया क्या ? पता करिए। अब एक शेर अचानकमार में मिला।

श्री शिवरतन शर्मा :- धर्मजीत भैया, क्या है, लकड़ी कम पकड़ी जाती है, शराब ज्यादा पकड़ी जाती है और लकड़ी में पूछेंगे तो शराब में भी पूछना पड़ेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- शराब के बारे में तो बोलना ही ठीक नहीं है क्योंकि इस सरकार की कामधेनु गैय्या है, ये गैय्या का सेवन आप लोग करिए। मजा करिए इसी में साफ हो जाएंगे। सभापति महोदय, वन्य प्राणी के कैटेगिरी के शेर अचानकमार में एक शेर था। उस शेर को गांव वाले देखे, वह शेर घायल है। उसको फारेस्ट वालों को बताया गया। क्योंकि फारेस्ट के अधिकारी दौरे में नहीं जाते हैं। वह क्या करते हैं मैं आगे बताऊंगा। उस शेर को tranquilizer से बेहोस करके लाए। उसका बेचारे का गर्दन, कमर, क्या-क्या सब टूटा हुआ है। दिल्ली में जो वाईल्ड लाईफ के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने ट्रेस करके कहा कि यह शेर बांधवगढ़ का है। ये फारेस्ट वाले अपना दावा कर रहे थे। ये दावा यह कर रहे थे कि वहीं का है लेकिन वहां से यह सिद्ध हुआ कि यह शेर यहां का नहीं वहां का है। वहां से तो वह चलते आया और छत्तीसगढ़ में आते-आते कनवा, खोरवा, लुलवा सब हो गया। कैसे हो गया ? पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जंगलों को ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया है। यह पहली बार हो रहा है कि जंगल को ठेकेदारों के हवाले किया गया है। कैलिफोर्निया, आस्ट्रेलिया, अमेरिका में बहुत आग लगती है उसको हेलीकॉप्टर से बुझाया जाता है। यहां तो ठेकेदार का कैंप लगता है। बड़ी-बड़ी पोकलैंड और डोजर चलती हैं वहां पर तो

उससे वन्य प्राणी को तकलीफ नहीं होती। एक गरीब आदिवासी अगर अपने गांव में थोड़ी सी कुछ बात कर दे तो वन्य प्राणी अधिनियम, धारा, दफा, इतने किस्म का फौरन जेल भेज दो। सभापति महोदय, मैं यह ठेकेदारी प्रथा का विरोध कर रहा हूं। ठेकेदार बड़े-बड़े पोकलैंड मशीन से वहां की जंगलों को तबाह करते हैं, वन्य प्राणियों का शिकार खेलते हैं और यह ठेकेदारी प्रथा वहां पर एक नया उगाही का धंधा शुरू हुआ है। अधिकारी लाल हैं। छत्तीसगढ़ का अगर एक हजार करोड़ का बजट है तो दस हजार करोड़ रूपये वन विभाग के अधिकारियों के पास होगा क्योंकि इतना अफरा-तफरी वे लोग मचाकर रखे हैं। विस्थापन करेंगे, आपने प्रावधान क्यों नहीं किया। अचानकमार टाईगर रिजर्व के 19 गांव के लोगों को विस्थापन करना है। ढाई साल में आप एक गांव का विस्थापन नहीं कर सके। हम तो बोल रहे हैं कि आप विस्थापन करिए, आपको करना चाहिए । वे सामान्य जिंदगी जीने से भी वंचित हैं ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- आप तो 15 सालों में भी नहीं कर पाए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उन्होंने 4 गांवों को किया था, आप तो एक भी नहीं कर पाये, एक तो कर दीजिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- दादी, अब सच-सच यह बताओ, अब मैं [XX] [4] बोलूंगा तो भड़कोगे कि नहीं भड़कोगे ?

श्री कवासी लखमा :- इधर खींचूंगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- भड़कोगे तो फिर आपके हित की कभी सुरक्षा नहीं होगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम दादी के विभाग के बारे में कुछ नहीं बोलते, बोलते भी नहीं । मजा करो और चकाचक रहो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मजा मत करो भई, खाली छाछ पीओ । मलाई कहीं ओर जाने दो ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब यह दादी तय करे कि छाछ में ही उन्हें मजा आ रहा है तो हम क्या करें ? माननीय सभापति महोदय, अचानकमार टाईगर रिजर्व के बीच एक सड़क निकलती है । उस सड़क की मरम्मत के लिए मैंने माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री से 20 बार इस सदन में मांग की होगी और पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री किसी से यह कह रहे थे कि यह तो वन विभाग के अंदर आता है । वह वन विभाग का नहीं है, वह पी.डब्ल्यू.डी. की रोड है और उस रोड को बनाने में कोई विभाग नहीं रोक सकता ।

सभापति महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह जी, आप और कितना समय लेंगे ? कृपया समाप्त करें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं बस 2-3 मिनट लूंगा । अभी तो बोलने वाले हैं साहब नहीं हैं ।

सभापति महोदय :- नहीं, आपके बाद श्री मोहन मरकाम जी को बोलना है ।

---

[4] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, श्री मोहन मरकाम जी को तो पर्याप्त समय दीजियेगा उनको एक-डेढ़ घंटे लगेंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- श्री मोहन मरकाम जी को दो दिन तक भाव नहीं मिला इसलिए वे अवसाद में हैं । वे कम बोलेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, पहले दिन विधानसभा में ओपन करते थे, अब नंबर दो में आ गए हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, ए.टी.आर. की सड़क का और मरम्मत का काम जरूर होना चाहिए । सिंचाई की एक अरपा भैंसाझार योजना है ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- धर्मजीत भैया, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं । सब बातें समझ में आ रही हैं लेकिन आपने शेर को बेचारा बोला । क्या कभी शेर बेचारा हो सकता है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- यहां तो आप लोगों ने बेचारा ही बना दिया । कल तक तो बेचारा ही बना रहे थे न ।

श्री अजय चंद्राकर :- असली शेर वही है । इतना शेर है कि श्री टी.एस. बाबा को सलाह दे रहे थे । गलत है कि सही है, उनका छपा था ? आप भी जानते हैं । आप असली शेर हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- भैंसाझार परियोजना में करोड़ों रूपये का घपला हुआ है । उस योजना में टर्न की में यह तय हुआ था कि 25 हजार हेक्टेयर में सिंचाई करना है इसके लिये 370 करोड़ रूपये का प्रावधान था । 15-16 करोड़ रूपए ठेकेदार ने निकाल लिया और वहां 5 हजार हेक्टेयर में भी सिंचाई नहीं हो रही है, आखिर यह मिलीभगत कैसे हुई ? इसमें जांच होनी चाहिए और जांच करके उसमें लोगों को जेल की सींखचों में डालना चाहिए । बिलासपुर में कई जमीनें उड़ रही हैं, आपकी जमीन जैसे सड़क के ऊपर है तो वह उड़कर पीछे चला जायेगा, पीछे वाले की जमीन उड़कर आगे आ जाएगी । वहां ऐसे-ऐसे महापुरूष अधिकारी पदस्थ हैं जो यही काम करते हैं। माननीय मंत्री जी, अमृत मिशन का बहुत बुरा हाल है । अमृत मिशन में पानी आने की कोई संभावना नहीं है । खोदापुर कहने वाले आपके नेता लोग अभी बिलासपुर जाइए और देखिए वहां पर बिलासपुर भयंकर खोदापुर के रूप में वहां बैठा हुआ है, गली-गली गड्ढ़े हैं । लोग गिर रहे हैं, गाड़ियां घुस रही हैं । कोई मरम्मत नहीं है, मोटरसाईकिल सहित लोग अंदर जा रहे हैं । अखबार की प्रतियां हैं, वहां फोन करके पूछ लीजिए । उसको ठीक कराईए ।

सभापति महोदय :- समाप्त करें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट । तखतपुर में विधानसभा के कुछ एरिया में 17 लाख रूपये का गोबर गायब हो गया । श्री संतराम जी बोल रहे थे न कि वहां बहा भी नहीं है, खरीदे ही नहीं हैं तो कहां से गोबर रहेगा। सब मिली भगत है, तैयार हो जाता है, कौन-कौन रहते हैं, नरवा-गरूआ, घुरवा-बाड़ी, गोबर-खातु इसमें ।

समय :

3:39 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री अजय चंद्राकर :- कृषि मंत्री जी, 17 लाख का गोबर गायब है ।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- मैं भिजवा दूंगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- तखतपुर में है न । जांच करा लीजिये, जेल भिजवा दीजिये । उनको भिजवाईए, हम लोग थोड़ी न जेल जायेंगे ।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में बहुत प्रावधान होते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं वहां आपका भाषण सुन रहा था, अच्छा भाषण दिया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी कहां, मैं 139 की चर्चा में बताउंगा । अभी तो मैंने मोटो-मोटा, हल्का बताया है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ.शिवकुमार डहरिया) :- इन्होंने भाभी जी का उल्लेख किया ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, मैं सुन रहा था।

श्री धर्मजीत सिंह :- भैय्या, भाभी जी सांसद हैं। मैं वैसे भाभी जी का उल्लेख नहीं किया हूं। वे कोरबा लोकसभा की सांसद हैं और वे सोनिया गांधी जी के संग बैठती हैं। एक बार कहीं थोड़ा सा कुछ बोल देंगी न तो यहां सबका नंबर भी कट जायेगा। इसलिए आप भाभी जी का बड़ा आदर किया करो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगली पीढ़ी के नेताओं में मुख्यमंत्री बनने की यदि राज आया तो सबसे ज्यादा संभावना डहरिया जी की है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अगर राहुल गांधी कैसेट सुन लेंगे न तो सबको दो मिनट में ठीक कर देंगे। अध्यक्ष जी, बजट में प्रावधान होता है, लेकिन कोई काम होता ही नहीं है। सब प्रावधान, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, मंत्री तो नहीं हैं। वे बयान पढ़ने के बाद चले गये हैं। उनको रहना चाहिए था। एक ठोक सड़क का काम नहीं चल रहा है। बजट में डाल देते हैं और हमें बाकायदा बताते हैं कि हमने आपका काम बजट में डाल दिया है। तो हम लोग हाथ जोड़ते हैं कि हां, बहुत अच्छा मंत्री जी, बहुत अच्छा। अता-पता कुछ है ही नहीं। ऐसा बजट में क्यों रखते हो भइया ? ऐसे बजट में मत रखा करो। हम काम नहीं बोलेंगे। आप बिल्कुल मत रखिए। आप स्वतंत्र हो। आपको जो करना है करिए, लेकिन ऐसा मत करिए। ये भैसाझार में बहुत गड़बड़ी हो चुकी है। नगरनार को जैसे खरीदी करके किसानों की जमीन बेचने की तैयारी हो रही है। आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं ? छत्तीसगढ़ के नाम से खदान लेकर अडानी को देने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, अडानी से इतनी दोस्ती कैसे हो गयी ? (उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा के खड़े होने पर) दादी आप बैठिए न। आपके दारू के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपको

छत्तीसगढ़ का बेचना है। महाराष्ट्र का बेचना है। गुजरात का बेचना है। आपको जहां का बेचना है, आप बेचो। आपका ठीक से ख्याल रखा जा रहा है या नहीं, आप यह बताना।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको पूरा भिजवाएंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं, जोकि अखबारों में छपा। मेरे क्षेत्र से संबंधित है। मैंने इस सदन में माननीय गृह मंत्री जी से कहा था कि आप खुडिया का चौकी बंद करो, क्योंकि वे लोग वहां पर आदिवासियों से मार-पीट करते हैं और अभी 4 दिन पहले तक भी मार-पीट किये हैं। मैंने एस.पी. को शिकायत भी की है और उसे बंद करके आप डिंडोरी में खोल दो। तो मंत्री जी ने मेरी बात को बहुत सम्मान से माना और खुडिया का चौकी बंद कर दिया। आदेश जारी कर दिया और जहां खोलने को बोला था, वहां खोले नहीं। लोगों को नेतागिरी करने का अवसर दे रहे हो। मैं तो फिर बोल रहा हूं कि खुडिया का बंद करो और डिंडोरी में खोलो। अगर बात माननी है तो दोनों मानो, नहीं माननी है तो कुछ भी मत मानो। इस तरीके से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी आ गये हैं। हमारे बहुत आदरणीय नेता हैं। दुग्ध विज्ञान केन्द्र के लिए हमने आपसे आग्रह किया है। कृषि के लोगों को प्राथमिकता दीजिए। अडानी और किसानों के बीच में किसानों की प्राथमिकता आपका धर्म भी है और आपका लक्ष्य भी है। तो आप वहां दुग्ध विज्ञान केन्द्र लोरमी में खोलने के लिए शुरू करेंगे। मैंने माननीय वन मंत्री जी का भी पढ़ा। सरकार का भी ध्यान पढ़ा। जो झाड़ लगाएगा, उसे 10 हजार रूपये देंगे। ऐसा करेंगे। वैसा करेंगे। इस खेती में, उस खेती में। शक्कर कारखाना अजीत जोगी जी ने भी खोला था। अकबर भाई उसके गवाही हैं। आप भी हैं। रमन सिंह जी ने भी खोला था। ढाई साल में आपने एक भी शक्कर कारखाना क्यों नहीं खोला ? कैश क्रॉप के लिए आप किसानों को आकर्षित करना चाहते हैं तो वह कारखाना आप क्यों नहीं खोल रहे हैं। हम जमीन देंगे। लोरमी में जमीन मिलेगी। आप शक्कर कारखाना खोलने की पहल करिए। 2, 4, 5 प्रदेश में अगर किसानों के फसल का चक्र परिवर्तन करना चाहते हैं तो। अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कोरोना में बहुत से लोग काल-कलवित हुए हैं। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनकी पत्नी या तो मर गयी है या जिनके पति मर गये हैं। अब वे कर्मचारी हैं। मान लीजिए पति-पत्नी दोनों अंबिकापुर में पदस्थ हैं। पति मर गया तो उसकी पत्नी को बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चांपा कहीं भी आना है तो आपने एक आदेश जारी कर दिया कि अभी कोई ट्रांसफर नहीं होगा। आप बिल्कुल मत करिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते और न आज तक किसी का दिये हैं कि ई.ई. का ट्रांसफर कर दो, डी.एफ.ओ. का ट्रांसफर कर दो, रेंजर का कर दो, एस.डी.ओ. का कर दो। ये तो बोले नहीं हैं। हमें उसमें कोई रूचि भी नहीं है। पूरा बंद रखिए। बहुत अच्छा है। कई समस्याओं से निजात मिलेगी। कई लोगों का दुकान बंद होगा। कई लोग जो रायपुर में भीड़ लगी है, वह भीड़ भी कम होगी, लेकिन आप एक पॉलिसी बनाइए कि जो कोरोना से मरे हैं चाहे वह पति हो या पत्नी जो भी अगर कहीं आना चाहे तो उनके

आवेदन को लेकर प्राथमिकता के आधार पर बिना किसी बिचौलिये के उसका स्थानांतरण करने की नीति बना देंगे तो कोरोना पीड़ित परिवार को एक मदद होगी। अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। मैंने मांग भी की थी कि कोरोना से मरे हुए परिवार के लोगों को मदद के लिए 1-1 लाख रूपये । अगर एक लाख नहीं दे सकते तो उनको तीन हजार रूपए महीने के हिसाब से दीजिए लेकिन कुछ मदद् कीजिए । कवासी लखमा जी आपने तो शराब में टैक्स लगाकर पैसा कमा ही लिया है, उसी को ग़रीबों को बांट दीजिए । जो हमारे छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ित परिवारों को मदद् कीजिए और यदि कोई कर्मचारी कोरोना से मरा है तो उसके परिवार के सदस्य का ट्रान्सफर कर दीजिए । भले ही बड़े ट्रान्सफर में आप रोक लगा दीजिए हमें कोई तकलीफ नहीं है, अगर और किसी को तकलीफ होगी तो उससे हमें मतलब नहीं है । लेकिन आप कोरोना पीड़ितों के परिजनों का ट्रान्सफर जरूर कीजिएगा । यही कहते हुए मैं अपना विरोध प्रकट करता हूं और अडानी के चंगुल से हसदेव-अरण्य की खदानों को बचाने का काम करिये । आप लोग थोड़ा प्रभावित दिख रहे हैं । पता नहीं उसका प्लेन कब उतरा था ? नम्बर खोजवा रहा हूं कि किस तारीख को उसका प्लेन यहां उतरा था, मिल जाएगा, फिर बताएंगे आपको।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय आबकारी मंत्री जी को मैंने पेंशन का स्पष्टीकरण दे दिया है (हंसी)। यदि वे कहेंगे तो मैं अपने शब्द-वब्द वापस ले लूंगा लेकिन कहना उसी को पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- वह विलोपित हो चुका है, उसमें कोई संशोधन नहीं होगा।

श्री अमरजीत भगत :- शेर जब सोते रहता है तो उसको उंगली क्यों करते हो?

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, इनकी सीट में कुछ कांटा है, बार-बार उठते रहते हैं, उसको बदल देते हैं ना ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों का विरोध करने के लिए मैं खड़े होए हावव ।

श्री कवासी लखमा :- बढ़िया बढ़िया बोलना ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- विरोध का चीज बर । बढ़िया-बढ़िया बात करबो ना । बात आप ला कुछु खराब नइ लागय ।

श्री कवासी लखमा :- चंद्रा जी, जब मेरे क्षेत्र के लोग आ रहे थे तो मैंने पिछले समय बोला कि ये अच्छा आदमी है इसको वोट दो । अगर आप ठीक ठाक नहीं बोलोगे तो कहूंगा इसको वोट मत दो (हंसी) ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, विरोध काबर कि अनुपूरक मा अइसे कुछु नइ हे । मुख्य बजट मा जो चीज आइए वो तो पूरा होत नइ हे । अनेक सदस्य मन कहिन हावय । बजट मा आ जाते, हमन कुछु कहीं मांगथन तो ओला बजट मा सम्मिलित कर लेथे लेकिन दू साल बाद बजट ले गायब हो जाते, ओखर प्रशासनिक स्वीकृति नइ मिलय । अइसनो बजट के का आवश्यकता हे ? हमन

क्षेत्र मा बड़ा ढ़िढोरा पीटथन कि हमन एला बजट मा जुड़वा ले हन । ए गांव मा सड़क नइ जाते हे तो तुम्हर गांव मा अब सड़क बन जाही लेकिन वो सड़क के प्रशासकीय स्वीकृति ही नइ मिलय ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- चन्द्रा जी, जैजैपुर से मालखरौदा रोड 15 साल में नइ बने रिहिस हे, अभी हमर भूपेश बघेल जी के समय बनिस के नइ बनिस, सही बताओ ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- बनत हे, अभी बने नइ हे ।

श्री रामकुमार यादव :- चलो धन्यवाद्, स्वीकारा तो हो ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अउ कर्मण्य गांव ला देखे हो धुन नइ । मोर क्षेत्र मा बहुत घुमथव, कर्मण्य गांव ला देखे हो धुन नइ ?

श्री रामकुमार यादव :- बड़का रोड पहिली बनथे ओखर बाद छोटे घलो बनही, लेकिन बड़का पार ला बनाइस के नइ बनाइस ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- तोर विधान सभा क्षेत्र ले जुड़े हे बरभांठा, घोघरी के बगल मा ओला देखे हस या नइ ? थोड़ा मोर बर सिफारिश कर दौ, तोर खूब चलथे, खूब सड़क बनवात हस । बगल के गांव बर सिफारिश कर दौ, जाथौ गांव मा । तुम्हर करा बड़ प्रेम हे । मंत्री जी ला कहव ओखर अनुमति दे दैं, बजट मा आ गए हे। अब एडीबी तीसरा लोन मा एक ठन सड़क बनिस, कतका दिन बाद बनिस । एमन के सरकार के प्रस्ताव रहिस हे, टेंडर लगाए मा ढाई साल लग गिस । अउ ढाई साल बाद काम शुरू होए हावय । अभी बरसात मा काम हा बंद हे । बरसात मा चल नइ पावयं, त अइसनो काम के कोई मतलब नइ हे यादव जी, अतेक सिफारिश मत करा । जौन सही हे तेला सही बोलव ना, तैं तो ठेठ देहाती, गरीब आदमी हस, गरीब मन के पक्ष रखने वाला, गरीब मन के हित के काम होवय अइसनो बात कर करव न हमला कोई आपत्ति नइ हे । गरीब मन ला बढ़िया मुआवजा देवाय हौ ओखर बर धन्यवाद । अइसे अइसे धन्यवाद् ल लेवव ना । लड़ाई लड़ रहिन, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमा आए रहिन आज वो किसान मन ला मुआवजा मिलिस, ओखर धन्यवाद् लो ना । अउ नइ मिले ले तेहूं मन ला देवावव ।

समय :
03:50 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुए)**

मैं बजट के विरोध के बात करत रहेंव ता हमर बजट मा विरोध इखरे बर हे कि बजट ह, सरकार हा एक साल तक का करही ओखर दरपन हे, लेकिन ओखर अनुरूप जब काम नइ होवय तो बजट के कोई औचित्य नइ हे । तमाम बजट तनख्वाह अउ स्थापना मा व्यय होवत हे, कोई नवा काम होवत नइ हे । नया काम बर भी थोड़ा बहुत होना चाहिए । सरकार किसान हित के बात करथे लेकिन किसान मन के योजना मन के लाभ किसान मन ला मिलत नई हे। माननीय मंत्री जी मैं आप करन अनुरोध करे रहेव राजीव गांधी न्याय योजना के प्रथम किस्त आप सब किसान मन ला दे देव लेकिन

बीज उत्पादक किसान ला आप नई देव बीज के कमी होव थे छत्तीसगढ़ मा पैसा ओमन समय में नहीं पाही ता का उत्साहित होके बीज उत्पादन कर ही। आपके मंडी बोर्ड के दो सौ रूपया प्रोत्साहन राशि प्रति क्विंटल दे थो, ओ भी बीज उत्पादक किसान मन ला नहीं मिलीस तो सरकार कहां किसान हितैषी होइस। एक मन मा जल्दी से जल्दी ओमन ला मिलना चाहिए ताकि उत्साह में ओकर अउ ज्यादा उत्साह केसाथ आप ला ज्यादा से ज्यादा बीज उत्पादन करके देवे ताकि दूसर प्रदेश के भरोसे मा हमन झन रह सकन बहुत सारे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान मन के हित के बात करत होवे लेकिन ए ढाई साल के सरकार मा जनप्रतिनिधि अउ इहा बैठे हुए विधायक मन के अधिकार के जतका हनन होए है। शायद अउ कभी नहीं होए हवे, प्रोटोकाल के पालन नहीं होवे क्षेत्र मा अगर मुख्यमंत्री जाही कोई शासकीय कार्यक्रम मा तो विधायक मन ला ओखर सूचना नहीं दिये जाए कार्ड मा नाम तो दूर ओखर सूचना भी विधायक मन ला नई दिये जाए तो ये सरकार हे कोई एक दल पार्टी के नई सरकार बने के बाद ओ पूरा जनता के सरकार हे कि केवल एक ठन दल पार्टी अउ दल पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति मन के ही सरकार नो हे जनता के सरकार हे अभी माननीय पंचायत मंत्री जी समग्र के पैसा ला बाटिन तो ओखर पार्टी ले जेन मन जीत के अइन ओ मन ला दीन अउ हमन ला जनता मन चुन के भेजीन त उहा सीसी रोड नहीं बनना चाहिए उहा निर्मला घाट नहीं बनना चाहिए एक भी विपक्ष के विधायक मन ला एको रूपये नहीं दीस ए न्याय हे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय आप बजट के बात करथो पैसा हमन इखरे बर आपके समर्थन करके पैसा दीन ओ क्षेत्र के जनता भी आप के जनता हे आप ला चुनकर भेजे हवे अउ अगर आपके प्रत्याशी हार गे तब भी आपके प्रत्याशी वोट पाहे ऐसे नहीं है कि आपके उहा समर्थक नहीं हे आपके दल के उहा व्यक्ति नहीं हे आप अगर सड़क बनाहु उहा आप अगर उहा निर्मला घाट बनाह, उहा तो आपके आदमी ओखर लाभ लीही अउजीतके बाद का दल पार्टी भाई छाया विधायक बनाये होवो ओखरे कहेव दे देवो न कार नई देथो हा छाया विधायक बनाहे प्रशासन के अधिकारी मन ला सुने हे चुने हुए जनप्रतिनिधि मन के मत सुनबे लेकिन ए छाया विधायक हे छाया सांसद हे तेखर ते सुनबे।

श्री शिवरतन शर्मा :- संसदीय कार्यमंत्री जी इस पर कुछ स्पेशल टिप्स आपका आ जाए छाया विधायक पर।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- बाटव आप राशन दुकान ला बाटत हो, बाट लो आपकी जो (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- पहले आ जाए टिप्स ले लो छाया विधायक पर, छाया विधायक क्या होता है।

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी बैठिये आप।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आपके कट्टर समर्थक तेन ला राशन दुकान ला दे देवो रेडी ट्विट ला बाटत हो ओला बाट लेव आप लेकिन जनहित के जो मुद्दा है विकास के जो काम हे ओमा दल अउ पार्टी नई होनाचाहिए सब विधायक मन ला आप ला समान अधिकार देते हुए सब जगह समुचित रूप से

बंटवारा होना चाहिए मैं कथो खुर्सी के प्रभाव अलग हे कोई मन इही चीज ला बोले जेन ला मे बोलत हो ए पार बइठे त इही चीज ला बोले कि तुमन हा हमन ला नई देथो फलाना करथ हो अधिकारी हमर सुनत नई हे अब ओती गिन तो ओला गुरू मंत्र ले लीन अरे ओमन बढ़िया काम करत रहीन हे ओमन जो करत रहीसे ओ बढ़िया हे हमर लिये गुरूमंत्र ए अउ गुरूमंत्र ला ले कर के काई काम ला ओमन करे के शुरू करे।

समय :

03:54 **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुए)**

कोई भी क्षेत्र के जनता मन चुने हे तो हित होए करके चुने हवे चाहे ओ पक्ष के विधायक रहे विपक्ष के विधायक रहे अगर हमर बजट मा सम्मिलित हे ओ गांव हा सड़क से वंचित हे कोई जगह स्टाप डेम के आवश्यकता हे कोई जगह स्कूल के आवश्यकता हे कोई जगह कालेज के आवश्यकता हे तो प्राथमिकता के साथ होना चाहिए हम तो प्रशंसा करत हन अभी अंग्रेजी स्कूल खोले हे तेखर बढ़िया काहे अउ खोलो ओखर लिये जतका बजट लेना हे लेवो हमन गांव के एक गरीब आदमी जेन प्राइवेट स्कूल के फीस ला नई पटा सके सरकार के ओ अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हवे तेमा एक झन बासी खवइया लइका हर भी बढ़ सकथे। अच्छा काम हे ओखर समर्थन हे। हमरो ब्लॉक में खोले हव, हमरो विधान सभा में खोले हव । अउ खोले के जरूरत हे तो अउ खोलव, जेमे सब लईका मन शिक्षा प्राप्त कर लेवयं, लेकिन सरकार करा मेार यही निवेदन हे कि कोई भी प्रकार के दुर्भावना नहीं रखते हुए आम जनता जो नीचे स्तर के जो जनता हैं, जेमन दुख पावथे । अजय चन्द्राकर जी बहुत बढ़िया बोलिए । ये सही बात भी आप पता कर लेवव, पूरा क्षेत्र में हल्ला हे कि आज पेमेंट सीट मा नियुक्ति होवथे । पहिली पेमेंट सीट में मेडिकल कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज के नियुक्ति होवय, अब प्रशासन अधिकारी के नियुक्ति पेमेंट सीट में होत हवय । पुलिस के संरक्षण में जुआं खेलथे जुआ अउ पुलिस विभाग के एके ठन काम हो गे हवय । दारू पकड़ना हे, कोन दारू बनाथे, ओर करा महीना बांध अउ दारू पकड़, मोल भाव कर अउ अगर वह पैसा नहीं देवथे तो पांच लीटर ले ऊपर के केस बनाके ओला जेल भेज दे, ताकि वह अगला पकड़ाए त डर मा पहिली ले अपन जेब ला ढीला कर लेवय । गृहमंत्री जी नहीं हे । यह व्यवसाय बना ले हैं । चोरी ला नहीं पकड़ना हे, मोर क्षेत्र में 376 के अपराध कायम हे । विधायक जी के पी.एस.ओ. रिहीसे, तेकर ऊपर धारा 376 के अपराध कायम हे, लेकिन आज चार महीना बीते के बाद भी वह अपराधी नहीं पकड़ाए हवय । लेकिन एक बूंद भी दारू लेकर कोई जात रहिही तेन ला पुलिस सूंघकर पकड़ लिही । दारू मा खुशबू हे, बदबू हे। ओला पकड़ लेथे, लेकिन धारा 376 जैसे अपराध ह अच्छा चीज हे, ओला नहीं पकड़थे । मोर क्षेत्र में चोरी होगे, पूरा घर ला खाली कर दीन । तीन दिन तक एक झन सिपाही ह जांच में नहीं गिस । थानेदार ला बोलथन कि काबर नहीं गेव साहेब, त कथे कि मैं मार्क कर

दे हवं । कोन न मार्क कर दे हे ? त छुट्टी में हवलदार हे, तेन ला मार्क कर दे हे, ओ हवलदार ह छुट्टी ले आही त जांच करबर आही त चोर ह बइठे रहिही, आ गा साहेब, थानेदार साहेब, एक दे मैं चोराए रेहेंव, ए द मैं बइठे हवव, एक दे सामान हरे, तै मोला पकड़ के ले जा । अब ये रवैया रहिही त अपराध कईसे नहीं बढ़य । अगर सबले पहिली चोरी के सूचना गिस त दो लाख से ऊपर के चोरी होए हे त थानेदार के अधिकार हे, थानेदार ला जाना चाहिए । डाग के आवश्यकता है तो डाग लाना चाहिए, लेकिन ये अपराध बढ़थे, ओकर कारण एके ठन हे । आबकारी अउ पुलिस के कोई काम नहीं हे, केवल अवैध दारू ला पकड़कर के पईसा वसूलना । हमर सम्माननीय सदस्य कहिही कि दूधारू गाय हे । त दारू बेचके सरकार ओला निचोवथे त अधिकारी मन अवैध दारू बेचवाकर निचोवथे । मालामाल दूनों हें, सरकारों मालामाल हे, अउ पुलिस विभाग और आबकारी विभाग के अधिकारी मन भी मालामाल हें । हमर विधायक जी हें, वो ह 400 पेटी अवैध दारू पकड़े रिहीन हे । कुछू कार्यवाही होईस । 400 पेटी में कोई कार्यवाही नहीं होईस । तो अईसे रवैया ला बदलव, बढिया प्रशासन ला चलावव, जनता ह बढ़िया मौका दे हे, 70 ठन सीट आए हवय । आप मन उदाहरण देथेव कि एमन 14 ठन में काबर सिमट गे तो अच्छा चीज के अनुसरण करव । आने वाला दिन में परिस्थिति ह बदलय मन, आप के करा काम करे के ढाई साल हे । मरकाम जी, दू साल हे, बढ़िया बूथ कमेटी बनावत हव । बहुत सक्रिय हव । जब आदमी सूख में रहिथे त सूखे सूख दिखथे, दुख तरफ नजर नहीं आवय । सावन के अंधा ला हरियरे हरियर दिखथे त अभी हरियरे हरियर ला मन देखव, थोड़ अकन सबक लेवव, प्रशासन ला टाईट करव । जनता मन बहुत उम्मीद करके आप मन ला चुने हवयं । क्षेत्र के विकास होवय, किसान के प्रदेश हे । कर्जा माफ करे हव त बढ़िया करे हवव । 25 सौ देवथव त बढ़िया करथौ, अउ महंगाई बढ़ गे, ओला 3 हजार कर देवव । हमन आप मन के जयजय कारा करबो कि महंगाई बढ़ गिस हे भाई, भूपेश बघेल जी के सरकार ह 25 सौ ले तीन हजार देवत हवय । महंगाई बढ़ गिस हे, खर्चा बढ़ गिस हे । केन्द्र सरकार ह डीजल के रेट ला बढ़ा दे हे, कहाथन त ओकर मार तो किसान मन झेलथें । तो धान के पईसा ला अउ ज्यादा बढ़ा देवव ।

सभापति महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी करा निवेदन करना चाहथव कि फसल चक्र के परिवर्तन करना जरूरी है अउ धान में ज्यादा पईसा देवथव त ये भी बात सत्यता हे कि कोई भी किसान के रूचि अन्य फसल के तरफ नहीं हे । हमर गांव मन मा कोला, बारी, टिकरा रिहसे, अब आप जाकर देखिहव त कोई जगह न कोला हे, न बारी हे, न टिकरा हे । टिकरा ला भी धान बना दिन अउ नया-नया तकनीकी पैदा कर देवव, 80 दिन, 90 दिन के धान होवथे तो अब टिकरा में भी धान लगात हवय, एकर लिए जरूरी हे कि नकद पईसा मिलय, धान के समकक्ष पईसा मिलय, अइसे दलहन-तिलहन, ए मन मा आपके विभाग के माध्यम से कृषि विभाग हे, उद्यानिकी विभाग हे, बहुत सारा हवय, आजकल छत्तीसगढ़ मा फल के भी खेती होवथे । आज सब्जी के भी खेती ड्रिप के माध्यम से होवत हावय।

आजकल आटोमेशन आ गय हे। बड़े-बड़े तकनीक आ गय हे। तो ऐसन तकनीक के लिए सरकार की तरफ से जो अनुदान हावय, पुन: एक बार निवेदन करना चाहत हव कि अनुदान शत प्रतिशत किसान तक पहुंचय। आप ड्रीप मा अनुदान देवत हावा, 40 प्रतिशत छूट देवत हावा, जितना किसान लागत लगात हावय, ओखर से कम कीमत मा अऊ ओखर से अच्छा कम्पनी के ड्रिप मिल जावत हे। आखिर 40 प्रतिशत राशि कहां गइस। अगर ओ लाभ किसान मन ला मिलत दिखही, तो निश्चित रूप से धान के खेती से दलहन-तिलहन के तरफ किसान मन के रूचि हा जागही। यादव जी कहत हे न अभी हमर जांजगीर-चांपा जिला मा मालखरौदा मा ड्रिप मा खेती होवत हावय। उहां के भाटा उड़ीसा जावत हावय, टमाटर, करेला, ऐसे का चीज हे, जेखर उत्पादन नइ करत हे। पपीता, केला के उत्पादन करत हे अउ वृहद मात्रा में करत हे। तो ओ मन से रूचि ले के अउ किसान मन प्रभावित होवय। वैसे भी आपके बहुत बड़े मैदानी अमला हे, हर जगह आर.ई.ओ. हावय, ए.पी.ओ. हावय, ओ मन थोड़ा सा फिल्ड मा घूम के ए तरफ किसान मन के रूचि ला जगाय, ये मोर आपके पास निवेदन हे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोला बोले बर समय देया, ओखर लिए धन्यवाद। पुन: यही निवेदन अउ प्रार्थना के साथ कि मुख्य बजट मा हमरो क्षेत्र के जे-जे आ गय हे, माननीय कृषि मंत्री जी हे, पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी तो नइ हावय, आप हमर अनुरोध में 8-9 ठन स्टापडेम स्वीकृत करे रहा, प्रशासकीय स्वीकृति भी दे देहा, ऐसे निवेदन के साथ अपन उद्बोधन ला समाप्त करत हव, धन्यवाद।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक मांग संख्या-1 से 79 तक 2 हजार 4 सौ 25 करोड़, 59 लाख 41 हजार 5 सौ रूपये की मांग इस सदन से की गई है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मूल बजट 1,02,483 करोड़ रूपये और अनुपूरक 2,425 करोड़ रूपये, कुल 1,04,908 करोड का हो गया है।

श्री सौरभ सिंह :- मोहन मरकाम जी, आजकल आप सेकेण्ड बेट्समैन हो गये हो।

उपाध्यक्ष महोदय :- सौरभ भाई, बैठिये। ओ हा सुनत ही नइ हे तो काबर बार-बार चिल्लात हस।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 79 चंदूलाल चन्द्राकर मेमोरियल हास्पिटल कचांदुर के लिए मद क्रमांक-5 में भवन निमार्ण कार्य हेतु 2 करोड़, मद क्रमांक 8 से 10 तक के चिकित्सा उपकरण के लिए 37 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए लगभग 600 से 1,000 करोड़ रूपया लगता है। जब चंदूलाल मेडिकल कालेज की स्थापना हुई थी, उसमें उसको इण्डियन मेडिकल कौंसिल ने मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए अनुमति दी थी। उस समय 150 सीटों के साथ उसका संचालन होता था। 3 वर्षों तक चला और पिछले 3 वर्षों से इण्डियन मेडिकल कौंसिल ने जीरो ईयर कर दिया था। माननीय उपाध्यक्ष जी, वहां लगभग 500 छात्र-छात्राएं अध्ययन करते हैं। वहां के अभिभावक

और छात्र-छात्राओं ने सरकार से, माननीय राज्यपाल महोदय से लगातार बार-बार निवेदन किया कि हमारा भविष्य अंधकारमय हो गया है, क्यों न इसे सरकार अधिग्रहित करें। माननीय राज्यपाल महोदया ने भी लगातार सरकार को भी निर्देशित किया कि इन छात्र-छात्राओं के भविष्य अंधकारमय हो रहा है तो क्यों न इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। मैं माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, सरकार के मुखिया को कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, चंदूलाल चन्द्राकर मेडिकल कालेज से हर साल डेढ़ सौ बच्चें पढ़कर निकलेंगे और छत्तीसगढ़ की सेवा करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर माता-पिता का सपना होता है कि हमारे बच्चे डाक्टर बनें। सचमुच में उस सपने को आगे बढ़ाते हुए उस कालेज में प्रवेश दिलाया गया था और सरकार ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, वह कहीं न कहीं स्वागत योग्य है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा था कि केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और पूर्व मंत्री डॉ. रमन सिंह जी का भी ट्वीट आता है कि मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है, वह गलत है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि अगर वे 500 छात्र-छात्राएं, जिनके माता-पिता उनको डाक्टर बनाना चाहते थे, क्या उनको हमारी सरकार छोड़ दे ? आपने कुछ ख्याल नहीं किया, जो पिछले 3 साल से जीरो ईयर, उसके बाद भी आपकी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । हमारी सरकार यदि बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहती है, बच्चे डॉक्टर बनकर छत्तीसगढ़ की सेवा करना चाहते हैं तो इसमें आपको आपत्ति नहीं होना चाहिये । माननीय उपाध्यक्ष जी, मांग संख्या 8, मद क्रमांक 3 ग्रामीण भूमिहीन कृषक न्याय योजना । माननीय उपाध्यक्ष जी, पूरे देश के लिए यह एक ऐतिहासिक योजना है । इसमें 200 करोड़ का प्रावधान किया है । इसमें 13 लाख जो भूमिहीन कृषक है, उसको सीधा-सीधा लाभ मिलेगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, हमेंशा किसानों की हितैषी सरकार रही है । राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत लगभग 22 लाख किसानों को 5700 करोड़ रूपया का प्रावधान करती है । इसमें 200 करोड़ का प्रावधान किया है । आज देश के लिए हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार एक नजीर बन रही है । माननीय उपाध्यक्ष जी, जब यूपीए की सरकार थी, डॉ.मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, पूरे देश में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचाया था । जब केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार आई, उसकी गलत नीतियों के कारण नोटबंदी, जी.एस.टी. और इस कोरोनाकाल में 23 करोड़ लोग, गरीबी रेखा से नीचे चले गये, इस गलत नीतियों के कारण 97 प्रतिशत लोगों की आमदनी, आधा हो गयी है । इस समय किसी की चिन्ता करने वाली सरकार है, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार, जो 13 लाख किसानों को 200 करोड़ देने का प्रावधान, ऐतिहासिक निर्णय है । आदरणीय चन्द्राकर जी को नजर नहीं आता...

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनो तो । मरकाम जी ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अवसाद में ग्रस्त है । ये नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाये । सपना देख रहे थे । यह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे थे, वह नहीं बन पाये । आज कहीं अवसाद में है, तो माननीय अजय चन्द्राकर जी हैं, जो सदन में कुछ का कुछ बोलते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं सुनोगे आप ?

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- मोहन मरकाम जी, थम-थम ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, बैठिये ।

श्री मोहन मरकाम :- भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र में बैठी मोदी जी की सरकार ने क्या किया, वर्ष 1956 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं जवाहरलाल नेहरू ने 5 करोड़ में एस.आई.सी. का गठन किया था । आज लगभग 35 हजार लाख करोड़ रूपया की परिसंपत्तियां हैं, चाहे एल.आई.सी. हो, बैंक हों, भारत पेट्रोलियम हो, एअरपोर्ट हो, बेचने का काम इनकी सरकार कर रही है । हमारी सरकार चाहे चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज हो, चाहे नगरनार स्टील प्लाण्ट हो, जो 25 हजार करोड़ का हो, उसको भी कोई सरकार ने चलाने का निर्णय लिया है, कांग्रेस की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है । भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ? इनके नेता चाय बेचते-बेचते देश बेचने लगे । हमारी सरकार इस देश की परिसंपत्तियों को बचाने का काम कर रही है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की संवेदनशीलता कोरोनाकाल में जिनके माता-पिता की डेथ हो गयी है, उनकी शिक्षा-दीक्षा का निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय है । उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का पूरा खर्चा हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है । मांग संख्या-2 छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के क्रियान्वयन के लिए भी 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी संवेदनशील सरकार लगातार कर रही है । मांग संख्या-3 मद क्रमांक (4) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिजनों को अनुग्रह राशि के लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है । मद क्रमांक (5) राज्य पुलिस जवानों के परिजनों की अनुग्रह राशि 5 करोड़ 10 लाख का प्रावधान किया गया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है । मांग संख्या-12 मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना, जो 15 साल डॉ.रमन सिंह की सरकार रही है, जो कर नहीं पाई, उस काम को हमारी सरकार कर रही है । इसके लिए 10 करोड़ 70 लाख का प्रावधान किया गया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी चन्द्राकर जी उँगली उठा रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किये हैं, 35 हजार पम्पों का उर्जीकरण करेंगे, उसके लिए मांग संख्या 10 और मद क्रमांक-2 में 76 करोड़ 76 लाख का भी प्रावधान किया है। माननीय अजय चन्द्रकार जी यह आपको नहीं दिखता है। आपको तो सिर्फ विरोध करना है। आप कितने अवसादग्रस्त हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि अनुपूरक बजट में आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत भी 19 करोड़ 95 लाख रुपये का प्रावधान

किया गया है। आज कोविड प्रबंधन में पूरे देश में हमारी सरकार पहले नंबर पर है। उसके लिए मांग संख्या-19 मद क्रमांक 2 में 28 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ऐसी सरकार है, हमारे यहां चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो या किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। मगर देश की राजधानी दिल्ली, मुंम्बई, मध्यप्रदेश, भोपाल, लखनऊ आदि स्थानों में भी ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत हुई है। मैं छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 10 राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य से ऑक्सीजन पहुंचाने काम काम किया। जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, गुजरात राज्य तक छत्तीसगढ़ राज्य से ऑक्सीजन पहुंचाई गई। माननीय चन्द्राकर जी, यह आपको दिखाई नहीं देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हनुमान की भूमिका में रहे हैं, संजीवनी बूटी ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हमारी सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- मरकाम जी, क्या नि:शुल्क ऑक्सीजन सिलेण्डर दिये हैं ?

श्री मोहन मरकाम :- मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लीनिक योजना यह सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है, इस योजना का सीधा-सीधा लाभ हमारे ग्रामीणजनों को मिल रहा है। ग्रामीण जन हॉट बाजारों में जाते हैं और ईलाज कराकर आते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेकर आते हैं। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल जीवन मिशन के बारे में कहना चाहता हूं। आप चिंता कर रहे थे। मैं सरकार के मुखिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के 19600 गावों में सरकार ने 2023 तक हर घर में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जल जीवन मिशन योजना के लिए भी अनुपूरक बजट में 234 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कहीं न कहीं हमारी सरकार का आज का निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है, आज हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हम देखते हैं कि हमारी सरकार नीति, नियत के साथ लगातार काम कर रही है। आदरणीय चन्द्राकर जी कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं, 16 हजार करोड़ रुपये की सड़कें बनेंगी, आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, धरसा योजना लागू की गई है, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, ऐसी योजनाओं के लिए भी मूल बजट में और अनुपूरक बजट में भी प्रावधान किया गया है। यह हमारी सरकार की, मुख्यमंत्री जी सोच है।

श्री रामकुमार यादव :- एमन धरसा का होत हे, तेला नई जानै।

श्री मोहन मरकाम :- भारतीय जनता पार्टी ने जो कभी 15 सालों में सोचा नहीं, हमारी सरकार मेन सड़क से स्कूलों तक पक्की सड़क बना रही है, खेतों तक धरसा योजना के तहत सड़कें बनाने का कार्य कर रही है ताकि हमारे किसानों को कोई तकलीफ न हो। यह हमारी सरकार की सोच है। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मांग संख्या-29 ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 61 करोड़ 94

लाख 38 हजार रुपये का का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीड़ की हड्डी है। हम छत्तीसगढ़ में आज बेरोजगारी दर की बात करते हैं, केन्द्र में बेरोजगारी दर 11 प्रतिशत है वहीं हमारे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3 प्रतिशत है। हम लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं। वह चाहे महिलायें, पुरूष, आम जनता, किसान, मजदूर हो, उनको रोजगार से जोड़ रहे हैं। आज उसी का परिणाम है। आज अगर केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार, नीति आयोग, रिजर्व बैंक भी छत्तीसगढ़ की तारीफ कर रही है तो वे ऐसे ही तारीफ नहीं कर रही हैं। अन्य सूबों की अगर तारीफ कर रही है ऐसी तारीफ नहीं कर रही हैं। आज कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की पौने तीन करोड़ जनता के विकास के लिए, निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अगर छत्तीसगढ़ का पैसा लग रहा है। उनके विकास के लिए काम हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 30 महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है और मांग मत क्रमांक, 10 मांग संख्या 41 नैमेढ़ जिला बीजापुर 30 बिस्तर अस्पताल का अंदरूणी नैमेढ़ जैसी जगह बीजापुर जैसी जगह में भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी अस्पताल की सुविधा कैसे हो उसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मांग संख्या 41 अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 4 करोड़ 80 लाख का प्रावधान किया गया है। आज कहीं न कहीं हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। संचार क्रांति योजना के लिए 38 करोड़ प्रावधान, नाबार्ड सहायता गोदाम निर्माण। आज ये सड़ने की बात करते हैं, चांवल या धान की बात। अगर ये 15 सालों में गोदाम बनाया होता तो यह नौबत नहीं आती। आज हमारी सरकार 4 हजार चबूतरे बनाये ताकि धान सड़े मत और अभी हमारी सरकार ने गोदाम बनाने का भी निर्णय लिया है जिसमें 25 करोड़ 46 लाख रूपया इसमें भी प्रावधान किया गया है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मान गए मोहन भैया। एकदम पत्ता लगा के दौड़े है क्या।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कहीं न कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय सदस्यों को ऊंगली उठाने का अधिकार नहीं है। आज इनको छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल मौका दिया। 15 साल में कुछ नहीं किए। जहां गरीबी 39 दशमलव था उसे 39 प्रतिशत गरीबी पहुंचा दिये। आज कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ जो 15 साल सरकार में रहे। छत्तीसगढ़ के विकास में जिनका योगदान नहीं था। आज किस मुंह से हमारी सरकार की जो नीतियां योजनाओं पर ऊंगली उठाते हैं उपाध्यक्ष महोदय आज ये जो अनुपूरक मांग थी जो 2000 करोड़ का। मैं सदन से मांग करता हूं कि सर्वसम्मति से इस अनुपूरक मांग को माना जाए और सरकार को काम करने का मौका दिया जाए। आपने बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. रमन सिंह जी। (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. रमन सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सदन में 2021-22 के प्रथम अनुपूरक में 2485 करोड़ 59 लाख रूपये की पूरक अनुमान मांग प्रस्तुत की है, मैं इसका विरोध

करता हूं। विरोध इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार के बजट, दो बजट निकल गये, अनुपूरक निकल गया और ढाई साल पूरा होते होते आज स्थिति यह है कि ढाई साल पूरा करने के बाद अब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उल्टी गिनती शुरू होने के समय हम पलट के जब देखते है ढाई साल, पौने तीन साल हो रहा है। उस समय की जो स्थिति थी और आज क्या स्थति है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में हम कहां खड़े हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमत कहां खड़े हैं, बिजली और पम्प के कनेक्शन में हम कहां खड़े है और ढाई साल में फण्ड का एलोगेशन कितना हुआ है सड़कों के निमार्ण में कितना हुआ है, ग्रामीण विकास की छोटी-छोटी योजनाओं में आज पूरे पंचायत से लेकर ग्रामीण क्षेत्र की सारी योजनाएं, ग्राम गौरव से लेकर ग्रामीण सरोवर योजना, निर्मल घाट आवास योजना, सारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र की बन्द क्यों हैं ? ढाई साल में विकास ठहर गया है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। और इस ढाई साल के कार्यकाल में जब ये अनुपूरक आया है तो इस अनुपूरक से बहुत उम्मीद नहीं होनी चाहिए। हम लोग कर रहे थे और उम्मीद है भी नहीं। मगर उम्मीद के विपरित जब बातें आती है जब मुख्यमंत्री जी ऐसी बातों का प्रावधान अपने भाषण में सार्वजनिक रूप से करते हैं और वहां तक राजनीति का स्तर जाता है। आज मैं अभी बताऊंगा कि सरकार के घाटे की स्थिति क्या है ? यह कितने कर्ज से डूबे हैं और कितना ब्याज देना पड़ रहा है? मैं उसके एक-एक बात का जिक्र करूंगा, पर यह बताना चाहता हूँ कि उस बीच मुख्यमंत्री जी की घोषणा आती है कर्ज के बोझ से डूबा हुआ छत्तीसगढ़। पूरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ छत्तीसगढ़ और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम 30 हजार करोड़ के नगरनार को खरीद लेंगे। नगरनार के विनिवेश की बात करते हैं। अभी एक नये मेडिकल कॉलेज चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को अधिग्रहण की बात कर रहे हैं। अरे भई, आपके पास सड़क, पुलिया, स्कूल, अस्पताल, ग्रामीण क्षेत्र के गांवों के विकास के लिए तो पैसे नहीं हैं। आप इतनी बड़ी-बड़ी बात करते हैं कि मैं नगरनार का अधिग्रहण कर लूंगा, यह कर लूंगा। इन योजनाओं में फंड लगा दूंगा और यह मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की बात हो रही है। जिस मेडिकल कॉलेज की हालत यह है कि वर्ष 2017 से जिसका मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता ही नहीं है उसमें कोई बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं वह तीन सालों से वर्ष 2017, वर्ष 2018, वर्ष 2019, वर्ष 2020-21 वहां पर कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है वह मेडिकल कॉलेज, जिसको वर्ष 2018 में अनियमितता के आरोप लग चुके हैं, वह मेडिकल कॉलेज जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बिक चुका है। वह मेडिकल कॉलेज जिसकी स्थिति ऐसी है कि जिस मेडिकल कॉलेज के लिए कोर्ट में, इसको जिस मालिक ने खरीदा था, एडवांस में 37 करोड़ रूपये पेमेण्ट किया था, वह कोर्ट में केस लगाया है। आप बजट में उस 37 करोड़ रूपये का भी प्रावधान रख दीजिए। मुझे समझ में नहीं आता। मैं कल इन योजनाओं, बाकी विषयों में बोलूंगा। मगर आपकी वित्तीय स्थिति कितनी है? आप वित्तीय स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ को किस प्रकार ले जाना चाहते हो?और छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? आप विकास को कहां ले जाना चाहते हैं? आप निजीकरण

की बात करते हैं। आप नगरनार खरीद लेंगे, मगर आप मेडिकल कॉलेज को इस विषय को लेकर अधिग्रहण कर रहे हो कि उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो इस प्रदेश में 20 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के 8 हजार बच्चे भटक रहे हैं। यदि अधिग्रहण करना है तो उस इंजीनियरिंग कॉलेज को अधिग्रहित करिये जिन इंजीनियरिंग कॉलेजों में 8 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी चिंता करिये। परिवार के तो मेडिकल कॉलेज का तो बहुत जल्दी अधिग्रहण हो गया, मगर उस पूरे छत्तीसगढ़ के हजारों-हजार नवयुवकों को जहां पर इंजीनियरिंग की शिक्षा दे रहे हैं, उस इंजीनियरिंग कॉलेज की चिंता करने वाला कोई नहीं है। यदि उसकी चिंता होती तो इस बजट में छोटे-मोटे प्रावधान होते तो निश्चित रूप से मुझको लगता कि इसकी कोई बेहतर स्किम होती। इस बजट में और ढाई साल आते-आते जब मैं यात्रा की बात करता हूँ इनकी जो फ्लैक्सिप स्कीम है, नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी। ढाई साल, पौने 3 साल होने के बाद आज भी राज्य सरकार पहले शुरू में भाषण और अंत में इसी बात का जिक्र करते हैं। मगर पूरे बजट को देखने के बाद में समझ में आता है कि पूरी की पूरी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के सारे ये इनके फ्लैक्सिप स्कीम चल रहे हैं। आज वहां पर गौठान की क्या हालत है ? गोबर और उसकी व्यवस्था की क्या हालत है ? इन सारी व्यवस्थाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि यह पूरी सरकार पूरे तरीके से फ्लैक्सिप स्कीम में असफल हुई है। यह सरकार असफल हुई है जिन मुद्दों को लेकर यह सत्ता में आयी है जो इस सरकार का मुद्दा था। जो जनघोषणापत्र था, हमारे सामने उसके बनाने वाले बैठे हैं। कभी क्या जनघोषणापत्र को पलटाकर देखा गया है ? जन घोषणापत्र की कंडिकाओं के आधार पर बजट का आवंटन हुआ है क्या उन मुद्दों को एड्रेस करने का काम हुआ है। जिस विषय को लेकर सत्ता में आये हैं उनको भूला दिया गया है, उन योजनाओं में उनका कोई प्रावधान किया गया है ? वह सारे विषय जो जन घोषणापत्र में अधूरे हैं जिन जन घोषणापत्र की बात की गई थी, इस प्रदेश में नवयुवक 10 लाख घूम रहे हैं, जन घोषणापत्र में कहा गया था कि नवयुवकों को ढाई हजार रूपये बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। आज ढाई, पौने तीन साल का समय हो गया। आज वह नवयुवक पूछ रहा है कि बेरोजगारी भत्ता, एक लाख नवयुवकों को रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, 14500 पुलिस, शिक्षाकर्मी जिनकी 2 सालों से सारी प्रक्रिया हो गई है, उनको भी अब शिक्षक नहीं बना रहे हैं। वह बूट पॉलिस करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उनकी हालत यह है कि वह गली-गली में घूम रहे हैं उनकी कहीं भी नियुक्ति नहीं हुई है। पी.एस.सी. पूरी तरीके से बंद है। इन ढाई सालों में सारी व्यवस्था, जन घोषणापत्र में बड़े-बड़े विषय रखे गये थे, उन्होंने कहा था कि किसानों को 2 सालों का बोनस देंगे, न किसानों को बोनस मिला, न वृद्धावस्था पेंशन मिली न दिव्यांग पेंशन मिला, न निराश्रित पेंशन मिला। गरीबों की स्थिति और खराब से खराब होती जा रही है। इस स्थिति में पूरे छत्तीसगढ़ की आज यह स्थिति है कि आवास की योजना, बाकी योजना भी बंद है। मैं एक प्रावधान देख रहा था। बजट में कोविड-19 के लिए इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्री -पेयरनेस, यह विषय रखा गया है। आज

छत्तीसगढ़ में कोरोना से मृतक परिवार जिसमें 90 प्रतिशत गरीबी सीमा के नीचे लोग हैं, गरीब लोग हैं और जो ईलाज करते-करते चार लाख, पांच लाख, छै लाख रूपए खर्च करके घर मकान बेचने की स्थिति आ गयी और सब कुछ बेचने के बाद भी उनकी मौत हो जाती है। ऐसे हजारों परिवार छत्तीसगढ़ में हैं। उन परिवारों की चिंता मुझे लगता था कि सप्लीमेंट्री में कुछ तो प्रावधान होगा। जब अन्य राज्यों की बजट और उन राज्यों की योजनाओं को देखता हूं, जब मैं उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश की योजना देखता हूं, अन्य राज्यों की योजना देखता हूं, उन राज्यों में इवन दिल्ली जैसा छोटा केन्द्र शासित राज्य वहां की योजना को देखता हूं कि वहां पर यदि कोविड से मौत हुई है तो 50 हजार रूपए, मध्यप्रदेश में 1 लाख रूपए अन्य राज्यों में तो पांच लाख रूपए तक दिया जा रहा है। उस मृतक परिवार के लिए पांच पैसा भी तो दे देते। इस बजट में कम से कम रिस्पांस सिस्टम को छोड़कर 400 करोड़ शेष का क्या हो रहा है। उस पैसे का उपयोग उन गरीब परिवारों की आजीविका के लिए होता, उनकी बेहतरी के लिए होता, उनके संसाधन बढ़ाने के लिए होता। उन गरीबों को एक लाख रूपए दे दिए होते। मैं तो कहता हूं कि जितने मरीज, जितने लोग 10 लाख की संख्या में जिन्होंने ईलाज कराया है। अन्य राज्यों में रेम्बर्समेंट की 100 प्रतिशत व्यवस्था है। क्या उनके 3 लाख, 4 लाख के बिल जो उनके पास पड़े हुए हैं, वे जीवित हैं या मर गये हैं, उनके परिवारों को उस पेमेंट का सरकार पेमेंट करने के लिए अन्य राज्यों की तरह योजना बना सकती है। यह राहत होती, यदि मेडिकल कॉलेज खोलने में जो पैसा बर्बाद कर रहे है, खर्च कर रहे हैं, यदि उन गरीबों को मदद होता तो लाखों परिवार धन्यवाद देते जिन लोग कोविड से प्रभावित रहे, पीड़ित रहे और जिन परिवारों की मौत हुई है, उनको देखने की जरूरत थी। मुझे लगता है कि यह चिंता इस बजट के प्रावधान में करना चाहिए। क्योंकि हम बहुत बड़ी-बड़ी बात कहते हैं। मैं जब बजट के प्रावधान को देख रहा था, वित्तीय स्थिति को देख रहा था। इसमें अनुपूरक में 2,485 करोड़ का बजट है, उसमें 1,434 करोड़ राजस्व व्यय है और 1050 करोड़ का पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय में बड़ा हिस्सा एक ही आईटम है। 500 करोड़ तो अकेला जल जीवन मिशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और एक हजार करोड़ से ज्यादा की राशि केन्द्र के हैं, जो पूंजीगत व्यय में है। मैं जब बजट की बात कर रहा हूं तो 2021-22 के मूल बजट है, वहां से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मूल बजट में 97,106 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, यदि इन सबको अनुपूरक को मिला दें तो 97,106 करोड़ का बजट है। उपाध्यक्ष महोदय जी, इसमें मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं, वह गंभीर विषय है। 97 हजार करोड़ रूपए जो राशि है वह आज तक के 106 करोड़ रूपए जो मूल बजट का प्रावधान है, उसमें 83,027 करोड़ पूंजीगत व्यय है। 13 प्रतिशत पूंजीगत व्यय है और पूंजीगत व्यय सिर्फ 13,839 करोड़ है। इसका मतलब यह हुआ कि 97,000 करोड़ में 83,000 करोड़ रूपए खर्च किया गया और किसमें किया गया ? पेंशन, ब्याज, भुगतान, अनुदान, सब्सिडी किसमें खर्च किया गया ? 87 प्रतिशत राशि पूरे बजट का जो खर्च हो रहा है, पेंशन, ब्याज, भुगतान, सब्सिडी में खर्च हो रहा है और इसकी राशि 83,000 करोड़ रूपए

होती है। हम बजट देखकर बड़ा खुश होते हैं, ताली बजाते हैं और मेज थपथपाते हैं कि कितना बड़ा बजट का साईज हो गया है, 97,000 हजार करोड़ रूपए हो गया है। एक लाख करोड़ तक जा रहे हैं। मगर उसमें खर्चा पूंजीगत व्यय कितना हो रहा है ? पूंजीगत व्यय 13 हजार 829 करोड़ की राशि खर्च हो रही । यह स्थिति है कि केवल इस पूरे बजट में उपयोग के लायक जो फंड है 13 हजार करोड़ है । पूरे छत्तीसगढ में जो डवलपमेंट करना है कर लो इसलिए सारी योजनाएं बंद हो रही हैं । ग्रामीण विकास की सारी योजनाएं बंद हो गयीं । मैं विधायक लोगों के भाषण सुन रहा था । ग्राम गौरव योजना बंद हो गई, पचरीकरण का काम बंद हो गया, चरणपादुका योजना बंद हो गयी, कन्यादान योजना बंद हो गई । सारी योजनाएं बंद होती जा रही हैं क्यों ? क्योंकि आप केवल और केवल 13 हजार करोड़ में पूरे साल भर पूरे छत्तीसगढ़ की सारी योजनाओं का क्रियान्वयन और निराकरण कैसे करेंगे ? यह मूल कारण है जिसकी वजह से इस बजट का जिस मूल बिंदु की ओर मैं ध्यानाकर्षित करा रहा था । यह स्थिति छत्तीसगढ़ की है कि केवल 13 हजार 800 करोड़ का बजट में पूरा साल भर का खर्च होता है और राजस्व घाटा 3702 करोड़ और 17461 करोड़ वित्तीय घाटा । प्रथम अनुपूरक को यदि मिला दें तो राजस्व घाटा बढ़कर 5137 करोड हो जाएगा और वित्तीय घाटा 19996 करोड़ हो जाएगा । जो राज्य के जीएसडीपी का 5.6 प्रतिशत है यह महत्वपूर्ण विषय है कि जीएसडीपी का जो कुल घाटा है वह 5.6 परसेंट राज्य के जीएसडीपी का है जबकि एफआरबीएम एक्ट के अनुसार इसको 3 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए । यह 3 प्रतिशत से ज्यादा जाता नहीं लेकिन यह बढ़ते-बढ़ते 5.6 प्रतिशत हो गया, यह स्थिति छत्तीसगढ़ की है और छत्तीसगढ़ में इन योजनाओं में जो पैसा दिल्ली से भी आ रहा है । मैं अभी कर्ज की स्थिति बताउंगा कि कितना कर्ज बोझ है और कितना ब्याज है । मैं तो अभी यह बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से जो पैसा आ रहा है, जो केंद सरकार से आ रहा है, 53.5 परसेंट राशि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के टोटल बजट एलोकेशन में है यानी बड़ा पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है । राज्य सरकार के स्वयं के बजट की राशि कम है बल्कि केंद्र सरकार लेकिन केंद्र सरकार से यदि जल जीवन मिशन में 7 हजार करोड मिल रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने 500 करोड़ का प्रावधान इसलिए रखा है कि इसको रखना आपके लिये जरूरी है, जल जीवन मिशन के लिये लेकिन जल जीवन मिशन का हो क्या रहा है ? उस योजना का यदि ईमानदारी से क्रियान्वयन हो जाता, छत्तीसगढ के गांव-गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो जाती, पीने के पानी के लिये हो जाता, उसमें भी बड़ा करप्शन । पहले दिन ठेका होते-होते टेंडर में ठेकेदारों के साथ बोली लग जाती है और अंत में यह होता है कि उस टेंडर को पूरा निरस्त करना पड़ता है, यदि केंद्र सरकार की योजनाओं की बंदरबांट होगी, इस प्रकार के हालात यदि केंद्रीय योजनाओं की होगी । केंद्र से मिलने वाले पैसे का जिस प्रकार दुरूपयोग हो रहा है और फिर केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि पैसा नहीं देते। आप उसका क्रियान्वयन कैसे कर रहे हैं, क्रियान्वयन करेंगे तो उस

पैसा का सही उपयोग होगा । क्रियान्वयन आप नहीं कर पा रहे, आप तो गरीबों के लिये छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा नुकसान इस ढ़ाई साल की सरकार ने किया है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उस क्षेत्र से आते हैं जहां गरीब बहुत बड़ी संख्या में वनवासी क्षेत्र के लोग रहते हैं, आवासहीन लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नुकसान किसी बड़ी योजना में ढ़ाई साल में हुआ है तो इस सरकार के बदलने का सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है जिसको आप फील्ड में देखेंगे, धरातल में देखेंगे । पिछले साल का सब मिलाकर 7 लाख आवास स्वीकृत गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने 60 परसेंट फण्ड, केंद्र सरकार को जो ग्रांट होता है वह भेज दिया । 40 परसेंट देने के लिये 700 करोड़ इनके पास पैसे नहीं हैं, वह पूरे 7 लाख आवास केंद्र सरकार को लौट जाता है । 7 लाख गरीबों के मकान नहीं बनते लेकिन चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज का अधिगृहण होगा । 7 लाख गरीब परिवार आने वाले वर्ष 2021-22 के लिये फिर 7 लाख, 14 लाख लोगों के आवास यदि आप 14 सौ करोड़ का पैसा खर्च कर देते, गरीबों का आशियाना बन जाता, गरीबों के जीवन में परिवर्तन आ जाता । गरीब अपना बेहतर जीवन जी सकता । सरकार बदलने का नुकसान क्या होता है, सरकार बदलने का बड़ा नुकसान होता है गरीबों के लिये जिस प्रकार से आवास की योजना बननी चाहिए, बनती है लेकिन राज्य सरकार की आर्थिक विफलता से वित्तीय प्रबंधन न होने से इस प्रकार की बड़ी योजनाएं जो केन्द्र सरकार से लागू हो रही है, उन योजनाओं में हम पीछे हो जाते हैं और आज उस बजट के प्रावधान न होने की वजह से हमारे वनवासी बंधु भटक रहे हैं और आज गांव-गांव में जो बड़ी योजना थी, वर्ष 2022 तक के लिए सबके आवास चाहे शहरी आवास हो, ग्रामीण आवास हो, इन योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा फंड एलोकेशन की बात थी, उस योजना को आने वाले समय के लिए भी खटाई में डाल दिया गया है। प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य की योजना, आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाएं बंद हो गईं। 50 हजार के स्मार्ट कार्ड की योजना बंद हो गई। यह गरीबों के लिए योजना थी। इस योजना से लाखों लोगों को फायदा मिलता था। उन योजनाओं को बंद करके गरीबों के लिए जो इलाज की व्यवस्था थी, इन बातों का यदि प्रावधान रखा जाता। इन बातों को यदि जोड़ा जाता तो लगता कि छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए कोई चिंता कर रहा है। कोई पैसे की व्यवस्था कर रहा है। मगर ये सरकार इसके लिए चिंता नहीं कर रही है। इन योजनाओं में सरकार वित्तीय स्तर में जर्जर हो चुकी है। अब तक हमारे विधायकों की बात मैं सुन रहा था।

श्री मोहन मरकाम :- डॉ. साहब, 26 हजार करोड़ रूपये केन्द्र से लेना है। वह दे नहीं रहा है, नहीं तो और अच्छी योजनाएं चलती। लगभग 26 हजार करोड़ रूपये लेना है।

डॉ. रमन सिंह :- छत्तीसगढ़ में यदि वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह से चौपट तो हुआ, मगर उससे बड़ी बात मैं सुन रहा था और देख रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी चौपट हो

गयी है। मुझे अनुपूरक में इस विषय को बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करना है, मगर जिक्र इसीलिए कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- समय का ध्यान दें।

डॉ. रमन सिंह :- सर, अभी तो शुरू किया हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- 20 मिनट हो गया।

डॉ. रमन सिंह :- अभी तो मैं पहला पन्ना नहीं पलटा हूं।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- डॉ. साहब, एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। माननीय रमन सिंह जी ने अभी आयुष्मान योजना के संदर्भ में कहा कि बंद कर दी गई है। यह बार-बार गलतबयानी की जाती है। आयुष्मान योजना कभी बंद नहीं हुई है। आयुष्मान योजना के तहत् जो राशि आती है, वह डॉ. खूबचंद बघेल योजना में समाहित है। तो यह गलत जानकारी हमें नहीं देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. साहब, जल्दी कीजिएगा।

डॉ. रमन सिंह :- ठीक है, साहब।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सरकार ने सभी योजनाओं का नाम परिवर्तित करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। खुद में तो कुछ करने की क्षमता है नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, डॉ. साहब बता रहे हैं। आदरणीय आप बैठिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, जो पुरानी योजनाएं हैं, उसका नाम परिवर्तित करने का अभी एक और नया उदाहरण आ गया।

श्री रामकुमार यादव :- जैसे इंदिरा आवास ला आप मन प्रधानमंत्री आवास कर देहौ। इंदिरा आवास ला आप मन प्रधानमंत्री आवास कर देहो।

उपाध्यक्ष महोदय :- बैठिए-बैठिए।

डॉ. रमन सिंह :- मैं कुछ प्रावधानों के बारे में बता रहा था कि कौन-कौन से विषय में क्या-क्या प्रावधान किया गया है और अभी मैं दूसरा महत्वपूर्ण विषय छूने वाला था कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में बोलना चाह रहा था। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति यह है कि 30 जून, 2021 की स्थिति में राज्य सरकार पर 76 हजार 648 करोड़ रूपये का कर्ज है और यह राज्य सरकार के कार्यकाल के प्रारंभ में यह कर्ज 39 हजार करोड़ रूपये था। यानी करीब-करीब ढाई साल में 39 हजार करोड़ रूपये से बढ़ते-बढ़ते 76 हजार करोड़ हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी थी तो उस समय 8 हजार करोड़ रूपये हमारे ऊपर कर्ज था। सरकार के 15 साल में हमने इसे 40 हजार करोड़ रूपये रूपये किया। अब इस 40 हजार करोड़ रूपये को 76 हजार करोड़ रूपये करने में यानी दोगुना होने में ढाई साल नहीं लगा। क्या रफ्तार से कर्ज लिया जा रहा है। 16 हजार, 17

हजार करोड़ रूपये। हम लोग हर साल 2 हजार 200 करोड़ रूपये का कर्ज लेते थे। अब 16 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा का कर्ज हर साल ये दो साल में है और यही बढ़ता रहा तो आने वाले समय में कर्ज की स्थिति होगी 1 लाख 15 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा और इसके बोझ के तले दब जायेगा और ये और महत्वपूर्ण विषय है कि कर्ज तो ले रहे हैं, मगर कर्ज की स्थिति बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार और आज की सरकार, सरकार के बदलने से फर्क क्या आता है। इस ढाई साल में ये वित्तीय स्थिति को कैसे चौपट कर दिये हैं, वह बताना चाहता हूं । आने वाले 10 साल सरकार की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है, यह बताना चाहता हूं । इसको बताने का मतलब यह है कि कर्ज की किश्त और ब्याज पर इस साल 10 हजार करोड़ का भुगतान होना है । जो ढाई साल पहले केवल 3500 या 3600 करोड़ था । 3600 करोड़ कर्ज का भुगतान का बढ़ते-बढ़ते 10 हजार करोड़ तक हो गया । इसका मतलब यह हुआ कि यह सरकार कर्ज के जाल में डूब चुकी है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉक्टर साहब, कृपया समाप्त करें ।

डॉ. रमन सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारे विषय छोड़ दूंगा । मैं दूसरा पन्ना पलटा ही नहीं रहा हूं । मेरे पास 10 पेज हैं मगर मैं 2 पेज तक ही सीमित रहूंगा, तीसरा खोलूंगा ही नहीं ।

श्री संतराम नेताम :- लेकिन सच सच बोलना है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- समय का ध्यान रखें । बाकी अन्य सदस्य भी हैं ।

डॉ. रमन सिंह :- आपकी भी जानकारी बढ़ा रहा हूं । आपको भी तो मदद् मिलेगी, आप भी तो दल की बैठक में बोल सकते हैं । बोल सकते हैं ना ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बोल सकता हूं, ऐसी बात नहीं है । लेकिन आप समय का ध्यान दीजिएगा ।

डॉ. रमन सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुपूरक में ब्याज के अनुदान के लिए 105 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । ये सरकार अब न केवल सीधे कर्ज ले रही है, कर्ज लेने के तरीके कितने जोरदार हैं । अब निगम, मंडल और कंपनियों के जरिये भी गारंटी पर कर्ज लेने लगी है । डायरेक्ट जो कर्ज ले रहे हैं वह तो ठीक है लेकिन अपने निगम, मंडल और कंपनियों के माध्यम से भी कर्ज लिया जा रहा है, जो गारंटी के मूल सिद्धान्त के खिलाफ है । ढाई साल पहले गारंटी पर लिया गया कर्ज मात्र 4565 करोड़ था । उस समय भी लिया जाता था, अभी मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे तो बताएंगे कि आप लेते थे । हां, हमने लिया 4565 करोड़ का गारंटी के आधार पर लिया था, इतने बड़े राज्य के लिए उतना ठीक है । आज ढाई साल बाद में 5.7 प्रतिशत बढ़कर 26 हजार करोड़ हो गया, यह बताना चाहता हूं, जो प्रमुख चीज है । यह जम्प लेकर 4 हजार, 5 हजार करोड़ से बढ़कर 26 हजार करोड़ रूपया हो गया । इस प्रकार यह स्थिति है कि धान खरीदने के लिए 15 हजार करोड़ लें , सड़क बनाने के लिए गारंटी 5 हजार करोड़ लें, वह ठीक है । मगर प्रधानमंत्री आवास के लिए क्यों नहीं लेते ? प्रधानमंत्री आवास के लिए आप हजार करोड़, दो हजार करोड़, तीन हजार करोड़ लोगे, कोरोना की मदद् करने के लिए जितना कर्ज

लेना है ले लो । हम तो पूरी विधान सभा में हाथ उठाकर सहयोग करेंगे कि आप ले लीजिए। उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और खास तौर से मुझे लगता है कि जो नवयुवकों और किसानों के लिए ...।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉक्टर साहब समाप्त कीजिए ।

डॉ. रमन सिंह :- अभी हमारी तरफ से बोलने वाले कम हैं । छत्तीसगढ़ में जिन योजनाओं का जिक्र हो रहा था । अनुपूरक में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 200 करोड़ का प्रावधान है । ठीक है, छत्तीसगढ़ में 12 लाख से ज्यादा भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, आप जानते हैं और जो प्रावधान रखा गया है यदि उसको केल्क्यूलेट करें तो सालाना मात्र 1667 रूपए की राशि आती है । जो मनरेगा में 9 दिन काम करने की मजदूरी के बराबर भी नहीं है, इस 200 करोड़ की राशि का प्रावधान करके यह कौन सी न्याय योजना का लाभ देंगे ? उपाध्यक्ष जी, एक आखिरी बात बताकर मैं समाप्त करूंगा कि केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी, 2021 में 28 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ दिया । केन्द्र सरकार ने दे दिया, 8 अन्य राज्यों ने दे दिया । अब राज्य सरकार को सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को 1 जनवरी 2019 से 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता ही मिल रहा है अर्थात् पिछले ढाई साल से महंगाई भतते में कोई वृद्धि नहीं हुई । इससे सरकार ने अपने 4 हजार करोड़ बचा लिए । उनका बकाया 16 प्रतिशत के भत्ते का प्रावधान अनुपूरक में क्यों नहीं रखा गया है ? इसका जवाब शायद मुख्यमंत्री जी देंगे । आप जिस प्रकार इशारा कर रहे हैं मैं समझ रहा हूं । मैं इस प्रथम अनुपूरक का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद् ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा इंटरवेंशन । छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड मार्च-अप्रैल में 97 लाख बने हैं और आज दिन तक 1 करोड़ 34 लाख कार्ड आयुष्मान के नये बने हैं ।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- कोरोना में इलाज बहुत कम हुआ है । पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना में गिनती के इलाज हुए हैं । कोई हॉस्पीटल इसको स्वीकार नहीं कर रहा था ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आयुष्मान कार्ड बंद होने की बात हो रही थी, इसलिए मैंने जानकारी दी ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- अनुपूर बजट प्रस्तावित किया है। 2 हजार 485 करोड़ 59 लाख 21 हजार 700 रूपये का इसका मैं समर्थन करती हूं और मैं मांग संख्या 2,8,12, 13, 19, 20, 23, 27, 30, 41, 44, 64 और 76 में समर्थन में मैं अपनी बात रखूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों से निवेदन है 17 वक्ताओं नाम आये हैं केवल 6 वक्ता ही बोल चुके हैं बाकी 11 वक्ता बाकी है इसलिए सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है संक्षिप्त में वक्तव्य दें।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी सरकार की अपनी-अपनी प्राथमिकता होती है।

हमारे आने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उनकी अपनी प्राथमिकताएं थी उसको पूरा करते-करते छत्तीसगढ़ शासन छत्तीसगढ़ को 41 हजार करोड़ रूपये का कर्जा सौंप कर गये और हमारी सरकार की अपनी प्राथमिकताएं थी छत्तीसगढ़ की जो आधारभूत संरचना है उसके आधार पर कार्य करना था लोगों की परेशानियां इतनी बढ़ गई थी उसको दूर करना उनकी प्राथमिकता थी और उसके आधार पर जो अनुपूरक बजट पारित किये हैं उसमें सर्वांगीण सभी को सुविधा देने की बात कही गई है। उसमें चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे राजीव गांधी न्याय योजना हो, चाहे गोठान योजना हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे छात्रावास की बात हो, चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे पुर्जीकरण की बात हो, चाहे कोरोना संक्रमण को दूर करने की बात हो सभी समस्याओं को हल करते हुए विकास की स्थिति तक लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने प्रयास किया है और उसका मैं तहेदिल से समर्थन करती हूं। कोरोना काल के इस युग को समस्याओं को हल करते हुए उन्होंने बजट जो रखा है बहुत ही अच्छा है और कोरोना संकट के दरमियान जिस परिवार के माता-पिता खो गये थे उसको छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना के तहत 400 लाख रूपये देने की बात रखी है और उन बच्चों के भरण-पोषण के अलावा उनकी शिक्षा और संपूर्ण सुविधाएं दे रहे हैं वह बहुत ही मानवीय संवेदना से भरा हुआ काम है और सरकार इसमें पीछे नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी सर्वेक्षण कितना कमजोर है छत्तीसगढ़ में और लोग जिसको सरकार की सहायता की जरूरत है ये भी जो कार्य है बहुत ही मानवीय है, लोककल्याणकारी है कि सरकार देख तो रही है कि आर्थिक रूप से कितने लोग पंगू है और उनको किस प्रकार की सुविधा की जरूरत है तो सर्वे के लिए जो बजट दिया है वह भी सराहनीय है उसी तरह से भूमिहीन जो कृषक हैं उनको भी कृषक न्याय योजना के तहत बजट दिया गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अधिकांश किसानों के पास जमीन नहीं है वो रेगहा, अधिया से काम करते हैं और कई लोग वन भूमि है उस पर खेती करते हैं उसको भी किसान न्याय योजना के लिए बजट दिया गया है इसके लिए वह लोग भी खुश हैं उसी तरह से 15 तहसील बनाये गये हैं क्योंकि दूर-दराज के लोगों को तहसील कार्यालय आते-आते उनके पैर के जूते जो है घिस जाते थे और उनको सुविधाएं देना बहुत जरूरी था क्योंकि दूर और वनांचल के लोग जो हैं तहसील कार्यालय आने में हिचकते थे इसलिए उन्होंने 15 तहसील कार्यालय बनाये हैं और उसको भी विकसित करने के लिए बजट दिया है वह भी बहुत ही खुशी की बात है। उसी तरह से मजराटोला में बिजली देने की बात, विद्युतीकरण की बात और कृषि पम्पों के ट्रांसफार्मर के लिए जो बजट रखा गया है, वह भी किसानों के लिए खुशी की बात है। सौभाग्य योजना के लिए भी बजट रखा गया है, ताकि लोगों को सरल तरीके से बिजली मिल सके क्योंकि बिजली की परेशानी को जितना मैं समझती हूं, उतना कोई नहीं समझता । दूर-दराज में 6-6 दिन बिजली नहीं रहती । विपक्ष के सदस्य बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी तो जितने भी

ट्रांसफार्मर लगे हुए थे, वह सब पुराने टूटे-फूटे हैं, वह ट्रांसफार्मर कोई 6 महीने से, कोई 4 महीने से नहीं चल रहे थे । उसको सुधारने का कार्य हमारी सरकार कर रही है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- लक्ष्मी ध्रुव जी, अभी ट्रांसफार्मर खराब होता है तो दो महीने में ट्रांसफार्मर नहीं लगता ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- इस के लिए भी बजट दिया गया है, धमतरी में काम हो जाएगा । नहीं लगता तो मुझे बोल दीजिए, मैं लगवा दूंगा (हंसी)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- आपका भाषण मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, उनको सुनाईए ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- गोठान योजना के लिए विपक्ष के सदस्य कितनी बुराई करते हैं । हमारे बड़े नेता, जो हमारे पड़ोसी हैं, वे तो बहुत ही हंसी उड़ाते हैं । यहां तक कि त्याग-पत्र देने की बात कही गई थी, लेकिन आज गोठान योजना के तहत गो धन न्याय योजना का ग्रामीणों में कितना अच्छा संदेश है, लोग गोबर से भी पैसा कमा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी दिल से सुविधाएं दे रहे हैं, इसकी सराहना करनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, उसी तरह से साजा में 50 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल और कोविड के लिए सामग्री, मगरलोड ब्लॉक में 20 बिस्तर का ऑक्सीजन बेड, नगरी में भी 10 बिस्तर का ऑक्सीजन बेड, धमतरी में 28 वेंटीलेटर का कार्य कराया जा रहा है । हमारे शासनकाल से चौगुने बिस्तर बढ़ायी गई है और कोविड की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी की गई है । इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं । उसी तरह से जल जीवन मिशन के तहत मेरे सिहावा विधान सभा क्षेत्र में पानी की इतनी कमी हैं, लोग दूर-दराज वनांचल में रहते हैं, वहां शुद्ध पेयजल की आवश्यकता है । सिहावा विधान सभा क्षेत्र में 832.32 लाख रूपए की योजना है, उससे निश्चित तौर पर लोगों को शुद्ध जल मिलेगा और पानी की समस्या दूर होगी ।

समय :
4:52 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, उसी तरह से बांध, पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के लिए बजट लाया गया है । धमतरी, रूद्री, मुरमसिल्ली, मुंगेली, दूधावा, बलौदाबाजार, रायगढ़ और भाटापारा के बांधों को सुधारने के लिए और रूद्री बांध से विस्थापित लोग हटाये गए थे, जब भारतीय जनता पार्टी 15 साल शासन में थी तो वे लोग 15 सालों से चिल्लाते रहे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया । रूद्री से जो विस्थापित हुए हैं, वे कल-परसों ही मेरे पास आये थे, मैं उनका दु:ख सुन रही थी । उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने बजट रखा है, वह भी मानवीय संवेदना का बहुत बड़ा पहलू है ।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की बात कहूं, मैं पिछले 15 सालों की स्थिति को देखती हूं तो मेरे सिहावा विधान सभा क्षेत्र में जब मैं पहली बार चुनाव लड़कर गई तो दूर-दराज के स्कूल बिना शिक्षकों के चल रहे थे, वहां शिक्षण थे ही नहीं और प्रशिक्षण की हालत बहुत खराब थी, ऐसी स्थिति में अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सारे स्कूलों के लिए शिक्षक की व्यवस्था की है, ताकि हमारे प्रदेश के बच्चों का आधार मजबूत बन सके, वह बिना शिक्षक के नहीं हो सकता । शिक्षक देने का जो प्रावधान रखा गया है, वह भी बहुत सराहनीय है । स्वामी आत्मानंद स्कूल जो हर ब्लॉक में खोला गया है, वह बहुत ही स्वागतयोग्य है क्योंकि शहर के बच्चे अंग्रेजी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन गांव में अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की भी कमी थी और बिना अंग्रेजी के उनका ज्ञान केवल प्रदेश तक ही सीमित रह जाता था । बच्चों को इंटरनेशनल लेवल तक लाने के लिए अंग्रेजी एक माध्यम है और एक-एक ब्लॉक में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला गया है, ताकि हमारे बच्चे आत्मनिर्भर हों और न केवल प्रदेश में, बल्कि दुनिया में भी सेवा दे सके । आज की जो आधुनिक तकनीक है, उसको भी समझने के लिए अंग्रेजी भाषा की सख्त जरूरत है। जो ग्लोबल ज्ञान है, उसको प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंग्रेजी माध्यम शाला खोला है, वह बहुत ही सराहनीय पहल है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत काम हुए हैं, मनरेगा के तहत काम दिलाए गए हैं, वह सराहनीय है। कोरोना काल में सब जगह काम बंद था। लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में करोड़ो रूपये का रोजगार लोगों को दिया है, जिससे लोग कोरोना काल से उबर सके। ऐसा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, वह भी एक सराहनीय कदम पहल है।

माननीय सभापति महोदय, उसी तरह से माडल डिग्री कालेज खोल दिया गया, दुर्ग, राजनांदगांव तथा रायपुर में खोला गया। कालेज खोल तो दिया गया, लेकिन बच्चों के पढ़ने के लिए कमरे नहीं थे, ना ही प्रोफसर थे, ऐसी स्थिति में जो सामान्य कालेज है और माडल कालेज है, उसमें कोई अंतर नहीं रह गया है। डिग्री कालेज के प्रोफेसर उन्हें पढ़ाने जाते थे। उनके ऊपर काफी वर्कलोड होता था कि वे इधर काम करे या इधर काम करें। बेचारे प्रोफेसर वर्कलोड से परेशान रहते थे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको सोचा और इनके लिए जो सरंचना चाहिए, जो प्राथमिक आधारभूत सरंचना चाहिए, वह सब देने के लिए बजट रखा गया है, वह भी बहुत सराहनीय है। कालेज खोल तो देते हैं, लेकिन जब कालेज खोलते हैं तो उसके अनुसार तुरन्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। जिससे उस माडल कालेज के बच्चे, माडल कालेज के प्रति उनका जो आकर्षण था, वह कम हो जाता था। बड़े हाशियार बच्चें थे, 80 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चें थे। लेकिन जब उनको पढ़ाने जाते थे, उनकी सुविधाओं को देखते थे तो बच्चें बेचारे परेशान हो जाते थे, वह कहते थे कि मैडम, हम क्या सोचकर आये थे और यहां क्या हो रहा है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको समझा और इसमें बजट दिया है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है।

माननीय सभापति महोदय, उसी तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति और छात्रावास की व्यवस्था की गई है, क्योंकि बच्चें दूरदराज में रहते हैं, बिना छात्रावास के पढ़ाई नहीं हो सकती है। उनके लिए जो सुविधाएं दी गई हैं, वह एक अच्छा कदम है। छत्तीसगढ़ की जो रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए विदेशी सहायता से प्राप्त है, मेरे सिंहावा विधानसभा क्षेत्र को भी यह सौभाग्य मिला है। दुधावा, नगरी और बासिन का सौ किलोमीटर के मार्ग का पुन: निर्माण और उन्नतिकरण किया जा रहा है, वह भी एक अच्छा पहल है। इससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, विशाखापट्टनम तक की सुविधाएं मिलेंगी और कनेक्टिविटी मिलेंगी।

सभापति महोदय :- कृपया संक्षेप में बोलेंगी।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- इसी तरह हमारे यहां पुल भी मिला है। हमारे यहां बड़े-बड़े पुल की आवश्यकता थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है, ताकि लोगों को आवागमन की सुविधा हो। इस प्रकार से उन्होंने हर पहलू को जमीन से, करीब से देखा तथा महसूस किया है। उस अनुसार लोगों की प्राथमिक आवश्यकता क्या है, बड़े-बड़े ख्वाब और सपने की बात नहीं, जो आधारभूत समस्याएं थी, उनको हल करने का प्रयास किया है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस अनुपूरक मांग के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय चंदूलाल चन्द्राकर मेमोरियल हास्पिटल के लिए 75 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं आपका इस बात का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपसे सरंक्षण पाना चाहता हूं कि जिस मेडिकल कालेज का अधिग्रहण हुआ ही नहीं है, जिस मेडिकल कालेज का बिल कल विधानसभा में पेश होगा और वह बिल जब पास हो जायेगा, गवर्नर साहब की अनुमति मिल जायेगी उसके बाद वह शासकीय सम्पत्ति होगी, तो आज हम कैसे पास कर देंगे? हम किस कानून के तहत, किस दायरे के तहत 75 करोड़ रूपये आज की तारीख में देंगे ? जब तक गवर्नर साहब का एक्शन उस बिल पर नहीं हो जाता, तब तक वह निजी सम्पत्ति है। हम किस कानून के तहत निजी सम्पत्ति को 75 करोड़ रूपये दे सकते हैं ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि किस कानून के तहत निजी सम्पत्ति को 75 करोड़ देंगे ? आज की तारीख में वह निजी सम्पत्ति है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पहलू पर जवाब देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी तो इस बजट पर ही प्रश्नचिन्ह लग गया। इसलिए यह जवाब यह अनुपूरक पारित हो सकता है या नहीं ? जो हमारे किसी मद में उल्लेख नहीं है, जब यह विषय शासकीय हुआ ही नहीं है, इसका बजट में प्रोविजन कैसे हो सकता है ? ये चन्दूलाल चन्द्राकर कहां से आ गया ? जब तक बिल पास नहीं हुआ है, गर्वनर का दस्तखत नहीं हुआ है, नोटिफाईड नहीं हुआ है, विधान सभा की संपत्ति नहीं बनी है, बिल में तो यह भी लिखा है कि विधान सभा के पटल पर उसके नियम रखे

जायेंगे । जब कुछ भी नहीं हुआ है तो बजट में यह पैसा कैसे आ गया ? यह तो शासकीय धन का दुरूपयोग है । यह तो दुरूपयोग भी नहीं है, शासकीय धन का अमानत में खयानत है । यह कैसे आ सकता है ? इसके ऊपर में निर्णय आना चाहिये ।

श्री सौरभ सिंह :- जब तक इस पर निर्णय नहीं आयेगा, चर्चा का क्या मतलब ? माननीय मंत्री जी का जवाब आ जाये । आज की तारीख पर यह निजी संपत्ति है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह तो विधान सभा की अवमानना है ।

श्री सौरभ सिंह :- आज की तिथि में चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पीटल निजी संपत्ति है । निजी संपत्ति पर हम 75 करोड़ रूपये की एलोकेशन की चर्चा कैसे कर सकते हैं ?

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- जब इसमें पूरा जवाब आयेगा...।

श्री सौरभ सिंह :- इतना बता दीजिए, आज की तारीख पर चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पीटल निजी संपत्ति है । हम निजी संपत्ति पर बजट का एलोकेशन कैसे कर सकते हैं । किसी निजी संपत्ति पर बजट का ऐलोकेशन हो सकता है । हम अनुपूरक में बजट 75 करोड़ रूपये एलोकेट कर रहे हैं ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- वोमा तैं हा चर्चा झन कर, झंझट खत्म । दूसर में चर्चा कर ।

श्री सौरभ सिंह :- यह एलोकेशन कैसे हो रहा है, यह गलत है । यह अनुपूरक गलत है । हम पैसा कैसे अलोकेट कर सकते हैं । आज की तारीख पर वह निजी संपत्ति है । निजी संपत्ति पर हम कैसे पैसा एलॉट कर सकते हैं । इस पर क्यों चर्चा हो रही है ?

डॉ.शिव कुमार डहरिया :- चर्चा मत करना ।

श्री सौरभ सिंह :- यह गलत है, यह सरकार के पैसे का दुरूपयोग है । जनता के पैसे का दुरूपयोग है ।

सभापति महोदय :- सौरभ जी, आप अपनी बात आगे कहिये ना ? उसके बारे में बाद में बात आयेगी ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, इसके आगे कोई बात ही नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वित्त मंत्री जी आ गये हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी आ गये हैं । जब तक इस सदन की संपत्ति, बिल बना हुआ है, उस कालेज का शासकीयकरण नहीं हुआ है, तब तक बजट उसका उल्लेख कैसे हो सकता है । हम नियम कानून कायदा जानना चाहते हैं । सदन में विनियोग विधेयक पर चर्चा करना एक महत्वपूर्ण विषय है । अगर हमारा बिल ही गलत है, हम जो खर्चे का अधिकार मांग रहे हैं, वह अधिकार मिल ही नहीं सकता । नियम विरूद्ध है ।

श्री सौरभ सिंह :- आज की तारीख पर वह निजी संपत्ति है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह बिल पारित ही नहीं हुआ है ।

श्री सौरभ सिंह :- अभी विधेयक विधान सभा से पारित नहीं हुआ है । विधान सभा से विधेयक कल पास होकर गवर्नर के पास एक्सेंट होगा, राजपत्र में प्रकाशित होगा, उसके बाद वह सरकारी संपत्ति होगी । आज की तिथि में वह सरकारी संपत्ति नहीं है ।

श्री रामकुमार यादव :- सौरभ जी ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- भविष्य की योजनाओं के लिए रखा जाता है । डॉ.साहब भी रखते थे । आपको कुछ पता है नहीं ।

श्री सौरभ सिंह :- तब आपको बोलना था ।

सभापति महोदय :- यह बातें मुख्यमंत्री जी के जवाब में आ जायेगी । आप आगे बात रखिये ना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह पूरे विनियोग विधेयक पर चर्चा हे रही है, यह पूरा विनियोग विधेयक ही इन्फेक्सेस हो गया, पूरा गलत हो गया ।

सभापति महोदय :- बजट में उन सभी बातों का प्रावधान किया जाता है, जो सरकार की कार्ययोजना होती है । कार्ययोजना यदि भविष्य की है, उस पर चर्चा तो हो ही सकती है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, जो चीज अस्तित्व में ही नहीं है, उसके बारे में हमचर्चा कैसे कर सकते हैं । आज की तारीख में तो वहअस्तित्व में ही नहीं है । वह बजट में कैसे आ जायेगा ?

श्री सौरभ सिंह :- वह शासकीय संपत्ति ही नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह बजट में कैसे आ सकता है ? यह गलती हुई है, सरकार को यह गलती मानना चाहिये । गलती मानकर डिलिट करना चाहिये । यह बहुत बड़ी गलती है । जो चीज अस्तित्व में नहीं है, उसके लिए आप कैसे खर्च मांग सकते हैं ?

श्री सौरभ सिंह :- वह तो सरकारी संपत्ति ही नहीं है । आज की तारीख पर वह निजी संपत्ति है ।

सभापति महोदय :- सदन में आपकी बात आ गई है । आप आगे बात करिये।

श्री रामकुमार यादव :-माननीय सभापति जी, एमन जैसना कानून बनाथे, जहां सदन में चर्चा नई होवय, लागू कर देथे एमन ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि एक बार स्पष्ट हो जाये, जिस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वह हाऊस का प्रापर्टी ही नहीं है । जब वह पारित हो जायेगा, तब वह शासकीय होगा । हमको मालूम है कि पारित होने के बाद राज्यपाल महोदय के पास भेजते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन होता है, फिर शासकीय होने पर प्रावधान रखेंगे । अभी तो है ही नहीं, प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, जो आज सरकार के अस्तित्व में नहीं है । वह प्राइवेट है। इसलिए आपने जो अनुपूरक में चंदुलाल चन्द्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए

अनुपूरक में बजट प्रावधान किया है, उसमें जो चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी वह चर्चा करना ही ठीक नहीं है। इसलिए उसमें पहले मंत्री जी का जवाब आ जाये और उसको बतायें नहीं तो इसको डिलीट करें और डिलीट करने के बाद में उसको चर्चा करायें, संशोधित करें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय विद्वान सदस्य सौरभ सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष जी इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि अभी जब खरीदे ही नहीं हैं, अभी एक्ट ही नहीं बना तो उसकी व्यवस्था बजट में क्यों रखी गई है? सभापति महोदय, हमने पिछले सत्र में भी घोषणा की थी कि हम उसको शासकीयकरण करेंगे, उसका अधिग्रहण करेंगे। हम लोगों ने अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू की, कैबिनेट में चर्चा हुई। सरकार की पूरी मानसिकता ही है कि उसको अधिग्रहण करना है और अधिग्रहण करना है तो उसके लिए तो प्रावधान करना ही पड़ेगा। यदि प्रावधान नहीं करेंगे, उसके लिए जब एवार्ड पारित होगा तो execute हो जायेगा, जब तक नहीं होगा तब तक execute नहीं होगा, वह राशि पड़ी रहेगी, जब execute हो जायेगा तो वह राशि उपयोग होगी। इसमें आपत्ति वाली क्या बात है ?

समय :
5.06 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या इसके शासकीयकरण करने के संबंध में कोई अधिसूचना जारी हुई है ? जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो, जब तक हमारा मद खुल ही नहीं सकता। हमारा ये मद बिना अधिसूचना के जब वित्त विभाग के किसी मद में इसका प्रोविजन नहीं है तो यह 75 करोड़ रुपये कैसे आ जायेगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, चंदूलाल चन्द्राकर मेडिकल कॉलेज को शासकीयकरण करने के लिए यहां पर बिल पेन्डिंग है। उस बिल के पेन्डिंग रहते हुए अनुपूरक बजट में 75 करोड़ रुपये की मांग कर दी गई है। जब कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं है तो उसके लिए पैसा कैसे खर्च किया जा सकता है ? शासकीय रिकार्ड में कहां पर है, क्या कोई उसकी अधिसूचना जारी हुई है ? क्या उसके लिए कोई प्रोविजन किया गया है ? जब तक ये नहीं होगा तो वह अनुपूरक बजट में कैसे आ सकता है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग बहुत सारी योजनाओ की घोषणा करते हैं। योजना अस्तित्व में नहीं होती है लेकिन उसके लिए बजट का प्रावधान करते हैं। अभी हम लोगों ने जैसे भूमिहीन कृषक मजदूरों के लिए योजना लाई है, वह योजना तो लागू हुई नहीं है लेकिन योजना के लिए प्रावधान तो कर रहे हैं। आज बजट में प्रावधान किये हैं, उसको हम लेकर execute करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज बजट प्रस्तुत हुआ और राज्यपाल से हस्ताक्षर होकर आ गया और दूसरे दिन बांटना शुरू कर देंगे ऐसा तो होगा नहीं। बहुत सारी योजनायें अस्तित्व में होती नहीं हैं फिर भी बजट में प्रावधान किया जाता है और हमेशा होता आया है। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मुख्यमंत्री जी टेक्नीकल गलती हुई है। शासकीय योजनाओं की बात अलग है। हम एक बिल के माध्यम से किसी चीज को अधिग्रहित कर रहे हैं। उसको अधिग्रहित करने के लिए पहले कोई कार्य योजना, कोई अधिसूचना नहीं है और आप उसका बजट में प्रोविजन कर दें। क्योंकि दोनों सदन की संपत्ति है, वह बिल भी सदन की प्रापर्टी है और ये विनियोग विधेयक भी सदन की प्रापर्टी है। जो चीज सदन में पारित नहीं हुई है उसके बारे में हम विनियोग में कैसे खर्च करने की अनुमति मांग सकते हैं ? मैं आपसे ही जानकारी चाहता हूं कि कौन से नियम, कायदे, कानून के अंतर्गत विनियोग में खर्च करने की अनुमति मांग सकते हैं, जरा आप मुझे बता दें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिग्रहण की बकायदा मंत्रिमंडल से मंजूरी हुई है और मंत्रिमंडल से मंजूरी के बाद यह तय हो चुका है कि अधिग्रहण करना है तो अनुपूरक में प्रावधान रख रहे हैं तो कौन सा गलत काम है। यह बिल्कुल ठीक है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने कहा कि आपकी मंजूरी से नहीं होता।

श्री धरमलाल कौशिक :- कैबिनेट में कई बातें आती हैं।

श्री भूपेश बघेल :- अंतिम हस्ताक्षर तो राज्यपाल जी का होता है। इसमें मनी बिल भी राज्यपाल के हस्ताक्षर से आया होगा तभी तो प्रस्तुत हुआ है। मनी बिल में राज्यपाल का हस्ताक्षर हो गया तभी तो प्रस्तुत हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता हूं कि इसमें सदन का वक्त जाया किया जाना चाहिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अकबर जी जो बोल रहे हैं कि हमने उसको कैबिनेट में तय कर लिया और कैबिनेट में तय करने के बाद में हम कर सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कैबिनेट में आप कई बातें तय करते हैं और तय करने के बाद में उसकी क्या स्थिति बनती है, हम सबको मालूम है। आरक्षण को लेकर के आपने कैबिनेट में तय कर लिया और तय करने के बाद में आपने जारी भी कर दिया और विधानसभा में आपने नहीं लाये और मामला कहां अटक गया ? ऐसा थोड़ी माना जायेगा कि आपने कैबिनेट में तय कर लिया तो वह विधानसभा से पारित हो गया। ऐसा नहीं होता। इसलिए बृजमोहन जी जो पूछ रहे हैं उसके लिए किस नियम, कानून के तहत में अनुपूरक में प्रावधान किये हैं, उसको आप बतायेंगे। केवल कैबिनेट की मंजूरी से नहीं होगा, अधिसूचना जारी करने से होगा।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केबिनेट में पारित होने के बाद अलग अलग कई किस्म के विषय होते हैं। किसी की प्राथमिकता होती है किसी को बाद में करना है। ये सरकार का विवेक में है कि किसको पहले लाये किसको बाद में लाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये सदन की संपत्ति ये बिल भी है सदन की संपत्ति विनियोग विधेयक और जब सदन में वो बिल पास नहीं हुआ है तो विनियोग विधेयक में उसका उल्लेख करना ये तो नियम

के कानून के विरूद्ध है। हम तो कानून बनाने जा रहे हैं और कानून के लागू होने से पहले ही हम बजट में उसकी व्यवस्था कर रहे हैं तो ये कहां से आ गया जब उसकी मां ही नहीं है तो बच्चा कैसे पैदा हो गया ? तो ये तो बिना मां के बच्चा पैदा कर रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, अभी तो प्रावधान किया गया है खर्च कहां किया गया है। सिर्फ प्रावधान बजट में किया जा रहा है ना एक अनुमान लगा के प्रावधान कर रहे हैं। विनियोग पास नहीं होगा तो खर्चा नहीं होगा। रिएप्रोप्रियेट हो जाएगा और अगर बिल पास होगा तो हम उसमें खर्चा करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एनाउंसमेंट आप किसके लिए कर सकते है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप तो सिर्फ प्रावधान ही करते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जो चीज अस्तित्व में हो उसके लिए आप प्रावधान कर सकते हैं। जो चीज अस्तित्व में नहीं है उसके लिए आप प्रावधान कैसे कर सकते हैं। जब चन्दूलाल चन्द्राकर महाविद्यालय शासकीय हुई नहीं है तो आप कैसे प्रोविजन करेंगे।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- इन एडवांस प्रावधान क्यों नहीं कर सकते ? आपकी जानकारी में कोई नियम है तो आप बता दीजिए।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- चन्दूलाल चन्द्राकर मेडिकल कॉलेज भौतिक रूप से अस्तित्व में है और दुर्ग में है। आप जा करके देख सकते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है अध्यक्ष जी। आप पास करवा ले। पर जब पास होने के बाद अगर कहीं पर ये चेलेंज होगा और ये रूक जाएगा तो हमारे सदन की भी बदनामी होती है और ऐसी स्थिति में कोई नियम कानून, और जब आप कानून बनाते हैं, तो उस कानून के मामले में सदन को, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है। कानून बनाने से पहले हमको इसके ऊपर विचार करना चाहिए और विचार करेंगे तो मुझे लगता है ये ज्यादा औचित्यपूर्ण होगा। हम आपके जानकारी में लाना चाहते हैं जो हमें गलतियां लगती है और उसके ऊपर में आप संज्ञान भी ले इस बात का आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे ज्ञानवर्धन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, हम आपका ज्ञानवर्धन नहीं कर रहे हैं। आपके संज्ञान में ला रहे हैं। मैंने ज्ञान में नहीं लाया मैंने संज्ञान में लाया।

अध्यक्ष महोदय :- एक ही बात है। चलिये, कौन बोल रहे थे ?

श्रम मंत्री (डॉ. शिव कुमार डहरिया) :- मैं सुबह ही बता दिया था अध्यक्ष जी 90 में सबसे ज्यादा ज्ञानी यही है अकेला।

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह अब क्यों बोल रहे हैं भई ? कुछ लोगों को कम करिये ना 4 तो अभी आपके समाज से ही बचे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संपत्ति मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं, निर्णय आपका है। योजनाओं की बात अलग होती है, योजना तो सरकार लाती है । आज दिनांक को जब हम यहां पर खड़े हैं निजी संपत्ति। उस निजी संपत्ति के लिये आय यह व्यवस्था की जाए कि आज हम अनुपूरक पास करेंगे। हम आज उसके लिए व्यवस्था कर देंगे और कितने दिन बाद वह विधेयक के पास होने के बाद गवर्नर और राजपत्र के नोटिफिकेशन के बाद शासकीय संपत्ति है। ये कहां पर नैतिकता से कानूनी ढंग से सही है, निर्णय आपके ऊपर है, सरकार के ऊपर है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो चालू ही नहीं किया हूं अभी। मैं बस पहला शब्द बोला हूं।

अध्यक्ष महोदय :- इतना गंभीर शब्द बोल दिये बात खत्म हो गयी।

श्री सौरभ सिंह :- नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे संरक्षण चाहूंगा बोलने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना के लिए इस बजट में ऐलोकेशन किया गया है अच्छी बात है। पर यह जो कोरोना का पैसा खर्चा हो रहा है और किस ढंग से जिलों में ये पैसा खर्चा हो रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आकृष्ट करना चाहूंगा। जांजगीर चांपा जिले में वेंटीलेटर खरीदा गया। 18 नया वेंटीलेटर, 8 पी.एम. केयर के वेंटीलेटर। क्या वेंटीलेटर की आवश्यकता थी ? आवश्यकता वहां पर आक्सी जनरेशन मशीन की थी। वेंटीलेटर चलाने वाले लोग नहीं है और किसी को कोई भी आदमी जो बैठा हुआ है पद पर वो डी.एम.एफ का पैसा निकाल कर वेंटीलेटर खरीद ले। वेंटीलेटर की दुकानें खुल गयी थी। जब जरूरत गैस की थी, जब प्रदेश पूरे भारत को गैस की आपूर्ति कर रहा था तो अगर हम गैस सिलेंडर खरीदते और गैस सिलेंडर की व्यवस्था करते वेंटीलेटर से ज्यादा तो लोगों की जान बचा सकते थे। पैसा इस सदन से दिया जाए पर ये छूट न दी जाए कि वो पैसे का सर्वस्थ दुरूपयोग किया जाए सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा। ये पीड़ा है माननीय अध्यक्ष महोदय, आप और हम जितने सदस्य यहां पर बैठे हुए है। उन्होंने रात में लोगों का आक्सीजन के लिए फोन उठाया है और हमने फोन उठाया है और उसके बाद इस ढंग से सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इस ढंग से पैसे का सर्वत्र दुरूपयोग कर रहे हैं तो यह पीड़ा की बात है। 1980 के दशक में आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी उस किताब को पढ़े होंगे। एक किताब आयी थी जब ड्राउट होता था, अब तो ड्राउट कम हो गया। अधिकारियों को शायद मसूरी एकेडमी में पढ़ाया जाता है everybody loves good drout, अंग्रेजी की किताब है। मैं ये बोलना चाहूंगा ये कोरोना काल ने प्रुफ किया है everybody loves or long lockdown। सारे जितने अधिकारी है उनको लाकडाडन में मजा आता है। इस लॉक डाऊन में जो उन्होंने काम किया है। यह पैसा जो जा रहा है इस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। वह पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। मनमानी से दुकान खुली है । मैं आपके और हमारे जिले का एक उदाहरण देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपने जिले को ही क्यों बदनाम कर रहे हो? बाकी जिले का देखिए।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां का जान रहे हैं वहां का बोल रहे हैं। आपके जिले का। सीटी स्कैन की मशीन खरीदी गई। दो करोड़ रूपये की मशीन 4 करोड़ रूपये में खरीदी गई। उस सीटी स्कैन मशीन को कोई चलाने वाला नहीं है। सीटी स्कैन का भवन नहीं बना है और सीटी स्कैन के भवन बिना, सीटी स्कैन की मशीन खरीद ली गई है। जब बेसिक छोटी सी व्यवस्था के तहत अगर हम लोगों की जान आक्सीजनरेशन और फ्लोमीटर के सहारे बचा सकते थे तो इतना बड़ा तमाशा करने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री रामकुमार यादव :- ठाकुर साहब जी, 15 साल के आप मन के सरकार में जांजगीर में के ठन वेंटिलेटर रिहिसे, आप यह बता दो ? एक भी नइ रिहिसे।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तब कोरोना भी नइ आए रिहिसे अउ जरूरत भी नई रिहिसे।

श्री रामकुमार यादव :- वह बनिसे, मोदी जी तो लानिस हावए।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के लिए 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन शुरू से विवादित हो गया है। यह अच्छी योजना है, केन्द्र सरकार की बढ़िया योजना है, उसके लिए राज्य सरकार मैचिंग ग्राण्ट दे रही है। जो क्रेडा के तहत सोलर पैनल के छोटे-छोटे गांवों में स्टेशन्स बने हुए हैं। उससे पानी निकल रहा है, पर पी.एच.ई. का जो पाईप लाईन का विस्तार होना चाहिए, वह पाईप लाईन का विस्तार नहीं है और यह क्यों नहीं हो रहा है ? वहां लैब टेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। पाईप किस गेज का जाएगा, किस ट्रेंथ का जाएगा, कितने एम.एम. का पाईप जाएगा, किस कंपनी से जाएगा, कौन आदमी उस पाईप को सप्लाई करेगा और वह पाईप कितने फुट नीचे जाएगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली से एक कंसलटेंट आ गया। वह कंसलटेंट क्या करेगा, वह कंसलटेंट जैसा बिल बनायेगा, वहां से वैसा बिल पास हो जाएगा। यह क्या कंसलटेंट की पद्धति है। यह क्या सिस्टम है ? जांजगीर-चांपा जिले में आज तक टेस्टिंग लैब नहीं खुला है और जल जीवन मिशन का काम चालू हो गया है। जब पाईप एक फुट नीचे चला गया है कायदे से एक फुट नीचे जाना चाहिए, लेकिन 6 इंची जा रहा है जब एक फुट पाईप नीचे चला गया तो उसको कौन टेस्टिंग करेगा ? कितने गेज का पाईप लगा ? किस कंपनी का पाईप लगा ? कैस पाईप लगा ? यह कौन चेक करेगा ? इस तरह से सरकार के पैसे का सर्वत्र दुरूपयोग नहीं करना चाहिए। ये सर्वत्र दुरूपयोग है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय चौबे जी, अभी 3-4 उदाहरण ही आएं हैं। आप पूरा सुनिए। अभी और आ रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, यह सारे उदाहरण आपके जिले के हैं। बाकी जिलों का क्या हाल होगा ? जब माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी के जिले का यह हाल है तो बाकी जगह तो भगवान ही मालिक है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की कटौती हो रही है। हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी 3-4 घण्टे बिजली की कटौती हो रही है और पूरे प्रदेश में बिजली की कटौती हो रही है। बिजली की कटौती का साधारण कारण है उसका साधारण कारण यह है कि बिजली ऑफिसों में कहीं पर इंसुलेटर नहीं है, कहीं पर तार नहीं है और कहीं पर ट्रांसफार्मर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब में आया कि वर्ष 2019-20 में ट्रांसफार्मर खरीदी के लिए 92 करोड़ रूपये खर्च हुआ और इस साल 62 करोड़ रूपये का प्रावधान है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ट्रांसफार्मर खराब होंगे, ट्रांसफार्मर की एक निहित लाईफ है, उसके बाद ट्रांसफार्मर खराब होंगे और उन ट्रांसफार्मर के रिप्लेसमेंट के लिए नये ट्रांसफार्मर दें। सबसे जरूरी चीज यह है बाकी जितना अनुपूरक में आवंटन हुआ, उसमें सबसे जरूरी चीज है स्पेयर पार्ट और ट्रांसफार्मर के लिए आंवटन। ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं, 20-25 दिन में ट्रांसफार्मर आ रहे हैं ट्रांसफार्मर को बनाकर लगा रहे हैं, तेल गिर रहा है तो तेल भर रहे हैं वह ट्रांसफार्मर चलने वाले नहीं हैं। नये ट्रांसफार्मर खरीदने की आवश्यकता है उसके लिए इस बजट में प्रावधान होना चाहिए। स्पयेर पार्ट और ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो बिजली का कोई कर्मचारी, मैदानी इलाके का कोई कर्मचारी सुचारू बिजली की व्यवस्था नहीं दे सकता। उससे लाईन लॉस भी होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 200 करोड़ रूपये भूमिहीन कृषक न्याय योजना में कहना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में कितने भूमिहीन कृषक है सरकार के पास इसका कोई सर्वे है ? यहां कितने भूमिहीन कृषक हैं ? इनका चयन कैसे होगा ? इसकी परिभाषा क्या है ? परिवार के आधार पर चयन होगा या निजी आधार पर होगा ?

एक कृषक को चयन किया जाएगा और उसको पैसा दिया जायेगा।

श्री रामकुमार यादव :- गरीब ला जमीन मिलही तेमे आप ला कोई दिक्कत हे ?

श्री सौरभ सिंह :- यह जमीन के योजना नइ हे, पैसा के योजना हे।

श्री रामकुमार यादव :- हां ठीक हे। अगर भूमिहीन ला जमीन मिलही तो कोई दिक्कत हे का ?

श्री सौरभ सिंह :- तैं एमा लिखवा लेबे। ठीक हे। हमन अनुशंसा कर देबो।

श्री रामकुमार यादव :- ठाकुर साहब, हमन गरीबहा हन।

श्री सौरभ सिंह :- भूमिहीन किसान की परिभाषा क्या है ? हम किसको भूमिहीन मानेंगे ? कितने लोगों को भूमिहीन मानेंगे ?

श्री अमरजीत भगत :- आप रामकुमार यादव को बोल रहे हैं। वे भूमिहीन में भी आएंगे और पत्नीहीन में भी आएंगे और उनको दोनों का लाभ मिलेगा। (हंसी)

श्री सौरभ सिंह :- उसके लिए आप भी चिंतित हैं, उसकी बारात जाने के लिए हम भी चिंतित हैं। पर वे जल्दी चल दें तो ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमिहीन परिवार, भूमिहीन कृषक की परिभाषा क्या होगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों की कोई योजना इनके विवाह के लिए चालू कर दो।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, जल्दी समाप्त करिए, बहुत लंबा हो गया। आप ही लोग कह रहे हैं कि बहुत कम बजट है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि गौठान की जैसी समितियां बनी, ग्राम पंचायतों ने गौठान की समितियां बनाई, सुचारू व्यवस्था के लिए बनाई। उसके बाद एक प्रभारी मंत्री जी का आदेश आ गया कि गौठान समिति का यह अध्यक्ष है। आदरणीय कृषि मंत्री जी, आधा गौठान का काम आपका उसी में बिगड़ा है। अगर ग्राम पंचायत के द्वारा निर्धारित समितियां गौठान का संचालन करती तो जो लफड़ा हुआ है वह नहीं होता। उसमें आपके प्रभारी मंत्री जी ने अनुमोदन कर दिया और जो प्रभारी मंत्री जी का अनुमोदन को ले जाकर वहां पर बैठ गया, वह ठीक से काम करने नहीं दे रहा है। वह समितियों को काम करने नहीं दे रहा है। वह समितियों से व्यवस्था मांग रहा है। वह समितियों को तंग कर रहा है। जो पूरी योजना थी वहीं पर राजनीतिकरण में वह योजना विफल हो गयी। क्या यह भूमिहीन किसान योजना उसी में होगा ? 200 करोड़ में तो प्रदेश का कुछ नहीं होने वाला है। 200 करोड़ में तो जिनकी अनुसंशा प्रभारी मंत्री जी से होगा।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, अभी तो योजना लांच करने की घोषणा हुई है, आज प्रावधान हो रहा है, अभी उसमें नियम बनेगा, किसको दिया जाएगा, कौन कृषक मिलेगा, कौन लैंड लैस भूमिहीन होंगे, इसकी चिंता मत करिए। लेकिन इतना निश्चित जान लीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से ज्यादा यहां के भूमिहीन मजदूरों को इस सरकार के द्वारा पैसा मिलेगा। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- पेट में लईका हे या बाबू हे कि नोनी हे ओला पहली ले जान डरे हावय।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवरीनारायण के लिए, राम वनगमन पथ के लिए 12 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके पहले डी.एम.एफ से भी प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है, आप तो उस रास्ते से जाते रहते हैं, यह 12 करोड़ रूपये से कब बनेगा ? कितने दिन में बनेगा और अभी जो पैसा गया है उसका क्या उपयोग हुआ है और किस ढंग से उपयोग हुआ है ? अध्यक्ष महोदय, भगवान राम के लिए बन रहा है, शबरी की नगरी में बन रहा है। उसमें तो

भ्रष्टाचार मत हो। कम से कम वह तो कवित्रता से छूट जाए। वह चीज तो छूट जाए। मेरा यही निवेदन है। शबरी की नगरी और भगवान राम को भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ाएं। यही मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- थैंक यू।

श्री रविन्द्र चौबे :- इधर भी बहुत चर्चा हो रही है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- ओ राम के करवां मे खा के ऊंहा बुता करही का।

श्री अजय चंद्राकर :- लेकिन उसमें भ्रष्टाचार होगा, ऐसा कहना है। ऐसा होना जरूरी है।

श्री कवासी लखमा :- ऐसा नहीं होगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- दो करोड़ की जमीन को 36 करोड़ में खरीदा गया है, आयोध्या में खूब चर्चा हो रही है।

श्री कवासी लखमा :- यह मोदी सरकार ऐसा कर सकती है, हम लोग नहीं कर सकते हैं।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही करने का अधिकार तो आपके हाथ में है। कार्यवाही कीजिए ना। (हंसी)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में एक बात के लिए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पूरे प्रदेश में नई सोसायटियां बनी है और नई सोसायटी बनने के बाद कम से कम पुराने बिलासपुर जिले के बैंक के क्षेत्र में किसी भी नई सोसायटी के पास जी.एस.टी. नंबर नहीं है और जीएसटी नंबर न होने के कारण खाद नहीं जा पाई। एक छोटी सी त्रुटि है और किसान परेशान हो रहे हैं। कौन व्यक्ति है, कौन बैंक का अधिकारी है, कौन सी.ए. है जो जी.एस.टी नंबर चार पांच महीने में नही बना पाया ? उसका जी.एस.टी नंबर बनना चाहिए, सोसायटी तक जाना चाहिए। दूसरी बात, माननीय जी.एस.टी. मंत्री यहां पर बैठे हैं, लगातार दिशा समिति से लेकर सारी समितियों में हमारे जिले के सारे विधायकों ने शिकायत की है कि सरकार के पास जी.एस.टी. का राजस्व आ रहा है। परंतु पंचायत स्तर में चाहे मनरेगा हो, चाहे जनपद पंचायतों में हो, जबर्दस्त जी.एस.टी. की हेराफेरी और चोरी हो रही है। इस पर इस सदन की समिति या यहां के लोगों के साथ काम करने की आवश्यकता है, कम से कम 500 करोड़ की हेराफेरी हो रही है और उस 500 करोड़ के हेराफेरी में मनरेगा का जो बिल पट रहा है, उसमें फर्जी जी.एस.टी. नंबर, जो पंचायतों को पेमेंट हो रहा है, उसमें फर्जी जी.एस.टी. नंबर है, किसी के पास जी.एस.टी. नंबर नहीं है। इस बात को लगातार उठा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और माननीय जी.एस.टी. मंत्री जी बैठे हैं, इस पर कृपापूर्वक ध्यान देंगे। यह मेरा आशय है। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद । श्री प्रमोद कुमार शर्मा 5 मिनट में समाप्त करें ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्गदर्शन में इनके भाषण में पूरा जांजगीर जिला छाया रहा । आपके जिले में यह हाल है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदा बाजार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी सोच जो भूमिहीन किसानों को पैसा मिले, आप गांव में जाकर उनकी खुशियों को देखियेगा । जो दूसरों के खेतों में बनी करते हैं, रेजा करते हैं उनको खुशी केवल इस जानकारी से कि हम भूमिहीन किसानों को पैसा मिलेगा तो उनकी खुशियों का आप आंकलन नहीं लगा सकते । छत्तीसगढ़ का किसान चाहे धान खरीदी का मामला हो, चाहे गोबर के मामले में हो और एक नयी योजना मैं अपने तहेदिल से पूरे छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय रविन्द्र चौबे जी को धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप ध्यानाकर्षण वाला मामला भी उठा सकते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- जी, मैं बोलूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की अर्थात् इस सरकार की एक बहुत अच्छी सोच जो किसानों के प्रति इतनी अच्छी सोच रख रही है लेकिन मैं थोड़ा सा अधिकारियों की लापरवाही के बारे में भी कहना चाहूंगा । अगर सरकार अच्छी योजना बना रही है तो इसका क्रियान्वयन भी बहुत अच्छे से होना चाहिए । गौधन न्याय योजना बहुत अच्छी योजना है और इसमें लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि अगर हम 25 परसेंट गोबर खाद डालें तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी । यह बताने वाले अधिकारी कोई नहीं हैं, अगर कहीं गोबर का शॉर्टेज हो जा रहा है तो उनको जर्बदस्ती जो खाद नहीं बना है उसको दबावपूर्वक बेचा जा रहा है यह किसानों के हित में है, यह बात उनको बतानी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, अधिकारी पूरी लापरवाही करते हैं तो मैं माननीय से निवेदन करूंगा कि इसका क्रियान्वयन बहुत अच्छे से होना चाहिए । मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, पहले उसी को बोल देता हूं नहीं तो फिर समय नहीं मिलेगा । माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, माननीय आबकारी मंत्री जी बैठे हुए हैं, माननीय प्रभारी मंत्री जी बैठे हुए हैं, बलौदा बाजार में शराब के अवैध तस्करी का काम बहुत जोरों से हो रहा है । बलौदाबाजार जिले में आसीम कोसम जो जिला अधिकारी बनकर आये हैं, शराब कोचियों को घर-घर में बिकवा रहे हैं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- कवासी जी, अब तें हा जवाब देबे ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सरकार के तो काम बेचना है, घर-घर में ही बेचना है, द्वारी-द्वारी में बेचना है, ऑनलाईन बेचना है, पहुंचा के बेचना है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके लिये आंदोलन भी किया । माननीय मुख्यमंत्री जी को, आबकारी मंत्री जी को, प्रभारी मंत्री जी को लगातार चिट्ठी लिख चुका हूं । जब से ये दो महीने से आशीष कोसम जिला आबकारी अधिकारी जब से बलौदा बाजार में आये हैं, कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोचिया लोगों का उधारी चालू होता होगा । वहां उधारी भी चालू हो

गया है। गली-गली में अवैध शराब बिना स्कैनिंग के अभी 400 पेटी में, मान लो अगर कोई गरीब आदमी 10 पौआ, 15 पौआ में ।

अध्यक्ष महोदय :- वह कितने महीने से पदस्थ हैं ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- 3 ही महीने हुए हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष जी, उस अधिकारी को हम जांजगीर ले आयें । (हंसी)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि अगर कोई गरीब आदमी छट्ठी के लिये, शादी के लिये अगर 10 पौआ, 15 पौआ लेकर जा रहा है तो पुलिस वाले ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कोई आतंकवादी हो । वह आर.डी.एक्स. बम लेकर जा रहा हो, इस तरह से बिहेव करते हैं और वहीं पर 400-400 पेटी आसीम कोसम के द्वारा अवैध शराब पकड़ाने के बाद भी न कोई प्रकार का एफआईआर होता है और न किसी प्रकार की गिरफ्तारी होती है । मेरा आपसे यह निवेदन है कि हिंदुस्तान में सबके लिये कानून बराबर होना चाहिए चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो । वह पहले आबकारी अधिकारी पंचनामा बनाते हैं कि अवैध शराब है और उसके बाद रातोंरात वह अवैध शराब कब वैध बन जाता है फिर वापिस भट्ठी में भेज देते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर प्रार्थना कर रहा हूं कि सरकार की छवि को अगर कोई धूमिल करने का काम कर रहे हैं तो आबकारी विभाग के अधिकारी कर रहे हैं और आसीम कोसम जैसे अधिकारी को तत्काल गिरफ्तार करके निलंबित किया जाये ताकि सरकार की छवि बनी रहे । किसान के हित में बनी रहे और हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम खराब न हो।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कहत हंओं कि बंद कर देबे ता तोर काम हो जाही । (हंसी)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- गोली दे देओ, सूजी लगा देओ अऊ बॉटल भी चढ़ा देओ ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमू मन ला थोकन बोले के मौका दे करओ काबर कि घर के लइका मन पूछथे कोंदा कस बइठे रहिथस, कछु बोलस काबर नइ । मैं ओला बोलकर आए हंओं । एक तो बोले के मौका नइ मिलए तो थोड़ा सा इज्जत वाला बात है ता थोड़ा सा समय दे देहा । बाइओ मन ला जाके जवाब दे बर पड़थे ।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष जी, 5 मिनट अऊ दिहा । (हंसी)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष जी, एकाध झन नीचे वाले के नाम ला काट दिहा लेकिन एला थोड़ा बोलन दिहा ।

अध्यक्ष महोदय :- कृष्णमूर्ति बांधी का समय आपको समर्पित है। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- मेरा समय उन्हें दे दीजिए। (हंसी)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो आधा हम लोगों को समझ में नहीं आता कि हम लोग किधर हैं। इधर आओ तो इधर ठीक लगता है और उधर आओ तो उधर वाले सही

लगते हैं। (हंसी) माननीय महोदय, बड़ा confusion की स्थिति है। (हंसी) ढाई साल में अभी तक समझ में नहीं आये हे कि हम लोग किधर हैं करके। (हंसी) बड़ा दुखदायी स्थिति है। (हंसी)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- क्या है प्रमोद भैय्या, तृतीय लिंग के भी व्यवस्था हे। तो तृतीय लिंग वाले में हमन आथन। न एमन हम ला अपन माने। न ओमन हमन ला अपन माने। एतीओ ले लथियाथे, ओतीओ ले लथियाथे। उही ला समझथन।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- चन्द्रा साहब, समग्र पैसा 2 करोड़ मिलथे, तो आधा ही दे दो।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं प्रमोद जी की समस्या को समझ रहा हूं। मैंने कल ही श्रीमती रेणु जोगी जी से आग्रह किया है कि उनकी समस्या का निराकरण करने के लिए उन्हें नैतिक समर्थन देने का कष्ट करें। (हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- केवल नैतिक समर्थन से काम नहीं चलने वाला है। एक सिग्नेचर आपसे करने के लिए बोल रहे हैं। आप क्यों नहीं करते?

श्री धर्मजीत सिंह :- मैंने बोला है कि 4 में 3 पर्याप्त होते हैं। श्रीमती रेणु जोगी जी से बोला हूं कि बात कर लें और 3 करके आराम से ससम्मान जा सकते हैं। (हंसी) परेशान मत होइए। लेकिन अभी आप काम की बात कर लीजिए। आबकारी मंत्री करेंगे या नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं। आपकी समस्या का निराकरण पक्का होगा। सस्पेंड करेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, इनकी स्थिति ऐसी है कि बिना बलाए आबे झन, अपन घर में खाबे झन। (हंसी)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के आत्मानंद विद्यालय के बहुत ही तारीफ करथौ कि बलौदाबाजार जिले में इतना सुंदर स्कूल मोर ख्याल से हर जिला में, हर ब्लॉक में बनथे। इतना अच्छा स्कूल के संचालन होथे कि आज बलौदाबाजार में हर आदमी वहां एडमिशन लेना चाहथे। हर आदमी के हावे कि मैं स्कूल में अपन गरीब लइका का पढ़ा सकौं। एहा सरकार के बहुत अच्छा सोच हे। मैं एखर बर माननीय मुख्यमंत्री जी ला बहुत ही धन्यवाद देना चाहथौ अउ अंतिम बार एक ठीन अउ निवेदन करना चाहथौ। समग्र योजना में जो पैसा आवथे ओला हम सब विधायक हन। हम सब विधायक मन ला बराबर के रूप में अइसे नहीं कि आप कांग्रेस वाले के मुख्यमंत्री हौ, आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हौ, आप हमरो हौ, पूरा छत्तीसगढ़ की जनता के विकास बर होही। कम से कम ओमा से हमन ला कुछ पैसा विकास काम में मिलना चाहिए। आपके आशीर्वाद हम सबला मिलना चाहिए ताकि क्षेत्र के विकास कर सकन अउ छाया विधायक वाला सिस्टम ला खत्म करके थोड़ा सा सादर प्रणाम (हंसी) आपला धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मोला बोले के मौका देहो ओखर सेती।

समय :

5.32 बजे

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पदक्रम 10 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गयी)

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती ममता चन्द्राकर, 5 मिनट।

श्रीमती ममता चन्द्राकर (पंडरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुपूरक अनुदान अनुमान की अनुदान के लगभग सभी मांगों के समर्थन में बोले बर खड़े होये हों। राशि लगभग दो हजार चार सौ पचासी करोड़, उनसठ लाख इकतीस हजार, सात सौ रूपये की अनुपूरक अनुदान, जेन राशि हा हमर सरकार के बजट हे, ओला दिये जाये। मैं ये समर्थन करथौं। माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व मा ढाई साल में पूरा छत्तीसगढ़ के अलग पहचान बनगे हे। एक अलग राज्य, किसान मन के राज्य, ग्रामीण मन के राज्य। ये पहचान बने हवे माननीय मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व से। एखर साथ ये राज्य के पहचान किसान मन के न्याय करिया सरकार हे, ये पहचान बने हावय। किसान मन बर जेन सरकार हा नीति बनाइसे, जेन योजन बनाइसे, ओखर से हमर पूरा किसान मन के ग्रामीण अंचल में एक खुशहाली के नया दौर आ गे हावय। ओखर मन में एक इच्छाशक्ति जाग गे हे। काबर बड़े बुजुर्ग मन कहथ रहिन कि उत्तम खेती, मध्यम बांध। ये कहावत आये रहिसे। एला आधुनिकला ला देखके समय के साथ एहा विपरीत होगे रहिसे। सब पलायन में भागत रहिसे। सब नौकरी के तलाश में भागत रहिसे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के निर्णय से किसान मन में ए रूचि जागिसे। ये रूझान आइसे कि हमन खेती करिन, खेती-किसान करिन। ये मुख्यमंत्री जी के ही नीति अउ फैसला के असर हे। किसान मन ला लगभग एक लाख करोड़ के सीधा लाभ, सीधा मदद। चाहे ओहा कर्ज माफी के माध्यम से हो, चाहे सिंचाई कर के हो। समर्थन मूल्य के। खरीफ अउ रबी फसल में बीमा राशि, राजीव गांधी किसान न्याय योजन, गोधन न्याय योजना, तेंदूपत्ता खरीदी, लघु वनोपज के संग्रहण, ये सब के सीधा लाभ किसान मन ला पहुंचथे। एखर से पूरा छत्तीसगढ़ उन्नति भी करथे, अउ खुशहाली के दौर से भी गुजरथे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी के जेन सोच हे छत्तीसगढ़ अउ छत्तीसगढ़िया, तेन साकार होत भी दिखत हे । अउ ढाई साल मा दिखत भी हवय । साथ ही साथ 2 अक्टूबर 2019 में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के शुरूआत होए रिहिस हे । जब योजना ला लागू करिस ओ समय के स्थिति मा राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के सर्वे के अनुसार हमर प्रदेश मा 5 वर्ष के बालक मन हा 37.7 प्रतिशत कुपोषित रिहिन हे । एखर साथ-साथ 15 से 49 वर्ष के महिला मन एनीमिया ले पीड़ित रिहिन हे । ये मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के आज नतीजा हे कि पूरा राज्य सुपोषित हो गे हावय । आंकड़ा मा रहिस हे कि 4 लाख 33

हजार 541 लेकिन आज आंकड़ा बहुत कम हो गे हे । एकर प्रतिशत मा 32 प्रतिशत के कमी हो गे हावय । आज के स्थिति मा 1 लाख 40 हजार बच्चा सुपोषित हो गे हावय । लगभग 80 हजार महिला मन एनीमिया ले मुक्त हो गे हे । अउ ये महिला अउ बच्चा जेन दूरस्थ मा रहिथे, वनांचल मा रहिथे। आदिवासी समुदाय के रहिथे ये मन ज्यादा ग्रसित रहिथे । मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के लाभ लेके हमर छत्तीसगढ़ विकास करत हे । साथ ही साथ मैं सबो मांग के समर्थन मे हौं लेकिन मांग क्रमांक 76 मा छत्तीसगढ़ रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बात हे । एमा मोर पंडरिया विधान सभा के मरका से लेकर दामापुर, धौराबंद-फुंडा के स्वीकृति अनुपूरक बजट मा आए हे, मांग क्रमांक 1 मा । जइसे अनुपूरक के स्वीकृति होही, मैं एकर स्वीकृति के भी मांग करत हौं । ओखर साथ साथ मैं एक बात अउ मुख्यमंत्री जी ला निवेदन करिहौं । पंडरिया विधान सभा एक अइसे विधान सभा हे जेखर कई प्रकार के कला है । यूं कहांव कि पहिली पंडरिया बिलासपुर जिला मा रहिस हे, कुंडा मुंगेली मा रहिस हे, विरेन्द्र नगर विधान सभा क्षेत्र रहिस हे । अब सबके समावेश मा एक पंडरिया विधान सभा बने हावय । एखर विकास बहुत पिछड़े रहिस हे लेकिन 2 साल मा सबले पहिली सड़क के समस्या दूर होइस हे । आज की स्थिति मा लगभग 2 साल में सरकार बने के बाद लगभग 30 से 40 करोड़ रूपए के सड़क के निर्माण होए हे, चाहे मुख्यमंत्री सुगम हो, मुख्यमंत्री सड़क हो । चाहे कोई भी विभाग से हो, सड़क के समस्या दूर होइस हे । शिक्षा ला भी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल के साथ-साथ हर प्रयास से ग्रामीण शिक्षा की ओर अग्रसर होवय । इसी कड़ी में मैं मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करहूं । बहुत सारा महाविद्यालय हमर सरकार आगामी समय में बनात हावय । इसी कड़ी मा कुंडा मा एक महाविद्यालय के मांग करिहौं । काबर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़े हे अउ लड़की मन ला बहुत दिक्कत होथे कवर्धा लाए मा, मुंगेली जाए मा । एखर बर मैं विशेष निवेदन करके महाविद्यालय प्रदान करे, वहां जगह भी पर्याप्त हे । आप बोले के मउका देव तेखर बर धन्यवाद् ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही है । इस बजट में सारी राशि हम केवल राजस्व व्यय पर खर्च कर रहे हैं । ये राजस्व व्यय अधिकारी, कर्मचारियों के वेतन भत्तों के लिए दे रहे हैं ताकि हमारे राज्य का संचालन ये अधिकारी, कर्मचारियों के माध्यम से अच्छे से संचालित हो । हम उम्मीद करते हैं कि राजस्व व्यय में विभाग के माननीय मंत्रिगण अच्छे से नियंत्रण करेंगे । अब मैं आपको सामान्य प्रशासन विभाग की बात बताता हूं सामान्य प्रशासन विभाग अब तक कोई कदम नहीं उठाया जिसके परिणामस्वरूप जनपद में छोटे-छोटे काम, जैसे सीमांकन, फौती उठना, नामान्तरण होना ये काम नहीं हो रहे हैं और इसके लिए जनपद में पैसे की वसूली हो रही है । पहले समस्या निवारण शिविर होता था तो किसानों के छोटे-छोटे काम हो जाते थे । किसान सरकार की जमीन बचाने के लिए आवेदन करता है कि कब्जा कर रहे हैं तो उसकी शिकायतकर्ता से ही पैसे ले लेते हैं । इतने विवाद खड़ा करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है । इन राज्य व्ययों के

माध्यम से हमारी ग्रामीण व्यवस्था कैसी हो रही है । अध्यक्ष महोदय, हम पुलिस की बात करते हैं । हम उनके लिए भी राजस्व खर्च कर रहे हैं लेकिन पुलिस की भूमिका कैसी है । अभी कोई आदमी ग्रामीण क्षेत्र में दारू लेकर आता है, अगर छट्ठी में भी दारू लेकर आता है तो उसको नींबू जैसा निचोड़ देते हैं । एक-एक एजेंट भट्ठी में बिठाकर रखते हैं । कौन दारू लेकर आ रहा है उसको देखेंगे और उसको नींबू जैसा निचोड़ देते हैं, इतना पैसा वसूली करते हैं । अगर गांव के लोग शहर की ओर जा रहे हैं तो उसके पास कार्ड है, उसके ड्रायविंग लायसेंस की कोई प्रक्रिया नहीं है । गांव में ड्रायविंग लायसेंस कैसे बने उसकी कोई प्रक्रिया नहीं है । वहां वसूली का केन्द्र बना हुआ है । ऐसे ही परिवहन विभाग में परिवहन की एक ठोक छोटा सा गाड़ी था टैंपो जिसके लिए मैं बातचीत किया वो साख, सब्जी, दाल को बांध करके ले जा रहा था उसको पकड़ना है अब उसकी ओवर लोडिंग की सीमा कैसी हैलेकिन पकड़ लिया उसको अब इस टाइप की बातचीत चल रही है हम इस तरीके से राजस्व की बातचीत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग में करते हैं कृषि विभाग में गोठान की बातचीत बहुत कर रहे है अपन सब चीज बातचीत कर रहे हैं। हम वर्मी कंपोस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं उसका महत्व क्या होगा अध्यक्ष महोदय जब हमने कृषि का कोई भी उत्पादन किये उसको आज हमारे पास इतना कहने के बावजूद भी हमारे पास आर्गेनिक सर्टिफिकेशन का कोई केंद्र नहीं है अब उसके आर्गेनिक सर्टिफिकेशन का किसी भी जिले में नहीं है उसकी जब तक प्रामाणिकता नहीं होगी उसकी क्या वेल्यू होगी उधर का आपको कुछ बजट ही नहीं है उसका कोई राजस्व नहीं है केवल पूंजीगत व्यय है तो किसानों के साथ ये अच्छी है या गड़बड़ है दूसरा चीज है हमने बातचीत किया गोठान की बातचीत की है गोठानों की आज क्या समस्याएं हैं। गोबर चोरी हो रहा है अब गोबर चोरी तो बता नहीं सकते बोहा गया गोबर एक भी हम लोग कहते हैं कोई ऐसा आदमी जो प्रशासनिक अधिकारी दिया हुआ है कभी जनप्रतिनिधियों को लेकर के एक बार तो अपने गोठानों में घूमाने के लिए ले जाएं तो वस्तुसिथिति पता चलेगा नियंत्रण होगा उसकी मॉनिटरिंग होगा देख-रेख होगा एक अच्छा गाय का कान्सेप्ट है। लेकिन उसमें अच्छे से भावना नहीं होने के कारण गोठान की योजना खतम हो जा रही है और गांव को जो पूरा बजट है जिस बजट को हमारे गांव के डेवलेपमेंट में लगाना चाहिए वह पूरा गोठान की तरफ खतम हो रहा है ऐसी ही लोक स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य विभाग का जब हम कर रहे हैं राजस्व परअ भी हमने कोरोना केयर सेंटर खोला हजारों लोग मरे मेरे विधानसभा क्षेत्र में और कई क्षेत्रों में मरे हमने कोरोना सेंटर को ले के कलेक्टर से लेकर सबसे हाथ जोड़कर हमने बातचीत किया हमको किसी भी तरीके से उस कोरोना सेंटर खोलने के लिए आर्थिक रूप से किसी ने अनुदान नहीं दिया परिणाम ये हुआ कि हमने व्यापारियों से जनप्रतिनिधियों से कुछ-कुछ लोगों से चंदा इकट्ठा करके हमने कोरोना केयर सेंटर खोला सरकार का कोई योगदान नहीं रहा। अब बताइये इतने बड़े आपदा में हम गये उसकी भूमिका क्या रही सरकार का कोई बजट नहीं रहा उस पर।

अध्यक्ष महोदय :- अब समाप्त करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय, हम लोकनिर्माण विभाग के मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सुगम सड़क योजना में साल भर पहले उन्होंने स्वीकृत किया था हम बहुत बहुत धन्यवाद देने गये लेकिन आज तक की उसकी ऐसी प्रक्रिया रही सुगम सड़क योजना का एक तो गांव में पैसा ही नहीं जा रहा है किसी मद से हमको जा ही नहीं रहा है एकतरफा मजा चल रहा है उसको और उसकी कोई प्रक्रिया नहीं है तो हम ऐसे में कैसे करे किस तरीके से प्रक्रिया राजस्व में इन अधिकारियों में बात करें समग्र विकास योजना की स्थिति तो हमने देख ही लिया है छीन-छीन के दे रहे हैं हमारी स्थिति में हम लोगों को इधर वालों को मश्किल ही है उधर वालों के लिए जो कुछ भी है लेकिन इस तरीके से दृष्टिकोण अपनांएगे तो छत्तीसगढ़ की समग्र विकास की योजनाएं कैसे बनेगी। तो मेरा ये कहना है कि जो राजस्व है हम जिन अधिकारियों को दे रहे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिये और ग्रामीण स्थिति को जो अभी इस जनपदों की बहुत ही हालत खराब है उसको मजबूत करने में एक निर्देश हो या एक व्यवस्था बने ताकि वहां का थोड़ा सा ठीक हो जाए।

अध्यक्ष महोदय:- धन्यवाद, धन्यवाद। संगीता जी जब आपका नाम पुकारा गया था तब आप थी नहीं इसलिए अब आपको 5 मिनट की जगह 3 मिनट दिया जाता है।

श्रीमीती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 अनुदान मांगों पर मैं समर्थन में खड़ी हुई हूं। महोदय जी, वतेक बेर छत्तीसगढ़ी के बात चलत रीहिसे तो मे चाहथो मे छत्तीसगढ़ी में स्पीच करो काबर कि बहुत निवेदन करे के बाद भी माननीय हमर।

अध्यक्ष महोदय:- हां, हां बिल्कुल बोलो।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुपूरक अनुदान मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं ।

अध्यक्ष महोदय, ओतेर बेर छत्तीसगढ़ के बात चलत रिहीसे तो मैं चाहथौं कि मैं छत्तीसगढ़ी में भाषण देववं ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, हां, बिल्कुल ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- बहुत निवेदन करे के बाद भी हमर विपक्ष के साथी चन्द्राकर जी छत्तीसगढ़ी में नहीं बोलिस तो मैं छत्तीसगढ़ी में बोलके पूरा कर देथव।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी के तरफ तैं आकर्षित झन हो, अपन बात कर।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एकर सेती बात रखना चाहथौं कि महोदय जी ह बहुत सारा बात रखिस । वो ह एक बात रखिस, जो मोला चुभत रिहीसे, ओला सबसे पहिली मैं रखना चाहथौं कि अभी हमन विपक्ष में हन तो हमर मन के सम्मान नहीं होवथे, ये बात बहुत बार बोले

गिस तो मैं कहना चाहथौं कि पिछले बार मोर पतिदेव विधायक रिहीसे । जब ओ ह विधायक रिहीसे तो एक कार्यक्रम में मोला भी जाना पड़िस, जहां पे माननीय चन्द्राकर जी रिहीसे । वहां पर हमर इतना उपेक्षा होवे रिहीसे तो मैं तो सहन कर लेव, लेकिन माननीय विधायक जी रिहीसे तो सोचो उस समय हमर इतना उपेक्षा होईस तब आज अगर थोड़ा बहुत उपेक्षा होवथे तो सहन करना पड़ही । (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- मान आपके हिसाब से आपके पति के उपेक्षा होए रिहीसे, माने हमारो मन के उपेक्षा करेला बोलथौं का ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पत्नी धर्म के पालन करथौं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अईसन झन बोल बहिन जी । हमन के भी उपेक्षा मत करवाव ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समर्थन में खड़े हव अउ समर्थन एकर सेती कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर वर्ग के लोग ला ध्यान में रखकर काम करे हे, चाहे वो युवा साथी हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान वर्ग के बात हो, चाहे वृद्धा मन के बात हो । मैं अपन बात रखथौं । बहुत सारा साथी मन बात रख चुके हे तो मैं आंकड़ा में नहीं जावं, मैं बस यह कहना चाहथौं कि बहुत सारा योजना हे, जो प्वाइंट के प्वाइंट कहि देथौं । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ह धान के 25सौ रूपये समर्थन मूल्य दे हे, वह बहुत सराहनीय है । पिछले कार्यकाल में तो हमन उम्मीद रखते हुए भी हमन ला नहीं मिलिस । पिछले 15 साल में बहुत कोशिश करेन कि 21सौ रूपया समर्थन मूल्य मिलही, तो भी ओ नहीं मिलिस । इही बीच में हमर बहुत सारा किसान भाई मन आत्महत्या करे रिहीन हे । साथ में अभी 92 लाख मेट्रिक टन धान के खरीदी करे के बहुत बड़े उपलब्धि हे । साथ में 10 हजार करोड़ रूपया के कर्जा माफ करे गे हे, जो किसान भाई मन के लिए आर्थिक मजबूती के काम करे हे । साथ में हमर सबसे बड़ी योजना, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 22 लाख किसान मन ला 5595 करोड़ रूपए के राशि चार किश्तों में दिए जा चुके हे तो हमर मन के लिए यह बहुत ही खुशी के बात हे । साथ ही गोधन न्याय योजना, जेकर तारीफ तो मोदी जी भी करे हे और ये योजना ला वा ह सब जगह लांच करे के बात रखे हे, आप मन ला गर्व होना चाहिए । आप मन हर समय दो रूपए किलो के बात करथव, दो रूपए किलो में हमर जेन माता बहिनी के, गांव के छोटे-छोटे किसान हे, ओ मजबूत बने हे । साथ में बहुत सारा काम माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार करे हे । अभी जैसे ही हमर सरकार बनिस और कोरोना के प्रकोप अईस और यह हमर छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरा विश्व में कोरोना के प्रकोप छाए हे, बहुत मन अपनो ला खो ए हे । हमन तो अपन विधान सभा में एक चीज और देखन कि जब हम काकरो फोन ला उठान या फोन करन तो बोले कि नहीं, वो ह गुजर चुके हे । ये बात के हमन सामना करे हन के दो दिन पहिली हमर ओकर से बात होए और दो दिन बाद जब हमन ओला कॉल करन, तब तक ओकर फोन ला ओकर बेटी या बेटा उठाए और इस परिस्थिति में माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार हर पल हमर किसान भाई, हमर छत्तीसगढ़ राज्य के हर जनता के साथ कदम से कदम

मिलाकर चले हे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहथौं कि कोरोना कॉल में विषम परिस्थिति में हमर राज्य दूसर राज्य ला दान में ऑक्सीजन दे हे और ये हमर लिए बहुत खुशी के बात हे कि हमर राज्य में कहीं भी ऑक्सीजन के कमी नहीं हे । आज लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण ही मौत होवथे । आप दिल्ली के न्यूज़ ला देखहू, वहां भी लोग मरीज ला आटो में रखकर ऑक्सीजन के इंतजार करत रहाय और ऑक्सीजन में ही ओकर मृत्यु हो जाये । वो स्थिति हमर इहां नहीं अईस और हमर हर परिस्थिति में, हर जिला में बहुत अच्छा से व्यवस्था माननीय भूपेश बघेल जी करिस, ऑन लाईन मीटिंग के द्वारा हर जिला से ओकर ख्याल रखिस, ध्यान रखिस, ओकर लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहथौं । साथ में जो पालन कोरोना से खतम होए हे, ओकर लिए महतारी दुलार योजना के अंतर्गत ओला राशि प्रदान करे गे हे, ओकरो लिए धन्यवाद देवथौं । बहुत सारा योजना हे, मैं जोन सबसे अच्छा बात कहना चाहथौं, वह यह हे कि जो आत्मानंद इंग्लिस स्कूल हे, वह आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल के बारे में कहना चाहत हव। शिक्षा बच्चा के भविष्य अउ दिशा तय करथे। हर माता-पिता के चाह रहथे कि कोई प्रावयेट स्कूल मा, अच्छा से अच्छा स्कूल में पढ़ाव। अभी तक हम देखत रहन कि कोई भी पैरेन्टस मन सरकारी स्कूल मा अपन बच्चा मन ला पढ़ाना नइ चाहत रहिस हे। हम देखत हन कि जैसे ही आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के स्थापना होइस हे, हर पैरेन्टस मन अपन बच्चा के एडमिशन के लिए लाइन लगे रहिस हे। हर पैरेन्टस बहुत खुश हे, वह चाहे मीडियम क्लास के परिवार हो या गरीब क्लास के परिवार हो। अब ओखर बच्चा मन आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल मा पढ़ही। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ला बहुत-बहुत धन्यवाद, मोर समय ला थोकर बढ़ास हा। मैं ये अनुपूरक के समर्थन करथव धन्यवाद।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो अनुपूरक बजट 2,485 करोड़ रूपया के पेश हुआ है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले ढाई साल से अनुपूरक बजट को देखते रहते हैं कि हमर विधानसभा क्षेत्र बर का काम रखे गय हे, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के का काम रखे गय हे तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़थे कि हमर क्षेत्र के लिए ऐसनहा कुछ रहय नहीं। वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ के लिए नइ रहय। हम यह नहीं बता पात हन कि 8वीं से 9वीं कितना क्लास खोलत हन, 9वीं के 10 और 11वीं के कै ठन स्कूल के उन्नयन करत हन। तो आज के ओसिनहा विषय नहीं, जेका रखे जाय। लेकिन 2-3 बिन्दु हे, माननीय खाद्य मंत्री जी हे, मैं एक बिन्दु जरूर आकृष्ठ करवाहव, जो कहीं न कहीं गंभीर विषय है। आज ओ विषय आ रहतिस तो जरूर आतिस। तो 2019-20 मा जो धान खरीदी हो हावय अउ आप जो आंकड़ा दे हावाव, 83.94 लाख मीट्रिक टन, 81.40 लाख मीट्रिक टन धान के कस्टम मिलिंग हो गय हे। आज माननीय अजय चन्द्राकर जी के प्रश्न के जवाब मा बताय हव कि 0.91 लाख मीट्रिक टन धान संग्रहण केन्द्र मा हावय। मोर एक अतारांकित सवाल के जवाब मा जानकारी

दे हावव कि 43,063 मीट्रिक टन धान उपार्जन केन्द्र मा शार्टेज हो हावय। यदि संग्रहण केन्द्र अउ धान उपार्जन केन्द्र मा धान के मात्रा का जोड़े तो 1 लाख 34 हजार टन होथे। 81 लाख 40 हजार मीट्रिक टन धान के कस्टम मिलिंग करे हन अउ ये दोनों को जोड़े जाय तो 80 लाख 74 हजार होथे। हम 83.94 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हन तो आज तक 1 लाख 20 हजान मीट्रिक टन धान के कोई प्रकार के हिसाब नइ हे। आज जोन जवाब आय हे, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हे, खाद्य मंत्री जी हे, मैं उनखर ध्यान आकृष्ट करवाना चाहत हव 1 लाख 20 हजार मीट्रिक टन धान बहुत बड़े मात्रा होथे, ये धान कहीं पर कोई जानकारी नइ हे कि ये कहां हे। हम बार-बार कहत हन कि कस्टम मिलिंग के प्रचलन में हे, लेकिन आज तो प्रचलन के भी बता दे हा कि कस्टम मिलिंग के संग्रहण केन्द्र मा ऐतका धान हे। तो आखिर 1 लाख 20 हजार मीट्रिक टन धान कहां हे ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसर चीज कि हम कोविड क समय के बड़े-बड़े बात करत हन अउ बड़े दु:ख के साथ, बड़े तकलीफ के साथ झेले हन। 9 मार्च तक ये विधानसभा चलत रहिस हे। 7-8 मार्च के भी जब रोड सेफ्टी के नाम से होइस तो सदन में ये बात आइस कि वो स्थिति नइ हे। यदि हम देखी तो छत्तीसगढ़ में ओ समय मतलब 7-8 मार्च 2021 मा कुल 290 एक्टिव केस रहिस हे अउ कुल डेथ 3300 रहिस हे अउ कुल पाजीटिव केस 2 लाख के आसपास रहिस हे। लेकिन जून के आत-आत छत्तीसगढ़ में साढे तेरह हजार डेथ होइस, लगभग 10 लाख के लगभग पाजीटिव केस मा पहुंच गयेन ओखर बाद भी हम ढाई करोड़ के जनसंख्या वाला प्रदेश ये सोचत हन कि हम बहुत अच्छा पराफार्म करेन, हम कहीं न कहीं अंदर से देश के बड़े-बड़े राज्य के बारे मा विचार करी कि उनखर इहां कतका डेथ होइस, पाजीटिव केस केतका रहिस हे, का व्यवस्था रहिस हे, अपन-अपन इहां के नागरिक बर का-का करिस हे। हम सब का अपन असलियत मालूम पड़ जाहय कि कहीं न कहीं हम कोविड मा पूर्ण रूप से फेल रहेन। बार-बार वेन्टीलेटर के बात आथे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मोर कल के प्रशन के जवाब मा आय हे कि केन्द्र सरकार 724 वेन्टीलेटर मुफ्त मा दिए गय हे। मैं पूछत रहेव कि स्टाल कितना करे गय हे ?

श्री रामकुमार यादव :- नइ चलत रहिस हे।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- सुन ले रामकुमार भाई, 177 स्टाल करे गय हे। 547 वेंटीलेटर आज भी स्टाल नहीं किये गय हे। कल जब मोर प्रश्न लगे रहिस हे, एखर जवाब मा हावय। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर अभी थर्ड वेव के चेतावनी दे जात हे। स्वास्थ्य मंत्री जी हा बार-बार आयुष्मान भारत के बात करथ रहिन हे, आयुष्मान के कार्ड बनना महत्वपूर्ण नहीं है । 10 लाख पाजिटिव केस म 200 लोगन के आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरा छत्तीसगढ़ मेंईलाज नहीं होये हे । बिलासपुर में जब मैं पूछत रेहेंव, 15 ठोक, 20 ठोक, 25 ठोक होवत रहिसे, आयुष्मान भारत म कोई हॉस्पीटल ईलाज करे के लिए तैयार नइ रहिसे, बड़े-बड़े बिल बनत रहिसे, निश्चित रूप से हम कहत जरूर हन, वास्तविकता

ला जानथन । निश्चित रूप से सरकार ला अभी अऊ काम करे के आवश्यकता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय धान के पैसा के हे, धान के पैसा अभी चार किस्त में जाथे । कोई किसान, धान बेचे के बाद वोखर डेथ होगे, वोखर राशि, नामिनी के नाम से अगर खाता ला बदल देथन, 4 किश्त जो न्याय योजना के मिलथे, वो चार किश्त बर बैंक वाला ये लिखवाथे, राजीव गांधी योजना का जो राशि है, अतिरिक्त राशि नहीं लेंगे । अध्यक्ष महोदय, कई झन के वह राशि बहुत बड़े-बड़े है। वोखर कोई व्यवस्था नइ हे । माननीय खाद्य मंत्री हे, सहकारिता मंत्री नइ हे, ऊंखर ध्यान आकृष्ट करवांहव, या फिर कहाथे, एक साल वेट करो । खाता एक साल तक रोक के रखो । एक साल में जब पूरा पैसा आ जाही, वोखर बाद वो पैसा ला निकाल लेहव, नामिनि के नाम से । किसान बर संभव नइ हे कि वोहा एक साल तक वेट कर सके । एखर लिये कोई किसान धान बेचे के बाद डेथ होथे, वोखर नामिनी के नाम से अतिरिक्त राशि जो 4 किश्त के नाम से जाथे, एक साल तक जाथे, वो राशि के मिले के व्यवस्था होये । अध्यक्ष महोदय, गोधन न्याय योजना के बड़े बात चलथे, 97 करोड़ के लगभग बिक्री होये हे । जो राशि जाथे, जो गोठान समिति प्रभारी मंत्री जी बनाये हे, ग्राम पंचायत के सचिव ऊंखर नाम से खाता में पैसा जावथे, वो खाता म बाद म गोबर वाला म दिये जाथे, अभी जिहां-जिहां शार्टेज होथे, सरपंच मन के ऊपर में दबाव बनाये जाथे, अतका-अतका गोबर के कमी हे, आप वो पैसा ला जमा करव, निश्चित रूप से सरपंच परेशान हे, सरपंच के गोबर खरीदी म कोई भूमिका नइ हे, गोधन न्याय योजना म जो लाभ मिलथे, जो सिर्फ स्टैबलिश डेयरी वाला है, वही ला मिलथे । मैं प्रश्न पूछत रेहेंव त जवाब आये हे, 300 आदमी ऐसे हे, जेला 50 हजार से ऊपर के राशि मिले हे, 50 हजार के राशि से जो ऊपर राशि मिले हे, वहू अगस्त से लेकर मार्च तक, सात-आठ महीना मा। हम सोच सकथन कि पांच-छै: हजार रूपया महीना मिलथे, के ठन मवेशी रखे हे, काय खिलाथे, काय पिलाथे, केझन वोखर देख-रेख बर करे हे, कोई योजना के लाभ नइ होवथे, सरकार के बहुत बड़े घाटा एमा होवत हे ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- बस एक मिनट । अध्यक्ष महोदय, बात खतम करथंव । सरकार के बहुत बड़े राशि के दुरूपयोग होवत हे । मोर आग्रह हे कि ये योजना के ऊपर पुनर्विचार करके, यदि चलाना हे, ते ज्यादा अच्छा से देखकर चलाई, विषय तो बहुत अकन रहिसे, आप बोले के अवसर देव, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- थोड़ा ज्यादा होगे । डॉ. विनय कुमार जायसवाल जी । आपका नाम है, अगर आप पांच मिनट में समाप्त कर सकें तो ।

डॉ.विनय कुमार जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम अनुपूरक की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, उसकी तीन बातें होती है, उसकी नीति क्या है, सरकार की नीयत क्या है,

सरकार ने निर्णय क्या लिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे पांच मिनट से ज्यादा बोलने नहीं देंगे....

अध्यक्ष महोदय :- आप पर पूरा अधिकार है, इसलिए बोल रहा हूँ ।

डॉ.विनय कुमार जायसवाल :- इसलिए उदाहरणों में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा । बहुत सारे विषय आ गये हैं, बहुत सारे सदस्यों ने सभी बातों को रख दिया है ।

अध्यक्ष महोदय:- सब आपकी एम.एल.ए. बहने जा रही है । आपकी आवाज को देखकर ।

डॉ.विनयकुमार जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है । राज्य की 90 प्रतिशत इकॉनामी है, वह कहीं न कहीं कृषि के ऊपर डिपेंड करती है । माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान को उदाहरण के रूप में लेते हैं, जिस नीति, नीयत और निर्णय की बात कर रहे हैं, किसान को हम एक्जाम्पल के रूप में रखते हैं, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यह सरकार जो 1918 में पदस्थ हुई है, इसमें किसान के लिए नीति बनाई गई कि हम इनको 2500 रूपये समर्थन मूल्य देंगे । 2500 रूपये समर्थन मूल्य देने की बात की है और लगातार किसानों को 2500 रूपये समर्थन मूल्य दे रहे हैं । भले ही केन्द्र सरकार ने अड़ंगा लगाया, हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं । पिछली 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इन्होंने किसानों को 2100 रुपये समर्थन मूल्य और 300 रुपये बोनस देने की बात कह कर 15 साल शासन किया। आज यह विपक्ष में बैठे हुए हैं। यह क्या बोलते हैं? हमारी सरकार 2500 रुपये दे रही है लेकिन 04 किश्तों में दे रहे हैं। यह हर बात को मानते हैं। यह इस सरकार की किसान के प्रति नीति, नीयत, निर्णय है और मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि उस निर्णय को यह सरकार लगातार निभा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय चंदूलाल चन्द्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की बात आई। मुझे यह बात समझ में नहीं आई, बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी और माननीय चन्द्राकर जी की भी बात को सुना। यह लगातार विरोध कर रहे हैं। अगर एक मेडिकल कॉलेज में जिसमें 6 बैच के बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, एक मेडिकल का infrastructure तैयार होगा जिसमें 150 डॉक्टर प्रतिवर्ष तैयार होगें और छात्रों का भविष्य अच्छा होगा। मेडिकल कॉलेज बनाने में जो समय लगता है, अभी भी आप हमारे छत्तीसगढ़ में देखिये जो नये मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, हम राजनांदगांव या रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज की बात करें, कहीं न कहीं उनके infrastructure को तैयार करने में समय लग रहा है। सारी स्वीकृति होने के बाद भी प्रोसेस में एक समय जो लगता है, चंदूलाल चन्द्राकर stablish मेडिकल कॉलेज है, उसको चलाने में लोग असमर्थ थे। अगर उसको सरकार अधिग्रहण करके छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती है, हर साल 150 डॉक्टर देना चाहती है। आज कोरोना काल है, इतने सारे सदस्यों ने कोरोना के ऊपर में इतने

सारे अपने वक्तव्य को रखा है। सभी लोगों ने दूसरी लहर को देखा है, अभी तीसरी लहर की भी सभी चिंता कर रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है। अगर इतना बड़ा कदम सरकार उठा रही है तो उसका विरोध क्यों और किस बात का विरोध कर रहे हैं, यह समझ से परे है। इसलिए मैं सरकार की नीयत और निर्णय के बारे में बोल रहा था कि भूपेश बघेल जी की सरकार चाहे वह किसान, छात्र, व्यापारी हो, उनके लिए निर्णय लेकर सरकार उनके हितों के लिए तो कार्य कर रही है, इनके पास अभी कोई मुद्दा नहीं है। हम पिछले ढाई दिन से देख रहे हैं। अभी स्थगन में धर्मांतरण का मुद्दा उठा हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप बहक रहे हो न। आप धर्मांतरण पर जा रहे हो, चंदूलाल चंद्राकर जी के ऊपर जा रहे हो, आप कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी जाओ तो समझ में आता है।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको शुरूआत में बोला था कि मैं नीति, नीयत और निर्णय के ऊपर बात करूंगा। एक मिनट में मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। जब ढाई साल में हमारी सरकार ने किसानों के लिए काम किया, हम भूमिहीन किसानों के लिए काम कर रहे हैं तो यह मुद्दाविहीन हैं। धर्म, जाति हिन्दु-मुसलमान के ऊपर बात करना इनकी नीयत है। अब चूंकि चुनाव आने वाला है तो इस तरीके के मुद्दे लगातार उठायेंगे लेकिन कभी भी किसान की बात नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ के लोगों की बात नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- मैं चाहता था कि आप कोरिया और मनेन्द्रगढ़ के बारे में बोलते तो आप इधर उधर भाग रहे थे। चलिये, माननीय धरमलाल कौशिक जी, कृपा करके जल्दी समाप्त करें। समय ज्यादा हो गया है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम अनुपूरक बजट दो हजार चार सौ पचासी करोड़, उनसठ लाख, इकतीस हजार, सात सौ रुपये का प्रस्तुत किया गया है और आज मैं इस अनुपूरक बजट की चर्चा पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वास्तव में इस अनुपूरक की आवश्यकता ही नहीं थी। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने मितव्ययिता की बात कही कि हमारे मंत्री होटल में बैठक नहीं करेंगे, खर्च में कटौती करेंगे, फिजूलखर्ची न हो। इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात की है। लेकिन बात करने के बाद में मितव्ययिता तो कहने के लिए तो बहुत अच्छा है और मितव्ययिता करने के बाद में आज पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है ? मैं तीन चीजों के बारे में कहना चाहता हूं कि कितनी मितव्ययिता और कितनी सावधानी उसमें सरकार के द्वारा बरती गई। एक तरफ हमारे आवक, कि हमें जो राजस्व की प्राप्ति हो रही है और दूसरे तरफ जो हमने कोई संपत्ति यदि खरीदी है और खरीदने के बाद में उसको कितना संभाल के रखना और उसको कितना मितव्ययिता के साथ में आगे ले जाना। मैनें इसलिए कहा कि संपूरक की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जो 2400 करोड़ रूपये की

आपने लायी है उससे ज्यादा राशि तो आपके फिजूल खर्चों में चली गई । तीन बातों का उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपने धान खरीदा, धान के बारे में बहुत सारी बातें हुई है मुझे विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो धान खरीदी हुई धान खरीदी के बाद में उसका नुकसान कितना हुआ ? आपके 2019-20 कि धान खरीदी जो हुई थी कस्टम मिलिंग जो हई है, जो धान सड़े हैं। आज तक उसका हिसाब अभी तक सरकार नहीं कर पाई है। ये मुख्य मंत्री जो को भी मालूम है, खाद्य मंत्री को भी मालूम है कि अब जो धान वहां पर 2019-20 का रखा हुआ है उसके धान को कोई चांवल को लेने वाला नहीं है। लेकिन उसके बाद में जब हिसाब की बारी आती है तो उसमें ये बताया जाता है कि कस्टम मिलिंग हमारी जारी है और इसलिए हमारे हिसाब किताब नहीं हुए हैं। आपने 2020-21 में धान की खरीदी आपकी हो गई, तो 2019-20 का हिसाब तो आना चाहिए न और हिसाब इसलिए नहीं आ रहा है कि मैंने जो कहा ना कि उसकी आवश्यकता नहीं है। उससे ज्यादा आपने उस धान को खराब किये है भ्रष्टाचार में हो, सड़ने में हो, लापरवाही में हो और जिसके जिस भी कारण से हो।

समय :

06:06 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनाराण शर्मा) पीठासीन हुए)**

एक बड़ा नुकसान यदि प्रदेश को हुआ है तो सरकार की ये नीति के कारण हुआ है कि बरसात लगने से पहले जो कस्टम मिलिंग हो जानी चाहिए और कहीं न कही सरकार की नीति के कारण में एक बड़ा नुकसान प्रदेश को इस सरकार ने दिया है। दूसरी बात सभापति महोदय कि जो शराब की बात आयी । अभी हमारे बलौदा बाजार के विधायक बैठे हुए हैं। उन्होंने उदाहरण सहित दिया और बहुत अच्छे से उन्होंने प्रस्तुत किया कि मैं समर्थन कर रहा हूं बजट का। लेकिन बजट के बाद ये स्थिति सरकार की है। कि आपके दुकान में शराब जा रहा है और उसको जो स्केन कर रहे हैं तो वहां पर स्केन नहीं हो रहा हैं। आपकी जो गाड़ी है, उस गाड़ी है उसके जो डिसनेरी से निकल करके जहां तक जाना चाहिए, उसका जो परमिट होना चाहिए, उस गाड़ी का परमिट नहीं है और जहां पर एंट्री होनी चाहिए उसकी एंट्री नहीं है। इस बात को हम लोग अभी नहीं पहले से बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से वहां पर दो पेटी रखे हुए हैं। एक, एक नंबर की पेटी और एक दो नंबर की पेटी। तो वास्तविक में इसके पीछे जो सरकार की सोच है कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। वह सरकार की राजस्व की हानि नहीं है कि राजस्व की हानि हो जाएगी। वह हानि होगी जो दूसरे पेटी में जो रही है जिस पैसे का अलग से हिसाब होना है और ये मैं नहीं बोल रहा हूं । ये प्रमाणित है। सभापति महोदय ये केवल बलौदा बाजार की घटना नहीं है। ये पूरे प्रदेश में आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो शराब के जो मामले हैं। उस शराब के मामले में जो दो नंबर की बात आ रही है और जो दो नंबर के कार्य हो रहे हैं। यदि आप उसको रोकेंगे तो मैं आज भी कह सकता हूं कि इस जो आपने सप्लीमेण्ट्री बजट जो 2000 की लायी है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती

उससे ज्यादा राशि आपकी उस पैसे से है। आपने, बहुत सारे हमारे सम्माननीय ने उदाहरण दिया कि 400 पेटी को पकड़ने वाले कोई नहीं है छट्टी में ले जा रहे हैं उसको पकड़ने वाले खड़े हो हैं।

श्री अमरजीत भगत :- नेती जी, आदरणीय नेता जी ये एक नंबर की पेटी, दो नंबर की पेटी कैसे पता चला आपको ? गये थे क्या देखने ?

श्री धरमलाल कौशिक :- स्केन किया था स्केन। आपकी गाड़ी का स्केन करवाओ, दो चार दिन में चले जाओ आप देखने के लिए। मैं तो नहीं गया हूं लेकिन आपके अभी जो समर्थन कर रहे थे, उन्होंने उसको प्रमाणित किया।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं, जो आप एक, दो पेटी पेटी बोल रहे हैं। कैसे पता चला आपको ?

श्री कवासी लखमा :- हम जांच कर रहे हैं, वह सही पाये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- देखिए जी, आप सप्ताह में केवल एक दिन नहीं बोलते हैं। बाकी आप रोज बोलते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- देखिए जी। आप केवल सप्ताह में एक दिन नहीं बोलते हैं। बाकी आप रोज बोलते हैं।

श्री कवासी लखमा :- क्या ? मैं तो खड़ा हो रहा था, आप पहले ही डर गये।

श्री सौरभ सिंह :- आप बाकी दिन सुबह से शाम तक बोलते हैं। एक ही दिन नहीं बोलते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, आप क्या-क्या जांच करवाये, जरा यह तो बता दीजिए ?

श्री कवासी लखमा :- मैं सब कुछ किया हूँ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, जो शराब की बात आ रही थी कि वास्वत में उसमें जो सरकारी राजस्व को कैसे बढ़ाया जाये ? और उसमें जो कार्यवाही होती है तो प्लेसमेंट के जो कर्मचारी हैं उसके ऊपर कार्यवाही होती है आज तक प्लेसमेंट के ऊपर कार्यवाही नहीं हुई और यह कार्यवाही कैसे होती है ? तो जो मापदण्ड निर्धारित है उसको उतना भी फाईन नहीं करते। वास्तव में एकाध को बर्खास्त करना चाहिए कि जो प्लेसमेंट एजेंसी है और जिसके कारण में सारी गड़बड़ियां हो रही हैं और उस प्लेसमेंट एजेंसी में कैसे लोग हैं ? जो अधिकारी को आदेश देते हैं कि आपको यह करना पड़ेगा तो अधिकारी वही करते हैं जो प्लेसमेंट चला रहे हैं, वह कहते हैं। वह लोग इतने ताकतवर हैं। उनके सामने में अधिकारी कुछ नहीं है और इसलिए आसानी के साथ में यह सारे दो नंबर के जो काम हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, तीसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि यहां पर सदन में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो पंचायतों में रेत जा रही है, हमको राजस्व बढ़ाना है इसलिए जो रेत है उसको हम पंचायत से निकालकर, उसकी नीलामी करेंगे या उसको चलाने के लिए, उसकी व्यवस्था बनायेंगे। आज रेत की क्या स्थिति है ? पूरे प्रदेश में टीला बना हुआ है। आप महासमुंद चले जाईये, आपको पूरे रास्ते में

टीला मिलेगा। बलरामपुर, वहां से उत्तरप्रदेश को रेत की सप्लाई हो रही है। आपके सरगुजा से लेकर आपको पूरा टीला दिखाई देगा।

माननीय सभापति महोदय, 15 जून से 15 अक्टूबर, एन.जी.टी. के जो नियम हैं उसके तहत उत्खनन नहीं होना चाहिए। अभी सूरजपुर की घटना है। सूरजपुर में अधिकारी को दौड़ा-दौड़ा कर मारे। लेकिन जिन्होंने अधिकारी को दौड़ा कर मारा, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस प्रदेश में अधिकारी भयभीत हैं सईया भये कोतवाल तो डर काहे का? क्या बिना सरंक्षण के यह जो रेत माफिया हैं जो अधिकारी देखकर घबरा, कांप रहे हैं यह बिना संरक्षण के संभव है? और आपने जब रेत को राजस्व की प्राप्ति के लिए कहा कि हम पंचायत को नहीं देंगे। उसमें पहले नहीं तो पंचायत के लोग काम कर रहे थे। उनको थोड़ा बहुत काम मिल जाता था। अपने पंचायत का काम कर लेते थे, लेकिन जिस प्रकार से आज रेत के जो कार्य दो नंबर के हो रहे हैं और दो नंबर के होने के बाद में जो राजस्व की प्राप्ति होनी चाहिए, वह राजस्व की प्राप्ति के बजाए, उन लोगों की जेब में राशि जा रही है। मैंने कहा कि यदि तीनों को मिला देंगे और तीनों को मिलाने के बाद में यदि आप काउंट करेंगे तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं थी। इससे ज्यादा राशि होती। आप एक तरफ मितव्ययिता की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस प्रदेश में किस प्रकार से लूटने का काम हो रहा है और आपके नीचे हो रहा है, लेकिन आप या तो इसे रोकना नहीं चाहते हैं या आप इसे रोकने में सक्षम नहीं हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि जो ऐसी दादागिरी कर रहे हैं उनके खिलाफ में कार्यवाही नहीं हो रही है। इसका क्या अंदाजा लगाया जाए? आज सारे सदस्यों ने कहा कि 2500 रूपये में धान की खरीदी हुई है। पिछले समय आपने 10 हजार रूपये आदान दे दिया और उसके बाद में आपने इस साल जारी कर दिया कि 9 हजार रूपये एकड़ में आदान दिया जायेगा। केन्द्र समर्थन मूल्य जो जारी करती है कि हमारे किसानों को उसका लाभ मिले। आपने 2500 रूपये की घोषणा की। अब मैं तो गणित में कमजोर हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि 1868 रूपये यह जो समर्थन मूल्य है और उसके बाद में 9 हजार रूपये दिये जाएंगे। आप थोड़ा सा काउंट करेंगे कि 2500 रूपये हुआ या नहीं हुआ? आप 9 हजार को 15 क्विंटल में डिवाईड कर दीजिए। मैं आज भी बोल रहा हूं कि यह सरकार केवल कागजों में 2500 रूपये हैं, किसानों के खाते में 2500 रूपये नहीं जा रही है। मैं आज भी बोल रहा हूं। इस सरकार के द्वारा झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी जो जींस हैं उसमें दस हजार रूपये दे रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री जी को मालूम है, हम सबको मालूम है, यहां पर सबसे ज्यादा किसान जो खेती करते हैं वह धान की खेती करते हैं। आप धान की खेती हतोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं। एक तरफ 2500 रूपये की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको हतोत्साहित करने के लिए आपने नौ हजार रूपए किया। जब आपने पिछली बार दस हजार रूपये किया तो आज उसको नौ हजार रूपये करने का क्या कारण है। आप थोड़ा बतायेंगे। केन्द्र का समर्थन मूल्य जो भी घोषणा हो लेकिन वह किसानों के लिए है सरकार के

लिए नहीं है। इस दृष्टिकोण से आज किसानों को पर क्विंटल के हिसाब से 2600, 2700 की राशि मिलनी चाहिए लेकिन इसमें भी इस सरकार के द्वारा कटौती की गयी है और झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास इस सरकार के द्वारा की जा रही है। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से यहां पर कर्जे की बात आई। अभी पहले दिन वित्त विभाग में जवाब आया कि 76,600 करोड़ रूपये का कर्ज आज की स्थिति में है। यह प्रश्न के जवाब में आया है। एक तरफ लगातार इस प्रदेश के लोगों के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ हमारा जो राजस्व है, वह राजस्व बढ़ना चाहिए, उसके बजाए यथावत है। आखिर यह जो लगातार कर्ज बढ़ती जाएगी तो यह प्रदेश कहां पर जाकर टिकेगी। यहां पर तेंदूपत्ता की बात आई कि हमने चार हजार रूपये बढ़ाया। आपने चार हजार रूपये बढ़ाया लेकिन चार हजार रूपये बढ़ाने के बाद में आप तेंदूपत्ता की तोड़ाई का थोड़ा सा रेट निकालिए। आपके वर्ष 2016-17 में कितनी तोड़ाई हुई, वर्ष 2017-18 में कितनी तोड़ाई हुई और आज आपकी कितनी तेंदूपत्ता की तोड़ाई हुई है। उस समय जो तोड़ाई हो रही थी, आपने उसका समय घटा दिया और समय घटाने के बाद में जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए, नाम के लिए आपका चार हजार रूपए बहुत अच्छा है। लेकिन नाम के लिए चार हजार रूपये अच्छा होने के बाद में लोगों के जेब में जो पैसा जाना चाहिए वह पैसा नहीं जा पा रहा है। क्योंकि आपने उसकी समय सीमा को घटा दिया है और घटाने के बाद में केवल नाम के लिए बहुत अच्छा है लेकिन काम के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जब आपने चार रूपये देने की बात कही है तो ईमानदारी के साथ में पूरे दिन की तुड़ाई होनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे वनवासी क्षेत्र में रहने वाले भाई बहनों के हाथ में जाना चाहिए लेकिन यह नहीं हो रहा है। उस दिन अकबर जी बता रहे थे कि हमने 52 जींसों का समर्थन मूल्य घोषित किया है। वास्तविक में केन्द्र सरकार के द्वारा 27 जो वन उपज के हैं, उनका समर्थन मूल्य घोषित किया गया है और समर्थन मूल्य घोषित करने के बाद ट्राईफेड के द्वारा खरीदी की जा रही है। वह जो खरीदी की जा रही है वह केन्द्र सरकार की एजेंसी के द्वारा खरीदी की जा रही है। बल्कि 52 के बजाए ज्यादा बढाएं। क्योंकि 27 का तो केन्द्र सरकार ने तय कर दिया है इसलिए आपके जेब से कुछ जाने का नहीं है। आप यदि उसको बढ़ायेंगे तो यहां के गरीबों को लाभ मिलेगा जो वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि आप उनको लाभ से वंचित कर रहे हैं। वाहवाही लूटने के लिए नहीं है कि आपने 52 किया। केन्द्र सरकार ने जो किया है आप उसको वहां तक ले जाईये। इससे उनके जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा जाए। यह हमारा प्रयास होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, जहां तक कोविड काल की बात है, कोविडकाल की अव्यवस्था, कोविडकाल का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से टेंडर लगाना, टेंडर लगाकर उसको बाद में निरस्त करना, निरस्त करने के बाद फिर टेंडर लगाना, दवाई की आपूर्ति नहीं होना। उसका जो परिणाम है, वह यहां की जनता भुगती है। साढ़े तेरह हजार से ऊपर लोगों की मौतें हुई है। यह पहला अवसर है कि लोगों के जेब में पैसा है और जेब में पैसा होने के बाद में

अस्पताल में जा रहे हैं, प्राईवेट अस्पताल के लिये हम बाध्य नहीं कर सकते कि उनको लेना ही पड़ेगा । न उनको प्राईवेट अस्पताल में जगह मिली, न उनको शासकीय अस्पताल में जगह मिली । हमारे बिलासपुर में सिम्स के सामने महिला दम तोड़कर मर गई लेकिन अस्पताल में उनकी भर्ती नहीं हुई । डिस्ट्रिक हॉस्पिटल है, डिस्ट्रक हॉस्पिटल के सामने मर गई लेकिन अस्पताल में उनकी भर्ती नहीं हो सकी, यह कोविड काल में स्थिति रही है और आज जो सेस के पैसे की बात आ रही है कि इतने लोग यहां कोविड में मर गए। आपके उपकरण नहीं थे, वेंटिलेटर के बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन के बेड नहीं मिले और उसके बाद में पैसा रखने के बाद में अर्थात् उस सेस के पैसे का क्या किया? कल जवाब में आ रहा था कि हमने सेस का पैसा रखा हुआ है तो जब सेस का पैसा रखने के लिए है तो आपने आखिर सेस क्यों लगाया ? और सेस लगाने के बाद भी कोविड काल में यदि आपका पैसा काम न आये, खर्च आप नहीं कर सकते तो गांव में एक कहावत है कि - जरए ओ सोन जेमा कान टूटए । आपका पैसा किस काम का जब लोगों ने प्राण त्याग दिये ? यदि इस हालात में भी आपका पैसा काम नहीं आया तो आपको सेस लगाना ही नहीं चाहिए था और सेस लगाए तो उस पैसे का उपयोग करना चाहिए था । आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली से लेकर, मध्यप्रदेश से लेकर बाकी प्रदेशों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में लोगों ने घोषणा की है कि हम 50 हजार रूपये देंगे, 1 लाख रूपये देंगे, 2 लाख रूपये देंगे जब दिल्ली जैसे प्रदेश 50 हजार रूपये दे सकते हैं तो क्या हम छत्तीसगढ़ में देने की स्थिति में नहीं हैं ? छत्तीसगढ़ में जब देने की स्थिति में हैं तो आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं ? दूसरी बात आयुष्मान योजना के कॉर्ड रखे हुए हैं लेकिन आयुष्मान योजना के कॉर्ड रखने के बाद में आखिर उनको घर बेचकर, खेत बेचकर के 5 लाख, 10 लाख रूपये की राशि प्राईवेट अस्पताल में जाकर पटानी पड़ी तो आयुष्मान योजना का आपने उपयोग क्यों नहीं किया और उसकी प्रॉपर निगरानी क्यों नहीं हुई ? यहां पर डॉ. खूबचंद बघेल योजना के अंतर्गत कितने आयुष्मान योजना शामिल किया ? कुल कॉर्डों की संख्या आप थोड़ा बताएंगे कि कुल कॉर्डों की संख्या क्या है और उनको कितना लाभ मिला ? कि जो कॉर्ड की संख्या है उसके आधार पर पेंशेंट जो भर्ती हुए, मैं उनके लिए खासतौर से बात कर रहा हूं तो उनको कितना लाभ मिला ? आखिर योजना है, पैसा है और पैसा रहने के बाद में उन गरीबों को क्यों लुटाया गया ? आखिर उनको घर और खेत बेचने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से इस सरकार में कोविड काल में घोर लापरवाही हुई है कि ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि रात को 12 बजे, 1 बजे सबको फोन आया है और फोन घनघनाने के बाद में उनको अस्पताल में भर्ती कराने की स्थिति में नहीं रहे यह हम लोगों ने पहली बार अपनी आंखों से देखा और सुना है कि हम उनको सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, यह अस्पताल की हमारी स्थिति रही है और तीसरी लहर की तैयारी की बात आ रही है । भगवान करे न आये । न आये तो छत्तीसगढ़ के लिए ठीक है लेकिन आयेगी तो उसके लिये आज हमारी क्या तैयारी है

? उस तैयारी को लेकर हमारे पास पैसा रहने के बाद में क्या अतिरिक्त पिछले समय से उसमें कर पाये हैं और क्या करने की आवश्यकता है क्योंकि पहला जो आया उससे लोग भयभीत थे लेकिन दूसरे के नाम से भयभीत नहीं हुए लेकिन जिस प्रकार की घटना घटी है तो सब भयभीत हुए हैं । आज वास्तविक में हम बाजार में जाकर देखेंगे तो लगता ही नहीं है कि कोई तीसरी लहर आने की संभावना है और जिस प्रकार से यहां पर कोई तैयारी होनी चाहिए और इसी का परिणाम हम सब लोगों ने भुगता है ।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रदेश में आज बहुत सारे लोग जो मुख्यमंत्री जी और बाकी लोगों ने उस समय जो सपना दिखाया था कि अनियमित कर्मचारी को हम नियमित कर देंगे, तृतीय वर्ग-चतुर्थ वर्ग कर्मचारी हैं, शिक्षाकर्मी का पैसा बढ़ाने का, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, मितानिन हैं उनको आश्वासन दिये तो जितने आश्वासनधारी लोग थे, आज अपेक्षा कर रहे हैं । आये दिन लोग धरना-प्रदर्शन में बैठते हैं और आये दिन लोग ज्ञापन देते हैं और ज्ञापन देने के बाद सरकार से यह अपेक्षा होती है कि जो घोषणा उस समय उन्होंने चुनाव में लाभ लेने के लिये की, अब ढ़ाई साल का समय निकल गया है उनके सब्र के बांध की सीमा टूटती जा रही है। अच्छा होता मुख्यमंत्री जी आप इसमें कुछ शामिल कर देते और शामिल करने के बाद कुछ अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात कर देते। जो विद्या मितान को निकाल दिया है, उन्हें लेने की बात कर देते। अभी कोविडकाल में जो लोग सेवा दिये हैं, उन्हें आपने नोटिस थमा दिया है कि अब आपकी आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि जब तीसरी लहर की बात आ रही है तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। दो-तीन माह हमें देखना चाहिए । दो-तीन माह देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय अस्पताल खोल दिये तो आपके काम करने वाले हैण्ड्स नहीं हैं और इसके कारण हम लोगों ने जो भुगता है। तो जो काम करने वाले लोग हैं, जो ट्रेंड हैं, ऐसे लोगों को निकालने के लिए आपने क्यों नोटिस थमा दी? आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की बात आयी। अब मुख्यमंत्री जी उस समय बजट में बोल गये थे कि 14 हजार 500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल जायेगी। उन्हें आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला और पिछली बार जब वे लोग प्रदर्शन किये तो अधिकारियों के द्वारा धमकी दी गई। उनका नाम चिन्हांकित किया गया और चिन्हांकित करने के बाद में उन्हें धमकी दी गई कि तुमको देख लेंगे। उन्हें दंडे से हांकने का काम इस सरकार ने किया है। जिनको केवल नियुक्ति पत्र देना है। बाकी सारे कार्यवाही पूर्ण हो गये हैं और मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद कि हम एक सप्ताह के अंदर में इसका निराकरण कर देंगे। आपका 3 महीना, 4 महीना निकल गया, लेकिन निराकरण नहीं हुआ। वर्ष 2019 का मामला है। जुलाई, 2021 समाप्त हो रही है। ये सरकार की स्थिति है और बाकी लोगों को तो आपने ठगने और छलने का काम किया है, वे बेचारे भुगत ही रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, उस समय जो उद्योग विभाग की बातें आयी थीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 जनवरी, 2019 से कुल 108 एम.ओ.यू. हुए हैं, जिनमें 102 एम.ओ.यू. प्रभावशाली हैं। 6 ए.एम.यू. को इसी प्रकार से निरस्त कर दिये हैं। इन एम.ओ.यू. से 46 हजार करोड़ रूपये के पूंजी निवेश

और 65 हजार लोगों को रोजगार दिया जाना संभावित है। कितने का हुआ ? 190 करोड़ का निवेश हुआ है, लेकिन रोजगार किसी को नहीं मिला। तो आप पिछली सरकार की जो बात कर रहे थे और पिछली सरकार की बात करने के बाद में आपने क्या किया? सभापति महोदय, आपने घोषणा पत्र को आत्मसात किया। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन आपने घोषणा पत्र को आत्मसात करने के बाद कभी उसे पलटकर देखने का काम किया? और आने वाले समय में आप उसमें क्या करेंगे, उनके लिए क्या करने वाले हैं। आज मुझे लगता है कि चाहे मूल बजट में हो या सप्लीमेंट्री में हो। कम से कम उसका दर्शन हो जाता कि हमारे लिए करने वाले हैं। लोग आश्वस्त होते। न आपने मूल बजट में शामिल किया, न आपने सप्लीमेंट्री में शामिल किया और मुझे ऐसा लगता है कि आपने घोषणा पत्र को रख दिया। क्योंकि घोषणा पत्र आपका बनाया हुआ नहीं है। घोषणा पत्र बनाने वाले अलग हैं । उसे क्रियान्वयन करने वाले लोग अलग हैं, इसलिए उस घोषणा पत्र का आज के समय में इनका कोई महत्व नहीं है। जिन सारी बातों का उल्लेख किया है। सभापति महोदय, आज ढाई साल व्यतीत होने के बाद में केवल इस सरकार ने सबको छलने और ठगने का काम किया है और इसलिए ये जो आप अनुपूरक लाये हैं, जिसमें बाकी सारी बातों का हमारे बहुत सारे लोगों ने विस्तार से चर्चा की है, मुझे बहुत लंबी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनहित में, प्रदेश के हित में उस दिन एक बात हम लोगों ने बिजली वाली बात उठायी थी। उसमें उन्होंने स्वयं लिखा था कि हम इस अनुपूरक में ले आयेंगे। आपने लाया भी कि नवंबर तक हम किसानों को बिजली कनेक्शन देंगे, लेकिन जितनी राशि की आवश्यकता है, उतनी राशि में आपने कटौती कर दी। इसलिए यह अनुपूरक न ही प्रदेश के हित में है और न ही प्रदेश के लोगों के हित में है। मैं उसका विरोध करता हूं । माननीय कृषि मंत्री जी उस समय उद्यानिकी विश्वविद्यालय की बात हुई तब उन्होंने कहा था कि जो जमीन देंगे, उनके क्षेत्र में खोलेंगे । मैंने उल्लेख किया था मुझे लगता है कि अभी आप उसकी घोषणा कर देंगे और प्रक्रिया शुरू हो जाएगी । आज के इस अवसर पर आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद् करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

समय :

6:30 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 54, 55, 64, 65, 67, 71, 76, एवं 79 के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी, धर्मजीत सिंह जी, हमारे पक्ष से मोहन मरकाम जी, संतराम नेताम जी, आदरणीय धरमलाल कौशिक जी, आदरणीय सौरभ सिंह जी, सभी साथियों ने अपनी बात रखी । मैं सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद् देता हूं । आप सभी के द्वारा बहुत अच्छे सुझाव आए। माननीय अजय जी बहुत

विद्वान् सदस्य हैं, वे विद्वतापूर्ण बात करते हैं और हम लोग अपेक्षा भी करते हैं कि अजय जी आज कुछ नई बात कहेंगे लेकिन आज पहली बार निराशा हुई । पता नहीं कैसे वे डी-रेल हो गए ? विषयों से भटकते रहे और आज कुछ जमा नहीं अजय जी । आपसे बहुत अपेक्षा है लेकिन आज ..।

श्री कवासी लाखमा :- धीरे-धीरे बुडढ़ा हो रहा है न इसलिए भटक रहा है ।

श्री भूपेश बघेल :- कवासी जी, अभी जब से श्रीमती दुग्गाबती पुरंदेश्वरी जी प्रभारी बनी हैं । तब से लाइन लैंथ सब बिगड़ गया है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- और मुड़ मिंजने के लिए गोबर का भी उपयोग करते हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- लगातार शिवप्रकाश जी, नवीन जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं । मीटिंग ले रहे हैं । वर्चुवल मीटिंग ले रहे हैं और रोज गरियाने का काम कर रहे हैं, ख़ूब खिंचाई हो रही है । मुझे तो बहुत दुख होता है । जब जिसके चेहरे को लेकर छत्तीसगढ़ में चार-चार बार चुनाव लड़े और पुरंदेश्वरी जी कह दे कि अब हम किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे । अब डॉ. रमन सिंह उस लायक नहीं हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या हो सकती है । मुझे तो बहुत दुख हुआ कि दुग्गाबती जी यहां आकर हमारे रमन सिंह जी के बारे में ऐसा बोल गईं और एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने प्रतिकार नहीं किया । अजय जी, आजकल एकात्म परिसर में आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है अन्यथा पिछले समय आपका वीडियो वायरल हुआ था और अब तो शायद पूछ परख कम हो गई है ऐसा लगता है । मैंने तो पहले ही कहा था कि यह हंटर वाली लग रही है, खूब हंटर चल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- वो हर हमर मन संग मंत्री घलो रिहिस हे गा ।

श्री भूपेश बघेल :- अब क्या बताएं अध्यक्ष महोदय, अब इनके पास कोई नेता तो रहा नहीं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सही बोल रहे हैं जहां तक भी गए । लेकिन आप जिसके चेहरे पर देश में चुनाव लड़ते हैं । दो बार हो गया एक अदद् विपक्ष के लिए आपकी पार्टी तरस गई । अदद् विपक्ष के लिए तरस गई, ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ ।

श्री भूपेश बघेल :- ठीक है । एक बार नहीं बन पाए, दो बार नहीं बन पाए । आपको विपक्ष का नेता बनने में कितने साल लगे । सन् 1952 से चुनाव हो रहे हैं आपको कितने साल लगे । कल ही जब सदन की शुरूआत हुई तो शिवरतन शर्मा जी ने अपने भाषण में कहा कि जमानत बच जाए तो बहुत बड़ी बात थी, यह हमारी स्थिति थी । यह तो उस दिन श्रद्धांजलि देते समय बयान कर चुके हैं । मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं । यह तो समयकाल है, परिवर्तनशील है, जनता ही ताकतवर है । जिसे चाहे अर्श पर बिठा दे, जिसे चाहे फ़र्श पर पटक दे । आज आपका वक़्त है लेकिन आज स्थिति क्या है अजय जी ? आपके पास तो बनाने के लिए भी नेता नहीं है । केन्द्रीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ, हम लोगों ने सोचा था कि जब सोनोवाल जी मंत्री बन गए तो हमारे डॉक्टर साहब भी मंत्री बन जाएंगे । लेकिन वहां भी नम्बर नहीं लगा । 9-9 सांसद यहां से चुनकर भेजे वहां भी नम्बर नहीं है । स्थिति यह

है कि मोदी जी ने आप लोगों को किसी लायक नहीं समझा । रिटायर्ड अधिकारियों को मंत्री बना दिया, भूतपूर्व कांग्रेसियों को मंत्री बना दिया, सोनोवाल आसाम के मुख्यमंत्री भूतपूर्व कांग्रेसी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भूतपूर्व कांग्रेसी, केंद्रीय मंत्री बने भूतपूर्व कांग्रेसी, अरे आपके प्रभारी बने वह भी भूतपूर्व कांग्रेसी (मेजो की थपथपाहट)

श्री शिवरतन शर्मा :- ये बीजेपी के, केन्द्र सरकार के कार्यों की समीक्षा हो रही है या अनुपूरक बजट पर आपका भाषण हो रहा है । यह स्पष्ट कर दें आप ।

श्री भूपेश बघेल :- आपको विपक्ष का नेता बनने में कितने साल लगे आपको कितने लगे 52 से चुनाव हो रहे हैं। कल ही जब सदन की शुरूआत हुई तो शिवरतन जी अपने भाषण में कहे जमानत बच जाए तो बहुत बड़ी बात थी ये हमारी स्थिति थी। ये उस दिन बयान कर चुके हैं श्रद्धांजलि देते-देते मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ये तो समय काल है परिवर्तनशील है। जनता ही ताकतवर है जिसे चाहे अर्थ में बिठा दे जिसे चाहे फर्श में पटक दे। आज आपका वक्त है लेकिन लेकिन आज स्थति क्या है अजय जी आपके पास तो बनाने के लिए भी नेता नहीं है केन्द्रीय मंत्रिमण्डल का गठन हुआ हम लोग सोचे थे कि जब सोनेवाल ही केंद्रीय मंत्री बने गये तो हमारे डॉ. साहस भी बन जाएंगे लेकिन वहां भी नंबर नहीं लगा नौ-नौ सांसद यहां से चुनकर भेजे वहां भी नंबर नहीं और स्थिति ये है किसी लायक नहीं समझा। मोदी जी ने आप लोगों को तो रिटायर्ड अधिकारियों को बना दिया। भूतपूर्व कांग्रेसियों को बना दिये। सोनेवाल जी आपके असम के मुख्यमंत्री, भूतपूर्व कांग्रेसी कर्नाटक के मुख्यमंत्री भूतपूर्व कांग्रेसी केंद्रीय मंत्री बने वो भूतपूर्व कांग्रेसी, अरे आपके प्रभारी बने वो भी कांग्रेसी।

श्री शिवरतन शर्मा :- से बीजेपी के केंद्र सरकार के कार्यों की समीक्षा हो रही है कि अनुपूरक बजट पर आपका भाषण हो रहा है, ये स्पष्ट कर दें आप।

श्री भूपेश बघेल :- अभी से क्यों तकलीफ होने लगी अभी तो शुरूआत भी नहीं की है।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, नहीं तकलीफ नहीं हो रही है अगर आप समीक्षा कर रहे हैं केंद्र सरकार की।

श्री भूपेश बघेल :- मैं कोई समीक्षा नहीं कर रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं आपके भाषण में समीक्षा लग रही है तो हम भी आपकी पार्टी की पूरी समीक्षा करेंगे। हमको अवसर दे देना बस, पूरा आप समीक्षा कीजिये।

श्री भूपेश बघेल :- अभी तो मुझे 2 मिनट भी नहीं हुआ है भई।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- दो दिन से क्या कर रहे थे आप लोग, दो दिन से कर क्या रहे थे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय अजय जी कह रहे थे धान खरीदी के बारे में सभी साथियों ने बात की नेता प्रतिपक्ष ने भी धान खरीदी के बारे में बात की बहुत तकलीफ होती है। ये देश किसानों को देश है ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है किसान हमारे अन्नदाता। हम लोगों ने यदि 25

सौ रूपये प्रति क्विंटल में धान खरीदा हमने दूसरे साल इनपुट सब्सीडी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 10 हजार रूपये प्रति एकड़ दिया। हमने इस साल 9 हजार रूपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सीडी दिया तकलीफ क्यों हो रही है। आपने कहा था कि कब भारत सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन की सहति दी आप कहे तो मैं आपको पत्र भेजवा देता हूं सहमति पत्र जो 60 लाख मीट्रिक टन की सहमति दी थी। उसके बाद उन्होंने अनुमति केवल 24 लाख मीट्रिक टन की दी है यदि 60 लाख मीट्रिक टन की दे देते तो आज हमको ये अनाज बेचना नहीं पड़ता आज 1400, साढ़े 1300 रूपये में बेच रहे हैं लेकिन घाटा उठा के हम किसानों की मदद करने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। आप कर्ज लेते हैं। डॉ. साहस उद्योगपतियों के एन.पी.ए. खतम करने के लिए, उद्योगपतियों की मदद करने के लिए और हम कर्ज लेते हैं वो किसानों के लिए लेते हैं आप जो आंकड़े बता रहे थे मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा था। डॉ. साहब जैसे भी व्यक्ति जो 10-10 साल तक के वित्तमंत्री रहे उसके बाद ही गलत बयान। 2016-17 में राजस्व व्यय 48 हजार 165 करोड़, पूंजीगत व्यय 9 हजार 471 करोड़ मतलब 2016-17 में आपका राजस्व व्यय था 83 परसेंट और पूंजीगत व्यय था 17 परसेंट हम लोगों को आप बोल रहे हैं और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय निगम मण्डल को दी गई दिसंबर 2018 में जो गारंटी थी वह 11 हजार 408 करोड़ की थी और आपने क्या बताया 4 हजार 565 करोड़ था मतलब इतना गलत बयानी तो मत करिए । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने वर्मी कम्पोस्ट के बारे में बड़ी चर्चा की । एक बार तो सुझाव भी आया कि एक दिन प्रबोधन ही कर दीजिए । सही में प्रबोधन करना चाहिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, न किसी को व्यंग्य कर रहा हूं । इसके बारे में हमको कोई जानकारी होनी चाहिए, जाननी चाहिए कि एक किलो गोबर में कितना पानी होता है, कितना सालिड रहता है, उसमें कितना वर्मी बनता है, वर्मी बनने के बाद की स्थिति क्या होती है ? वह सब लोगों को एक बार जरूर जानना चाहिए क्योंकि अभी तक प्राईवेट वाले उत्पादन करते रहे और उसको बेचते रहे । भले ही चौबे जी ने परसों जवाब में नहीं बोला, लेकिन हम तो 10 रूपए किलो में दे रहे हैं हुजूर, आपके शासनकाल में 16 रूपए किलो में खरीदा गया । आज जिस वर्मी कम्पोस्ट को हम किसानों को 10 रूपये किलो में दे रहे हैं, वह 64 रूपये किलो में बिक रहा है । यदि आप कम्पनियों को देखेंगे तो 64 रूपये तक रेट है, जिसे किसानों को हम 10 रूपए में दे रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक रालेगांव सिद्धि बनाकर अन्ना हजारे को आपने कहां-कहां पहुंचा दिया था, वह पता नहीं । पहली बार सत्ता में आये तो अन्ना हजारे की बड़ी कृपा रही, गांधी टोपी लगाकर बैठ गए । एक रालेगांव सिद्धि में कुछ काम करके पूरे देश में और दुनिया में नाम कमा लिया । आज पूरे छत्तीसगढ़ में वर्मी कम्पोस्ट, गो कार्ड और तमाम प्रकार के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम हो रहा है, मैं नहीं समझता कि देश में, किसी राज्य में इस प्रकार से काम हो रहा है, जो अब हो रहा है (मेजों की थपथपाहट) और हजारों लोगों को इसका लाभ मिल रहा

है और आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा, जब वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग होगा । हमने तो इस साल शुरूआत की, फिर धीरे-धीरे वृद्धि होगी, लोगों को इसका लाभ दिखेगा । निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा । देश के दूसरे राज्य, केन्द्र सरकार कह रही है, आपकी स्टैण्डिंग कमेटी कह रही है, दूसरे राज्य के लोग देखने आ रहे हैं कि नया काम कर रहे हैं । आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं । ये योजना आपके लिए भी है, आपके यहां भी गाय है, आपके गांव में गोठान हैं, यह हम सबकी योजना है, हम सब इससे जुड़े हुए हैं । ऐसा कौन व्यक्ति है, जो खेती-किसानी से न जुड़ा हुआ हो । हम सब किसानी से जुड़े हुए हैं तो हम लोगों को उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है । हो सकता है कि नया काम है, कुछ कमी रह जाये, खामी रह जाये, क्रियान्वयन में कुछ गलतियां हो जाये तो उसे सुधारने की आवश्यकता है और हम उसे सुधारने के लिए तैयार हैं क्योंकि जब पहले काम शुरू किया तो हमारे अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा था कि नरवा क्या है, गरूवा क्या है, घुरूवा क्या है, बाड़ी क्या है ? एन.जी.जी.बी. शुरू किया, एक-एक चीज को लिखना शुरू किया । जब कलेक्टरों को, अधिकारियों को बताया गया कि कि गौठान बनाना है तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे गौठान बनेगा तो हमने कहा कि पहले साल आप जमीन चिह्नांकित करो । गौठान के लिए, चारागाह के लिए जमीन चिह्नांकित करो । आज 10 हजार से अधिक गौठानों के लिए जमीन चिह्नांकित हो गया है और छत्तीसगढ़ में 10 हजार गांव में प्रति गांव में 10 एकड़ भी जमीन सुरक्षित किया तो हमने भविष्य के लिए 1 लाख एकड़ जमीन सुरक्षित कर लिया । (मेजों की थपथपाहट) नहीं तो अतिक्रमण में पूरा गांव चला जाता । पहले तो अतिक्रमण किया गया था, उसे कहां से खाली करा लोगे, लेकिन आज हमने 1 लाख एकड़ जमीन सुरक्षित कर लिया । फिर गौठान कैसे बनना है, फिर वह बताते गए । अलग-अलग डिजाईन बताते रहे, जिस अधिकारी को जैसे समझ आया, जिस आदमी ने जैसा सुझाव दिया, वैसा बनाया । फिर वर्मी कम्पोस्ट की ट्रेनिंग दी गई । आज किस प्रदेश में 10 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट है ? छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है, जिसके पास 10 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट है । (मेजों की थपथपाहट) किसी उत्पादक के पास इतना वर्मी कम्पोस्ट नहीं है, किसी एक कम्पनी का नाम बता दें कि उसके पास 10 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट है, लेकिन आज हमारे पास 10 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट है । हमने 8 लाख क्विंटल किसानों को दे दिया है, बचत प्रोसेस में है । कितना बनेगा, क्या है । मैं तो चौबे जी को कहूंगा कि जब विधान सभा सत्र समाप्त हो जाएगी तो सभी विधायकों को बढ़िया से गौठान में रखिए, आमंत्रित करिए, प्रोजेक्टर ले जाईए, दिखाईए, फील्ड में दिखाईए, वहां भोजन कराईए और सब लोग बैठकर देखें, समझें और सुझाव हो तो सादर आमंत्रित हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि लाट निकालिए और किसी गौठान में घूमाने के लिए सबको ले चलिए । चिह्नांकित करके नहीं ले जाईए, यहीं लाट निकालिए और सीधा यहां से उस गौठान में चलिए ।

श्री भूपेश बघेल :- हां, हां, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं पिछले बार भी यह प्रस्ताव रख चुका हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- बिल्कुल सही प्रस्ताव है, लेकिन बीच-बीच में कोरोना आ रहा है और उसके कारण सबका माईन्ड डायवर्ट हो जाता है । कोई बुलाया हुआ आपदा तो नहीं है, किसी ने बुलाया तो नहीं है, लेकिन आपदा आई है, वैश्विक महामारी है। हम सब काम छोड़कर उसमें लगे थे। पिछले साल भी लगे थे और अभी भी लगे हैं। तीसरी लहर की चर्चा भी हो रही है। प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष जी भी बोल रहे हैं, सब लोग चिंतित है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी ही चिंतित है, सब बोल रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है। पता नहीं, उसका किस प्रकार से प्रभाव होगा ? अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग चिंतित हैं। उसके बाद भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आज हम लोग कोरोना का कोई बहाना नहीं कर रहे हैं। फिर भी चाहे धान खरीदी का मामला हो, चाहे धान उठाव का मामला हो, चाहे लघुवनोपज खरीदी का मामला हो, हम सारे काम संपादित कर रहे हैं। पिछले 2 साल से कोरोना काल के बावजूद भी पूरे देश में 74 प्रतिशत लघु वनोपज खरीद कर पहले नंबर पर हैं, बचत 26 प्रतिशत लघु वनोपज पूरे देश भर दूसरे प्रदेश खरीद रहे हैं और 74 प्रतिशत अकेले छत्तीसगढ़ खरीद रहा है। (मेजों की थपथपाहट) हम किसी काम को नहीं रोक रहे हैं। हमारे खदान भी चालू हैं, हमारी फैक्ट्रियां भी चालू हैं। यदि आप हमारा जी.एस.टी. कलेक्शन भी देखेंगे तो भी बंद के दौरान पिछले साल की अपेक्षा जी.एस.टी. कलेक्शन में कमी नहीं आई है। जो सामान्य वर्ष है, उसके बराबर जी.एस.टी. कलेक्शन कर रहे हैं। पिछले साल कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, सब कुछ बंद कर दिए तो जीरो हो गया था। कहीं से कुछ राजस्व नहीं आ रहा था। लेकिन हमने इस साल उस चीज का अनुभव लेते हुए प्रयास किया कि खदान को कैसे संचालित करना है, उद्योगों को कैसे संचालित करना है, मजदूर कैसे जायेंगे, हमने पिछले अनुभव का लाभ लेते हुए काम किया है। तो पिछले के पिछले वर्ष जितना जी.एस.टी. आया था, उतना जी.एस.टी. कलेक्शन किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि हम कर्ज ले रहे हैं। भारत सरकार ही जी.एस.टी. में प्रावधान कर दिया है, एक्ट बन गया है, उसके बाद भी कहती कि हम जी.एस.टी. नहीं देंगे, आप कर्ज ले लो। तो कर्जा बढ़ेगा। भारत सरकार खुद कहती है कि हम जो जी.एस.टी. देने वाले थे, वह नहीं दे पा रहे हैं, आप उसके विरूद्ध कर्ज ले लो। तो डाक्टर साहब, कर्ज तो बढ़ेगा, कैसे रोकोगे? लेकिन जो देश की स्थिति है, आपने देश को कितने कर्ज में डाला है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सन् 2014 में भारत की विदेश ऋण 446.2 बिलियन यू.एस. डालर था और वह सन् 2020 में बढ़कर 5,863.5 बिलियन यू.एस. डालर हो गया है। तो पूरे देश को कर्ज में डुबाने का काम तो आप कर रहे हैं और हम पर आरोप लगाते हैं कि आप कर्ज ले रहे हैं, आप कर्ज ले रहे हैं। आप एफ.आर.बी.एम. एक्ट का उदाहरण दे रहे हैं। भारत सरकार खुद छूट दे रही है कि 3 प्रतिशत की छूट को 5.5 प्रतिशत कर दिया जाये। यह तो भारत

सरकार कर रही है। आपको इसके बारे में तो कहना चाहिए। आप कहते हो कि पेट्रोल में वेट कम कर दो, लेकिन पहले पेट्रोल में जितना भी सेन्ट्रल एक्साइज लगता था, उसका हिस्सा हम लोगों को मिलता था, राज्यों को मिलता था। यह पहली बार हुआ है कि केन्द्रीय वित्तमंत्री ने उसमें सेस लगा दिया है। पेट्रोल और डीजल में 3-4 प्रतिशत सेस लगा दिया है तो सेस का पैसा तो तुरन्त वहां चला गया। हमको तो मिलना नहीं है। उसके बाद सलाह देते हैं कि वेट में कटौती कर दो। तो भैय्या, यह सलाह ऊपर दे दो कि सेस का पैसा तो हमको दे। सेस का पैसा तो राज्यों को नहीं आना है। यह आपकी स्थिति है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि हमारी जो योजना है, अनुपूरक बजट की जो सरंचना है, इसे देखने से स्पष्ट होता है कि हमने इस अवसर का सदुपयोग अपनी न्याय अवधारणा को आगे बढाने के लिए किया है। मैं सदन के पहले सत्र में ही जब छत्तीसगढ अस्मिता और छत्तीसगढ़िया अभिमान और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान के बारे में कहा था, तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने अस्मिता, अभिमान और स्वाभिमान के बीच शब्दार्थ को लेकर बहुत लंबा वक्तव्य दिया था। अध्यक्ष महोदय, हम इनके शब्दजाल में फंसने वाले नहीं हैं। हम इस बाजीगरी में भी उलझने वाले नहीं हैं। हम तो भावार्थ की बात करते हैं। ढाई साल में उनके भावार्थ, संकल्प उनके परिणामों के बीच जो अंतर है, उसको न सिर्फ प्रदेश की जनता ने देख लिया है, बल्कि पूरे देश ने भी समझ लिया है। अध्यक्ष महोदय, हम चाहे राजीव गांधी न्याय योजना से लेकर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, चाहे गोधन न्याय योजना, अब भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, यह हमारी ऐसी योजनायें हैं, जो वख्त तो बहुत कम गुजरा, लेकिन लाभ का दायरा लाखों लोगों तक पहुंचा है । किसानों के ऋण माफी, किसानों के सिंचाई कर माफी, समर्थन मूल्य में अनाज बेचने वाले किसानों को लाभ देने वाले, वनोपज खरीदने वाले, यह आंकड़े अरबो तक पहुंचा है । अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों के बात में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन बस्तर से लेकर सरगुजा तक गांवों, कस्बों, गली मुहल्लों में रहने वाले लोगों के जीवन में आये बदलाव की बात मैं करना चाहता हूँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर, प्रचलित परिपाटियों में हमने बदलाव किया तो वह वर्षों से वंचित लोगों की आर्थिक ताकत भी बनी । अध्यक्ष महोदय, उनके लिए स्वाभिमान का कारण भी बना, उनके अभिमान का विषय भी बना, विकास हमारा छत्तीसगढ़ी मॉडल, देश का मान-सम्मान पा रहा है । इस पर अगर अभिमान न करे, तो क्या करें नेता जी ? अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के मॉडल की चर्चा सर्वत्र है । छत्तीसगढ़ी में ही नहीं, बल्कि हमारे जैसे परिस्थिति में रहने वाले देश के अन्य राज्यों में भी उसकी चर्चा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जो संकल्प रहा है, मलेरिया मुक्त बस्तर हो, चाहे मनरेगा हो, वनोपज की खरीदी हो, कृषि उपज की खरीदी हो, नरवा, घुरवा, बारी योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, ग्राम और वन उन्मुख नवाचार और पोषण के विरूद्ध मुहिम हो, मलेरिया का उन्मूलन हो, हमारी ऐसी हर पहल आज देश के उन लोगों की आशा लेकर आई है, जिन्हें वर्षों से ऐसे सकारात्मक बदलाव की जरूरत है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सौरभ जी कह

रहे थे कि मजदूर जो हैं, व्यक्ति होगा कि परिवार होगा, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, आँकड़े क्या हैं, योजनायें क्या है, बजट प्रावधान क्या है, बहुत सारे सवाल है । यह सवाल हमारे भी मन में आया है । इसलिए इसका हमने व्यापक अध्ययन कराया । हमारी सी.एस.की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, राजस्व विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद हम लोग निष्कर्ष में पहुंचे हैं, जो भूमिहीन है, जिनके पास कोई भी कृषि योग्य भूमि नहीं है, जिसको हम लोग गांव में छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, वसुंधरा । जिनके पास केवल मकान ही है, लेकिन जो कृषि मजदूरी करता हो, जो मनरेगा में काम करता हो, लेकिन वह वर्ग भी, जो नाई है, धोबी है, लोहार है, पौनी पसारी है, हमारे पुरोहित हैं, गांव में पंडित हैं, उसके पास जमीन नहीं है, पुरोहिती के भरोसे में अपना जीवन यापन करता है, वह सारे वर्ग जिसके पास कोई मजदूरी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए राजीव गांधी कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, हम ला रहे हैं और प्रति परिवार 6 हजार रूपया देंगे, 6 हजार । एक साल में । (मेजों की थपथपाहट ।)

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी आपके मंत्री जी ने थोड़ी देर पहले आज ही इसी सदन में घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री मान-धन योजना से ज्यादा देंगे, आप 6 हजार बोल रहे हैं, आपने ही कहा था कि हर हालत में उससे ज्यादा देंगे । दोनों में अंतर है, हाऊस चल रही है, आपको स्पष्ट करना चाहिये कि उसको कितना देंगे । आप ही ने आज कहा था ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आदरणीय अभी शुरूआत है । धीरे-धीरे देखते जाइये, क्या-क्या देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज ही कहा था लेकिन...।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं कायल हूँ उसके । अभी शुरूआत है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो फिर मुख्यमंत्री जी सही नहीं बोल रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है, चौबे जी को जानकारी नहीं है ।

श्री भूपेश बघेल :- आप किसानों को 6 हजार रूपये देते हैं, हम 9 हजार रूपये इनपुट सब्सीडी देते हैं । वृक्षारोपण यदि करेंगे तो तीन साल तक 10-10 हजार रूपये देंगे, धान छोड़कर दूसरी खेती करेंगे, उसके लिए भी 10 हजार रूपये, कोदो के लिए भी हमने समर्थन मूल्य 3 हजार रूपये घोषित किया है । लोग कहते थे कि आपने किसानों के लिए कर दिया, पशुपालकों के लिए कर दिया, मजदूरों के लिए किया, यह देश में पहली योजना है, चौबे जी ने कहा ना कि पहली बार है ये, अभी आंकड़े 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख भी हो सकते हैं । आकड़ें कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम 6 हजार रुपये वार्षिक उस भूमिहीन परिवार को देंगे, यह हमारी घोषणा है। पूरे देश की यह पहली योजना हम लागू करने जा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) इसके लिए अनुपूरक बजट में हमने 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अपने कार्यकाल के दायित्व की बात नहीं कर रहे हैं, यह कहते हैं कि बजट में ब्याज, ब्याज पटा रहे हो, भैया, कर्ज आप करोगे तो ब्याज हम पटायेंगे न। सेलफोन आप

बांटोगे तो कर्ज हम पटा रहे हैं न। अभी क्या हो रहा है? फोटो आपका छपा और पैसा हम पटा रहे हैं। रमन सिंह जी का प्रश्न भी लगा था हालांकि उस दिन श्रद्धांजलि में सब समय निकल गया, लेकिन उनका प्रश्न लगा था कि अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। बिना आदेश के ही फोटो छप गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं एक बार प्रश्न लगाया था कि आपने छत्तीसगढ़ से बाहर कितना विज्ञापन दिया है तो आपने जवाब दिया था कि जानकारी एकत्र कर रहे हैं, उसकी जानकारी आज तक नहीं दी है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अभी टेक्सास से मंगाये हुए हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ नि:शक्तजन वित्त विकास निगम के द्वारा राष्ट्रीय नि:शक्तजन एवं विकास निगम को एकमुश्त ऋण पटाने के लिए जो आपके समय लिया गया था, वह पटाया तक नहीं, उसके लिए अनुपूरक में 21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को गणवेश प्रदाय हेतु 7.62 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी लगातार बात हो रही है। जिस प्रकार से अभी कोरोना की पहली लहर में, कोरोना की दूसरी लहर में जिस प्रकार से न केवल हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शासकीय अमले बल्कि सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इस दूसरी लहर को भी बहुत अच्छे ढंग से सबने मिलकर सामना किया है, जैसे बांधी जी कह रहे थे, सब लोगों ने चंदा इकट्ठा करके किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सब लोग मिलकर किये हैं। कोई अकेले शासन के बस की बात नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूं। इस कारण से जितने भी हमारे मंत्री, विधायक, पंचायती राज, नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधि हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- कोरोना योद्धा बोलिये।

श्री भूपेश बघेल :- हॉ, हम हैं जी। आपके जैसे नहीं कि जो ऑक्सीजन की भी पूर्ति नहीं कर पाये। आपके जैसे नहीं कि जो कफन तक उपलब्ध नहीं करा सके, अंत्येष्टि नहीं करा सके। यह स्थिति नहीं है। इस छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन न केवल मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र को मिली है बल्कि सीमावर्ती राज्यों को, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और आपके उत्तरप्रदेश तक ऑक्सीजन गई है। (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ ने ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे बलौदाबाजार के विधायक प्रमोद कुमार शर्मा जी बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे। आपने बड़ी कृपापूर्वक उनको और ज्यादा समय बोलने के लिए दिया। शर्मा जी ने कहा कि उनको मेरा भी समय दे दीजिए। बांधी जी का समय आपने दिया था लेकिन आपने बांधी जी को भी मौका दे दिया। लेकिन उन्होंने बढ़िया बात कही कि यदि हाउस में नहीं बोलेंगे तो घरवाले क्या कहेंगे। अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी ने शासन की बहुत प्रशंसा भी की। उन्होंने यह भी बताया कि हम कहां

हैं, इधर हैं या उधर हैं, अनिर्णय, अनिश्चय की स्थिति में हैं, उसके बारे में भी कहा। धर्मजीत भैया नेता हैं और उनकी उपस्थिति में ये बात हो जाये तो धर्मजीत भैया यह बहुत गलत बात है। लेकिन धर्मजीत भैया मुश्किल यह है कि आप अपने भाषण में कम से दो दर्जन बार राहुल गांधी जी का नाम लिये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं कल तीन दर्जन बार नाम लूंगा। क्योंकि जहां राहुल गांधी गये थे, वहां आपने एक दिन जाना उचित नहीं समझा और वह जो बोले थे उसका उल्टा कर रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- आपको कैसे पता?

श्री धर्मजीत सिंह :- पता है, वहां मदनपुर में नोटिस गया है। मदनपुर में आप ताली बजवाये, आप राहुल गांधी के किनारे खड़े हैं। वहां छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का नोटिस गया है।

श्री भूपेश बघेल :- अच्छा सुनिये तो, आप अध्यक्ष जी के साथ भोजन कर रहे थे और जितने बार आप राहुल जी का नाम लिये हम लोग गिन रहे थे। 23 बार तो अध्यक्ष जी गिने। मैं बोला दो दर्जन से ऊपर हो गया अब मत गिनिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- और 24 बार अडानी का लिया हूं। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- लेकिन कोई कमेंट कर रहा था धर्म भैया। ये नाम तो कांग्रेस के नेता का ले रहे हैं लेकिन दिल ईधर है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बिल्कुल ठीक बोले। मैं अभी आपको सदन में यही बोला उनकी बेचैनी देख के कि मैंने रेणु जोगी से ये निवेदन किया कि हमारे दो साथियों की समस्या दूर करो लेकिन आप तो उनको लेने के लिये तैयार नहीं है और तीन ये हो नहीं सकते। उधर जा नहीं सकते इसके लिये मैं कहा दोषी हूं।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं उसका समाधान शायद निर्वाचन आयोग कर दे।

श्री धर्मजीत सिंह :- ये तीन कब जांऐगे, वैसे दिल-दिमाग से तो है न आपके साथ।

श्री भूपेश बघेल :- मुझे ऐसी पुष्ट जानकारी तो नहीं है लेकिन शायद निर्वाचन आयोग ने कुछ व्यवस्था कर दी होगी तो व्यवस्था हो जाए।

श्री धर्मजीत सिंह :- अगर कानून में है तो व्यवस्था करने के लिए वह स्वतंत्र है और कानून में नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- भाभी जी भी खड़ी है, भाभी जी खड़ी है। माईक ऑन कर देना प्लीज। जी।

डॉ. रेणु अजीत जोगी (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार माननीय धर्मजीत सिंह जी मेरे ऊपर सारे विधायकों का दारोमदार डाल रहे हैं पर मैं यह कहना चाहती हूं कि वे हमारे दल के नेता हैं और उनका निर्णय हम सब को मान्य होता है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप कहिये कि हम उनके साथ ही चलेंगे, और जब जायेंगे उनके साथ ही जायेंगे।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- और ये भी मैंने आपके चेंबर में कहा था कि हम लोग एक कहावत है हिंदी में ''धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का''। (हंसी)

तो हम लोग नहीं चाहते कि हमारी स्थिति वैसी हो। जैसे सौरभ सिंह जी के संग एक बार हो चुका है। (हंसी) (मेजों की थपथपाहट)

पहले वह ब.स.पा. से आये थे फिर कांग्रेस में आये और अंतत: उनको भाजपा का दामन थामना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय :- वो मेरी गलती थी, और आपके उनकी गलती थी। (हंसी)

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- अब जिसकी भी गलती हो। मैं इतिहास को दोहराना नहीं चाहती, इसलिए अभी कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री भूपेश बघेल :- क्या है कलेक्टर और तहसीलदार के चक्कर में ठाकुर मारा गया। (हंसी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना के बारे में चर्चा हो रही थी और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सारे साथियों ने बहुत चिंता जाहिर की। श्री सौरभ सिंह जी, शर्मा जी ने, नेता प्रतिपक्ष जी ने और सभी साथियों ने की। निश्चित रूप से यह हम सब की चिंता है और इस मामले में लगातार हमारी बैठकें हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री जी ले रहे हैं, स्वास्थ्य सचिव ले रहे हैं, सी.एस. ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं, सारे मंत्रिमंडल के लोग ले रहे हैं कि किस प्रकार से इनफ्रास्ट्रक्चर हो, किस प्रकार से तैयारी हो। बच्चों को आता है तो उसके लिये हमारी तैयारी किस प्रकार से हो और इसके लिये देखिये अध्यक्ष महोदय, आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस ढाई साल में जैसे हमारे बस्तर अंचल के कोई विधायक या सरगुजा अंचल के कोई विधायक डॉक्टरों की मांग नहीं कर रहा है अध्यक्ष महोदय। मैं मध्यप्रदेश के समय से विधायक हूं, आपके साथ भी विधायक रहा। हमारे सब वरिष्ठ है आप लोग। लेकिन जब भी हमारे आदिवासी विधायक मिलते थे तो या तो मांग करते थे मास्टर की या मांग करते थे डॉक्टर की। लेकिन आज इस बात की प्रशंसा है कि मेरे पास एक भी आवेदन इन अनुसूचित क्षेत्र के साथियों के द्वारा डॉक्टर की मांग नहीं की जाती है। (मेजों की थपथपाहट)

अब जो मांग की जाती है वह वेंटीलेटर की मांग की जाती है कि हमारे यहां वेंटीलेटर और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वेंटीलेटर के आपरेटर की जो बात है। जब कोरोना चल रहा था तो प्राईवेट हास्पिटल के डाक्टर के साथ जो कांफ्रेंस हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे स्टाफ भी फंस गये हैं। हमारे पास भी वेंटीलेटर चलाने के लिये स्टाफ नहीं है। हम लोगों ने ट्रेनिंग की व्यवस्था की और सबको न केवल शासकीय अस्पतालों में बल्कि निजी अस्पतालों में भी हमने उन आपरेटरों को भेजा अध्यक्ष महोदय ताकि वह स्वास्थ्य सेवायें हम दे सकें और अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से स्वामी आत्मानंद स्कूल की प्रशंसा हमारे बलौदा बाजार के साथियों ने किया और हमारे विधायक भी प्रशंसा किये। आउट ऑफ डिमांड भी हो रही है। हमारे श्री विक्रम मण्डावी जी नहीं है क्या । विक्रम मण्डावी जी अभी जब हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरे यहां तो खुल गया है। एक ड्रुटरूम और खुलवा दीजिए। मैं इसका विशेष रूप

से क्योंकि नक्सल प्रभावित जिला है और शिक्षा के प्रति उनकी विशेष मांग है तो ड्रुटरूम में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम की स्वीकृति मैंने सिंगल किया है। 171 हमने खोल लिया है अध्यक्ष महोदय। फिर भी एक और हमने किया है 172। जैसे स्वामी आत्मानंद अंग्रजी माध्यम हमने शुरू किया और सब की डिमाण्ड है। उसी प्रकार से हमारे ग्रामीण अंचलों में जितने भी सी.एच.सी. है, जितने भी पी.एच.सी. हैं उसी प्रकार से जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल हैं, उसी प्रकार से चमकदार हमारा हॉस्पिटल और सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसके लिए हमने इस बजट में 957 करोड़ रूपये की व्यवस्था रखी है। अभी सबसे ज्यादा जो बजट है उसमें सबसे ज्यादा जो राशि है हमने 957 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। माननीय नेता जी ने जो बात कही कि आयुष्मान भारत योजना में कितना हुआ? और डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में कितना हुआ ? तो मैं यह बताना चाहूंगा कि यह आयुष्मान योजना में यह राशि, कुल जो बेनिफिशरी है, वह 14 लाख 23 हजार 938 रूपये है और राशि खर्च हुई है 1688। लेकिन डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में सब योजनाओं को समाहित कर लिया गया। इसमें 2 जनवरी, 2020 के बाद 6 लाख 20 हजार 432 लोग लाभांवित हुए। इसमें कोरोना काल में भी और उसके पहले भी कुल राशि 852 करोड़ रूपये गया है। इस योजना का लोगों ने 852 करोड़ रूपये का लाभ लिया है। चाहे वह आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड संक्रमण के रोकथाम, बचाव के लिए बताना चाहूंगा कि आप लोग कह रहे थे कि सेस का पैसा कहां गया ? तो जो समझदार, घर चलाने वाला होता है वह पैसे बचाकर रखता है ताकि संकट के समय में काम आये। अब जो तीसरी लहर की तैयारी है उसमें वह राशि काम आएगी। आप समझ गये। जब तक चलता है तब तक चलायें, जैसे लॉक डाऊन हुआ तो 6 राज्यों ने 30 प्रतिशत कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती कर दी थी। हमने कहा कि जब तक हमारे पास पैसा है तब तक हम कटौती नहीं करेंगे। हमने किसी की कटौती नहीं की। सांसदों की तनख्वाह कट गये, लेकिन हमने विधायकों की तनख्वाह नहीं काटी। हम विधायक निधि भी ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सेस का पैसा, बाकी पैसा कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं आप घर से सियान हैं। आपने विधान सभा में घोषणा की थी कि मैं सदन का नेता हूँ सारे विधायक मेरे हैं। मेरे ख्याल से यहां तक सही बोला हूँ। आप 2 सालों से समग्र का पैसा नहीं दे रहे हैं और इस साल 80 करोड़ रूपये जारी करवाने के बाद अपने पक्ष के लोगों को, उसको फिर से सी.एस.पी. कमेटी को दे दिये कि आगे की स्थिति अब वह लोग जानेंगे। अब विपक्ष के विधायकों को नहीं देंगे। आप अपने आप को कहते हैं कि सदन का नेता हूँ।

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी, ऐसा नहीं है। ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप एक मिनट मेरी बात सुन तो लीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- वह सबको दिया जाएगा। अधोसंरचना मद सबका है। यह सबको मिलेगा। आप चिंता मत करिये। लेकिन वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सारे निर्णय लिये गये। ऐसा है। चलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक लाईन और बोलना चाहता हूँ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- अभी हमन झोंकेच नइ हन।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि बहुत लोग उधर के लोग कह रहे हैं कि अब विधायक निधि बहाल की जाएगी। आप तो सियान हैं आपके पास तीसरी लहर के लिए बहुत सारे पैसे हैं तो अब टीका भी फ्री हो गया तो इतनी ही जब लम्बी-लम्बी घोषणा हो रही है तो यह दोनों घोषणा भी हो जाए।

श्री भूपेश बघेल :- अच्छा डेढ़ करोड़ रूपये तो वापस करेंगे, यह बोल चुके हैं। वह होगा। आप डेढ़ करोड़ का प्रस्ताव दे दीजिए। भई ऐसा है कि हुआ क्या, जैसे अमरजीत जी ने कहा कि बहुत सारे वैक्सिन लगे, लेकिन कभी राज्यों को पैसा मांगा नहीं गया, यह पहली बार है भारत सरकार वैक्सिन के लिए पैसा मांगने लगे, राज्य पैसा देंगे। जब अचानक इस प्रकार से हुआ तो हमने कहा भई कि बहुत सारे, 1 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो 1 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था कैसे होगी ? तो हमारे पास कुछ सेस का पैसा है, हमारे पास विधायक निधि का पैसा है फिर अनुपूरक बजट तक इंतजार करना पड़ता। तो हमने कहा कि इस राशि का उपयोग कर लिया जाए। लेकिन हमने भी ऐसा नहीं है आप डाल-डाल, हम पात-पात। हमने उससे नरेन्द्र मोदी जी की फोटो हटा दी।

श्री शिवरतन शर्मा :- पर आपने इसी सदन में घोषणा की थी कि हम वैक्सिन फ्री लगवायेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय शिवरतन जी, आप सुनिए । यह ठीक तो है। हम तो बोले हैं। हम पीछे कहां हटे ? पूरे देश में पहला मुख्यमंत्री हूँ जो मैंने कहा कि हां हम वैक्सिन लगायेंगे। (मेजों की थपथपाहट) दूसरे राज्य के लोग तो बाद में आएं। हम सबसे पहले बोले कि हम प्रदेश के लोगों को वैक्सिन लगाएंगे, हम उसके लिए पैसा देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- सदन में आप राज्यपाल महोदया के पास फ्री टीका मांगने भी जाने वाले पहले थे। आप दोनों में थे कि हमको फ्री टीका दिया जाये।

श्री भूपेश बघेल :- हम तो प्रधानमंत्री जी से बोले। आप सुनिए तो।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप घोषणा करने के बाद बजट में उसकी व्यवस्था नहीं करने वाले पहले मुख्यमंत्री थे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय शिवरतन जी, आप पहले बैठ तो जाईये। प्रधानमंत्री क्या आप ही के हैं। आप तो केवल प्रधानमंत्री-प्रधानमंत्री करते रहते हैं। कोरोना माता की कृपा है कम से कम हर महीने विडियो कांफ्रेसिंग हो जाती है और विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उनसे बात हो जाती है और प्रधानमंत्री

जी हमारी बात गौर से सुनते हैं। हम पहले कोई सर्क्युलर जारी करते हैं और बाद में भारत सरकार करती है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय मुख्यमंत्री जी, अड़चन तो यही है कि वे आपकी सुनते हैं, इनकी थोड़ी भी नहीं सुनते है। (हंसी) (मेजों की थपथपाहट)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने भी किया, ठीक है जब पैसा हमारा है तो फिर मंत्रिमंडल ने कहा कि फोटो भी हमारा ही लगेगा। जैसे फोटो लगा तुरंत फिर ममता बनर्जी ने भी लगा ली, फिर और किसी राज्य ने लगाया। उसके बाद बोले कि यह तो गलत है। प्रधानमंत्री का फोटो कैसे हट सकता है। फिर तुरंत फैसला हुआ कि पूरा पैसा है, वह केन्द्र सरकार देगी। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- यह सुझाव, आपका जो फोटो लगाने का सुझाव है, वह पूरे कोरोना में सर्वश्रेष्ठ सुझाव माननीय रविन्द्र चौबे जी ने दिया था। मुख्यमंत्री जी का फोटो लगना चाहिए, छत्तीसगढ़ टीका कोविन में हम नहीं करायेंगे, छत्तीसगढ़ टीका में लगना चाहिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- हमारे संसाधनों से हम लगा रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री की फोटो की जगह और किसी डाढ़ी वाले बाबा का फोटो होता क्या ? (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- कल आप सुनियेगा, किसका फोटो लगेगा, आपको कल बतायेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- कोविड के मामले में तो आपकी सरकार इतनी (व्यवधान) हो गया कि सौंदर्य बैठक में स्वास्थ्य मंत्री को नहीं बुलाया गया। इतने (व्यवधान) हैं हम लोग समझते हैं। कोविड की चर्चा में स्वास्थ्य मंत्री आमंत्रित नहीं थे। (व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- शर्मा जी, शक्ति में तो दो मुख्यमंत्री का फोटो लग गया। शायद बी.एम.ओ. को ढाई ढाई साल वाला फार्मूला याद आ गया होगा।

श्री अजय चंद्राकर :- दो लोग सस्पेंड हुए हैं।

श्री भूपेश बघेल :- चलिए, चंद्रा जी बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना कोविड संक्रमण रोकने बचाव हेतु दवाईयों एवं अन्य व्यय हेतु 304 करोड़ और चिकित्सा उपकरणों के क्रय हेतु 215 करोड़ का प्रावधान है। महामारी के विशेष स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी रिस्पांस एवं हेल्थ सिस्टम प्री-आर्डिनेंस पैकेज हेतु 376 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। नैमेड़ जिला-बीजापुर में 30 बिस्तर अस्पताल, बेलपत जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय जिला पेंड्रा-गौरेला-मरवाही ब्लड बैंक तथा अलदा विकासखंड तिल्दा में नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु बजट में सेटअप एवं वित्तीय प्रावधान किया गया है। महासमुंद, कोरबा एवं कांकेर में नया चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु प्रति महाविद्यालय 16 पदों के मांग से 348 पदों का सेटअप एवं 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी चंदू लाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण हेतु 39 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ हाट बाजार क्लिनिक योजना की लोकप्रियता एवं उपयोगिता को देखते हुए 7 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि उस अनुपूरक में भी हमारा फोकस न्याय योजना पर रही है और राज्य सरकार ग्रामीण मजदूरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् भारत सरकार द्वारा निर्धारित 100 दिवस के अतिरिक्त 50 दिवस का रोजगार राज्य के बजट में मुहैया कराती है। इस प्रयोजन हेतु 50 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मूलक गतिविधियों से जोड़कर आजीविका में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया जा रहा है। इस योजना को निरंतर चालू रखने के लिए 122 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सार्वभौम पी.डी.एस. खाद्यान्न सुरक्षा की दृष्टि से किये जा रहे विविध प्रयासों के तहत् समुचित भंडारण महत्वपूर्ण घटक है। भंडारण क्षमता के विस्तार हेतु वेयर हाऊस कार्पोरेशन के माध्यम से सनवाल-रामानुजगंज, कुसमी, बगीचा, जशपुर, लखनपुर, करपावन एवं सुकमा जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों सहित कुल 12 स्थानों पर 142 करोड़ रूपये की लागत से गोदाम निर्माण किया जाएगा। उक्त गोदामों के निर्माण में भंडारण क्षमता में दो लाख अड़तीस हजार दो सौ मीट्रिक टन की वृद्धि होगी। इस हेतु 67 करोड़ का प्रावधान किया है।

अध्यक्ष महोदय, अधोसंरचना, प्रदेश में 15 नवीन तहसील अहिवारा, डौरा-कोचली, कोटमी सकोला, सरोना, कोरर, बारसूर, मर्दापाल, धनोरा, अड़भार, कुटरू, गंगालूर बोदरी, लालबहादुर नगर, तोंगपाल एवं भटगांव की स्थापना की जाएगी। इसके अनुपूरक बजट में 210 पदों के सेटअप एवं वित्तीय प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले 22 लाख 15 हजार परिवारों के कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा 15 जिलों में 942 करोड़ रूपए की लागत से 46 सड़कों के निर्माण जिसमें लगभग 556 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, छत्तीसगढ़ सड़क निर्माण एवं अधोसंरचना विकास निगम के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है । इस प्रकार 14 जिलों में रूपये 3886 करोड़ की लागत से 23 सड़कों का निर्माण छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है इससे लगभग 968 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण होगा इस हेतु बजट में प्रावधान किया गया है इन निर्माण कार्यों से राज्य में जहां आम नागरिकों के आवागमन की सुविधा में बढ़ोत्तरी होने के साथ-साथ सुदूर क्षेत्रों की सड़कों को राज्य की मुख्य सड़कों से जुड़ने से आवागमन में सुविधा होगी । (मेजों की थपथपाहट) जिला गरियाबंद के राजिम में लक्ष्मण झूला हेतु विद्युतीकरण कार्य हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है । जिला चांपा-जांजगीर अंतर्गत शिवरीनारायण में 7 विभिन्न

विकास कार्यों हेतु 1192 लाख का प्रावधान किया गया है । जिला सरगुजा के सीतापुर में मांड डायवर्सन योजना दायीं ओर से नहर निर्माण कराये जाने का प्रावधान किया गया है । जिला कांकेर अंतर्गत दुधावा आरबीसी नहर का चारामा तक विस्तार हेतु सर्वेक्षण कार्य के लिये प्रावधान किया गया है । जिला नारायणपुर अंतर्गत गढ़बंगाल में कुकुर नदी पर स्टॉपडेम निर्माण के लिये आवश्यक प्रावधान किया गया है । बांध, पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेस-टू अंतर्गत न्यू रूद्री बैराज, माडमसिल्ली बांध जिसका नाम बदलकर हमने बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव बांध कर दिया है । नियारी जलाशय एवं दुधावा जलाशय वृहद् परियोजना अंतर्गत कार्यों को शामिल किया गया है इसके लिये आवश्यक प्रावधान किया गया है । बांध, पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेस टू अंतर्गत पेंड्रावन जलाशय, केंकारी जलाशय, घोंघा जलाशय मध्यम परियोजना अंतर्गत कार्यों को शामिल किया गया है जिसके लिये राशि का प्रावधान किया गया है । सीसीटीएनएस क्राईम एण्ड क्रिमिनल टेकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम परियोजना का उद्देश्य पुलिस थाने के स्तर पर कुशलता एवं प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये एक व्यापक समेकित प्रणाली स्थापित करना है इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सिस्टम इंटीक्रेटर की सेवाएं लेने के लिये 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है । एण्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट का मुख्य उद्देश्य बंधुआ मजदूरों, देह व्यापार और बाल श्रम पर अंकुश लगाना है, इस योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 60 लाख का प्रावधान किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नक्सली हिंसा में शहीद जवानों के परिवारों को विशेष अनुग्रह अनुदान राशि भुगतान हेतु 7 करोड़ 10 लाख का प्रावधान किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला अंतर्गत डीएनए प्रयोगशाला स्थापित करने के लिये 13 नवीन पदों का प्रावधान किया गया है । ग्राम नंदोई जिला बिलासपुर में 126 करोड़ की लागत से 1500 बंदियों की क्षमतायुक्त विशेष जेल का निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पाटन विकासखंड के जिला दुर्ग में नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है । नेता प्रतिपक्ष जी के क्षेत्र में एक उद्यानिकी महाविद्यालय की ग्राम हथनी में उद्यानिकी महाविद्यालय की घोषणा मैं करता हूं । (मेजों की थपथपाहट) बंजर एवं अनुपयोगी पड़ी भूमि में कृषि वानिकी के रोपण, कृषकों को अतिरिक्त आय एवं रोजगार के अवसर सृजित होने की प्रबल संभावना है । धान की फसल का रकबा बदलने, कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने की आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु वानिकी महाविद्यालय की स्थापना, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय परिसर सांकरा में किये जाने का प्रावधान किया गया है । स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने, शांति एवं नागरिक सुरक्षा के लिये पुलिस व छात्रों के बीच मित्रवत संबंध स्थापित करना है । इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रावधान किया गया है । छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना जिसके बारे में संगीता सिन्हा जी कह रही थी उस योजना का भी लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे ऐसे बच्चे जो कोरोना काल

में माता-पिता दोनों की मृत्यु होने पर उस योजना का लाभ मिलेगा । वैसे भी हमने जो अनुकम्पा नियुक्ति है उसमें भी काफी शिथिलता की है और पूरे कैबिनेट ने एक स्वर से यह तय किया कि 10 परसेंट जो सीलिंग है उसे 1 साल के लिये हटा दिया जाये उससे सैकड़ों परिवारों को जो लंबित प्रकरण थे उसका लाभ सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों परिवारों को मिला है । (मेजों की थपथपाहट) कोरोना से भी हमारे कर्मचारियों की जो मौत हुई है उनके परिवार को तत्काल नौकरी मिली तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रयास किया । साथ ही छात्रवृत्ति शिक्षा में उनको छात्रवृत्ति भी देंगे । कक्षा 1 से आठ तक के विद्यार्थियों को 500 रूपये प्रतिमाह और कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 1 हजार रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जायेगी। प्रतिभावान छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण एवं कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु 4 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के सुदूर एवं दुर्गम वनांचल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवापल्ली विकासखंड, उसूर जिला बीजापुर, विश्रामपुरी जिला कोण्डागांव में नवीन महाविद्यालय की स्थापना हेतु 34 पदों के मान से कुल 68 पदों का सृजन किया गया है, इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अंतर्गत 5 शासकीय मॉडल डिग्री कॉलेज रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर एवं जगदलपुर हेतु पद सृजित किये गये हैं। इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रों हेतु 11 करोड़ एवं अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रों हेतु 4 करोड़ 80 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। आदिवासी बालक छात्रावास गोडलबाई विकासखंड, विकासखंड छुरिया के भवन निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। राम वन गमन पथ के पर्यटन विकास अंतर्गत कुल 1 हजार 643 लाख का प्रावधान किया गया है। स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान की स्थापना हेतु 130 लाख का प्रावधान किया गया है। शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय निर्माण हेतु 4 करोड़ 65 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार वर्ष 2021-22 के मुख्य बजट का कुल प्रावधान 1 लाख 5 हजार 212 करोड़ 73 लाख प्रथम अनुपूरक का आकार 2 हजार 4 सौ 85 करोड़ 59 लाख, अनुपूरक सहित बजट का आकार 1 लाख 7 हजार 6 सौ 98 करोड़ 32 लाख, प्रथम अनुपूरक में कुल व्यय 2 हजार 4 सौ 85 करोड़ 59 लाख, राजस्व व्यय 1 हजार 434 करोड़ 64 लाख, पूंजीगत व्यय 1 हजार 50 करोड़ 95 लाख। अध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से इसमें कोविड संक्रमण बचाव हेतु उपचार एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु अतिरिक्त प्रावधान 957 करोड़ 47 लाख, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले भूमिहीन किसान न्याय मनरेगा आजीविका मिशन में कृषि का ऊर्जीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु अतिरिक्त प्रावधान 695 करोड़, आदिवासी कल्याण ग्रामीण जल प्रदाय हेतु अतिरिक्त जो प्रावधान है, वह 520 करोड़ 80 लाख है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपने मुझे समय दिया और सभी साथियों ने जो सुझाव दिये,

हमने नोट किया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय छत्तीसगढ़। (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मुख्यमंत्री जी, एक छोटा सा आग्रह है कि जो कोरोना में मृतक परिवार हैं, अभी आपने ट्रांसफर पर बैन लगाया हुआ है जो कोरोना में मृत हो गये हैं। जैसे पति पत्नी एक जगह रहते थे। मान लीजिए पति मर गया। उनकी पत्नी किसी सर्विस में है, ऐसे लोगों के ट्रांसफर के लिए कम से कम आप घोषणा कर दीजिए कि उनका ट्रांसफर करेंगे जो प्रदेश में जहां भी प्रदेश में कोई मृतक हो, अगर उसका पत्नी या उसका पति सरकारी नौकरी में हो, वो भी तृतीय या चतुर्थ वर्ग के लोग, उनका आप ट्रांसफर करेंगे। मैं बड़े लोगों के ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूं। आप थोड़ा बोल देंगे तो संदेशा चला जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या-1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 54, 55, 64, 65, 67, 71, 76, एवं 79 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर दो हजार चार सौ पचासी करोड़, उनसठ लाख, इकतीस हजार, सात सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय :

7:24 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2021 (क्रमांक 9 सन् 2021)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) - अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2021 (क्रमांक 9 सन् 2021) का पुर:स्थापन करता हूं ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री - अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2021 (क्रमांक 9 सन् 2021) पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2021 (क्रमांक 9 सन् 2021) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा ।

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2021 (क्रमांक 9 सन् 2021) पारित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2021 (क्रमांक 9 सन् 2021) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(मेजो की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोगों की नियम 139 की चर्चा को लिया जाए क्या आज लें या कल लें ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपकी इच्छा ।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही दिनांक 29 जुलाई, 2021 को 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

(07 बजकर 27 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 29 जुलाई, 2021 (श्रावण 07, शक सम्वत् 1943) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर (छत्तीसगढ़) **प्रमुख सचिव**

दिनांक : 28 जुलाई, 2021 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं